राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] ग्यारहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 3

सोमवार;

25 अगस्त, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक

11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न करने से पहले एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। अभी एक अखबार में...

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : पहले प्रश्न पूछ लीजिये। तो आप काहे की...आपने कहा है प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, प्रश्न पूछ लेता हूं, आप बिराजो। मुझे पूछने दो आप। मेरा अध्यक्ष महोदय से सम्बन्धित है, बात कर लेने दो। अभी आपकी कांग्रेस की चुनाव समिति बनी है, उसमें माननीय अध्यक्षजी, आपका भी नाम है। आप तो पार्टी से अलग हैं, कैसे हुआ, जरा यह हमको समझा दो आप। आप तो पार्टी में हैं ही नहीं, आप तो निष्पक्ष हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : आसन निष्पक्ष है। आप तो निष्पक्ष हो, अध्यक्ष महोदय आसन निष्पक्ष है। आप दलगत राजनीति से बहुत ऊपर हो, अध्यक्ष महोदय। आपका नाम है। कांग्रेस की चुनाव समिति में आना आपके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपको घसीट लिया है इसमें। इसमें घसीटा गया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप अपनी चुनाव समिति में मेरा नाम रखो तो क्या दिक्कत है? आप इस योग्य समझे किसी को।

डा. बी. डी. कल्ला : भाभड़ाजी, भा.ज.पा. की चुनाव समिति में थे। भाभड़ाजी पहले भा.ज.पा. की चुनाव समिति के अध्यक्ष थे और विधान सभा के अध्यक्ष थे। हरिशंकर भाभड़ाजी जो हैं, वे प्रदेश चुनाव समिति के नेता थे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह आपसे सम्बन्धित नहीं है। केवल आपका उत्तर चाहिए, आप उत्तर दीजिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या आपकी सहमति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी सहमति है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

डा. बी. डी. कल्ला : हरिशंकर भाभड़ाजी इलेक्शन कमेटी के सदस्य थे और वे विधान सभा के अध्यक्ष भी थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वे हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, भाई, कौन मना करता है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वे पार्टी के नेता नहीं, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष हैं। एक ओर ये जिस पद पर, अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं, वह निष्पक्ष है, वे दलगत राजनीति से बहुत ऊपर हैं, आप इनको दलगत राजनीति में घसीटना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हम माननीय अध्यक्ष महोदय से कह रहे हैं, आपको कौन कह रहा है?

डा. बी. डी कल्ला : हरिशंकरजी भाभड़ा भा.ज.पा. की चुनाव समिति में...नहीं, नहीं, मैं सदन के सामने यह बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि...

श्री सांवर लाल : आपसे ज्यादा सक्षम हैं अध्यक्ष महोदय, जवाब देने के लिए। हम अध्यक्ष महोदय से कह रहे हैं, आपकी सहमति है क्या इसमें?

श्री अध्यक्ष : मैं चुनाव समिति का सदस्य नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं हैं, बस बात खतम हुई। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : शर्म करो आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप हाउस आफ कॉमंस की परम्परा निभाना चाहे तो निभाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बधाई हो, बधाई हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हो गया, आपका यह वक्तव्य है, पूरा राजस्थान इसकी सराहना करता है।

श्री सांवर लाल : आप पर गर्व है हम सबको।

श्री मानिक चन्द सुराना : बहुत बधाई हो, अध्यक्ष महोदय, आपको।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब बिराज जाइये।

निजी लोक अभियोजकों को अनियमित भुगतान

21. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विशेष प्रकरणों में पैरवी करने हेतु निजी वकीलों को लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2003 में किन किन को लोक अभियोजक नियुक्त किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वकीलों को कितनी फीस का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त की नियुक्ति की क्या शर्तें निर्धारित थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कुछ वकीलों को न्यायालय में अनुपस्थित रहने के बावजूद भी फीस का भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़): (1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा विशेष प्रकरणों में पैरवी करने हेतु प्राइवेट वकीलों को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्ष 2003 में आठ प्रकरणों में प्राइवेट वकीलों को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्ण विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अभी तक सिर्फ एक केस में प्रथम सूचना संख्या 65/2003, पुलिस थाना कोतवाली, अजमेर सरकार बना प्रवीण भाई तोगड़िया के प्रकरण में श्री एस.आर. बाजवा को विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। श्री बाजवा को रुपये 75,000/–प्रति पेशी के हिसाब से तीन पेशियों पर पैरवी करने के लिए कुल दो लाख पच्चीस हजार रुपये का भुगतान स्वीकृत किया गया व उन्हें पूरा भुगतान भी कर दिया गया।

(3) वर्ष 2003 में आठ प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में विशिष्ट लोक अभियोजक सरकारी खर्चे पर नियुक्त किये गये, जिनका विवरण इस प्रकार है :–

(i) एफ.आई.आर. केस नम्बर 65/2003 पुलिस थाना कोतवाली, अजमेर सरकार बनाम प्रवीण भाई तोगड़िया के केस में श्री बाजवा को रुपये 75,000/–प्रति पेशी की शर्त पर पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया।

(ii) एस. बी. क्रिमिनल विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1271/2003 में आचार्य स्वामी धर्मेन्द्र महाराज बनाम सरकार के प्रकरण में श्री एस.आर. बाजवा, विशिष्ट लोक अभियोजक को रुपये 75,000/– प्रति पेशी, आने जाने का किराया एवं सर्किट हाउस में ठहरने की सुविधा की शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 276/2003 सरकार बनाम मदन दिलावर वगैरह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारां में श्री सुरेन्द्र शर्मा को पैरवी करने के लिए विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया गया।

(iv) शेष पांच प्रकरणों में मुस्तगीसों के प्रार्थना पत्रों पर राज्य सरकार ने पूर्ण जानकारी हासिल करने के पश्चात् विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति दी है। इन पांचों प्रकरणों में मुस्तगीस अपनी ओर से पैरवी करने के लिए स्वयं फीस अदा करेंगे।

(4) यह सही नहीं है कि न्यायालयों में अनुपस्थित रहने के बावजूद भी वकीलों को फीस का भुगतान किया गया है। सरकारी प्रकरणों में तारीख पेशी पर उपस्थित रहने व पैरवी करने पर ही फीस का भुगतान किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया यह बताएं कि तोगड़ियाजी के खिलाफ, मदनजी के खिलाफ और धर्मेन्द्रजी के खिलाफ जो केस लगे हैं, ये किन–किन धाराओं में रजिस्टर हुए हैं अकार्डिंग टू एफ.आई.आर.? क्या यह सही है कि डिपार्टमेंट ने तोगड़ियाजी के मामले में यह कहा कि हमारे पास जो उपलब्ध वकील हैं, वे पर्याप्त है, नये वकील की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी आपने उनको नियुक्ति दी? और क्योंकि उन्होंने आपत्ति की थी, उसको वहां से हटा भी दिया आपने? तो मुझे यह बताएं कि किन–किन धाराओं में केस था? जिनके कारण से आपको करना पड़ा और मदन दिलावरजी के केस में नियुक्ति दी है किसी वकील को, वह किस अधिकार से दी है? आपने तो की नहीं, और डी.जे. को कौनसा अधिकार है जिससे वह ऐसे अपाइंट कर सकता है? और जो आपने कुछ आठ बताये हैं ना, उनमें तीन तो आपने पोलिटिकल बनाये हैं–एक तो तोगड़िया साहब का है, एक मदन दिलावरजी का है और एक धर्मेन्द्रजी का है। बाकी तो प्राइवेट हैं तो केवल आपने जो आपके पक्ष के लोग हैं, उनको परेशान करने के लिए, उनको किसी तरह से न्याय नहीं मिले, इसकी व्यवस्था की है। कृपया धाराएं तो बताइये कि किन धाराओं में इनको गिरफ्तर किया था या केस बनाया था? और इसीलिए आपको जरूरत पड़ी इतने बड़े वकील की?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं अपनी पार्टी के। सवाल यह पूछा है उन्होंने, "क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विशेष प्रकरणों में पैरवी करने हेतु

(श्री खेतसिंह राठौड़)

निजी वकीलों को लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2003 में किन किन को लोक अभियोजक नियुक्त किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।''

इसमें धाराओं से मुझे कोई मतलब नहीं है। धाराओं का प्रश्न है वह होम मिनिस्टर साहब से पूछिये, यह गृह मंत्रीजी बताएंगे कि कौनसी धाराएं लगीं, कैसे लगीं, क्यों लगीं। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब नहीं है। ऐसी कौनसी धाराएं थीं जिसके कारण से बाजवाजी को नियुक्त करना पड़ा, यह तो बताइये आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जहां तक मैं समझता हूं, इनके खिलाफ कोई बहुत ही सीरियस चार्जेज थे और...

श्री सांवर लाल : चार्जेज की धाराएं बताइये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : धारा बताइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ :...धाराओं का मैंने जवाब दे दिया। कुछ न कुछ सीरियस चार्जेज थे, जिस वजह से सरकार ने यह सोचा कि पैरवी करने के लिए उपयुक्त ही वकील रखा जाए कि जिससे इनको जेल भेजा जा सके।

श्री सांवर लाल : यह आपसे डिस्कस नहीं हुआ क्या पहले? अध्यक्ष महोदय, यह तो सबके सामने आना जरूरी है कि...(व्यवधान) आप यह बताएं, आपसे चर्चा नहीं हुई क्या कि कौन–कौनसे सीरियस आर्फेसेज किये तोगड़ियाजी ने? यह तो डिस्कस किया होगा आप से वकील करने से पहले? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह गृह मंत्रीजी से ताल्लुक का प्रश्न है, मेरे ताल्लुक का प्रश्न नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ये पाकिस्तान के एजेंट और टाडा में बंद हैं कश्मीर के आतंकवादी, इनके खिलाफ भी कभी आपने 75,000/- में कोई एडवोकेट किया क्या विधि विभाग से, उन आतंकवादियों के खिलाफ? देशभक्त प्रवीण तोगड़ियाजी, मदन दिलावर और आचार्य धर्मेन्द्र ही मिले क्या आपको? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : गृह मंत्रीजी से सम्बन्धित है तो आप खड़े होकर जवाब क्यों दे रहे हो बार बार? गृह मंत्रीजी को खड़ा करिये जवाब देने के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, गृह मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लोक अभियोजक का और उसको भुगतान का, वह तो विधि मंत्रीजी से सम्बन्धित है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

इसमें धाराएं कौनसी लगी हैं, यह क्या हुआ है, यह तो सबजुडिश है मामला, अभी भी कोर्ट में चल रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है, ठीक है, यह बताना अभी।

मोहम्मद माहिर आजाद : और इस चीज को अपन यहां पर डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा? यहां तो केवल भुगतान किया और लोक अभियोजक नियुक्त करने की बात है, केवल आप उस पर ही डिस्कस कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विशेष प्रकार की जो पृष्ठभूमि बताई गई है उसके लिए तो इनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कोर्ट से क्या होगा, सजा होगी, क्या नहीं होगी, इस तरह की बात, मामला सबजुडिस है। न्यायालय के विषय...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कौन-सी धारा लगी थी...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जिसके कारण स्पेशल एडवोकेट नियुक्त करना पड़ा, कोई राष्ट्रविरोधी काम नहीं था...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : केस के पहलुओं पर, मैरिट और डीमैरिट पर डिस्कस नहीं कर सकते। लोक अभियोजक अपाइंट किया है, उसको आपने कहा है, भुगतान क्या देंगे, कितना देंगे...

श्री सांवर लाल : नहीं, इसका मतलब क्या है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वह तो विधि मंत्रीजी ने बता दिया। अब उसमें कौन सी धारा है, आपके पास है। आप उनके इतने आदरणीय हैं, आपके पास एफ.आई.आर. नहीं है क्या? एफ.आई.आर. आपके पास है, उसमें धाराएं सब होंगी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार के वकील...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपकी शह से ऐसा बोल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह विधि मंत्रीजी से क्या पूछ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप ही जवाब दे रहे हैं क्या? आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है, माननीय सदस्य नगर से आने वाले पाकिस्तानी एजेंट के नाम से क्यों भड़क जाते हैं? पाकिस्तानी एजेंटों को बचाने के लिए क्यों भड़क जाते हैं माननीय माहिर आजाद साहब?

श्री सांवर लाल : जब एफ.आई.आर. दर्ज है तो धाराओं को बताना चाहिए मंत्रीजी को।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप संतुष्ट हैं क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इस उत्तर से आप संतुष्ट हैं? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके तोगड़ियाजी भी अमेरिका के एजेंट हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : या क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं यह पूछूं कि धाराएं कौन सी हैं? (व्यवधान) जाइंट रेस्पांसिबिलिटी है।

श्री मदन दिलावर : आप तो एजेंट हो पाकिस्तान के।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जाइंट रेस्पांसिबिलिटी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इनका अधिकार है लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : प्लीज वेट।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस प्रश्न से यह ताल्लुक नहीं रखता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप वेट करिये थोड़ा, प्लीज वेट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हैं? और क्या यह मेरा अधिकार नहीं है कि मैं यह जानकारी करूं कि इतना बड़ा पैसा आपने खर्च किया तो किस आधार पर किया? यह पूछने का अधिकार नहीं है? आप टाल रहे हैं इस बात को, आपके पास उत्तर नहीं है असल में। और यदि यह बात जरूरी थी तो आपके पास बैठते हैं, पूछना चाहिए था इनको। जाइंट रेस्पांसिबिलिटी बताते हैं कभी तो आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह उनसे पूछिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह प्रश्न आपके साथ था...

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न आपको पढ़कर सुनाया, हाउस सारा सुन रहा था...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, आप तय कर दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें सिर्फ इन्होंने यह पूछा है कि आपने क्या कोई स्पेशल वकील इसमें लगाया, हमने कहा, हां लगाया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं तो सप्लीमेंटरी पूछ रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने फीस दी, हमने कहा, हां फीस दी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : और रीजन देना पड़ेगा, क्यों किया आपने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कितनी दी?

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हमने बता दी कि 75 हजार दिये। कोई धाराओं का ताल्लुक नहीं, कोई तोगड़ियाजी कितने दिन रहे उसका ताल्लुक नहीं, उनको मच्छरों ने काटा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा इससे क्या ताल्लुक है? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी, आपने कोई तैयारी की क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठहरो, ठहरो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी साथ बैठे हैं...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सुरक्षा कीजिये आप। आप यह उत्तर दिलवाइये मेरे को।

श्री अध्यक्ष : क्या सुरक्षा करनी है आपको?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आपने पूछा ही नहीं धाराओं का, पूछना चाहिए आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं अब पूछ रहा हूं सप्लीमेंटरी में, कोई जरूरी नहीं है। यह सप्लीमेंटरी रेलेवेंट नहीं है क्या?

श्री अध्यक्ष : पर्टीकुलर अपाइंट करना था, इन्होंने कर दिया...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी रेलेवेंट नहीं क्या यह?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महेदय, सारे रेलेवेंट हैं। कोई तैयारी नहीं है क्या मंत्रीजी की?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यानि जो प्रश्न पूछ लिया उसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकते क्या हम सप्लीमेंटरी में?

श्री अध्यक्ष : नहीं, सप्लीमेंटरी में पूछ सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, तो पूछेंगे, बिलकुल पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि मूल प्रश्न में आपने नहीं पूछा है धाराओं का...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई जरूरी नहीं है, साहब।

श्री अध्यक्ष : इसलिए उन्होंने यह जानकारी प्राप्त ही नहीं की है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : काहे की, साहब?

श्री सांवर लाल : यह कोई अतारांकित सवाल थोड़े ही है जो डिस्कस नहीं होता हाउस में।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर हाउस में आने का मतलब क्या है इसका? मतलब फिर मंत्री को अगर यही जानकारी नहीं है...

एक माननीय सदस्य : क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, क्वेश्चन ही गलत बनाया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई गलती नहीं है लिखने में, गैर जिम्मेदारी का जवाब है।

मोहम्मद माहिर आजाद : गृह मंत्रीजी से करना चाहिए था...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर आप धाराओं को पूछते तो यह क्वेश्चन होम के पास चला जाता। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा लॉ डिपार्टमेंट...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जब आलरेडी सरकारी वकील है, स्पेशल वकील नियुक्त किया जाता है तो कोई ग्राउंड तो होगा आपका।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह हमने बताया न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौन सी धाराएं थीं, वह भी बता दीजिये, वही तो जानकारी चाह रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो हमने बताया न। आप बैठो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, यह बता दीजिये, क्यों किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने वकील इसलिए दूसरा किया, हमको यह डाउट था कि इतने स्पेशल केस के अन्दर अच्छा वकील नहीं होगा तो तोगड़ियाजी को जेल नहीं होगी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : समझ में आ गया? आप क्या चाहते हो? (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं इनको तो हमारे लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, तोगड़ियाजी की भाषा देखिये, प्रधानमंत्री निकम्मे हैं, रा.ज.ग. की सरकार नाकारा है, निकम्मी है, उसको हमने रोका, कार्यवाही करनी चाहिए इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमारा, और राठौड़ साहब, आपको तो विशेष रूप से होना चाहिए, मेरा भी और उनका भी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तोगड़ियाजी फिर आ रहे हैं। तोगड़ियाजी आज फिर राजस्थान में आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : राजस्थान के अमन चैन को कायम रखने के लिए...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें किन धाराओं में...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब प्रवीण भाई तोगड़िया फिर राजस्थान में आ रहे हैं, वह जोधपुर भी जा रहे हैं, वह अजमेर में आ रहे हैं, वह जयपुर भी आ रहे हैं, प्रवीण भाई तोगड़िया फिर आ रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जिन धाराओं में...(व्यवधान) एक मिनट।

डा. महेश जोशी : वह यू.पी. भी गये थे जहां आपके समर्थन की सरकार है। वह यू.पी. भी गये थे, वहां रोक दिया, क्यों नहीं आपने समर्थन वापस ले लिया? आडवाणीजी को रोका, आपने समर्थन वापस ले लिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : लालू यादव ने तो हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया था और उत्तर प्रदेश से वापस आ गये। राजस्थान में भी गंगापुर गये तो बुरका ओढ़कर जाना पड़ा, बुरका ओढ़ कर। छुपकर गये बुरका ओढ़ कर, अगर हिम्मत होती तो वैसे ही जाते। यू.पी. में मायावती ने भेज दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : लालू यादव ने हवाई अड्डे से भेज दिया और राजस्थान के मुख्य मंत्री ने बुरका ओढ़ने पर मजबूर कर दिया, औरतों के वेश में गये गंगापुर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ अब बैठ जाओ। +++

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, विधि मंत्रीजी से जानना चाहूंगा...

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह जो +++ माननीय सदस्य के लिए कहा है इसको...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्यों भाई, किसलिए?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कुछ भी बोल सकते हैं, इनको सीरियसली नहीं लेता हाउस। आज फोटो और छप गई तो आज तो बोलना ही पड़ेगा इनको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, चलो, ठीक है, ठीक है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं विधि मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, सदन जानना चाहेगा कि क्या...

मोहम्मद माहिर आजाद : आगरा में आपने बुलाया था या हमने बुलाया था? आगरा में कैसा तमाचा खाया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++बैठ जाओ। (व्यवधान) बैठ जाओ, बहुत हो गया।

श्री शिवनाथ सिंह : सुनिये, भाई।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया के लिए इतना हलका बोल दें, इनके झूठ की भी पराकाष्ठा है।

श्री शिवनाथ सिंह : किस केस में किस वकील को कितनी फीस दी जाए, इसका कोई...

श्री अध्यक्ष : दिलावरजी, बिराजिए।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, हम विधि मंत्रीजी से जानना चाहेंगे कि क्या कोई इस प्रकार के नियम बने हुए हैं, प्रोसीजर बना हुआ है या कोई इस प्रकार के सर्कुलर्स हैं कि किस केस में कितनी फीस दी जाए, क्योंकि सवाल यहां 75 हजार रुपये पर हीयरिंग का है और मेरे खयाल से सदन के सभी माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी भारी रकम जो दी गई है, क्या इनको पहले भी या किसी अन्य वकील को भी इतनी भारी रकम पर-हीयरिंग दी गई है? और इसके क्या कोई नियम बने हुए हैं कि कितनी रकम दी जाएगी, किस प्रकार के केस में, माननीय विधि मंत्रीजी, यह बताएं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिमिनल केस था, बाजवा बहुत ही अच्छे क्रिमिनल लायर हैं, सारी परिस्थितियों को समझ देखकर उसके बाद में यह तय किया गया और उनसे पूछा गया कि आप कम से कम कितनी फीस पर हमारी पैरवी करेंगे। उन्होंने 75 हजार तय किये और वह हमको देना पड़ा। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : यह एक ही वकील से पूछा था या अन्य वकीलों से भी पूछना चाहिए था? यह एक ही वकील से पूछा गया था...

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय विधि मंत्रीजी को जानकारी है...

श्री शिवनाथ सिंह : यह एक ही वकील से पूछा गया था या अन्य वकीलों से भी पूछा गया था? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : बहस के... (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, ऐसे नहीं हो सकता।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय विधि मंत्रीजी, 75 हजार रुपये पर डे का राजस्थान हाई कोर्ट में...

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं उनका जवाब दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई भी वकील नहीं है। मैं खुद राजस्थान हाई कोर्ट में...

श्रीमती बीना काक : क्राइम की सीरियसनेस को देखते हुए 75 हजार कुछ भी नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने बहस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सुनी है और मैं दावे से कह सकता हूं कि पर डे फीस चार्ज करने वाला राजस्थान में कोई नहीं है एडवोकेट, 75 हजार रुपये एक पेशी के। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : राजस्थान की सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए, राजस्थान के भाई चारे को बनाये रखने के लिए, राजस्थान में गुजरात जैसे हालात पैदा न होने देने के लिए 75 हजार कम हैं। अगर 75 हजार की बजाय 75 लाख देकर भी राजस्थान के भाई चारे और कौमी एकता को बनाये रखा जाता तो भी कम होता। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आखिर क्या हुआ? उनकी जमानत तो हो ही गई, वह जेल नहीं देख सके। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजस्थान को पाकिस्तानी एजेंटों से बचाने के लिए, राजस्थान को आतंकवादियों से बचाने के लिए, राजस्थान में सब तरह की खुशहाली के लिए राजस्थान में प्रवीण भाई तोगड़िया का आना जरूरी है। वह फिर आ रहे हैं तीन दिन के लिए, आपकी छाती पर मूंग दलने के लिए। वह जोधपुर में जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : और अगर फिर गड़बड़ करेंगे, अगर भड़काऊ भाषण देंगे, अगर वह यहां पर आकर शांति भंग करने का प्रयत्न करेंगे, भड़काऊ भाषण देंगे और गड़बड़ करेंगे तो जहां वह ऐसा करेंगे, वहीं वह गिरफ्तार होंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गिरफ्तारी तक (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर :...और आतंकवादियों को शह देते हैं...

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, 75 हजार रुपये प्रति पेशी के हिसाब से क्या बाजवाजी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं क्या?

एक माननीय सदस्य : यह तो उनसे पूछना पड़ेगा।

श्री मोहन लाल मोदी : यह उनका काम है। रिटर्न भरने का काम वकील का और उनका...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : यह तो जसवन्त सिंहजी से पूछें, जसवन्त सिंहजी से।

श्री जुगल काबरा : तोगड़ियाजी ने कोई एफिडेविट दिया है क्या? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : बाजवा तो बहुत बड़े वकील हैं, यह लाखों रुपये इनकम टैक्स के देते हैं।

श्री सांवर लाल : आप यह बताइये, कितनी रिटर्न भरते हैं वह? 75 हजार रुपये प्रति पेशी के हिसाब से भरते हैं क्या?

श्रीमती बीना काक : राज्य की सुरक्षा दाब पर लगेगी तो जरूर देंगे।

श्री सांवर लाल : पूरे राजस्थान की जनता का पैसा है और वकील को... (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेताओं की तरफ से सरकार को...(व्यवधान) जसवन्त सिंहजी से पूछिये, क्या रेट है।

श्री मदन दिलावर : +++ खतरा तो इस मंत्रिमण्डल से है...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है मेरा, अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा कि मामला बहुत गम्भीर था इसलिए हमने यह केस बनाया, वही जानकारी चाहिए कि क्या गम्भीर था, वह बता दीजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : आपको नहीं है क्या जानकारी? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी बताया न, राजस्थान की सुरक्षा को बनाये रखना था। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर उनको फ्री रख दिया होता तो अजमेर के अंदर मेरा ऐसा खयाल है कि बहुत बड़बड़ हो जाती और कोई धरने में...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नो–नो, गम्भीर क्या था, यह बताएं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : टक्कर हो जाती और इसलिए...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : केस में क्या गम्भीरता थी पहले, यह बताइये आप?

मोहम्मद माहिर आजाद : गम्भीर यह था कि तोगड़ियाजी वाजपेयीजी से इस्तीफा मांग रहे थे। तोगड़ियाजी यह कह रहे थे कि वाजपेयीजी मन्दिर नहीं बनाएं तो शासन छोड़ें। वो गम्भीर था। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनके खिलाफ में इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह था कि निश्चित तौर पर ये गड़बड़ करेंगे इसलिए... (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, माननीय सदस्य बीच–बीच में...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : तोगड़ियाजी ने साम्प्रदायिक सद्भाव समाप्त करने का प्रयास किया इसलिए उन्हें बंद करके कोर्ट के सामने पेश किया गया। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि तोगड़ियाजी ने कोर्ट के सामने क्या एफिडेविट दिया और क्या कहा उन्होंने कि मैं अब राजस्थान में इस तरह की कार्यवाही की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, कृपया बताएं सदन को?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जिस गम्भीरता को लिये हुए हैं, हम तो आपसे ही प्रोटेक्शन चाहेंगे। जिस वकील को

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने नियुक्त किया, उसको जितना पैसा आपने दिया पेशी का, हम केवल यह जानना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसा कौन-सा अपराध किया, किन धाराओं में उनको कितने साल तक उसमें सजा मिलेगी, फांसी लगेगी? आखिर गम्भीरता तो उसी से लगेगी कि इन्होंने जो कुछ भी काम किया वो गम्भीर इन धाराओं के तहत था जिसके कारण से इनको कोई फांसी होने वाली है या इनको कोई आजीवन कारावास उस धारा में होने वाला है या उन्होंने कोई देशद्रोह का ऐसा काम कर लिया जिससे देश निकाला उनको होने वाला है। हम जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी रकम देकर उनसे पैरवी करायी तो उन पर वो अपराध कौन-सा था, किस धारा में था, कितने वर्ष की उनको उसमें सजा का प्रावधान है, क्या-क्या उसमें दंड का प्रावधान है जिससे वो छूट जाएगा, इसलिए न छूटे इस बात के लिए आपने इतना पैसा दिया? यह हम आपसे चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा अपराध जिसके लिए हमको इतनी बड़ी राजकीय राशि लगानी पड़ी तो उसके सैक्शन क्या हैं, कितने साल की सजा है, क्या उसमें आजीवन कारावास है, क्या फांसी है, क्या देश निकाला है कि क्या है?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी शांति और व्यवस्था की बात कह रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि यह मैटर पूरा सबजुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय प्रतिपक्ष के नेता ज्यादा चिंतित हैं कि किन किन धाराओं में चालान किया गया है तो कोर्ट से आप सर्टीफाइड कापी ले लें, आपकी चिन्ता का निवारण हो जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी चालान हुआ ही नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...(व्यवधान)...अभी तक चालान नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कदम कदम पर लिखा हुआ है कि विधान सभा में कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप विधि मंत्री हैं कि स्पीकर हैं, आप क्या हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) :...(व्यवधान)...जो मैटर सबजुडिस है। (व्यवधान) अब मैटर सबजुडिस है तो है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : किस हैसियत से बोल रहे हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? विधि मंत्री हो कि स्पीकर हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अपने स्तर पर चाहे जो बात...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं मुख्य सचेतक हूं। आपकी जानकारी में पौणे पांच साल में भी नहीं आया क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमने आपसे सवाल नहीं पूछा। श्रीमान्‌जी, आपसे सवाल नहीं, पूछा मंत्री महोदय से जानना चाह रहे हैं और हमने आसन के माध्यम से मंत्री महोदय से सवाल पूछा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप ही हमें कम से कम जवाब देकर संतुष्ट करें कि ऐसे अपराध में क्या सजा होने वाली थी जिसके कारण से आपको यह भय था कि अगर इस आदमी को नहीं किया गया तो यह छूट जाएगा और...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप सतर्क रहना, आपकी मूछें न चुरा लूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वामन नारायण घीया के पार्टनर हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप संतुलित होकर बोलिये। पार्लियामेंटरी भाषा में बोलिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब आपने इतनी बड़ी स्वीकृति दी तो उस स्वीकृति का कोई आधार तो होगा? आखिर हम जनता को भी समझाना चाहते हैं कि आपने राज के खजाने से इतना धन पर-पेशी पर खर्च किया, आखिर उस आदमी का अपराध क्या था, उसको क्या मृत्यु दंड मिलने वाला था, क्या देश निकाला मिलने वाला था। आपके सैक्शन क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, यह जानना चाहते हैं।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : राजस्थान की जनता तो समझ गयी, अब आप क्या समझाना चाह रहे हो? राजस्थान की जनता तो समझ गयी कि तोगड़ियाजी का बम तो आपका फुस्स निकल गया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तीन महीने बाद पता लगेगा, 3 महीने बाद।

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, तोगड़ियाजी के व्यवहार के बारे में पूरा देश जानता है, बिहार के अन्दर उनके साथ क्या सलूक हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और...(व्यवधान)

श्री ललित भाटी : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, तोगड़ियाजी के मामले में राजस्थान की जनता समझ गयी...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पाकिस्तान बनाओगे इस राजस्थान को।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, हमारे पास तो यह होम डिपार्टमेंट ने भेजा कि आप कोई अच्छा वकील बताइये जिसको इस केस में पैरवी में लगाया जाये और हमने इस पर सोच-विचार करके इनका नाम दिया। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौनसे केस में?

श्री सांवर लाल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा बाजवा को कैसे माना? और वकील नहीं हैं क्या राजस्थान में?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो, मंत्री महोदय, यह बता दीजिये...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मुख्य मंत्रीजी, किसी वकील की 75 हजार रुपये पर-पेशी फीस है क्या राजस्थान में?...(व्यवधान)...आप बताइये, क्या इस तरह के घपले होते रहेंगे? राजस्थान की जनता का खजाना लुटाने के लिए है क्या? ऐसा कौन-सा तीर मार लिया...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके वक्त में भी हुआ है। आपके वक्त में आप 8 साल रहे उन दिनों में कई ऐसे वकील करने में लाखों-लाख रुपये...(व्यवधान) कार्यवाही करने के लिए उससे ज्यादा फीस भी दी है।

श्री सांवर लाल : 75 हजार रुपये देने के बाद भी तोगड़ियाजी जमानत पर रिहा हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) आपके बाजवा ने कौन सा तीर मार लिया 75 हजार रुपये में क्या कर लिया उसने? फिर भी जमानत पर रिहा...(व्यवधान)

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता तो समझ ही गयी और मायावती भी समझ गयी है, जा रही है अब वो भी। आप लोगों को सब लोग पहचान गये हैं। राजस्थान की जनता तो समझ गयी है और मायावती भी समझ गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भंवर लालजी, 25 मिनट हो गये हैं। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सवाल, केवल एक सवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, एक सप्लीमेंटरी पूछ लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा आपने लगायी थी 153 ए आई.पी.सी. की। 153ए जो धारा है उसमें यह लिखा हुआ है कि यदि कोई दोषी पाया जाएगा- "...shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both." यानी जुर्माना भी हो सकता है इस केस में। इस धारा में जुर्माने से ज्यादा सजा नहीं है। आपने यह क्या उनको वकील बना दिया और क्या ऐसा विषय बना दिया आपने? 153ए में केवल जुर्माने से छूटता है आदमी, क्या गम्भीर बात थी इसमें? इसमें क्या गम्भीर है?

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : बोलो, मंत्रीजी, क्या गम्भीर है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने जो स्पेशल पी.पी. के लिए...

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे चीफ व्हिप साहब ने कहा है कि यह केस सबजुडिस है यहां पर हम क्या इसके ऊपर बहस करें। यह तो कोर्ट में फैसले होंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : फैसले-फैसले की जगह होंगे, कोर्ट हीयरिंग करेगी। चालान पेश हो चुका है। इतनी बड़ी राशि पहले भी आपने कभी किसी केस में दी है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बाजवा को ही क्यों नियुक्त किया? नियुक्त करने में बाजवा में क्या खासियत थी?... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बाजवा में क्या खासियत है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...(व्यवधान) ...आपने बार-कौंसिल से पूछा, आपने डिपार्टमेंट से पूछा, बाजवा ही क्यों? कोई पैनल है क्या? आपके पास इस तरह के मामले में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वो व्यक्ति जिसके खिलाफ वकील किया, वो जमानत पर रिहा हो गया तो आपके बाजवा ने क्या तीर मार लिया, यह बताइए?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्पेशल पी.पी. नहीं लगाया जाए, आपके विभाग ने मना किया। आपने बाजवा को क्यों नियुक्त किया? आपके पास कोई पैनल बना रखा है, क्या इसकी कोई आपके पास लिस्ट है? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : बाजवा कोई मेरा भाई नहीं है, न मेरा जाति भाई है, न मैं बाजवा को पहचानता हूं, डिपार्टमेंट ने यह तय किया...(व्यवधान)...इसको रखा जाए इसी आधार पर इसको किया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री सांवर लाल : कोई कारण तो होगा।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, दिलावरजी, बैठिए।

श्री मदन दिलावर :...(व्यवधान)...जो सरकार कर रही है वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है, रोज आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विधायक कोष से कराए गये कार्य

22. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी)** : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र का कितना-कितना और कौन-कौन सा क्षेत्र आता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक जयपुर विकास प्राधिकरण ने कुल कितना राशि के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये हैं? विधान सभा क्षेत्र/वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण सीमा में विधान सभा क्षेत्र बस्सी के विधायक कोष एवं अन्य माध्यमों से कौन-कौनसे कार्यों के प्रस्ताव सरकार को वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक प्राप्त हुए हैं?

(4) क्या सरकार उक्त प्रस्तावों के अनुरूप कार्य स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : विस्तृत सूचना है। डा. कन्हैया लालजी, विस्तृत सूचना है, राज्य सरकार ने इसको स्थगित करने के लिए लिखा है और इसको मैंने स्थगित कर दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं, साहब, अभी तो पहला प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, कोई सवाल ही नहीं है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी दूसरा तो लेना ही नहीं है, अध्यक्ष महोदय। पहले प्रश्न पर ही क्या हम यह नहीं पूछ सकते हैं कि ऐसी कौनसी धाराएं थीं, क्या उनको सजा होने वाली थी, जिससे राज्य सरकार ने इतना पैसा खर्च किया? आपसे बार-बार आग्रह करने के बाद भी मंत्री उसके आजू-बाजू घूम करके अपने जवाब को रफा-दफा...

श्री अध्यक्ष : कटारियाजी, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है, उसके स्थगन की बात मैंने कर दी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं, वो स्थगन वाली नहीं कह रहा हूं। मैं स्थगन वाले प्रस्ताव पर नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

तेल व गैस की खोज हेतु राष्ट्रीय मरु उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन

23. **श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)**: क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(1) क्या यह सही है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की एक रिंग जैसलमेर के म्याजलार क्षेत्र में खनन हेतु गत दो वर्षों से खड़ी है?

(2) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान विभाग ने अपने क्षेत्र में आयल व गैस की खोज की स्वीकृति नहीं दी है जिससे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को न्यायालय में जाना पड़ा?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय मरु उद्यान की सीमाएं परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है?

(4) क्या सरकार राष्ट्रीय मरु उद्यान की सीमाएं परिवर्तित कर तेल व गैस जैसी बहुमूल्य खनिज के खोज का कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

कार्मिक मंत्री (डा. बी. डी. कल्ला) (खनिज मंत्री के स्थान पर) : (1) राष्ट्रीय मरु उद्यान में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने के कारण आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड की एक रिंग म्याजलार में दिनांक 5.1.2002 से 11.11.2002 तक खड़ी रही।

(2) राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य में आयल एवं गैस की खोज की स्वीकृति केन्द्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने पर ही दी जा सकती है। वांछित स्वीकृति प्राप्ति हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, न्यायालय में गया है।

(3) जी नहीं। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य की सीमा परिवर्तन सम्बन्धी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में यह सम्भव नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पहले प्रश्न पर राजस्थान की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने 75 हजार रुपये पर पेशी का किस कारण दिया? क्या अपराध था और किस कारण से दिया और उसमें से आपका परिणाम क्या निकला? इस प्रकार से राजस्थान की जनता का पैसा फोकट में लुटाना, केवल राजनीतिक द्वेषता के आधार पर लुटाया, बिना कारण से लुटाना...(व्यवधान) इस बात को लेकर हम वाकआउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री मोहन लाल मोदी : भागेंगे, बी.जे.पी. वाले भागेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, बाजवाजी के दो केस मेरे पास हैं जिसकी उन्होंने पैरवी नहीं की। बाजवाजी के दो केस मेरे पास हैं, विधि मंत्रीजी...

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(व्यवधान)...उन्होंने पैरवी नहीं की। बाजवाजी ऐसा झूठा वकील है कि केस की पैरवी नहीं करता और उनको आप 75 हजार देते हैं। ऐसे बाजवा जैसे एडवोकेट का तो लाइसेंस जब्त करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मई और जून के महीने में... (व्यवधान) कांग्रेसी विधायकों को एक एक करोड़ रुपये दिये जाएंगे। मैंने एक प्रश्न लगाया, मेरे क्षेत्र में मुझे एक नया पैसा नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जे.डी.ए. के द्वारा मैंने जितने प्रस्ताव दिये, मेरे क्षेत्र का एक भी काम मंजूर नहीं हुआ। इस प्रकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर जितने कांग्रेस के विधायक जे.डी.ए. सीमा में आते हैं, उनको एक-एक करोड़ रुपया मंजूर किया गया और मैं बी.जे.पी. का विधायक होने के नाते एक करोड़ का मैंने उनको प्रस्ताव दिया, दूसरे दिन अखबार में आ गया कि एक एक करोड़ के प्रस्ताव नहीं माने जाएंगे।

श्री छोगाराम बाकोलिया (नगरीय विकास मंत्री) :...(व्यवधान) इनको असत्य बोलने की आदत है। इनके यहां पर 29 कार्यों की सूची प्राप्त हुई थी उसमें से 16 कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और 19 करोड़ की स्वीकृति जारी कर चुके है। यह बिलकुल निराधार बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : डा. कन्हैया लालजी, आपने 1999 से 2003 तक की सूचना मांगी है जो कलैक्ट नहीं हुई है इसलिए इसको स्थगित कर दिया है। दूसरा प्रश्न ले लिया है और उसका उत्तर भी मंत्रीजी ने दे दिया है। नैक्स्ट क्वेश्चन, आप सप्लीमेंटरी पूछेंगे।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : जी हां।

श्री कन्हैया लाल : मंत्री महोदय, कौनसे 29 लाख के हो गये? माननीय अध्यक्ष महोदय, जून के महीने में एक एक करोड़ रुपये के...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री कन्हैया लाल : XXX

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न को आपने स्थगित कर दिया हो उसके बारे में माननीय सदस्य लगातार बोले जा रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिये।

श्री कन्हैया लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पुकार लिया गया है, मुझे बोलने का मौका दीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री कन्हैया लाल : XXX

श्री बाबूलाल सिंगारिया : XXX

श्री अध्यक्ष : वह सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं, श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : XXX

डा. महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य एक गलत परम्परा का निर्वहन करने जा रहे हैं, असत्य बातें कह रहे हैं। मैं जे.डी.ए. का सदस्य हूं इन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगाये हैं कि एक-एक करोड़ रुपये दिये हैं, वह बिलकुल असत्य बात है। मैं चुनौती देता हूं, बस्सी से आने वाले विधायक माननीय कन्हैया लालजी मीणा को, अगर जयपुर के विधायकों को जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक-एक करोड़ रुपये के कामों की अनुमति दी हो तो, या तो यह इस्तीफा दे दें या मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 11वीं विधान सभा का आज अंतिम दिन है और आज के बाद जो प्रश्न स्थगित हो रहा है, इस प्रश्न का क्या अर्थ निकलेगा? अगर यह स्वीकार किया हमारे यहां के सचिवालय ने तो इस प्रश्न को समझ कर किया। कोई चीज इसमें चाही नहीं, केवल अपने क्षेत्र में कितना खर्च जे.डी.ए. ने और कितना विधायक फण्ड से जो पैसा दिया वह खर्च हुआ, अगर जे.डी.ए. से इतनी सूचना भी नहीं आ सकती। माननीय सदस्य को इसके बारे में केवल यह है कि विधायकों-विधायकों में खर्चे का अंतर आ रहा है। एक दूसरे विधायक जो कांग्रेस के हैं उनके क्षेत्र में 90 लाख और 99 लाख खर्च हो रहे हैं, एक विधायक बी.जे.पी. का है जिसके यहां जीरो पैसा खर्च हो रहा है। इसके कारण से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सवाल तो यह है, इसको छिपा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, विधायक कोष का कोई हिस्सा जे.डी.ए. के पास नहीं रहता। विधायक कोष का पैसा जे.डी.ए. से खर्च नहीं होता, प्रतिपक्ष के नेता महोदय आपको जानकारी होनी चाहिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया :... (व्यवधान) अगर इस तरह से जवाब

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आएगा, इस तरह से अगर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा जिसमें सीधा पक्षपात हो रहा है, राजनीति हो रही है, और ऐसे प्रश्न को केवल आप स्थगित करवा रहे हैं। कोई कारण होना चाहिये स्थगित करने का। कोई ऐसी स्थिति हो जो सारे राजस्थान से इकट्ठी करनी है, समझ में आ सकता है, स्थगित हो सकता है। राजधानी में हम बैठे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं कि माननीय सदस्य और बाकी एम.एल.ए. के बीच में अंतर क्यों हुआ, उस फिगर के आधार पर हम सरकार को घेरना चाहते हैं, इसमें कौनसी नई बात थी जिसके कारण से स्थगित करवाया? अगर इस तरह से 11वीं विधान सभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन प्रश्न को स्थगित कर केवल सरकार अपने किये कर्मों को छिपाना चाह रही है और जो भेदभाव किया राजनीतिक दृष्टि से उसको छिपाना चाह रही है, इसके कारण से मैं और मेरा दल इसका घोर विरोध करते हैं और इस सदन का बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : आप 12वीं विधान सभा में भी मत आना, सदा-सदा के लिये कर जाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आसन की व्यवस्था को चुनौती दी है इन्होंने। (व्यवधान) आपने प्रश्न को स्थगित कर दिया, इस तरीके से प्रतिपक्ष ने आसन की व्यवस्था को चुनौती देकर बहिष्कार किया, वह स्वच्छ लोकतंत्र की परम्पराओं के विपरीत है, यह लोकतंत्र के हत्यारे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री जुगल काबरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष ने आसन की व्यवस्था का अपमान किया है इसलिए इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास से सम्बन्धित आज दो सवाल लगे थे। मेरा दूसरा था वह भी स्थगित कर दिया। आप देख लीजिए, उसमें ऐसा क्या है जो स्थगित कर दिया? दोनों नगरीय विकास से सम्बन्धित हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, कल्लाजी को सप्लीमेंटरी पूछने दीजिए।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो उत्तर दिया है...

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आसन की व्यवस्थाएं इस सदन में सुप्रीम हैं और यह पहली बार देखने में आया है कि जब आसन की व्यवस्थाओं पर एजीटेट करते हुए समूचा प्रतिपक्ष बहिर्गमन करके जा रहा है। यह एक प्रकार से आसन की व्यवस्थाओं को नकारना है, आसन का अपमान है और यह किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। न लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिये यह उपयुक्त है न हमारे नियमों में है। आसन इस सदन में सर्वोपरि है और आसन जो व्यवस्था देता है, यह सदन के जितने भी सदस्य हैं नतमस्तक होकर उसको स्वीकार करते हैं। यही लोकतंत्र के जिंदा रहने का एक मात्र रास्ता है। आपने यहां आसन की व्यवस्था के खिलाफ जो बहिर्गमन किया है, यह निश्चित रूप से निदंनीय है और सत्ता पक्ष आपकी निंदा करता है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उत्तर तो सरकार नहीं देना चाहती।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आपसे निवेदन किया था, जब आपने प्रश्न स्थगित कर दिया। आपकी व्यवस्था के खिलाफ बहिर्गमन किया है, यह इस सदन की परम्पराओं के खिलाफ है, लोकतंत्र की पम्पराओं के खिलाफ है। बहिष्कार करके जा रहे हो...(व्यवधान) बहिष्कार करके जा रहे हो या बहिगर्मन कर रहे हो? अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में आसन की व्यवस्था के खिलाफ पहली बार इन्होंने बहिर्गमन किया है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आज तो अंतिम दिन है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : लोकतंत्र के सिद्धान्तों, पैटर्न के खिलाफ है। (व्यवधान) यह आपका गलत तरीका है, आसन की व्यवस्था के खिलाफ है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आज अपकी सरकार का अंतिम दिन है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम आसन का बड़ा सम्मान करते हैं। सदन के अन्दर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी, बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन के अन्दर आपकी अनुमति...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को सबसे पहले खेद प्रकट करना चाहिए ऐसी कार्यवाही के लिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन की व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं, सरकार के खिलाफ हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : स्वीकार कर लिया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम आसन के खिलाफ कहना नहीं चाहते।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : अध्यक्ष महोदय, केवल शब्दों से यह आसन की व्यवस्था का सम्मान कर रहे हैं, अपने आचरण से इन्होंने सदन के अन्दर आसन की व्यवस्था का जो अपमान किया है इसके लिए निंदा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आसन के प्रति पूरा सम्मान है। मैंने कहा था कि केवल एक शहर की जानकारी चाहिए थी और वह भी जयपुर की चाहिए थी। राजधानी में रहने वाले लोगों ने...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय खेद प्रकट करें, फिर हम इनको बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमने आसन के विरुद्ध कोई...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनस्टार हो जाएगा और अनस्टार होने के बाद में अनस्टार क्वेश्चन की जिस तरह से रिप्लाई जाती है, माननीय कन्हैयालालजी के पास भी निश्चित तौर पर इसका उत्तर जाएगा। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो उत्तर मिला है वह सही नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर दिया है कि प्रवेश की अनुमति नहीं है। 21.8.1999 से चार वर्ष के लिए ओ.एम.जी.सी. को म्याजलार क्षेत्र में 2312 वर्ग किलोमीटर में अनुज्ञा पत्र जारी किया था। उस स्थान पर सड़क बन गई और 5.1.2002 को वहां रिंग अन्वेषण के लिए लाई गई, खुदाई के लिए लाई गई, 11 महीने पड़ी रही। इसलिए यह कहना कि अनुज्ञा पत्र नहीं था, विभाग ने उसको प्रोस्पेक्टरी लाइसेंस दिया है। चार साल के बाद जब अगस्त, 2003 में अवधि समाप्त हो रही है, पहले वो रिग ले आये, 11 महीने खड़ी रही, इसलिए यह कहना कि अनुमति नहीं थी, वह सही नहीं है।

मेरा दूसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने 14.2.2000 को रूलिंग दी है कि बेरंस के स्थान पर ऐसी कार्यवाही नहीं की जाए, जबकि अनुज्ञा पत्र पूर्व में दे चुके थे। 1996-98 के अनुज्ञा पत्र थे इसलिए वह रूलिंग यहां लागू होती है कि नहीं होती?

तीसरा मेरा प्रश्न है, क्या पांच करोड़ रुपये कम्पनी से मांगे गये? ओ.एन.जी.सी. और एलाइड कम्पनी है उसके साथ में

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

पांच करोड़ रुपये की राशि मांगी गई, वह तखमीना किसने तैयार किया? पांच करोड़ की राशि देकर यह कम्पनी वहां क्यों ड्रिल करेगी, क्यों खुदाई करेगी? इसलिए मेरा सरकार से सीधा प्रश्न है, इम्पार्टेंट प्रश्न है, खनिज, आयल और गैस की बात है उसमें पर्यावरण विभाग, वन विभाग और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, तीनों को मिलाकर सरकार ने क्या कार्यवाही की? वह ड्रिल जो 11 महीने खड़ी रही, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा, मेरा प्रश्न है, सरकार उत्तर दे। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कम्पनी को अनुज्ञा पत्र 20.9.1996 को मिल गया और उसका रिन्यूअल 26.8.2002 को हुआ और अभी एक्सटेंशन के लिए उनकी एप्लीकेशन 2004 के लिए लम्बित है। लेकिन इस बीच 13 नवम्बर, 2000 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि गेम सैंक्चुरी में किसी भी प्रकार का काम आप नहीं कर सकते, वहां की वनस्पति से भी आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दिसम्बर, 2001 में ओ.एन.जी.सी. ने बिना सक्षम स्वीकृति के गेम सैंक्चुरी में ड्रिलिंग का काम वगैरह करने से पहले सड़कें वगैरह बनाने का काम शुरू किया। 5.1.2002 को उन्होंने म्याजलार में एक रिंग लाकर खड़ी की, जिसको वन विभाग के अधिकारियों ने यह कहा कि आपके पास सक्षम स्वीकृति नहीं है इसलिए आप ड्रिलिंग नहीं कर सकते। उसके बाद राज्य सरकार ने भी यूजर एजेंसी को 4.2.2002 को यह राय दी कि सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृति हेतु एप्लीकेशन मूव करें। ओ.एन.जी.सी. ने इसके लिए कार्यवाही की और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको कहा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड से पहले आप स्वीकृति लें। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने यह कहा कि पांच करोड़ रुपये यदि कम्पनी जमा कराए तो हम इसकी परमीशन दे सकते हैं। इस बीच में वाइल्ड लाइफ बोर्ड और कम्पनी के बीच में एक मीटिंग हुई जिसमें ओ.एन.जी.सी. के अधिकारी अनुपस्थित रहे और यह मामला वहां अटका हुआ है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जब अनुज्ञा पत्र जारी किया तो परमीशन क्या होती है समझ में नहीं आया। अनुज्ञा पत्र जारी किया गया, एक वर्ष की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन इनके पास पड़ी हुई है, यदि वहां अलाउड नहीं है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आधार पर, तो

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

एप्लीकेशन एग्जम्पट क्यों की? 11 महीने रिग इस आधार पर खड़ी रही कि परमीशन मिलेगी। यह अनुज्ञा पत्र क्या होता है, मुझे समझाएं? सरकार का इसमें क्या रोल है? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अनुज्ञा पत्र 20.2.1996 को जारी किया था उस समय सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 13.11.2000 को आया और एक आदेश 14.2.2000 को आया, उसके बाद यह स्थिति पैदा हुई। इसमें भी तरीका है, सुप्रीम कोर्ट ने ओ.एन.जी. को यह राय दी है कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड से परमीशन ले, ले तो वो भी परमीशन दे देंगे। यह प्रक्रिया चल रही है। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं, 5 करोड़ का तखमीना किसने तैयार किया? क्या राजस्थान के वन विभाग ने यह आंकड़ा दिया? 5 करोड़ रुपये कम्पनी से मांग रहे हैं इसका हिसाब किसने किया, तखमीना किसने तैयार किया, मैं यह पूछना चाहता हूं।

डा. बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा बताया, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने 5 करोड़ की राशि की ओ.एस.जी.सी. से मांग की है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड नेशनल लेवल पर बना हुआ है, उसके सक्षम अधिकारियों ने यह तय करके कम्पनी को बताया है। (व्यवधान)

श्री अमीन खान (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि मरु क्षेत्र डैजर्ट नेशनल पार्क एरिया घोषित किया है, क्या उसमें रहने वाले गांव और स्कूल हैं इनको हटा दिया जाएगा? या नहीं? इन गांवों के लिए बलीते की लकड़ी, चाहे घास, चाहे खेत जो किसान काश्त करते हैं, उसका उनको अधिकार है कि नहीं? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने नेशनल गेम सैंक्चुरी जो 4.8.1980 को 3162 स्क्वायर किलोमीटर में बनाई गई थी, उसमें जो भी वनस्पति आती है या उपज होती है उसके बारे में प्रश्न किया, मैं उनको बताना चाहता हूं, बिना परमीशन के वहां से कोई एक घास की पत्ती भी नहीं ले सकता।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, वहां रहने वाले लोग जलाऊ लकड़ी कैसे नहीं लाएंगे? दूसरा, आपके पास बगैर आबादी के खाली एरिया की भूमि ऐसी पड़ी है जहां कोई आबादी नहीं है, गैर आबादी एरिया को इसमें क्यों नहीं लिया गया और आबाद एरिया को क्यों शामिल किया गया?

श्री अध्यक्ष : सैंक्चुरी में आई हुई है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आयल और नैचुरल गैस निकालने का प्रश्न है और यदि परमीशन मिल जाती है तो राजस्थान की आय में करोड़ों-अरबों रुपये का इजाफा हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कानूनी अवरोध है, 5 करोड़ की राशि जो उन्होंने मांगी है वह अत्यधिक है, बहुत एग्जोर्बिटेंट है। वहां कोई वाइल्ड लाइन इतने बड़े पैमाने पर उद्यान और रेगिस्तान में नहीं है कि जिसको इतना बड़ा नुकसान हो जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपने स्तर पर भी वाइल्ड लाइफ बोर्ड से बात करे, उस राशि को कम करवाने का काम करे और जैसलमेर में आयल और नैचुरल गैस निकलना शुरू हो सके, इस बात को देखने का काम, मुख्य मंत्रीजी, आप भी करें।

डा. बी. डी. कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड से 5 करोड़ की राशि को कम कराया जाए, इस सम्बन्ध में जो पहली बैठक हुई उसमें ओ.एन.जी.सी. के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। राज्य सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि नेशनल लेवल का जो बोर्ड है वह इस राशि को कम करे और ओ.एन.जी.सी. के साथ नैगोशियट करके जल्दी से जल्दी इस हर्डल को हटाए ताकि वहां पर आयल एंड नैचुरल गैस कमीशन अपनी ड्रिलिंग का काम कर सके।

श्री मानिक चन्द सुराना : सात साल तो कानूनी प्रक्रिया में बरबाद हो गये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मानिक चन्द सुराना : सन् 1996 गया, 2003 जा रहा है, अगस्त आ गया है।

डा. बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ओ.एन.जी.सी. भारत सरकार की कम्पनी है और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड भी भारत सरकार का है, राज्य सरकार की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना, नैक्स्ट क्वेश्चन।

ग्राम पंचायत तेजरासर (बीकानेर) की गोचर भूमि के पेड़ों की अवैध कटाई

24. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या वन राज्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-82 के मध्य ग्राम पंचायत तेजरासर (बीकानेर) के तत्कालीन सरपंच ने गांव

(श्री मानिक चन्द सुराना)

तेजरासर की 300 बीघा गोचर भूमि में से 18 हैक्टेयर भूमि पर पेड़-पौधे लगाकर वन विकसित करने हेतु वन विभाग को सुपुर्द की थी? यदि हां, तो आबंटित भूमि का मय खसरा नम्बरान विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त 18 हैक्टेयर भूमि पर वन विभाग ने हजारों पेड़ लगा दिये थे व पेड़ कालांतर में बड़े होकर घने वन रूप में हो गये थे?

(3) उक्त आबंटित भूमि पर सरकार द्वारा आबंटित वर्ष से अब तक कितना व्यय किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त 18 हैक्टेयर भूमि में वन विकसित कर वन विभाग ने उक्त भूमि पुनः गत 2-3 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत तेजरासर को सुपुर्द कर दी है? क्या ग्राम पंचायत ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास कर वन विभाग को प्रस्तुत किया था? यदि नहीं, तो वन विभाग द्वारा विकसित वन भूमि को ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने के क्या कारण थे?

(5) क्या यह भी सही है कि ग्राम तेजरासर की गोचर भूमि में वन विभाग द्वारा विकसित पेड़-पौधों को वर्तमान में काट दिया गया है? यदि हां, तो क्या वन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों, मुख्य वन संरक्षक व सहायक मुख्य वन संरक्षक व जिला वन अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों ने सम्बन्धित वन की कटाई की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है? यदि हां, तो क्या अपने कर्तव्यों को निर्वहन न करने की उक्त गम्भीर घटना पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है?

राज्य मंत्री, वन (श्रीमती बीना काक): (1) ग्राम पंचायत तेजरासर, बीकानेर की 18 हैक्टेयर गोचर भूमि वन विभाग द्वारा वर्ष 1986-87 में वृक्षारोपण कराया गया। खसरा नम्बर का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है।

(2) जी हां।

(3) उक्त वृक्षारोपण पर विभाग ने रुपये 96,820/-व्यय किये। व्यय का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ख" में दर्शाया गया है।

श्री मदन दिलावर : आपका वन विभाग से क्या लेना-देना, आप तो सलमान खान को लेकर घूमते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : (4) जी हां।

ग्राम पंचायत से इस आशय का कोई प्रस्ताव वन विभाग को नहीं मिला। वृक्षारोपण राज्यादेश दिनांक 5.6.1982 की पालना में सम्भलाया गया।

(5) ग्राम पंचायत द्वारा 500 हरे वृक्ष तथा 100 सूखे पेड़ कटवाये गये। मण्डल वन अधिकारी, बीकानेर के पत्र दिनांक 21.8.2003 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) घटना की जांच करवाई जाकर जांच प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, आपने इस बात को स्वीकार किया है कि 500 हरे पेड़ और सौ सूखे पेड़ ग्राम पंचायत द्वारा कटवा दिये गये हैं। इस स्वीकारोक्ति का पत्र 21.8.2003 का वन विभाग के मण्डल वन अधिकारी द्वारा लिखा गया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को, वह पेश किया है। मैं यही जानना चाहता हूं कि 21.8.2003, मेरे प्रश्न पूछने के बाद, 21/8 तो अभी 4 दिन पहले गयी है, मैंने सवाल दिया 2–3 तारीख को, उससे पहले, अगस्त से पहले यह जो कटाई हुई 500 हरे पेड़ों और सौ पेड़ों की, किसी वन अधिकारी ने या वन अधिकारी से ऊपर या नीचे के अधिकारी ने फोरेस्ट डिपार्टमेंट को समय पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की हो तो उसकी तारीख बताएं।

नम्बर–दो, सवाल के जवाब में आपने 4 साल का आंकड़ा दिया है, 1986–87 से 1989–90 तक 96800 रुपये रख–रखाव में, मैं जानना चाहता हूं कि 1990–91 से लगाकर 2002–2003 तक, इन 12 सालों में वन विभाग ने क्या रख–रखाव पर एक फूटी कौड़ी भी, तेजरासर की 18 हैक्टेयर 72 बीघा जमीन पर कुछ खर्च नहीं किया? मेरे इन 2 सवालों का आप जवाब दें, फिर तीसरा सवाल पूछूंगा।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे जो मूल प्रश्न एक है उसमें 1980–82 के मध्य का पूछा था जो कि गलत था, तो जवाब हमने 1986–87 में जो वृक्षारोपण किया है उसका दे दिया है। आपका यह कहना सही है कि जो डी.एफ.ओ. ने सी.ई.ओ. को पत्र लिखा, वह आपके क्वेश्चन के बाद हो सकता है, आया हो। लेकिन आपकी जानकारी में मैं लाना चाहती हूं कि ज्योंही विदोहन की शिकायत विभाग को मिली कि पेड़ कटवाये जा रहे हैं, तो 8–9 जुलाई को पेड़ कटना शुरू हुए उसकी रिपोर्ट थी, 10 जुलाई को ही वन

(श्रीमती बीना काक)

पाल ने रेंजर को रिपोर्ट दे दी। 10 जुलाई को रेंजर ने वनपाल से कहा कि आप पूरी जानकारी करके हमें रिपोर्ट दे दीजिए। 31/7 को ही वनपाल ने पूरी रिपोर्ट रेंजर को लाकर दे दी कि इस तरह से पेड़ कटवाये गये हैं। उसके बाद रेंजर ने 16/8 को तहसीलदार को एक पत्र लिखा और उसमें यह लिखा कि चूंकि आप रेवेन्यू अधिकारी हैं, इस पर कार्यवाही कुछ न कुछ की जानी चाहिए, और इसकी कापी उन्होंने फिर डी.एफ.ओ. को दी। उसके बाद डी.एफ.ओ. ने जो तारीख आप दे रहे हैं उस तारीख को लिखा और इसी रिपोर्ट पर डी.एफ.ओ. ने फिर सी.ई.ओ. को भी जानकारी दी, उसकी जो प्रतियां थीं वे समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को दीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, यह सब तो जुलाई में हो रहा है, आपने कहा कि पहली बार रिपोर्ट रेंजर को हुई 10 जुलाई को, फिर उसने 14 को कार्यवाही की, 31 को रिपोर्ट आयी, यह जुलाई में हो गया।

मेरा एक प्रश्न था, क्या 12 साल तक, सन् 1990 तक आपने खर्चा बताया है, 96 हजार, वह 1989–90 तक का 4 सालों का खर्चा 96820 रुपये, मैंने सवाल पूछा है कि 1989–90 के बाद 2002–2003 तक क्या वन विभाग ने कोई रखरखाव पर खर्चा किया या नहीं और आपने यह भी कहा है कि 2000 में यह ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दी। मैंने सवाल पूछा कि क्या ग्राम पंचायत ने कोई पत्र दिया आपको कि हमको विकसित वन वहां पर सुपुर्द करें। तो आपने कहा, नहीं, उन्होंने कोई पत्र नहीं दिया। जब उन्होंने पत्र नहीं दिया और आप कहते हैं कि सुपुर्द कर दिया ग्राम पंचायत को तो आपने जो तारीख बतायी है ग्राम पंचायत को सुपुर्दगी की 9.11.2002, माननीय मंत्रीजी, मैं जानना चाहूंगा, 9.11.2002 को सुपुर्दगीनामा बना है क्या? और उस दिन आपने यह उनको कहा है क्या? आपने जवाब में कहा है कि 16 हजार पेड़ वहां थे, 19800 लगाये गये और 80 प्रतिशत जीवित थे जब हमने उनको दिया। तो क्या 16 हजार पेड़ों की सुपुर्दगी का सुपुर्दगीनामा बना है क्या? 16 हजार का नहीं, 15 हजार का, 14 हजार का, यह सुपुर्दगीनामा बना है क्या, मैं यह जानना चाहता हूं?

आपने तो कह दिया 5 सौ पेड़ कट गये, वहां तो अब कुछ पेड़ हैं ही नहीं। तो मैं क्या मानूं कि 5 सौ हरे पेड़ ही कटे? या 19 हजार ही कट गये। आपने तो कहा कि 16 हजार दिये, तो क्या

(श्री मानिक चन्द सुराना) .

मैं यह मानूं कि 16 हजार कट गये? फिर आप 5 सौ की फिगर बोल रही हैं। क्या माना जाए? सुपुर्दगीनामा हुआ कि नहीं ग्राम पंचायत को, यह बताइये स्पेसिफिकली 19.11.2002 को कोई सुपुर्दगीनामा बना क्या ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने का?

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो पहला आपका सवाल था कि क्या...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे भी सवाल का जवाब दे दीजिए, अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती बीना काक : आपका तो मैं अच्छी तरह से दूंगी, आप पूछियेगा तो सही। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : साथ में मेरे सवाल का जवाब भी आ जाएगा। वन्य जीवों को मारने वाले सलमान खान को लेकर मंत्री महोदय बीना काक क्यों घूम रही थीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, दिलावरजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरे सवाल का जवाब आ जाने दीजिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री मदन दिलावर : सलमान खान के हिरणों को मारा था, वो मुलजिम है और उसको लेकर वन मंत्री श्रीमती बीना काकजी घूम रही थीं, क्या कारण थे, उसके कारण बताएं?

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब देना चाहूंगी मैं, आपकी अनुमति हो तो। पहले मानिकजी का जवाब दूं कि पहले...?

एक माननीय सदस्य : पहले मानिकजी का दें, फिर मदन दिलावरजी का दें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पहले इनका दें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा तो दे दें, साहब। वे बड़े आदमी हैं, आप बाद में निपट लेना उनसे। (व्यवधान) मेरा छोटे आदमी का जवाब दे दें, बड़े से बाद में निपट लेना। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : पहले बड़े आदमी का दो। आपका 10-20 पेड़ का सवाल है, वह बहुत बड़े पेड़ का सवाल है, पहले उनको दो। (व्यवधान) हां, वह बहुत बड़े हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : पहले किसका जवाब दूं, पहले बड़े इन्सान का...। यह सही है। माननीय सदस्य, यह क्यों भूलते हैं कि एक तो मामला सलमान खान से सम्बन्धित सबजुडिस है, कोर्ट के अन्दर कार्यवाही चल रही है। उसमें वन विभाग जो भी नियमानुसार कार्यवाही करनी है वह करेगी और कर रहा है। मैं पर्यटन मंत्री भी रही हूं और सलमान खान एक आर्टिस्ट भी है, स्पेशली डिसएब्ल्ड बच्चों के कार्यक्रम के अन्दर, जिसके अन्दर

(श्रीमती बीना काक)

हम सभी कमिटेड हैं, मुझे भी बुलाया गया था और बच्चों की ख्वाहिश के ऊपर उनके जो फेमस स्टार हैं उनको बुलाया गया था। ऐसे बच्चों के लिये जिनके लिये दुनिया का ध्यान जाना चाहिए, अगर एक कलाकार की हैसियत से कोई भी जाता है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है जाने में। कोई कल जेल के अन्दर कैदियों में, बड़े-बड़े सजायाफ्ता केदियों के बीच में अगर वन मंत्री को वृक्षारोपण के लिये बुलाया जाता है तो क्या वृक्षारोपण के लिये वन मंत्री नहीं जाएंगे? (व्यवधान) और सलमान खान का अभी प्रूव नहीं हुआ है।

श्री मदन दिलावर : नहीं, नहीं आप तो वन्य जीवों को मरवाओ। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : अभी प्रूव नहीं हुआ है कि वे एक्यूज्ड हैं। यह सबजुडिस है।

श्री मदन दिलावर : आप तो वन्य जीवों को मरवाओ और सलमान खान के साथ जंगल में सैर-सपाटा करो। (व्यवधान) कुछ तो शर्म आनी चाहिए, मंत्री महोदय। जंगल के जंगल उजाड़ दिये। वन्य जीव मर रहे हैं और आप कहते हैं उनके साथ रहेंगी, कैसे रहेंगी? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, मानिकजी सुराना का जो अत्यन्त जरूरी जवाब है, जो वहां पर सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो बाकी के पेड़ बचे हुए हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

(12.00 बजे)

श्रीमती बीना काक : वहां पर कर्मचारी लगे हुए हैं जो बाकायदा इसको सम्भालते हैं। अभी जो पेड़ों की स्थिति है, 500 काटे गये हैं, लेकिन जो बाकी के पेड़ हैं वे बाकायदा सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप कोई चाहते हैं तो उसकी इंक्वायरी करवा दी जाएगी। जहां तक सरपंच की आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने पेड़ कटवा दिये हैं, तो यह तो जब एक बार हस्तांतरित कर देते हैं तो सरपंच की ही जिम्मेदारी मानी गयी है। उसमें भी अगर आप चाहेंगे तो वह इंक्वायरी करवा दी जाएगी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप बचा लिये गये हैं, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

परसराम नगर स्कीम नम्बर 3 व 5 ढेहर का बालाजी जयपुर में सीवर व ड्रेनेज लाइन हेतु अधिगृहीत भूमि

38. **श्री नाथूराम (किशनगढ़) :** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर रोड स्थित परसराम नगर, ढेहर का बालाजी जयपुर की स्कीम नम्बर 3 व 5 भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आवासीय बस्ती है? यदि हां, तो क्या उक्त का नियमन भी हो चुका है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय बस्ती में सभी मूलभूत सुविधाओं यथा ड्रेनेज, सीवरलेज, सड़क आदि का पूर्णतया अभाव है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त आवासीय बस्ती हेतु कोई योजना तैयार कर ड्रेनेज एवं सीवरेज की सुविधा दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कार्य हेतु भवानी निकेतन शिक्षा संस्था परिसर से भूमि अधिग्रहण हेतु कोई अधिसूचना जारी की गई थी? यदि हां, तो क्या अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी करली गई है और नहीं, तो क्यों?

(5) अब उक्त भूमि कब तक अधिग्रहित कर ड्रेनेज व सीवरेज का कार्य शुरू कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सीकर रोड स्थित परसरामनगर, ढहर का बालाजी, जयपुर की स्कीम नम्बर 3 व 5 मित्र गृ.नि.स.स. की आवासीय योजना है जो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है। जी हां। उक्त योजना का जविप्रा द्वारा नियमन किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। उक्त आवासीय बस्ती में प्राधिकरण द्वारा डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का निर्माण किया गया है तथा कुछ डामर की सड़कें व नाली का निर्माण नगर निगम द्वारा किया गया है। विकास कार्य जमा राशि एवं कार्य की प्राथमिकता के आधार पर किये जाते हैं।

(3) जी हां। ड्रेनेज तथा सीवर का प्लान तैयार किया जा चुका है। भूमि उपलब्ध होने के बाद कार्य किया जा सकेगा।

(4) जी हां। यह सही है कि भवानी निकेतन शिक्षा संस्था के परिसर से भूमि अधिग्रहण हेतु द्वारा 17(1) की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अधिग्रहण की कार्यवाही जेरकार है।

(5) भूमि अधिग्रहण के पश्चात् ड्रेनेज तथा सीवर का कार्य किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न संख्या-39
(स्थगित)

नगरपालिका हिण्डौन (सवाईमाधोपुर) के कर्मी का नियमितिकरण

40. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या स्वायत्त राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निदेशक स्थानीय निकाय विभाग ने नगरपालिका हिण्डौन सिटी को पत्रांक प.11 ग/एस.एम.ई./डीएलवी/8559 दिनांक 21.12.2002 लिखा था? यदि हां, तो किस संदर्भ में? नगरपालिका हिण्डौन द्वारा उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? उक्त पत्र की प्रति सहित नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका हिण्डौन द्वारा उक्त पत्र के संदर्भ में निदेशक स्थानीय निकाय को कोई पत्र लिखा था? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में कार्यालय निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(3) नगरपालिका हिण्डौन द्वारा माह मई/जून/जुलाई, 2003 में भेजे गये पत्र पर की गई कार्यवाही सहित पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण में पीड़ित कर्मी श्री हरीमोहन गुप्ता को नियमित वेतन श्रृंखला में सेवा का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्री हरिमोहन गुप्ता को लगातार सेवा के आधार पर नियमित करने बाबत नगरपालिका मण्डल के प्रस्ताव की जानकारी चाही गयी थी। इस पत्र के प्रत्युत्तर क्रमांक : 3122 दिनांक 3.1.2003 में नगरपालिका द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं करने बाबत अवगत कराया गया है। पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। बाद में प्रकरण बोर्ड में रखा गया।

(2) जी हां। चूंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अत: न्यायालय के निर्णयोपरान्त ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) प्रश्न के इस भाग का उत्तर बिन्दु संख्या 2 में निहित है।

(4) प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के पश्चात् इसके उत्तर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

परसराम नगर ढेहर का बालाजी जयपुर में आवारा जानवरों की समस्या

41. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हेमन्त कुमार)

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर के वार्ड संख्या 68 सीमा क्षेत्र में परसराम नगर, ढेहर का बालाजी स्कीम नम्बर 3 एवं 5 में आवारा जानवरों ने आतंक फैला रखा है?

(2) क्या उक्त आवारा जानवरों ने कई वृद्ध व्यक्तियों को चोट ग्रस्त किया है और बच्चे, बूढ़ों के जीवन को खतरा बने हुए हैं?

(3) उक्त आतंक की रोकथाम हेतु नगर निगम जयपुर क्या कार्यवाही कर रहा है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त क्षेत्र में आवारा जानवरों द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को चोट ग्रस्त करने की कोई सूचना जयपुर नगर निगम को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जयपुर नगर निगम द्वारा नियमित रूप से आवारा जानवर पकड़वा कर पशु अवरुद्ध गृहों में अवरुद्ध करवाये जाते हैं।

ग्राम माचड़ा, जयपुर की प्रस्तावित नवीन लोहा मण्डी

42. **श्री रमेश खींची (कठूमर)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माचड़ा (जयपुर) के पास नई लोहा मण्डी का निर्माण कराया जा रहा है? उक्त मण्डी को सीकर रोड से कहां-कहां से कितने मार्गों से जोड़ा गया/जोड़ा जा रहा है? क्या उक्त मण्डी को जोड़ने हेतु 200 फुट सड़क भी प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त लोहा मण्डी का विस्तार किये जाने हेतु अब और भूमि की अवाप्ति की जा रही है? यदि हां, तो उक्त में किस-किसकी कितनी भूमि किस-किस खसरा नम्बर की अवाप्त की जायेगी?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में हार्डवेयर व अन्य मण्डियों के निर्माण का मामला भी विचाराधीन है? यदि हां, तो किस स्थान पर कितनी भूमि में प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि माचेड़ा जयपुर के पास नई लोहा मण्डी का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त मण्डी को सीकर रोड पर 100 फीट रोड से नीदड मोड से एवं 100 फीट जोन सी बाई पास से जोड़ा गया है इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान की 200 फीट रोड भी सीकर रोड से प्रस्तावित है।

(2) जी हां। यह सही है कि लोहा मण्डी हेतु आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त भूमि का अवाप्त किया जाना प्रस्तावित है परन्तु अवाप्त की जाने वाली

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

भूमि अभी चिन्हित नहीं है। सामान्यत: योजना के साथ लगती हुई भूमि अवाप्ति की जाती है।

(3) जी हां। यह सही है कि लोहा मण्डी हेतु तीन फेजों में भूमि अवाप्त की गई है उसी क्षेत्र में द्वितीय व तृतीय फेज में क्रमश: 36.45 हैक्टेयर व 50.45 हैक्टेयर कुल 86.90 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है जिसमें भवन निर्माण से सम्बन्धित मण्डियों को इस अवाप्तशुदा भूमि पर विकसित किया जा रहा है।

का-आपरेटिव कालोनी, सोडाला, जयपुर की क्षतिग्रस्त सड़कें एवं सीवरेज व्यवस्था

43. श्री नाथूराम (किशनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि को-आपरेटिव कालोनी, सोडाला, जयपुर की सड़क क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है? यदि नहीं, तो उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य कब एवं किस ऐजेंसी से कितनी राशि से करवाया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की नालियों की सफाई एवं मेन होल की सफाई का कार्य भी करवाया गया है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या वर्तमान में उक्त क्षेत्र की नालियों में गंदगी भरी होने एवं सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर भर जाता है जिससे क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में असुविधा एवं बीमारियों फैलने का अंदेशा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की नालियों एवं सड़कों की मरम्मत का कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में सीवरेज लाइन का कार्य अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो अब उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विगत दो वर्षों में नगर निगम द्वारा मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है।

(2) जी हां। विशेष गेंग भेजकर समय-समय पर नालियों की सफाई करवाई जाती रही हैं। उक्त क्षेत्र में मुख्य सीवर लाइन डालने का कार्य निर्माणाधीन है। अत: मैनहोल की सफाई का कार्य सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। चूंकि वर्तमान में सड़क एवं नालियां क्षतिग्रस्त नहीं है, अत: मरम्मत कार्य करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

(4) जी हां। मुख्य सीवर लाइन का का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद गलियों में सीवर लाइन डालने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जो वर्ष 2004-2005 तक पूर्ण हो सकेगा।

बारह मोरी, फतेहराम का टीबा, पुरोहिता पाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर में मकानों का सर्वे एवं नियमन

44. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरीय विकास विभाग की आज्ञा संख्या 9/1/न.वि.वि./3/95 जुलाई, 2002 के संदर्भ में स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने अपने पत्र संख्या भूमि/एफ/7/डी.एल.बी./2/11069-11257 दिनांक 25.7.2002 जारी कर सभी नगरपालिका/नगर निगमों को आदेश दिये थे कि दिनांक 15 अगस्त, 1998 के पूर्व के अवैध मकानों का राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जिन कच्ची बस्तियों में सर्वे नहीं किया गया है, का तुरन्त सर्वे करके नियमन की कार्यवाही करें? क्या उक्त निर्देशों/आदेशों की पालना प्रश्न के भाग-2 में अंकित कच्ची बस्ती के मामले में की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि बारह मोरी फतेहराम का टीबा, पुरोहित पाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर जो पूर्व में कच्ची बस्ती स्वीकृत है, में दिनांक 15.8.1998 के पूर्व के बने अवैध निर्माण के सर्वे एवं नियमन हेतु नेहरू विकास समिति, फतेहराम का टीबा, ब्रह्मपुरी, जयपुर द्वारा विभिन्न स्तरों पर पत्र व्यवहार कर नियमन का अनुरोध किया गया है? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगरीय विकास विभाग के निर्देश के बावजूद भी नगर निगम, हवामहल जोन (पश्चिम) जयपुर ने उक्त बस्ती के सर्वे एवं नियमन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में कोताही बरती है? यदि हां, तो अब सरकार उक्त कार्य कब तक कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत कच्ची बस्तियों की सूची में प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 में अंकित कच्ची बस्तियों के सम्मिलित नहीं होने से सर्वे कर पट्टे दिये जाने की कार्यवाही नहीं हो सकी है।

(2) जी हां। चूंकि जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत सूची में इन बस्तियों का नाम अंकित नहीं था। अत: कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(3) जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत सूची में इन बस्तियों का नाम अंकित नहीं होने से कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

जिला कलक्टर से इन बस्तियों की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। जिसके लिये अलग से जिला कलक्टर, जयपुर को लिखा जा रहा है।

ग्राम मानगढ़ खोखावाला (जयपुर) के भूखण्ड का नियमन

45. श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री सोहनलाल पुत्र श्री छोटूलाल कोली निवासी मानगढ़ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर ने आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 13 जुलाई, 2002 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त गांव के खसरा नम्बर 55 में बने अपने बाड़े का नियमन करने की प्रार्थना की थी? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या उक्त व्यक्ति का उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर कई वर्षों से कब्जा रहा है और उक्त व्यक्ति कई वर्षों से पैनल्टी की राशि भी जमा करवाता आया है? यदि हां, तो कब से?

(3) उक्त व्यक्ति ने अब तक पैनल्टी की कितनी राशि जमा कराई है?

(4) क्या यह सही है कि जब उक्त व्यक्ति ने पैनल्टी की राशि जमा कराई है तो उक्त व्यक्ति का उक्त भूखण्ड पर कब्जा साबित होता है? क्या उक्त व्यक्ति का वर्तमान में भी कब्जा है? यदि हां, तो अब उक्त भूखण्ड का नियमन कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। कार्यालय रिकार्डानुसार उक्त दिनांक को कोई पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 30.6.2003 को एक पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ है जिसके उपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रार्थी को पत्र क्रमांक जविप्रा/जोन–11/डी 537 दिनांक 29.7.2003 लिखा जाकर भूमि पर कब्जे सम्बन्धी साक्ष्य एवं तहसील कार्यालय द्वारा धारा 91 के तहत की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी मय दस्तावेज के प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। प्रार्थी द्वारा अभी तक कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये हैं।

(2) पत्राचार के बाद भी प्रार्थी द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। उक्त प्राप्त पत्र के साथ संलग्न फोटो प्रतियां अस्पष्ट होने के कारण पूर्णतया पठनीय नहीं है। अतः यह बता पाना सम्भव नहीं है कि प्रार्थी द्वारा पैनल्टी की कितनी राशि कब से जमा करवाई गई है।

(3) प्रार्थी द्वारा प्राधिकरण में इस प्रकार की कोई राशि जमा नहीं करवाई है।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(4) प्रार्थी को भूमि पर कब्जे सम्बन्धी साक्ष्य मय दस्तावेज के प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है जो प्रार्थी द्वारा अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये। साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात् ही नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

वासुदेवपुरी स्कीम, झोटवाड़ा (जयपुर) के भूखण्ड संख्या-75 पर अतिक्रमण

46. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिंधू नगर का-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड जयपुर ने झोटवाड़ा कालवाड़ रोड पर वासुदेवपुरी स्कीम में भूखण्डों का आबंटन किया था? यदि हां, तो कितने भूखण्ड आबंटित किये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कीम में भूखण्ड संख्या 75 वर्गगज 139 का श्री श्याम लाल पुत्र श्री मोहन लाल माली को आबंटित किया गया था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूखण्डधारी को अब तक उक्त भूखण्ड पर वहां के निवासी निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं? उक्त भूखण्ड की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या उक्त पर किसी अन्य व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या उक्त स्कीम में कोई संशोधन किया गया था? यदि हां, तो उक्त संशोधन में भूखण्डधारियों के भूखण्ड संख्या क्या-क्या रहे?

(5) क्या सरकार उक्त भूखण्डधारी को अपने भूखण्ड पर काबिज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार और किस प्रक्रिया द्वारा?

उत्तर

(1) समिति द्वारा वासुदेवपुरी नाम की कोई योजना जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत ही नहीं की गई है। अत: समिति द्वारा किस-किसको भूखण्ड आबंटन किए गये रिकार्ड के अभाव में बताया जाना सम्भव नहीं है।

(2) समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में रिकार्ड पेश नहीं किया गया। अत: श्री श्याम लाल पुत्र श्री मोहन लाल माली को भूखण्ड संख्या 75 का आबंटन किए जाने की जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) उक्त योजना जयपुर विकास प्राधिकरण में नियमन हेतु प्रस्तुत ही नहीं की गई है। भूखण्ड संख्या 75 पर वहां के निवासियों द्वारा निर्माण नहीं करने देने बाबत ना तो किसी प्रकार की भूखण्ड आबंटी की शिकायत जाने में प्राप्त हुई

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

और ना ही वर्तमान में भूखण्ड की स्थिति योजना प्लान के अभाव में बताया जाना सम्भव नहीं है।

(4) सिन्धुनगर काआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी द्वारा वासुदेवपुरी योजना जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है, तो स्कीम का संशोधन किए जाने का कोई आधार ही नहीं बनाता है। जिससे भूखण्डधारी के भूखण्ड संख्या बताया जाना सम्भव नहीं है।

(5) जब योजना ही जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं हुई हैं तो भूखण्ड को अपने कब्जे में करने की योजना कैसे बनाई जा सकती है।

कृष्णा नगर-ए, करतारपुरा, जयपुर के पार्क की भूमि पर अतिक्रमण

47. **श्री भंवर सिंह** (नवलगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृष्णा नगर-ए, करतारपुरा जयपुर शहर में पार्क हेतु 531 वर्गगज भूमि छोड़ी गई थी?

(2) क्या उक्त पार्क की भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है?

(3) क्या सरकार ने उक्त भूमि का पट्टा निरस्त कर दिया है? यदि नहीं, तो अब कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। कृष्णा नगर-ए करतारपुरा, जयपुर में 531 वर्गगज का कोई पार्क अनुमोदित नहीं किया गया है। प्रारम्भ से ही प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 28बी अंकित किया जाकर योजना में सृजित था।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्नगत भूखण्ड में से मात्र 280.27 वर्गगज भूमि का पट्टा भूखण्ड संख्या 28बी के नाम से जारी किया गया क्योंकि शेष रिक्त भाग पर कुछ मूर्तिया रखी हुई थी। अत: इसे छोड़ दिया गया। इस प्रकार जारी पट्टा वस्तुत: अनुमोदित क्षेत्रफल से कम का ही जारी किया गया है। अत: इसे निरस्त किया जाना अपेक्षित नहीं है।

विधायकों को जिला मुख्यालय में प्रस्तावित आवास सुविधा

48. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या आवासन मण्डल द्वारा विधायकों को जिला मुख्यालयों पर आवास सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई गई है?

(श्री हेमन्त कुमार)

(2) क्या कई विधायकों ने उक्त योजना के तहत चाही गयी राशि जमा करा दी है? यदि हां, तो उन्हें कब तक मण्डल द्वारा आवास सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?

(3) उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मण्डल द्वारा राजस्थान के माननीय भूतपूर्व एवं वर्तमान सांसदों/ विधायकों को आवास आबंटन हेतु वर्ष 2003 में विभिन्न शहरों के लिए पंजीकरण प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये थे जिसके अन्तर्गत मात्र जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बारां एवं अलवर शहर हेतु पंजीकरण प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं।

(2) जी नहीं। माननीय विधायकों/ सांसदों से अभी पंजीकरण राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि नहीं मांगी गई है। योग्य आवेदकों को आरक्षण पत्र जारी कर पूर्वग्रहण राशि जमा कराने हेतु शीघ्र सूचित किया जावेगा तथा पूर्वग्रहण राशि जमा करवाने के पश्चात् लगभग एक वर्ष की अवधि में आवास उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को आवास उपलब्ध कराने के क्रम में आवासों के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है।

प्रतापनगर योजना, सांगानेर, जयपुर में आबंटित क्षतिग्रस्त आवासों की मरम्मत

49. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रताप नगर योजना (सांगानेर), जयपुर में किन-किन आबंटियों को एक मुश्त राशि जून, 1997 में आवास आबंटन हेतु कितनी-कितनी राशि किस आवेदक से किस आधार पर जमा की गई? जमा कराने की तिथि, जमाकर्त्ता का नाम, जमा राशि व किस-किस आवास संख्या हेतु राशि जमा की गई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आबंटी द्वारा मकान का गेट व दीवार टूटी होने की शिकायत दूर करने हेतु आवेदन किया गया था? यदि हां, तो उसे अभी भी दुरुस्त क्यों नहीं किया गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के आबंटियों को लीज मनी के नोटिस भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों व कब-कब व किस आधार पर तथा किन-किन आबंटियों की लीज मनी जुलाई, 2003 तक बकाया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आवास का मरम्मत कार्य पूर्ण कराया जा चुका

(श्री रमेश खींची)

है? यदि हां, तो उसकी सूचना आबंटी को कब दी गई और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर (सांगानेर) योजना में जिन-जिन आबंटियों द्वारा एक मुश्त राशि जून, 1997 में जिस आवास विशेष हेतु जमा करवाई गई है तत्सम्बन्धि ब्योरेवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। संलग्न परिशिष्ट में वर्णित आवेदकों में से एक आवेदन श्री अशोक कुमार जिन्हें प्रताप नगर योजना (सांगानेर) में मकान संख्या 114/48 आबंटित किया गया था, उनके द्वारा माह जनवरी, 1998 में यह शिकायत की गई थी कि उक्त मकान में दरवाजा, पिछली दीवार में काफी दूर तक दरार होने एवं नाला टूटे होने सम्बन्धित शिकायत पर सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता द्वारा त्वरित कार्यवाही कर सूचित किया गया कि आवास पूर्णत: तैयार है एवं साफ सफाई इत्यादि का कार्य आबंटी के कब्जा लेते समय करवा दिया जावेगा।

(3) जी नहीं। मण्डल द्वारा लीज मनी के पृथक से नोटिस प्रेषित किये जाने का प्रावधान नही है, अपितु जो भी नोटिस भिजवाये जाते हैं वह मकान के पेटे सम्पूर्ण बकाया राशि को दर्शाते हुए भिजवाये जाते हैं। बकाया लीज राशि की सूचना परिशिष्ट ''अ'' में अंकित हैं।

(4) जी हां। आबंटी को कार्यालय के पत्र क्रमांक 19 दिनांक 13.4.1999 के द्वारा मकान के पूर्णत: तैयार होने एवं भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया था, किन्तु सम्बद्ध आवासीय अभियन्ता की सूचना के अनुसार आबंटी ने अभी तक आवास का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं किया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

नगरपालिका फालना एवं बाली, (पाली) क्षेत्र की कच्ची बस्तियों का नियमन

50. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली की नगरपालिका फालना एवं बाली क्षेत्र में कुल कितनी कच्ची बस्तियां कहां-कहां पर कब से कितनी भूमि पर बसी हुई हैं?

(2) क्या सरकार ने उक्त कच्ची बस्तियों का नियमन कर पट्टे जारी करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो कब?

(3) क्या घोषणा के अनुरूप सरकार ने उक्त समस्त कच्ची बस्तियों का नियमन कर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

करवा दी हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी कच्ची बस्तियों का नियमन किया जाना शेष है?

(4) क्या सरकार शीघ्र उक्त कच्ची बस्तियों के नियमन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला पाली की नगरपालिका फालना एवं बाली क्षेत्र में कितनी कच्ची बस्तियां कहां-कहां पर कब से कितनी भूमि पर बसी हुई है। विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। दिनांक 26.9.1998 को राज्य की कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु परिपत्र जारी किया गया था।

(3) जी हां।

(4) जी हां। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक पं.9(1)नविवि/3/95 दिनांक 20.6.2003 के तहत राज्य सरकार की नीति अनुसार नियमन किया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

एक्सेस रायल्टी पर ठेकेदार, पंचायत समिति तिजारा, (अलवर) द्वारा बिक्री कर वसूली में अनियमितता

51. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में एक्सेस रायल्टी के ठेकेदार ने कुल कितने टन माल के रवन्ने काटे हैं? उक्त माल कहां-कहां गया है और इन रवन्नों की वजह से ठेकेदार ने कितनी रायल्टी वसूल की है? रवन्नों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चेजा पत्थर पर बिक्रीकर है? यदि हां, तो एक्सेस रायल्टी ठेकेदार काटे हुए रवन्नों पर क्या बिक्री कर वसूल करता है और नहीं, तो क्यों? क्या इससे राजकोष को घाटा नहीं हो रहा है?

(3) अब तक काटे हुए रवन्नों पर कितना बिक्री कर बनता है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में प्रथम बार अवधि 26.7.2000 से 25.7.2001 तक के लिए अधिक अधिशुल्क संग्रह ठेका प्रभावशील रहा। जिसमें ठेकेदार ने लगभग 514140 टन खनिज के 77900 रवन्ने काटे थे। यह खनिज मुताबिक रवन्ना तहसील तिजारा में निर्माणाधीन औद्योगिक इकाइयों, आवासों व अन्य निर्माण कार्यों में तथा उक्त अवधि में तहसील तिजारा में चल रहे विभिन्न स्टोन क्रेशरों को जाना अंकित है। इन रवन्नों से एक्सेस रायल्टी ठेकेदार ने लगभग 25,70,700 रुपये एक्सेस रायल्टी वसूल की।

पंचायत समिति तिजारा में वर्तमान में प्रभावशील एक्सेस रायल्टी ठेका अवधि

(खनिज मंत्री)

8.1.2003 से 31.3.2004 तक है एवं ठेकेदार ने जुलाई, 2003 तक लगभग 169435 टन खनिज के 25700 रवन्ने काटे है यह खनिज मुताबिक रवन्ना तहसील तिजारा व आसपास के क्षेत्रों में निर्माणाधीन इकाइयों, आवासों, अन्य निर्माण कार्यों में तथा उक्त अवधि में तहसील तिजारा में चल रहे विभिन्न स्टोन क्रेशरों को जाना अंकित किया है। इन रवन्नों से एक्सेस रायल्टी ठेकेदार ने लगभग 847175/- रायल्टी वसूली है। रवन्नाओं की छाया प्रतियां अधिक मात्रा में होने के कारण सदन की पटल पर रखना अत्यन्त कठिन है।

(2) जी हां। चेजा पत्थर पर बिक्री कर लागू है। खान विभाग द्वारा रायल्टी कलक्शन का ही ठेका दिया जाता है, बिक्रीकर वसूली का नहीं। बिक्रीकर की वसूली वाणिज्य कर विभाग करता है। अत: राजकोष में घाटा होने का सवाल ही नहीं उठता है।

(3) वाणिज्य कर विभाग द्वारा रवन्ना वाइज बिक्रीकर का हिसाब नहीं रखा जाता है। अत: रवन्नाओं पर बिक्रीकर कितना बनता है बताया जाना सम्भव नहीं है।

जिला जैसलमेर में मरु चरागाह विकास हेतु आरक्षित क्षेत्र

52. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने इस वर्ष बजट में एक सौ करोड़ की राशि मरु चरागाह हेतु स्वीकृत की है जिसमें से इस वर्ष 50 करोड़ रुपये व्यय करना है?

(2) क्या सरकार ने इसकी कोई योजना बनाई है? उक्त हेतु जिला जैसलमेर का कौनसा क्षेत्र आरक्षित किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मरु गोचर योजना से सम्बन्धित जिलों की कार्य योजना बनाई जा रही है। योजना हेतु फिलहाल जैसलमेर जिले में मोकला, देवी कोट व रामा (पंचायत समिति सम), केलवा (पंचायत समिति साकडा) तथा सोडाकोर (पंचायत समिति, जैसलमेर) 25-25 हैक्टेयर क्षेत्र आरक्षित किया गया है।

ग्राम बिशनपुरा, जमवारामगढ़ (जयपुर) के श्री रघुनाथ मन्दिर का संरक्षण एवं जीर्णोद्वार

53. **श्री नाथूराम** (किशनगढ़) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिशनपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के खसरा नम्बर 42 में श्री रघुनाथजी का अति प्राचीन मन्दिर स्थित है? यदि हां, तो उक्त मन्दिर कितना पुराना है?

(श्री नाथूराम)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मन्दिर पुरातात्विक महत्व का होने के बावजूद भी इसे संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया है, यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त मन्दिर को संरक्षित स्मारक घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मन्दिर की सरकार द्वारा मरम्मत नहीं कराई गई है? क्या उक्त मन्दिर का भवन जीर्ण–शीर्ण एवं जर्जर अवस्था में पहुंच गया है? क्या सरकार उक्त जीर्ण–शीर्ण मन्दिर का जीर्णोद्वार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम बिशनपुरा तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 42 में मध्यकालीन भग्न मन्दिर है।

(2) उक्त मन्दिर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित नहीं है।

(3) जी नहीं। उक्त मन्दिर बांध के भराव क्षेत्र में है। मन्दिर का अधिकांश भाग भग्नावस्था में है। विभाग के सीमित वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों तथा उक्त मन्दिर के स्थापत्य और शिल्प को दृष्टि में रखते हुए फिलहाल इस मन्दिर को संरक्षित घोषित करना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) राज्य सरकार द्वारा उक्त मन्दिर की मरम्मत नहीं कराई गई है। फिलहाल राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों में उक्त मन्दिर का जीर्णोद्धार कार्य प्रस्तावित नहीं है।

अधिकारी/कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें

54. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 2001–2002 व 2002–2003 में विधि विभाग के अधीन आने वाले किन–किन पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में कई पदों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई? क्या सरकार ने सभी पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र करने का निर्णय लिया है?

(3) क्या उक्त बैठक आयोजित नहीं करने का कारण कर्मचारी/अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होना है? यदि हां, तो उक्त हेतु दायित्व किस–किस का है?

(श्री रमेश खींची)

(4) क्या कुछ अधिकारियों के प्रतिवेदन न होने से अन्य अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित करना उचित है? यदि नहीं, तो सरकार ऐसे मामलों में क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा निम्न पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नतियां प्रदान की गयी है–

1- राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा

1. उप विधि परामर्शी
2. सहायक विधि परामर्शी
3. मुख्य विधि सहायक

2- राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा-

1. विधि रचना अधिकारी
2. वरिष्ठ विधि रचनाकार

वर्ष 2002-2003 में उक्त सेवाओं के किसी भी पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है। विभाग में वर्ष 2001-2002 में आयोजित की गयी विभागीय पदोन्नति की बैठक का विवरण उत्तर संख्या 1 में अंकित किया है।

वर्ष 2002-2003 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने का कारण यह रहा है कि उपलब्ध रिक्तियां आरक्षित वर्ग अ.जा. व अ.ज.जा. के लिए आरक्षित है तथा इनके लिए वरिष्ठता सूची व विचारण परिक्षेत्र में अ.जा. व अ.ज.जा. वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के उप सचिव की वर्ष 2002-2003 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से आग्रह किया गया है। सरकार ने सभी पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करने का निर्णय लिया है।

(3) यह सही है कि राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी पद के लिए पदोन्नति हेतु विचारण के परिक्षेत्र में आने वाले कई अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने से उक्त पर पदोन्नति हेतु बैठक का आयोजन नहीं हो पा रहा है। इसका दायित्व स्वयं अधिकारी उसके प्रतिवेदन अधिकारी और समीक्षक अधिकारी का है। जिन अधिकारियों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपूर्ण है, उनको तथा उनके विभागों को कई

(विधि मंत्री)

पत्र प्रेषित किये गये है, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुयी है।

(4) जी नहीं। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर वह प्रकरण विभागीय पदोन्नति समिति के विचारार्थ रखने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न संख्या-55

(स्थगित)

पंचायत समिति सम (जैसलमेर) में चिलिंग प्लांट की स्थापना

56. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर पशु बाहुल्य क्षेत्र है? क्या पंचायत समिति सम में सर्वाधिक थारपारकर नस्लों की गायें हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले की पंचायत समिति सम में एक भी डेयरी प्लांट व बल्क कूलर स्थापित नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि पोकरण चिलिंग प्लांट का क्षमता अनुसार उपयोग नहीं हो रहा?

(4) क्या सरकार पोकरण चिलिंग प्लांट का एक टेंक जो बेकार पड़ा है पंचायत समिति क्षेत्र सम में स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। पोकरण चिलिंग सेंटर का क्षमतानुसार उपयोग किया जा रहा है।

(4) पोकरण चिलिंग प्लांट में कोई टैंक बेकार नहीं पड़ा है। उक्त टैंक का स्टेण्डबाई मशीनरी के रूप में उपयोग किया जा रहा है, अत: इसे स्थानान्तरित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

57. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी व चाकसू में कौन-कौनसी राजकीय पशु चिकित्सा इकाई में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या उक्त राजकीय पशु चिकित्सा इकाइयों में रिक्त पद चल रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कितने पद कब से रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी, चाकसू में कार्यशील पशु चिकित्सा इकाइयों एवं उनमें स्वीकृत पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति बस्सी के पशु चिकित्सालय, बस्सी में एक पद पट्टी बंधक का मार्च, 2003 से एवं पशु चिकित्सालय, कानोता में एक पद सफाईकर्ता का फरवरी, 2003 से रिक्त है। विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के शेष पशु चिकित्सा इकाइयों में कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) वर्तमान में पट्टी बंधक एवं सफाईकर्ता के पद भरे जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

राजस्थान प्रदूषण निवारण मण्डल के पास लम्बित पत्रावलियों का निस्तारण

58. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वन और पर्यावरण मंत्रालय के दिनांक 7.5.1992 के एक्स्ट्रा आर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन के तहत राजस्थान प्रदूषण निवारण मण्डल या राजस्थान के पर्यावरण मंत्रालय के पास अलवर जिले की कितनी पत्रावलियां कब से लम्बित हैं?

(2) उक्त में से कितनी पत्रावलियों में ''सैंट्रल एम्पावर्ड कमेटी'' ने अपनी सिफारिश या ''किलियरैंस'' दे दी है और जिन पत्रावलियों पर ''सैंट्रल एम्पावर्ड कमेटी'' ने अपनी सिफारिश कर दी उनको भी ''एनवायरमेंट किलियरैंस'' क्यों नहीं दिया जा रहा है?

(3) उक्त में से कितनी पत्रावलियों की खान डिफोरैस्ट हो चुकी है और कब डिफोरैस्ट के लिए किस-किस खनन पट्टा धारक ने कितनी राशि कब जमा कराई है?

(4) उक्त पत्रावलियां जब से राजस्थान प्रदूषण निवारण मण्डल के पास आई है और उस समय से कितनी पत्रावलियों को एनवायरमेंट किलियरैंस दिया गया और पत्रावलियां दिल्ली से राज्य सरकार के पास कब आई?

उत्तर

(1) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 7.5.1992 को जारी नोटिफिकेशन के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरणीय विभाग, राजस्थान सरकार के पास अलवर जिले के वर्तमान में 212 आवेदन पत्र लम्बित हैं, जो कि वर्ष 1999 से अब तक प्राप्त हुए हैं।

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

(2) उक्त 212 आवेदन पत्रों में से 39 आवेदन पत्रों के सन्दर्भ में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित एक्सपर्ट समिति ने कुछ शर्तों के आधार पर एंवायंरमेंट्ल क्लियरेन्स हेतु अनुशंसा की थी। इन शर्तों की पालना के अभाव में भारत सरकार द्वारा एंवायंरमेंट्ल क्लियरैंस जारी नहीं की गई। इसी दौरान उक्त आवेदन पत्र भारत सरकार से राज्य सरकार को स्थानान्तरित कर दिए गए परन्तु उक्त शर्तों की पालना न होने/वन विभाग की आपत्तियों के कारण राज्य सरकार द्वारा उन्हें एंवायंरमेंट्ल क्लियरैंस जारी नहीं की जा सकी है।

(3) उक्त पत्रावलियां में से भारत सरकार द्वारा सात प्रकरणों में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहंत प्रथम स्तरीय स्वीकृति जारी कर दी गई है परन्तु इनमें से किसी भी खनन पट्टा धारक द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई।

(4) अभी तक पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किसी भी आवेदन पत्र के संदर्भ में एंवायंरमेंट्ल क्लियरैंस जारी नहीं की गई है। यह आवेदन पत्र वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से दिनांक 10.10.2001 को प्राप्त हुए थे।

विधान सभा क्षेत्र रायपुर में विधायक विकास कोष से स्वीकृत अपूर्ण कार्य

59. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999-2000 से जुलाई, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र रायपुर में स्थानीय विधायक द्वारा विधायक कोष से किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि कौन-कौनसी तिथि को स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्य में से कौन कौन से कार्य पूर्ण हो गये तथा कौन कौनसे अपूर्ण/निर्माणाधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में कौन कौन से कार्य अभी तक प्रारम्भ ही नहीं किये गये हैं?

(4) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्यों की कितनी-कितनी राशि शेष है? शेष बची राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 1999-2000 से जुलाई, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र रायपुर में माननीय स्थानीय विधायक महोदय के द्वारा अभिशंषित जिन-जिन कार्यों को जितनी-जितनी राशि जिस-जिस तिथि को

(ग्रामीण विकास मंत्री)

स्वीकृत की गयी है, उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट पर उपलब्ध है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से जो जो कार्य पूर्ण हो गये तथा जो-जो कार्य अपूर्ण एवं निर्माणाधीन हैं उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 6, 7 एवं 8 में अंकितानुसार है।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से जो जो कार्य आरम्भ नहीं हुए, उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 9 में दर्शाये अनुसार है।

(4) उक्त स्वीकृत पूर्ण कार्यों में से 55 कार्यों के पेटे 7.281 लाख रुपये अवशेष रहे। कार्यवार सूची संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 10 में दर्शाये अनुसार है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू (जयपुर) के अपूर्ण विकास कार्य

60. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी)** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में कौन कौन से ग्रामीण विकास कार्य कितनी कितनी राशि के किस-किस योजना में वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक स्वीकृत किये गये? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी स्वीकृत कार्यों पर सम्पूर्ण राशि व्यय कर कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों और इन अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जिला परिषद्, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी में 449 कार्य व पंचायत समिति चाकसू में 206 कार्य वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक स्वीकृत किये गये हैं। योजनावार एवं ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्य एवं राशि का विवरण परिशिष्ट 'क' पर अवलोकनीय है।

(2) पंचायत समिति बस्सी में कुल स्वीकृत 449 कार्यों में से 444 कार्य व पंचायत समिति चाकसू में 206 कार्यों में से 181 कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं। कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण एवं व्यय विवरण परिशिष्ट-'क' पर सम्बन्धित कार्य के कालम 9 में अवलोकनीय है। पूर्ण कराये गये कार्यों पर स्वीकृत राशि के अनुसार ही व्यय किया गया है। अपूर्ण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिए जायेंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बाली के स्वीकृत अपूर्ण विकास कार्य

61. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) में ग्रामीण विकास के कितने कार्य किस किस योजना में वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक स्वीकृत किंये गये? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी स्वीकृत कार्यों पर सम्पूर्ण राशि खर्च कर कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो कार्य अपूर्ण क्यों हैं?

(3) अब उक्त अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला परिषद्, पाली से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) में वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक ग्रामीण विकास के कुल 1685 कार्य विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किये गये। ग्राम पंचायत योजनावार एवं स्वीकृति वर्ष का नाम की सूचना संलग्न परिशिष्ट–'अ' पर अवलोकनीय है।

(2) जी नहीं। समस्त स्वीकृत 1685 कार्यों में से अब तक 1580 कार्य पूर्ण किए गये, 89 कार्य प्रगति पर हैं, 8 अपूर्ण, 3 निरस्त एवं 5 कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं। इन कार्यों पर अब तक कुल स्वीकृत राशि रुपये 1678.55 लाख के विरुद्ध 1463.27 लाख रुपये का व्यय किया गया है। कार्य अपूर्ण रहने का कारण परिशिष्ट 'अ' पर अवलोकनीय है।

(3) अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की संभावित अवधि सम्बन्धित कार्य के सम्मुख परिशिष्ट–'अ' के कालम सं.11 में दर्शाई है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच में अनियमितता

62. **श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी):** क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पुनः एवं पुनः गणना में अनियमितताएं बरतने सम्बन्धी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में उक्त पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः गणना एवं पुनः जांच सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य भी प्रशासन निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करवा पा रहा है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो

(श्री आदराम मेघवाल)

इस वर्ष उक्त पुन: जांच एवं पुन: गणना का डिग्री कक्षाओं का कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा? उक्त में देरी के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एक परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका के अंक दूसरे परीक्षार्थियों की अंक सूची (अंक तालिका) में दर्ज कर दिये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो (छात्र पुष्परतन) बी.ए. पार्ट प्रथम नामांकन 62336 एनरोल नं. 2002/9411 वर्ष 2002-2003 की राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र में ऐसा क्यों किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पुन: एवं पुनर्गणना सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां। गत वर्षों में उत्तर पुस्तिकाओं की पुन: गणना एवं पुन: जांच का कार्य मैन्युअल विधि से होने के कारण समय पर पूरा नहीं हो पाता था। इस वर्ष पुन: जांच एवं पुन: गणना का कार्य कम्प्यूटर से कराने की व्यवस्था की गयी है तथा डिग्री कक्षाओं का कार्य 30.9.2003 तक पूर्ण कराने हेतु प्रयास विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। छात्र पुष्परतन बी.ए. पार्ट प्रथम अनुक्रमांक 62336 के राजनीति शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र में परीक्षक से प्राप्त मूल अंक सूची एवं टेबुलेशन रजिस्टर दोनों में 49 अंक दर्शाये गये हैं जिनमें कोई भिन्नता नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को प्रदान की गयी अंकतालिका में भी इतने ही अंक अंकित किये गये हैं।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र (जैसलमेर) में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण

63. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उत्पादन क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड सड़कों का निर्माण करवाती है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला जैसलमेर के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड ने उक्त कार्य प्रारम्भ नहीं किया है? क्या उक्त क्षेत्र में पचास हजार काश्तकारों ने नये क्षेत्र में कृषि उत्पादन करना प्रारम्भ किया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में गत चार वर्षों में मात्र 9 किलोमीटर सड़क का निर्माण विपणन बोर्ड द्वारा कराया गया है?

(4) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण कराने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि कृषि उत्पाद क्षेत्र में विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाता है।

(2) जी नहीं। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जिला जैसलमेर के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य पूर्ण किये गये हैं। उक्त क्षेत्र में 50 हजार से ज्यादा काश्तकारों ने कृषि उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।

(3) जी हां। गत चार वर्षों में जैसलमेर जिले में 9.2000 किलोमीटर सम्पर्क सड़क बिरसाली का निर्माण कार्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पूर्ण किया गया है।

(4) विभाग की नीतिनुसार सड़क स्वीकृत होने पर बोर्ड द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाता है। वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में अलग से सड़क निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

हनुमान प्रसाद प्रभाकर श्री, पूर्व मंत्री के निधन पर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल में दिवगंत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव करता हूं।

पूर्व मंत्री श्री हनुमान प्रसाद का जन्म 16 जून, 1923 को जयपुर जिले की गोविन्दगढ़ तहसील के बावड़ी ग्राम में हुआ। आपने साहित्य रत्न तथा विशारद् की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर सातवीं एवं आठवीं राजस्थान विधान सभा में मावली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। सातवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप 18 जून, 1980 से 14 जुलाई, 1981 तक राजस्थन सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति, यातायात, स्वायत्त शासन, नगर आयोजना, आवासन, पंचायती राज एवं विकास, सहकारिता, बाढ़ एवं अकाल सहायता, जनजाति क्षेत्रीय विकास, भेड़ एवं ऊन, शिक्षा, भाषा तथा भाषायी अल्पसंख्यक विभागों के मंत्री रहे। 16 अक्टूबर, 1982 से 4 जुलाई, 1983 तक आप बाढ़ एवं अकाल सहायता, सहकारिता तथा स्टेट मोटर गैराज विभाग के मंत्री रहे।

आठवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति तथा सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सभापति रहे।

श्री प्रभाकर अपने राजनीतिक जीवन के प्रारम्भ से ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े रहे। जीवन के अंतिम समय में आप प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे।

श्री प्रभाकर इंटक के विभिन्न पदों

(श्री अध्यक्ष)

पर रहते हुए अनेक श्रमिक आन्दोलनों से जुड़े रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप राजस्थान विद्यापीठ सहित अनेक शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। आपकी पत्रकारिता में विशेष रुचि थी। आपने अनेक समाचार पत्रों का सम्पादन एवं प्रकाशन किया।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर का दिनांक 23 अगस्त, 2003 को निधन हो गया।

मैं, दिवंगत श्री प्रभाकर को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, देखो अधिकारी खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : बंशीवालजी, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन पैरों पर है, अधिकारी खड़े हैं, यह आपके शान के खिलाफ बात है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इनको बैठाओ पहले। अफसरशाही, लालफीताशाही नहीं चलेगी। आपके राज में अफसरशाही और लालफीताशाही चला रखी है आप लोगों ने। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप भी बोल रहे हो। आसन पैरों पर है, आप भी नियमों का पालन करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भी तो बोल रहे हो। जाते-जाते इनको सर मत चढ़ाओ।

श्री सांवर लाल : आप भी देखो। अफसरों की आदत क्यों बिगाड़ रहे हैं जाते-जाते?

श्री राजेन्द्र पारीक : अधिकारी देखेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अब बैठिये आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इन्हें बैठाइये, साहब।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री सांवरलाल, सदस्य की ओर से जिला अजमेर में अकाल राहत कार्यों में कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से बागीदौरा के पर्वत मानगढ़ में निर्माणाधीन स्मारक में घटिया सामग्री का उपयोग करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मदन दिलावर एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से फसल बीमा योजना लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से कोटा सैंट्रल काआपरेटिव बैंक के एक अधिकारी द्वारा कथित गबन करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रमजान खान, सदस्य की ओर से देवली क्रय-विक्रय सहकारी समिति में अनियमितता के सम्बन्ध में।

(6) श्री कनकमल कटारा, सदस्य की ओर से डूंगरपुर में फर्जी अंकतालिका से नर्सिंग में प्रवेश के सम्बन्ध में।

(7) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में नेत्र चिकित्सा सहायक की नियुक्तियां नहीं होने के सम्बन्ध में।

(8) श्री जसवन्त सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से सज्जन विधि महाविद्यालय, जोधपुर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हरीशचन्द्र कुमावत एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से भवानीमण्डी में परिवर्तन यात्रा के दौरान हुए पथराव के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा दी जाएगी।

(12.07 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सांवर लाल : (व्यवधान) तीन महीने तक इनको पेमेंट नहीं किया गया, क्या जानकारी कर रहे हैं? इसके अलावा राज्य में फसल बीमा लागू नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन सबका जवाब हम देंगे। हमारी सरकार आएगी हम जवाब देंगे और पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना लागू नहीं करने से राज्य के लाखों किसान बरबाद हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अकाल राहत कार्य खतम हुए दो-दो, तीन-तीन महीने हो गये, मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा, सरकार से क्या जानकारी चाहते हैं आप?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों आपने कहा था कि राज्य सरकार ब्याज माफी और ऋण वसूली, गैर-कानूनी वसूली का जवाब

(श्री मानिक चन्द सुराना)

देगी। (व्यवधान) राज्य सरकार को स्थगन प्रस्ताव, मेरा और मदन दिलावरजी का, जवाब के लिए अध्यक्ष महोदय ने भेजा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार उस पर आज जवाब दे रही है? (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी का पद सृजित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से राज्य के हाड़ौती क्षेत्र में बिक रहे मिलावटी घी के सम्बन्ध में।

(3) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से वर्ष 2002 की खरीफ में दिये ऋणों के ब्याज की जबरन वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रतनलाल, सदस्य की ओर से पुलिस थाना निहालगंज (धौलपुर) में दर्ज प्रकरण संख्या 36/03 में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री नन्दलाल बंशीवाल, सदस्य की ओर से जिला जयपुर की आमेर तहसील के तहसीलदार द्वारा किसानों को प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

(7) श्री शिवनारायण, सदस्य की ओर से जिला बारां की ग्राम पंचायत नियाना एवं ग्राम पंचायत पलसावा की कच्ची सड़कों का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री घनश्याम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बेगूं में अकाल राहत कार्यों के तहत बनी कच्ची सड़कों पर ग्रेवल डलवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से जिला जालौर के किसानों की विद्युत समस्याओं के समाधान करवाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से छबड़ा, छीपाबड़ौद का पुनः सर्वे करवाकर गरीब किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(11) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से अजमेर जिले के गांवों को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही के बरलूट

(श्री उपाध्यक्ष)

बांध व नवारा सिंचाई परियोजना का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मांगीलाल गरासिया।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी का पद सृजित कराने एवं अतिरिक्त तहसील सायरा में स्थापना के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में जो स्थिति है राजस्थानी की, राजस्थान की आन-बान-शान राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान की जाए। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलायी जाए। (व्यवधान) राजस्थानी को मान्यता प्रदान की जाये। (व्यवधान) राजस्थान की भाषा... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भाषा को मान्यता दी जाये। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 295. श्री मांगीलाल गरासिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को कंट्रोल में लाओ। (व्यवधान)

श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों के रोज...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मदन दिलावरजी, बैठिये। (व्यवधान) मांगीलालजी, 295 पढ़िये।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

गोगुन्दा में सहायक कलक्टर/ उपखण्ड अधिकारी पद का सृजन

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विधान सभा गोगुन्दा में सहायक कलक्टर/ उपखण्ड अधिकारी का पद सृजन कराने एवं अतिरिक्त तहसील सायरा में स्थापना के संदर्भ में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मेरा अनुरोध है कि तहसील मुख्यालय गोगुन्दा से जिला व उपखण्ड कार्यालय उदयपुर की दूरी 35 किलोमीटर एवं लगे गांवों की दूरी उपखण्ड व जिला मुख्यालय से 25 से 50 किलोमीटर होकर इस क्षेत्र के गरीब आदिवासी जनता को उपखण्ड कार्यालय सम्बन्धित छोटे-मोटे राजस्व एवं अन्य कार्यों के लिये जिला मुख्यालय पर पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी

(श्री मांगीलाल गरासिया)

गिर्वा के समक्ष उपस्थित होने में काफी समय व धन बरबाद होता है। साथ ही कई अन्य परेशानियां सहन करनी पड़ रही हैं। मूल निवास प्रमाण पत्रों के लिये भी उपखण्ड कार्यालय उदयपुर कई वाहनों को बदलते हुए ग्रामीण व्यक्ति पहुंचता है, जहां पर पहले से ही उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के पास जिला स्तर के, अन्य तहसीलों के काफी काम रहते हैं। अन्य तहसीलों में उपखण्ड अधिकारी के पद सृजित कर पदस्थापन किये गये एवं तहसील गोगुन्दा में अकाल राहत प्रभारी अधिकारी का पदस्थापन किया गया था जिससे कि इस क्षेत्र की जनता व कृषकों को काफी राहत प्राप्त हुई। परन्तु प्रभारी अधिकारी का भी गत 2 माह से स्थानान्तरण हो जाने से रिक्त पद चल रहा है। अत: क्षेत्र की जनता की ओर से मेरा राजस्व मंत्री व मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि तहसील गोगुन्दा में स्थाई रूप से उपखण्ड अधिकारी का पद सृजित करा पदस्थापन कराने की महती कृपा करावें। साथ ही विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में सायरा एरिये के वासियों की ओर से लम्बे समय से चल रही मांग अतिरिक्त तहसील सायरा खोलने के लिये जिला उदयपुर से प्रस्ताव व राजस्व बोर्ड से भी प्रस्तावित कर अनुरोध किया जा चुका है एवं गत सत्र में अतिरिक्त तहसील सायरा करवाये जाने के सम्बन्ध में बोल चुका हूं। अत: अतिरिक्त/उप तहसील सायरा का सृजन/स्थापन एवं मुख्यालय कराने के आदेश प्रदान करावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन दिलावरजी। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द कुमावत : माननीय उपाध्यक्षजी, ग्राम मारोठ में गौशाला की जमीन की बात है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मदन दिलावरजी, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सदन को आर्डर में करो, सर, मैं तो बोल रहा हूं। सदन को आर्डर में लाओ, सर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप एक मिनट सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द कुमावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई उपाध्यक्ष नहीं, आप बिराजो बिराजो। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द कुमावत : नहीं, यह जमीन जो है वह रीको को आबंटित नहीं की गयी है। (व्यवधान)...यह जो जमीन है, केवल रिजर्व रखने के बाद में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। (संकेत द्वारा मना किया गया)

श्री हरीश चन्द कुमावत : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, दिलावरजी? (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द कुमावत : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, बिराजो। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द कुमावत : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावरजी, आप पढ़ो। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द कुमावत : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ रहो कि नहीं पढ़ रहो हो? 295 पढ़ो।

श्री मदन दिलावर : हाउस को तो आर्डर में लाएं आप, सर।

श्री हरीश चन्द कुमावत : XXX

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, आप क्यों बोले जा रहे हैं?

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री हरीश चन्द कुमावत : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीगण। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री हरीश चन्द कुमावत : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी। माननीय सुरानाजी, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री हरीश चन्द कुमावत : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, बोलना है कि नहीं आपको? आप बोल रहे हैं कि नहीं? (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द कुमावत : XXX

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री मदन दिलावर : यह देखो, श्रीमान्, मेरे को कैसे बुलवा रहे हो आप, क्या हो गया आपको? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं चलेगा। क्या है यह? प्लीज सिट डाउन। क्या बात है? बोलिये, दिलावरजी। बात हो गयी, मंत्रीजी ने आपको आश्वासन दे दिया। सब बात हो गयी, फिर वही बात। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर।

हाड़ौती में मिलावटी घी का विक्रय

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

के तहत हाड़ौती में सरकार की शह पर बिक रहे मिलावटी घी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। दिनांक 18.5.2003 को उद्योग नगर पुलिस थाना, जिला कोटा द्वारा 40 कार्टून नकली घी पकड़ा गया था। यह मिलावटी घी आटो रिक्शा नम्बर आर.जे. 20, जी–3974 में जा रहा था। पकड़ने के बाद बिना बिल वाउचर के होने के कारण वाणिज्य कर विभाग एवं कृषि उपज मण्डी समिति की टीम ने पुलिस कस्टडी में ही टैक्स व पैनल्टी वसूल कर ली। लेकिन पुलिस ने बिना सैम्पल लिये, बिना स्वास्थ्य विभाग से जांच करवाये, बिना जांच रिपोर्ट आये उस मिलावटी घी को 6 घंटे बाद मुलजिम सहित छोड़ दिया। एक उपभोक्ता द्वारा उसी समय उन्हीं कार्टून में से घी का एक डिब्बा लेकर घी की जांच करवाने हेतु पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी कोटा, जो एक सरकारी प्रयोगशाला है, को 23.5.2003 को दिया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट क्रमांक पी.एच.एल.के./पी.एफ.ए/2003/148 दिनांक 6.6.2003 को जारी की गयी। उस रिपोर्ट में जांचकर्ता ने पाया कि उक्त नकली घी अशुद्ध है तथा उसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई है, जिसको उसने अंग्रेजी में लिखा ''मिक्चर आफ एनीमल फैट'' तथा दूसरी जगह लिखा ''नाट प्योर घी''। इससे साफ साबित होता है कि गाय की चर्बी मिला घी हम हाड़ौती ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान की जनता को परोस रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, घी के अन्दर गाय की चर्बी। यह तो सीधा–सीधा भावनाओं के साथ खिलवाड़ है।

श्री मदन दिलावर : पूरा हो जाने दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, आपने इसमें गाय की चर्बी लिखी है क्या? इसको पढ़ो, इसमें लिखा है।

श्री मदन दिलावर : आप पढ़ लें तेरहवीं लाइन पर।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें लिखा है, इसको पढ़ो।

श्री मदन दिलावर : 13वीं लाइन पर पढ़ें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या लिखा है?

श्री मदन दिलावर : इसमें तेरहवीं लाइन पर पढ़ें, जानवरों की चर्बी मिली हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें लिखा हुआ है एनीमल फैट।

श्री मदन दिलावर : महोदय, सभी माननीय सदस्य यह जानते हैं कि गौमाता हमारे लिये पूज्य है। इसकी चर्बी से मिले घी से भगवान का दीपक जलाना, यज्ञ हवन में काम लेना व इसका खाने

(श्री मदन दिलावर)

में प्रयोग करना महापाप है। परन्तु फिर भी सरकार के इशारे पर हमको घी के नाम पर गौ माता की चर्बी मिला घी परोसा जा रहा है, जो अन्याय, धोखाधड़ी व समस्त हिन्दुओं का अपमान व धर्म प्रेमी बन्धुओं के साथ कुठाराघात है। सभी माननीय सदस्य यह जानते हैं कि गौ–माता के दर्शन हमारे लिये तैंतीस करोड़ देवी–देवाताओं के समान है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह 33 करोड़ देवी–देवता हम ही हैं सब, जिसका मदन दिलावरजी उल्लेख कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : 153 तो वे हैं।

श्री मदन दिलावर : इसके मूत्र मात्र से सर्वाधिक रोग मिट जाते हैं। अपवित्र से अपवित्र स्थान भी गौ–मूत्र के छिड़काव मात्र से पवित्र हो जाते हैं। हम इसका दूध पीते हैं। यह हमारी मां है। ऐसी स्थिति में जहां प्रदेश में गौ–वध पर पूर्णतः प्रतिबन्ध हो, वहां पर घी में चर्बी मिलाने हेतु अनेक गौ–माताओं की हत्या कर अपने निहित स्वार्थों के लिये चांदी के चन्द टुकड़ों में बिक कर सरकार में बैठे नुमाइन्दे सरेआम गाय की चर्बी मिला घी बिकवा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की इनके साथ मिलीभगत का पता इसी से चलता है कि पकड़ने के 6 घंटे बाद ही बिना जांच करवाये, बिना सैम्पल लिये, बिना किसी को दण्डित किये सम्पूर्ण कार्टून जो गाय की चर्बी मिला हुआ था उसे और मुल्जिमों को छोड़ दिया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 21.05.2003 को सम्भागीय आयुक्त, कोटा, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से मिलकर कार्यवाही की मांग की परन्तु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पुनः जब इसी सम्बन्ध में कई बार अधिकारियों से मिलना हुआ तो भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो, लेकिन मुख्य मंत्री सचिवालय व स्थानीय प्रभावशाली लोगों का भारी दबाव है इसलिए हम इनके खिलाफ कार्यवाही करने में असमर्थ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसी विडम्बना है कि सरकार गाय की चर्बी बेचने वालों के सामने नतमस्तक हो गयी है और अपने अधिकारियों को भी पंगु बना दिया गया है। इसके बाद भी कई बार समाज के जागरूक लोग प्रशासन से मिलते रहे, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई और गाय की चर्बी मिला घी निरन्तर रूप से बिकता रहा। इसलिए वहां पर सरकार ने कई वर्षों से खाद्य निरीक्षक नहीं लगा रखा है ताकि ये लोग धड़ल्ले से अपना धन्धा करते रहें। इतना बड़ा कारोबार सरकार के नुमाइन्दों के बिना सम्भव नहीं है। इसलिए 18.05.2003 को पकड़े गये घी वालों के खिलाफ दो महीने तक कोई कार्यवाही

(श्री मदन दिलावर)

नहीं हुई। फिर जब विधायक मदन दिलावर व श्री सनातन धर्म सेवा समिति, कोटा द्वारा इस सम्बन्ध में सभी पक्षकारों के साथ प्रेस वार्ता में यह मामला उजागर किया गया और सभी अखबारों में यह मामला प्रकाशित हुआ, तब जाकर 30 जून के बाद फौरी कार्यवाही बतौर इनको पकड़ा गया। परन्तु पुलिस ने इनसे यह जानने का प्रयास नहीं किया कि अभी तक आपने जो हजारों टन घी बेचा है उसके लिए कितनी गायों की हत्या की या करवायी गयी है तथा यह चर्बी किस प्रकार किन किन के द्वारा आप तक पहुंची। अभी तक यह प्रश्न निरुत्तर है। इसके कारण समस्त हिन्दू समाज अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मनोकामना व श्रद्धा के साथ लोगों ने इस घी से भगवान के सामने दीपक जलाये, यज्ञ किया, कई लोगों ने ब्राह्मण भोज के लिए प्रयोग में लिया और स्वयं ने भी शुद्ध घी समझकर उसका प्रयोग किया, लेकिन उनको क्या पता था कि यह सब मेरी पूज्य गौमाता के मांस व चर्बी से ही कर रहा हूं। वह इसके लिए अब अपने आपको महापाप का भागी समझ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह पर अखबारों में समाचार छपे हैं कि हजारों गायों की हत्या की गयी, परन्तु सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण इनका उत्साहवर्धन होता रहा और ये लोग घी में चर्बी मिलाकर हिन्दू समाज को पाप का भागी बनाते रहे। सरकार को अविलम्ब इस बात की जांच करनी चाहिए की गाय की चर्बी कहां से कौन लाया, किसने गाय की हत्या की परन्तु मुझे लगता है कि जहां स्वयं सरकार इस धन्धे में लिप्त हो वहां पर कार्यवाही सम्भव कैसे हो सकती है। क्योंकि यह सारा मामला ही मुख्य मंत्री सचिवालय व स्थानीय प्रभावशाली लोगों के दबाव में रफा-दफा किया गया है, अतः इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी.बी.आई. से होनी चाहिए। यह काफी लोक महत्व क मामला है अतः मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बस, अब आपको धन्यवाद। अगले सत्र में बोलना अगले साल, अब बैठो। बिराजो प्लीज, अगली बार। श्री मानिक चन्द सुराना।

(अध्यक्षपीठ द्वारा हाथ के संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश दिया गया)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये प्लीज। हो गया, हो गया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

फसली ऋण वर्ष 2002 के ब्याज की जबरन वसूली

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया व कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत भारत सरकार व रिजर्व बैंक द्वारा 2002 के फसली ऋण को माफ किये जाने की घोषणा की पूरे राज्य में सहकारी बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा अवहेलना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करने हेतु निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उक्त मुद्दे की तरफ सदन का ध्यान निम्न प्रकार आकर्षित करता हूं :-

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपैक्स बैंक) से सम्बन्धित राजस्थान के 26 जिलों के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अवहेलना में किसानों को सन् 2002 की खरीफ में दिये गये ऋणों का ब्याज जबरदस्ती वसूल कर लिया गया है जबकि उक्त ब्याज भारत सरकार व रिजर्व बैंक द्वारा किसानों को माफ करने की घोषणा की जा चुकी थी।

यह निर्विवाद तथ्य है कि भारत सरकार द्वारा ब्याज माफी की घोषणा के साथ-साथ राज्य सरकार व भारत सरकार ने सन् 2002 के खरीफ ऋणों को तीन व चार साल के लिए मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित कर दिया है जिसका मुख्य उद्देश्य खरीफ 2003 में किसानों को नया फसली ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा व्यापक पैमाने पर ब्याज माफी की घोषणा की अवहेलना में किसानों से ब्याज वसूल कर लिया गया व खरीफ 2002 का फसली ऋण जिसे मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने के सक्षम आदेश जारी हो चुके थे, उनकी 99 प्रतिशत अवहेलना कर खरीफ 2002 का फसली ऋण भी यह लालच व छलावा देकर वसूल कर लिया गया कि दस दिन में आपको खरीफ 2003 का ऋण का उपलब्ध करा दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन काश्तकारों से गैर-कानूनी ब्याज व खरीफ 2002 का ऋण जो मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जा चुका था और इस कारण वह ऋण अस्तित्व में ही नहीं था और वह आगामी तीन-चार वर्षों में किश्तों में चुकाया जाना था, को गैर-कानूनी रूप से राज्य सरकार के सहकारी विभाग व केन्द्रीय सहकारी बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा वसूल कर लिया जाना राजस्थान के गांव व ढाणी में बैठे हुए किसानों के साथ सरकारी/सहकारी विभाग व सहकारी बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा की गयी धोखाधड़ी की इतनी बड़ी घटना है कि जिसका राजस्थान के आर्थिक इतिहास में कोई पूर्ण उदाहरण मौजूद नहीं है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

गैर-कानूनी ब्याज व खरीफ 2002 के ऋण की गैर-कानूनी वसूली जिन किसानों से नहीं की गयी है, उन्हें खरीफ 2003 का ऋण भी उपलब्ध नहीं किया गया है न अब उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारी बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा भारत सरकार द्वारा माफ किये गये ब्याज व तीन साल के लिए मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किये हुए खरीफ 2002 के ऋण की वसूली भारत सरकार, रिजर्व बैंक व राजस्थान सरकार स्वयं द्वारा जारी आदेशों की व्यापक अवहेलना है। भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक यह भी निर्देशित कर चुके हैं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खरीफ फसल ऋणों के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मूल अथवा ब्याज की किसी भी राशि की वसूली नहीं की जाए व फसल ऋण पर चालू वित्तीय वर्ष में देय ब्याज को स्थगित करें और स्थगित ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया जाए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग आसन की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं, आप कम से कम उन्हें तो नियमों का थोड़ा बहुत ध्यान दिलाने का कष्ट किया करें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देखिये आप, वो कम से कम से 15 मिनट से खड़ी हैं।...(व्यवधान)...आसन की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं, आप कभी नियम का ध्यान ही नहीं दिलाते।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डिस्टर्ब होता है इस तरह से बातचीत करने से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सब माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं, आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और मेरे पर डालते हो। आप क्यों नहीं बैठ सकते, Why do you force me to take any action?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नियमों का ध्यान दिलाने का आसन का भी काम है। जो नहीं जानते नियमों के बारे में, आसन बताए ये नियम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी जिम्मेदारी को समझिये न, नियमों को समझिये। यह अच्छा लगता हैं कि मैं हर माननीय सदस्य को कहूं कि बैठ जाओ, उठ जाओ। यह कोई अच्छी बात थोड़े ही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बैठ जाओ नहीं, लेकिन आप कम से कम यह तो कह सकते हैं कि नियमों का ध्यान रखें आप। माननीय सदस्य, आसन की तरफ पीठ करके नहीं खड़ा हुआ जाता है, यह नियमों का ध्यान दिलाएं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि आप स्वयं

(श्री उपाध्यक्ष)

नियमों का ध्यान रखो, Don't force me to take any action.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब नियमों के बारे में ज्ञान देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इनमें से अधिकांश तो लौट कर आने वाले नहीं हैं।

डा. बी. डी. कल्ला : सब लौट कर आएंगे, आप चिंता मत करो।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : हम लौट कर आएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आप अपनी सुरक्षा कर लेना, देवीसिंहजी निपटा देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, आप बिराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने राजस्थान की जनता के साथ जो किया है न, दुबारा विधान सभा का चेहरा नहीं देखोगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सरकार की बात छोड़ो, आप खुद तो लौट आना।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आपको तो देवीसिंहजी भाटी लुढ़का देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजो।...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, मीनाक्षीजी, आज ही अख़बार में +++... (व्यवधान)...महिलाओं को पुरुष हमेशा तंग करते हैं, आज ही आप अखबार में +++ (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आप जैसे पुरुषों की बात है, आप जैसे मूछों वाले पुरुषों की। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पण्डितजी आपने देवीसिंहजी से पीछा छुड़ा लिया, ठीक किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पण्डितजी... (व्यवधान) हम तो एक हैं। आप और हम दोनों तो सरदारशहर से हैं। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आप आपके सदस्यों का सम्मान नहीं करते। उनको जिस तरह से बेइज्जत करते हो, वो ही लुढ़का देंगे आपको तो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आज ही आप +++

श्री मानिक चन्द सुराना : सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया मुझ पर तो कृपा करें। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : सुरानाजी, मेरी आप पर पूरी कृपा है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आपने दो-दो राजपूत नेताओं की पगड़ी उतार दी, शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज इस कुर्सी की पूजा कर लो, हाथ लगा कर देख लो।

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र राठौड़ साहब, प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आज ही महिला नेता +++ मीनाक्षीजी, ममताजी, कि पुरुष नेता तंग करते हैं उनको।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आप मेरे बीच में मत बोला करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कांग्रेस के पुरुष नेता उनको तंग करते हैं, आज ही यह अखबार में +++ आपका लेख आया है, मेरा लेख नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिये। क्या है? (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : कांग्रेस के नहीं, आप जैसे पुरुष। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका लेखा आया है।

श्री मोहन लाल मोदी : जरा ढंग से बात करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बिराजें आप।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : साहब, आज-आज बोल लेने दो फिर तो यह आएंगे ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। आप बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे। आप बिराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आज ही, मोदी साहब, अखबार में लेख आया है कि महिला नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस के पुरुष नेता तंग करते हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : यह आपका पढ़ने का वो है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समझ ही नहीं रहे हैं। इतना सीरियस मामला है, माननीय सदस्य किसानों की हित की बात कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब करके सारे को डाइल्यूट कर दिया। व्हाट इज दिस? किसी पाइंट को, किसी सीरियसनैस को समझो तो सही हाउस में। (व्यवधान) क्या हो गया ऐसा जो एक साथ खड़े हो गये? किसानों से सम्बन्धित बात है, बहुत गम्भीर बात है, बोल रहे हैं। इसका जवाब चाहते हैं सरकार से।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आब्जर्वेशन के लिए आपका बहुत आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में ही बोल रहे हैं, वह आएगा कि नहीं, आएगा। जिसकी किस्मत होगी वो आ जाएगा या

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं जाएगा? प्लीज आपके माननीय सदस्यों को थोड़ा रिक्वैस्ट करो।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह लाटरी जो खुलनी है वह तो खुलती रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली दो लाइनें दुबारा इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि सन्दर्भ सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में आ जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक यह भी निर्देशित कर चुके हैं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खरीफ फसली ऋणों के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मूल अथवा ब्याज की किसी भी राशि की वसूली नहीं की जाए व फसली ऋण पर चालू वित्तीय वर्ष में देय ब्याज को स्थगित करें और स्थगित ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 के परिपत्र द्वारा बैंकों को अवगत कराया है कि सूखे से प्रभावित किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एकमुश्त उपाय के रूप में खरीफ ऋण, जो पूर्व में उपरोक्त राहत उपायों के तहत मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित किये गये हैं, पर पहले वर्ष के स्थगित देय ब्याज को पूर्णतः माफ करने का निश्चय किया गया है।

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने भी गत वर्ष दिये गये 720 करोड़ रुपये के ऋणों का ब्याज करीब 111.6 करोड़ रुपये मनमाने तरीके से केन्द्रीय सहकारी बैंकों से वसूल कर लिया व केन्द्रीय सहकारी बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा इसी तरह की आपाधापी ग्राम स्तर पर की जा रही है जिसके प्रति अपने आपको संवेदनशील कहने वाली राज्य सरकार आंख बन्द किये बैठी है और किसानों को माफ किये हुए ब्याज की वसूली किसान से की जा रही है।

भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की पालना की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि जिन बैंकों ने रिजर्व बैंक व भारत सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत ब्याज की वसूली कर ली है; उनका दायित्व है कि ब्याज की सम्पूर्ण राशि व गैर कानूनी रूप से वसूल किये गये मूलधन की राशि का चुकारा पुनः किसान को एक सप्ताह में करें क्योंकि मध्यकालीन ऋण में जो ऋण परिवर्तित हो चुका है उसकी वसूली कानूनन आज की ही नहीं जा सकती। सन् 2002 की खरीफ के ऋण के पेटे करीब 600 करोड़ रुपये से अधिक की गैरकानूनी वसूली की जा चुकी है जिसे किसानों को तत्काल एक सप्ताह में वापस किया जाना आवश्यक है।

राज्य सरकार मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि वे इस महत्वपूर्ण फैसले में तत्काल दखलंदाजी करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) नहीं, सबका नहीं दिलाएंगे। सबका जरूरी नहीं है। बिराजिए आप। सबका जरूरी नहीं है। किसी मामले की इम्पोर्टेंस को समझिए आप।

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री)**:** माननीय सुरानाजी, 295 के अन्तर्गत आपने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं स्टेटमेंट लाया हूं, आपकी अनुमति हो तो मैं पूरी स्थिति से सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : जरूर उन तथ्यों को रिकार्ड पर लाइये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो प्लीज। बिराजो तो सही।

श्री परसादी लाल : रिकार्ड पर आएंगे। मैं तो पूरा स्टेटमैंट देना चाह रहा हूं जिससे इस स्थिति के बारे में सदन को पूरी जानकारी हो जाए। आपकी अनुमति से मैं पूरा स्टेटमैंट पढ़ना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों को यह कहना सही नहीं है कि राज्य सहकारी बैंक एवं जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अवहेलना कर खरीफ 2002 में दिये गये ऋणों का ब्याज किसानों से जबरदस्ती वसलू किया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के स्तर पर जिन सदस्यों द्वारा ऋण जमा करवाया गया है, वह उनके द्वारा स्वैच्छा से ही जमा कराया गया है। किसी सदस्य से जबरन वसूली नहीं की गयी, जो इस बात से स्पष्ट है कि मार्च, 2003 की कुल मांग अवधि पार ऋण एवं मध्यम कालीन ऋण आदि के पेटे मात्र 9.68 प्रतिशत की वसूली हुई है। आप जिस बात के लिए कह रहे हैं न कि 720 करोड़ की, उसमें से केवल 9.68 प्रतिशत की वसूली की गयी है। इसी प्रकार जून, 2003 तक वर्ष की कुल मांग जिसमें उक्त के अलावा रबी 2002-2003 में वितरित ऋणों की मांग भी सम्मिलित है। नकद वसूली मात्र रबी की हमारी हुई है और वह 33.78 प्रतिशत ही रही है। इससे स्पष्ट है कि कोई जबरन वसूली नहीं की गयी है तथा यह भी स्पष्ट है कि भारत सरकार एवं नाबार्ड के निर्देशों की कोई अवहेलना नहीं हुई है। नाबार्ड द्वारा इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 03 जनवरी, 2003 के द्वारा खरीफ 2002 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों को मध्यमकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के निर्देश दिये गये थे एवं ब्याज के सम्बन्ध में यह उल्लेख था कि खरीफ ऋणों पर देय ब्याज को इस तरह से आस्थागित किया जावे कि ब्याज अदायगी की प्रथम किस्त उक्त आस्थागित ब्याज की 20 प्रतिशत हो। इससे स्पष्ट है कि पूरा ब्याज माफ नहीं किया गया है तथा न ही अब तक भारत सरकार या नाबार्ड से ब्याज माफी की राशि सहकारी बैंकों को प्राप्त हुई है।

(श्री परसादी लाल)

माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थगन प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऋणों का पूरा मूलधन 90 प्रतिशत किसानों से वसूल करके भारत सरकार व रिजर्व बैंक के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। उल्लेखनीय है कि नाबार्ड से प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत खरीफ 2002 के अल्पकालीन ऋणों को पात्र सदस्यों को समय पर मध्यमकालीन ऋणों में परिवर्तित कर दिया गया था तथा इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात् जहां कहीं सदस्यों द्वारा स्वैच्छा से अपने ऋण भार को कम करने की दृष्टि से एवं नवीन खरीफ ऋणों पर कम की गई ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण का उपभोग करने के उद्देश्य से ऋणों का चुकारा करना चाहा, वहां उनके द्वारा ऋणों का चुकारा किया गया। अत: किसानों से न तो जबरन वसूली की गयी है और न ही 90 प्रतिशत किसानों से, जैसाकि मूल प्रस्ताव में अंकित किया गया है वसूली की गयी है।

यह स्पष्ट करना उचित होगा कि मूलधन को भारत सरकार द्वारा माफ नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव में यह भी अंकित किया गया है कि खरीफ 2002-03 में फसली ऋण को चार या पांच साल के अल्पकालीन ऋण की ब्याज माफ की स्पष्ट घोषणा की बैंकों द्वारा व्यापक अवहेलना पूरे राजस्थान में की गयी है। इस सन्दर्भ में उल्लिखित खरीफ 2002 में वितरित फसली ऋण के पूरे ब्याज की माफी की घोषणा भारत सरकार द्वारा नहीं की जाकर मात्र प्रथम वर्ष के स्थगित ब्याज की 20 प्रतिशत की ही माफी की घोषणा की गई है। अत: तदनुरूप घोषणा की अवहेलना नहीं की गयी है। ब्याज माफी के पेटे 20.43 करोड़ रुपये के क्लेम पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं। ब्याज तथा अब तक कोई भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि अधिकांश मामलों में ब्याज की वसूली नहीं की गयी है तथा कई आंशिक मामलों में यदि माफ किये जाने वाले ब्याज के पेटे सदस्यों द्वारा राशि जमा करवायी गयी है तो ऐसे मामलों में क्लेम की राशि प्राप्त होते ही सम्बन्धित सदस्यों को तुरन्त उपलब्ध करवा दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि नाबार्ड के 03 जनवरी, 2003 के पत्र के अनुसार भी शेष 80 प्रतिशत ब्याज की वसूली के सम्बन्ध में वाजिब किस्तों में वसूल करने हेतु कहा गया है। इसका आशय यह है कि तत्सम्बन्धी इस तरह का निर्णय बैंकों के विवेक पर छोड़ा गया जो कि नाबार्ड के उक्त पत्र के पैरा 3 में स्पष्ट है कि स्थगित ब्याज के सम्बन्ध में कोई तात्कालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवायी गयी है जिस पर कि बैंकों की तरलता एवं लाभप्रदता प्रत्यक्ष रूप से सीधे प्रभावित होती है। प्रकरण में माफ/स्थगित

(श्री परसादी लाल)

किये जाने वाले ब्याज को अग्रिम में उपलब्ध करवाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं मैंने भी भारत सरकार को पत्रों द्वारा अनुरोध किया है। किन्तु अब तक न तो कोई राशि प्राप्त हुई है तथा न ही कोई प्रत्युत्तर वहां से अब तक हमको मिला है।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि गत विधान सत्र में भी इस सन्दर्भ में भारत सरकार से समुचित सहयोग दिलावाने हेतु मैंने आपको भी निवेदन किया था। इस सम्बन्ध में नाबार्ड को भी निवेदन किया गया था। आपकी तरफ से भी कोई ठोस प्रयास इस सम्बन्ध में नहीं किये गये हैं। (व्यवधान) मैंने आपसे सहयोग मांगा था, जब मैंने स्पीच दी थी डिमाण्ड पर। यह सारे राजस्थान के किसानों का मामला है। आपकी तरफ से कोई प्रयास की जानकारी मुझे अब तक नहीं दी गयी है। भारत सरकार द्वारा योजना के अनुसार वर्ष 90 के 14.69 करोड़ रुपये अब तक भी सहकारी बैंकों को उपलब्ध भारत सरकार ने नहीं करवाये। 90 वाले भी बैंकों के अब तक बाकी हैं।

इसलिए, माननीय सुरानाजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्रीजी को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिखा, हमने सम्बन्धित कृषि मंत्रीजी को लिखा, वहां से एक पैसा भी आज तक ब्याज के पेटे हमारे बैंकों को नहीं मिला है। इसलिए आपका यह कहना कि जबरन वसूली कर रहे हैं, एक भी प्रकरण पूरे राजस्थान में आप जबरन वसूली का साबित कर दें। मैंने पहले भी कहा था, इस साल हमने वसूली पर पूरी तरह रोक लगा दी। न एक बीघा जमीन नीलाम की है, न किसी की कुर्की की है, न किसी का ट्रैक्टर नीलाम किया है। पूरे राजस्थान में एक भी नीलामी को हमने आपके अनुरोध पर जब यह मांग हुई थी... (व्यवधान) यहां पर हमने उसी समय सबको स्थगित कर दिया। एक भी पैसे की जबरन वसूली कहीं भी नहीं की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल। (अनुपस्थित)

श्री केसाराम चौधरी : बारां में ट्रैक्टर डाले हुए पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल। (अनुपस्थित) नो क्वेश्चंस। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

(आसन द्वारा संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री नंदलाल बंशीवाल।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न-उत्तर का नियम ही नहीं है, 295 है, आप समझिये इस बात को। आपको स्टेटमैंट दिलवा दिया।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री नंदलालजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री अशोक बैरवा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री अशोक बैरवा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री बंशीवालजी। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, और प्रधानमंत्रीजी ने क्या लिखा, वह सुनना चाहते हैं क्या आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी बिराजिये। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : सुना दूं आपको? (व्यवधान) प्रधान मंत्रीजी ने जो पत्र मुख्य मंत्रीजी को लिखा वह पढ़कर सुना दूंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इस देश में ऐसी भी सरकार बैठी है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री परसादी लाल : एक भी पैसा नहीं दिया भारत सरकार ने आज तक। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री परसादी लाल : यह प्रधान मंत्रीजी का पत्र है...(व्यवधान)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : एक पैसा आज तक दिया नहीं, ब्याज माफी–ब्याज माफी कह रहे हैं (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री हरिश चन्द कुमावत : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नंदलालजी, बोलिये। (व्यवधान)

आमेर के तहसीलदार द्वारा किसान की प्रताड़ना

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से वर्तमान पदस्थापित तहसीलदार आमेर जिला जयपुर की अमानवीय एवं अनैतिक कारगुजारियों के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

वर्तमान तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर को करीब इस पद पर कार्य करते हुए दो वर्ष हो गये। अपने इन वर्षों में हीरालाल पुत्र श्री कानाराम जाट, निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा (बास) तहसील आमेर के गरीब किसान को इस अकाल के समय इतना प्रताड़ित किया कि जैसे कोई अंग्रेजी शासन में भी नहीं किया जाता था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेस शासन में अकाल से जूझ रहा गरीब किसान हीरालाल अपनी दस बीघा ग्यारह बिस्वा जमीन पर जब से यह तहसीलदार आया है तब से फसल पैदा नहीं कर सका, क्योंकि तहसीलदार इसी ग्राम सुदर्शनपुरा, तहसील आमेर के निवासी हरी नारायण, मालीराम, बाबूलाल पुत्र श्री ओमाराम जाट, छीतरमल (पंचायत समिति सदस्य) इसी के भाई रामसहाय पुत्र श्री मोलकराम, कजोड़, बनवारी, बंशीधर पुत्र श्री नानूराम आदि से बड़ी रकम बतौर रिश्वत के हर वर्ष लेता आया है एवं उक्त लोगों से सरकारी रास्ते की भूमि में फसल पैदा करवाता रहता है।

इस ग्राम को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि जिसका खसरा नम्बर 214 है, यह रास्ता हीरालाल पुत्र श्री कानाराम जाट को राजस्व रिकार्ड के खसरा नम्बर 77, की रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा को होते हुए चौमूं के रास्ते में मिलता है। इसकी जमीन की तीनों दिशाओं में कृषि भूमि है जिनके मालिक इस गरीब किसान को अपने खेतों में से होकर नहीं जाने देते थे और जो सरकारी रास्ता था उसको आमेर तहसीलदार ने अभियुक्तों से मिलकर रुकवा रखा है। (व्यवधान)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

आज तक इस गरीब किसान ने... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है?

श्री नंदलाल बंशीवाल : आज तक इस गरीब किसान ने तहसीलदार को दिनांक 20.1.1997 से हर दो–तीन माह के अन्तराल में सरकारी रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटवाने की प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन तहसीलदार कहता है कि तुम्हारे से नहीं डरता हूं, चाहे तुम मुख्य मंत्री से शिकायत करो या पंचायत राज मंत्री से विवश होकर हीरालाल पुत्र श्री कानाराम ने दिनांक 27.7.2000 को उप जिलाधीश मुख्यालय, आमेर को भी शिकायत की थी। दिनांक 26.12.2001 एवं 3.10.2002 को श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त को भी शिकायत कर चुका है। इन्होंने अतरिक्त कलक्टर महोदय को अवैध कब्जे को हटाने के साथ ही रास्ता खुलवाने के निर्देश दिये तथा स्वयं पटवारी ने रास्ते की भूमि में फसल उगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार आमेर को दिनांक 20.8.2002 को सौंपी तथा कब्जे को हटवाने के लिये पुलिस इमदाद की आवश्यकता बतायी, लेकिन थानाधिकारी हरमाड़ा, जयपुर ने बिना अतिक्रमण हटाये ही कार्य पूर्ण होने की कागजी कार्यवाही की है।

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से इस कांग्रेस सरकार से यह मांग करता हूं कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 214 से तुरन्त अतिक्रमण हटवाया जाए तथा इस गरीब किसान हीरालाल पुत्र श्री कानाराम जाट, ग्राम सुदर्शनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर को इस किसान की कृषि भूमि की फसल का मुआवजा इस आरोपी तहसीलदार से दिलवाया जाए तथा तत्काल बरखास्त कर किसान को न्याय दिलाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा... (व्यवधान) खुद का तो ध्यान रखते नहीं हैं, दूसरी तरफ पंचायत करते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। होगा तो आ जाएगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजो। आ जाएगा होगा तो। मैं तो क्रमवार चल रहा हूं ना। अगर होगा तो आ जाएगा। नहीं होगा तो नहीं आएगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेवजी, बोलो।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

जयपुर के राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी कार्यवाही

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जयपुर में बैंक के प्रबन्ध संचालक श्री विजय प्रकाश जोशी, महाप्रबन्धक श्री बृजेन्द्र राजोरिया व प्रशासक श्री सुरेन्द्र कुमार, तीनों द्वारा बैंक में किये जा रहे अंधाधुंध खर्चे व भ्रष्टाचार के कारण बैंक का लाभ जो 2001-2002 में 18.71 करोड़ था, 2002-2003 में करीब 8.50 करोड़ ही रह गया है।

बैंक में जिन पदों को सीधी भर्ती से भरा जाना था, अपने चहेते लोगों जिनकी ए.सी.आर. भी खराब थी, 17 सी.सी.ए. के नोटिस दिये हुए थे, को फायदा पहुंचाने के लिये डी.पी.सी. में घोटाला कर, सारे नियम कायदे तोड़ कर इन पदों पर पदोन्नत कर दिया गया तथा उनमें से काफी लोगों की नियुक्ति उसी जगह पर कर दी गयी जहां पर वे पदोन्नति से पूर्व कार्यरत थे।

ये अधिकारी बैंक की गाड़ियों का अंधाधुंध दुरुपयोग कर रहे हैं। इन लोगों पर माननीय सहकारिता मंत्रीजी का बरदहस्त है। अत: ये अपनी इच्छानुसार संस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

अत: मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि इन तीनों व्यक्तियों को वहां से हटाकर इनके कार्यकाल की निष्पक्ष जांच करवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायण। (अनुपस्थित)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन। (अनुपस्थित) **श्री गणेशीराम मेघवाल।** (अनुपस्थित) **श्री प्रताप सिंहजी...** (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी प्लीज...

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): आपसे जानकारी लेकर जांच करवा देंगे पूरे प्रकरण की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आप, माननीय प्रताप सिंहजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अगली बार हटाएंगे, बिराजो आप तो।

श्री परसादी लाल : तीनों में से एक तो हट गया, दो की जांच करनी है। अगर जांच में दोषी मिलेंगे तो हटा देंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप 295 पढ़ो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप?

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बता रहे हैं आप तो। आप बिराजो, फिर नहीं बोलना आपको। आप बैठिये। आप अपना 295 पढ़ दो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना 295 पढ़ना चाहते हैं कि नहीं? तो फिर पढ़ो उसको।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो। आप निपट गये, अगली बार मिलेंगे। बिराजो प्लीज।

श्री परसादी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले भी विधान सभा में सवाल लगाया था...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज, अब हर चीज का जवाब जरूरी नहीं है।

श्री परसादी लाल : इसको 16.8.2003 को वापस लगा दिया। इसको आज ही हम हटाने के वापस निर्देश दे देंगे। हमने न तो लगाया और न हमारी जानकारी में है। इनको वापस हटवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रताप सिंहजी।

छबड़ा क्षेत्र के अकाल प्रभावित किसानों को फसल का मुआवजा

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र में अकाल के मुआवजे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, पिछले वर्ष भयंकर अकाल के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य की अकाल प्रभावित जनता की भरपूर मदद की है। परन्तु राज्य सरकार न तो प्रभावितों तक अनाज पहुंचा पायी और अब अकाल का मुआवजा भी नहीं पहुंचा पा रही है। मेरे पास प्रति दिन सैकड़ों गरीब अकाल प्रभावित किसान मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत लेकर आ रहे हैं। सभी किसानों की यह आम शिकायत है कि पटवारियों द्वारा फसल का सर्वे नहीं किया गया है। पटवारियों द्वारा मनमाने तरीके से स्वयं के घर पर गांव में एक जगह बैठकर सर्वे किया गया है। जिससे जिन प्रभावित किसानों को फसल का मुआवजा मिलने वाला था, वह नहीं मिल पाया।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

मैंने इस सम्बन्ध में जिला अधिकारियों को, राज्य सरकार को व सम्बन्धित मंत्रीजी को भी पत्र भिजवाये हैं, परन्तु उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अत: मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि गरीब प्रभावित किसानों की पीड़ा को समझते हुए छबड़ा/छीपाबड़ौद क्षेत्र का पुन: सर्वे करवाकर प्रभावित गरीब किसानों को मुआवजा दिलवाया जावे तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल।

बीसलपुर योजना से अजमेर जिले के गांवों को पेयजल

श्री सांवर लाल (भिनाय) : महोदय, निवेदन है कि बीसलपुर योजना से अजमेर जिले के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की 1992 में योजना बनायी गयी थी। 1 दिसम्बर, 1998 के बाद सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन में रुचि नहीं ली जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। लोगों में भयंकर आक्रोश है।

अत: आपके माध्यम से अनुरोध है कि जनहित में शीघ्र कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही के बरलूट बांध व नवारा सिंचाई परियोजना का पुन:निर्माण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : महोदय, निवेदन है कि सिरोही विधान सभा क्षेत्र में भाजपा शासन में निर्मित बरलूट बांध व नवारा सिंचाई परियोजना दो वर्ष पूर्व पहली बार आये बरसात के पानी में टूट गये। बरलूट बांध कई जगह से ध्वस्त हो गया। इस क्षेत्र में आ रहे बरसात के पानी से न केवल किसानों की भूमि खराब होने की आशंका बनी हुई है बल्कि जन-धन की हानि का भी खतरा बना रहता है। मेरी मांग है कि बरलूट बांध व नवारा सिंचाई परियोजना के पुन: निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाए।

मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के क्षेत्र में कैलाश नगर, बराल एवं कामेरी के बांध स्वीकृत किये हैं। इसके साथ ही अणगौर बांध व ओड़ा बांध की नहरों व आउटलैट्स के सुदृढ़ीकरण के लिये बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। मेरी मांग है कि बरालूट क्षेत्र के किसानों को भी बांध के माध्यम से भविष्य में लाभान्वित करने के लिये इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए बरलूट व नवारा सिंचाई परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भाणजी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

दानपुर में 23 जुलाई को हुई डकैती की जांच

श्री भाणजी (दानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 23 जुलाई की घटना है, मेरे विधान सभा क्षेत्र दानपुर में 23 जुलाई को डकैतों द्वारा भापोर गांव में मां-बेटे की हत्या कर दी गयी। उन्होंने उसके बाद औरतों के भी किसी के गाल काटे, किसी के दांत काटे, किसी के कान काटे। थाना प्रभारी द्वारा यह रिपोर्ट दी गयी है, मौके पर लिखा गया है कि यह डकैती हुई है और डकैती करने वालों ने इस प्रकार से सारे परिवार को उजाड़ देने और खत्म करने की नीयत से किया। आज तक न तो डकैत पकड़े गये हैं और न किसर प्रकार से पुलिस ने कार्यवाही की है। उसके लिये मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की सी.बी.आई. से जांच कराने के आदेश करें। जिन गरीबों की मौतें हुई हैं और जो लोग घायल हुए हैं, नाक-कान काटे गये हैं, उसकी जांच कराने की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। नन्दलाल बंशीवाल।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा मामला है...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यह बहुत गम्भीर मामला है...(व्यवधान) बाप बेटे की हत्या हो गयी...(व्यवधान) तीन मकानों में लूट हो गयी...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : बाप-बेटे दोनों की हत्या हो गयी...(व्यवधान) आज तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम केसरी का बास बैरवा बस्ती में डकैतों द्वारा तीन बार जानलेवा हमला किया...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : बाप-बेटे की हत्या हो गयी उस पर कार्यवाही की जाए। (व्यवधान) यह जो अपने आपको संवेदनशील सरकार कहती है...(व्यवधान) आज तक कार्यवाही नहीं होना उससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है, इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी को यहां पर आकर इसके बारे में अपना वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : पूरे बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों पर बहुत बड़ा आतंक बना हुआ है। (व्यवधान) गरीब आदिवासियों, नींद में सोये हुए आदमियों का गला काट दिया, जिनकी बहन-बेटियों के नाक, कान काट दिये हों, हाथ काट दिये हों, पांव काट दिये हों...(व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन यही करना है कि इतनी बड़ी घटना हुई...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हमारे जिले के प्रभारीमंत्री...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : राज्य के कैबिनेट मंत्री परसादी लालजी मीणा के क्षेत्र में...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह सरकार अपने आपको संवेदनशील सरकार कहती है...(व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : जिन लोगों की मौते हुई हैं, उन लोगों को कोई मुआवजा देने का मामला नहीं था (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एस.सी., एस.टी. के मामले में सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे जिले में आतंक पैदा किया हुआ है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य। आप बैठे।

श्री जीतमल खांट : जिले के अन्दर आतंक पैदा किया हुआ है...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे उप मुख्य मंत्रीजी जो अनुसूचित जाति के हैं...(व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : इस सम्बन्ध में निवेदन यही करना था कि इस घटना को डकैती के रूप में लिया गया है, यह डकैती नहीं है। (व्यवधान) इस मामले की जांच की जाए। जांच करने के बाद में उन बदमाशों को पकड़ा जाए, उनको सजा मिले। जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनको मुआवजा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के साथ सबसे घिनौनी कार्यवाही की जा रही है, राजस्थान का मुख्य मंत्री कैसे पूरे हिन्दुस्तान का सबसे पहला मुख्य मंत्री, नम्बर वन मुख्य मंत्री तो रहा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर आप बिराजें।

श्री जीतमल खांट : एक नम्बर के मुख्य मंत्री के कार्यकाल में आदिवासियों पर इस हरकतें होना...(व्यवधान) सारे के सारे आदिवासी परिवार का नाश कर दिया, सरकार ने आज दिन तक कोई सुध नहीं ली। हमारे जिले के प्रभारी मंत्रीजी यहां बैठे हैं, एक महीना हो जाने के बावजूद भी वहां जाकर उस परिवार से मिलना नहीं हुआ तो मैं कहना चाहता हूं कि पारदर्शी सरकार में इस तरह से पूरे के पूरे परिवार को साफ कर दिया जाता है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कानून-व्यवस्था चौपट है।

श्री उपाध्यक्ष : जाना चाहते हो बाहर।

श्री मदन दिलावर : कानून व्यवस्था चौपट है...(व्यवधान) सरकार हमारे गृह मंत्रीजी और हमारे उप मुख्य मंत्री ऐसे हैं जो उन लोगों से नहीं मिले।

श्री जीतमल खांट : इससे बड़ी अव्यवस्था और क्या हो सकती है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मदन दिलावर : कानून व्यवस्था चौपट हैं, जंगल राज है। राजस्थान डकैतों के हवाले।

श्री जीतमल खांट : आदिवासियों के परिवार को साफ किया जा रहा है और सरकार सोई हुई है, जूं तक नहीं रेंग रही है। आज दिन तक हत्यारे पकड़े नहीं गये हैं। आखिर सरकार करना क्या चाहती है?

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न। नीचे बैठिये।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य मामला है क्या?...(व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : इसको डकैती माना है लेकिन डकैती नहीं है, उसके कारण से यह घटित हुआ है। (व्यवधान) इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य मामला है क्या?

श्री जीतमल खांट : हत्यारे सरेआम घूम रहे हैं...(व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : दो आदमियों का मौके पर मर्डर कर दिया, लोगों के नाक-कान काट लिये और अब तक यह मान रहे हैं कि डकैती हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि डकैती नहीं हुई है। जमीन का विवाद था, उस विवाद को डकैती का रूप दिया गया है और उनको मारा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट नीचे बिराजें तो आपको जवाब दूं।

श्री फतेह सिंह : हम यह चाहेंगे कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। जिन लोगों को मारा गया है, जिनकी मौते हुई हैं उनको मुआवजा दिया जाए और गहराई से उसकी जांच हो कि वास्तव में यह डकैती थी या क्या थी।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात इन्होंने कह दी न, आप नयी बात क्या कह रहे हैं?

श्री फतेह सिंह : बात तो वही है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सरकार के जूं नहीं रेंग रही है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : एक महीना बीत गया है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सरकार के कान में पटकना चाह रहे हैं कि कानून-व्यवस्था चौपट है। डकैती के साये में राजस्थान की जनता जी रही है...(व्यवधान) राजस्थान डकैतों के हवाले कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, माननीय सदस्य, प्लीज, आज बिराजें।

श्री कनकमल कटारा : पारदर्शी सरकार है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री भाणजी : पुलिस इस मामले को टालना चाहती है, इन डकैतों को बचाना चाहती है। यह डकैती नहीं है, यह तो अलग मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य ने जब प्रश्न उठाया, आप कहां बीच में बोलने लग गये? क्या हुआ जो आप बोलने लग गये? Why are you defiring the case आप नीचे बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान डकैतों के हवाले हो रहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नीचे बैठें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कानून व्यवस्था चौपट है, डकैतों के साये में राजस्थान की जनता जी रही है और आप कह रहे हैं कि आप कौन हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नीचे बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट : हत्यारे सरे आम घूम रहे हैं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और आप कह रहे हैं कि हम कहां से आते हैं...(व्यवधान) बहुत महत्वपूर्ण मामला है...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : उपाध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था बिगड़ी है, गरीब औरतों का मामला है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मदन दिलावरजी, प्लीज।

श्री कनकमल कटारा : जूं तक नहीं रेंग रही है, फिर बोलने की आवश्यकता पड़ती है, वरना कहां बोलने की आवश्यकता है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कनकमलजी, बिराजें प्लीज।

श्री कनकमल कटारा : बांसवाड़ा जिले में अधिकतर यह कंडीशन हो रही है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट : पूरे के पूरे आदिवासी परिवार को बरबाद किया गया है, सारे की सारी लाशें पड़ी हुई हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नीचे बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : सरकार सोयी हुई है इसलिए हमें बड़े खेद के साथ में आपको यह बात कहनी पड़ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको इतना गम्भीर मानते हैं तो आप उठा लेते। आपको किसने रोका, आप उठा लेते।

श्री जीतमल खांट : यह तो बांसवाड़ा जिले का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो उठा लिया न इन्होंने, बात हो गयी। आप इतना अखबार बता रहे हो, इतना सीरियस था तो आप उठा लेते।

श्री जीतमल खांट : सरकार को कोई सुध नहीं है इसलिए हम यहां उठा रहे हैं। (व्यवधान) अगर सरकार ने इसकी जानकारी ली होती तो हमें यहां उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप तो पांच दिन विधान सभा की कार्यवाही और बढ़ा दो, हम भी लगा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप नीचे बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : सारी पोल खोल देंगे, जिस प्रकार से डकैतों के साये में जी रही है राजस्थान की जनता, आप समय तो दीजिये। विधान सभा को पांच दिन और बढ़ा दीजिये, फिर आपके मन की बात पूरी कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप नीचे बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मायावती ने इस्तीफा दे दिया है, आपके टंडनजी वहां गये हैं, उनसे हालात पूछिये क्या हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको तकलीफ होगी...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप तो विदेशी महिला के चुंगल में जाएं...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मामला बहुत गम्भीर है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ रहा हूं, गम्भीर है। मुझे आप कोई बोलने तो दो, I know it is serious.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है। हम सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो कोई बोलना ही नहीं देना चाहते हो, इस गम्भीर का कैसे करें? मैं मना कहां कर रहा हूं, मैं खुद ही मान रहा हूं कि गम्भीर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बोलिये, हम सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सबसे रिकवैस्ट कर रहा हूं। यह तो बोले ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, जैसे कोई फ्रंटियर मेल चल रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब रुक गये न, बोलिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं बिराजें आप, मामला गम्भीर है। मैं कोई व्यवस्था देना चाहता हूं, कोई सुनना ही नहीं चाहते

(श्री उपाध्यक्ष)

हो, What is this? आपने जो बात कही है उसकी सरकार से जानकारी करके जवाब दिलवाएंगे, और इसमें क्या हो सकता है?

श्री जीतमल खांट : आज देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : और नहीं तो क्या अगली बार देंगे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब सदन तो खतम हो जाएगा। सत्रावसान हो जाएगा।

श्री जीतमल खांट : एक महीना हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज ही जवाब दिलवाएंगे तो ही कोई मतलब है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप बेकार ही उत्तेजित हो रहे हैं। (व्यवधान) आज जवाब नहीं देंगे तो कब देंगे? यह मुझे नहीं मालूम है क्या कि आज लास्ट सत्र है? आप सबको मालूम है कि यह लास्ट सैशन है तो आज ही देंगे जवाब, और कब देंगे? यह तो तय है, इसमें क्या बात है। इसमें भी जोश खा रहे हो आप आज, आज, आज क्या होता है आज, आज ही देंगे जवाब, और कब देंगे? इसके बाद हाउस मीट ही नहीं करेगा तो कहां से दे देंगे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या बात है। यूं ही उत्तेजित हो रहे हैं, बोले जा रहे हो। कह रहा हूं कि दो मिनट रुके, सुने तो सही हमारी। सुनना ही नहीं चाहते। थोड़ा बहुत हाउस को आर्डर में आप लोग रखे, सहयोग कीजिये। आज आखिरी दिन है, अच्छा है शांति से सभी घर पधारे, ज्यादा अच्छा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शुभकामनाओं के साथ।

श्री उपाध्यक्ष : शुभकामनाएं तो उधर भी उतनी ही हैं, आपको भी उतनी ही हैं। इसी हिसाब से आ जाएं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, शुभकामनाएं उनको दे देना, आशीर्वाद हमें दे देना।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य। श्रीं नन्दलाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम आपके आशीर्वाद के साथ जाना चाहते हैं।

महुवा में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, 1998 में कांग्रेस सत्ता में आयी और कांग्रेस ने अपने चुनावी

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

घोषणा पत्र में यह कहा कि हम संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही शासन और प्रशासन देंगे। सरकार कितनी जवाबदेह है? माननीय हरिसिंहजी महुवा के क्षेत्र में केसरी का बास, 52 बीघा की ढाणी, बैरवा बस्ती में डकैतों द्वारा तीन बार जानलेवा हमला हुआ। परसादी लालजी मीणा, कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में एक एस.सी. के आदमी की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया, इस सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि एस.सी. की जमीन पर किसी ने भी कब्जा कर रखा है, हमारा प्रशासन कब्जा छुड़वाएगा। मुझे बड़े शर्म और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य के कैबिनेट मंत्री परसादी लालजी मीणा के क्षेत्र में ही एस.सी. के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है और न्यायालय की अवहेलना हो रही है। ए.डी.एम. के यहां जीत गया, रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जीत गया, उसके बाद यह सरकार आज तक शिड्यूल्ड कास्ट के आदमियों को कब्जा नहीं दिलवा सकी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा और क्या बात होगी?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : मायावती को तो सम्भालो। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मायावती आपको सम्भालेगी अब।

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले मायावती को तो सम्भालो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप अपने आपको सम्भालो पहले। तीन महीने बाद चुनाव है, जमानतें जब्त हो जाएंगी आप सबकी। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये मनुवादी है, आपको अपनी बात नहीं करने देंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कागज गायब हो गया मेरा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय राजेन्द्रजी, आप लपका गिरोह के सदस्य क्यों बन रहे हैं? हुल्लड ब्रिगेड के सदस्य तो बने लेकिन आप लपका गिरोह के सदस्य नहीं बनें। सुनिए आप, लपका गिरोह के सदस्य मत बनो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये मनुवादी हैं, मनुवादी आपकी बात नहीं सुनेंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हाल तो इस सरकार का हो गया कि इस राज के अन्दर कानून व्यवस्था बिलकुल चौपट हो गई। अभी मैं एक पर्चा पढ़ रहा था तो रिछपालजी को बड़ा दुःख हुआ कि आप जाटों की पैरवी क्यों कर रहे हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे स्वर्गीय नाथूरामजी के भतीजे हैं, इतने बड़े जाट नेता के भतीजे, वे अपनी जाति की रक्षा के लिए इस सदन में दो शब्द नहीं रख सकते, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? मुझे बड़ी मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि हमारे पास कोई जातीय भेदभाव

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

नहीं है। हम इस सदन के चुने हुए सदस्य हैं, हम कोई एक जाति के वोटों के पीछे जीतकर नहीं आये, हम सब जातियों के वोट लेकर इस सदन के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। हमारे सामने कोई समस्या आएगी तो इस सदन के माध्यम से हमें रखने का पूरा अधिकार है। मैंने आज रखी है और मैं दुबारा बात रखना चाहता हूं कि इस राज ने एस.सी., एस.टी. पर तो अत्याचार किए ही हैं, एम.एल.ए. पर भी अत्याचार हो रहे हैं अपने खुद के...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब्जैक्ट पर आओ, सब्जैक्ट पर।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सब्जैक्ट पर। अपने खुद के एम.एल.ए. को पिटवाने का शायद ठेका दे दिया।

एक माननीय सदस्य : आपके ऊपर भी अत्याचार हुए, मजबूर किया आपको।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इस राज ने अपने खुद के विधायकों को पिटवाने का शायद ठेका दे दिया। इस राज में शांति पहाड़ियाजी पिटीं, निर्भयलालजी पिटे, राजेन्द्र चौधरीजी पिटे, रूपारामजी डूडी पिटे और यशवन्त सिंह रामू, एम.एल.ए. के घर पर गुण्डे गये।

एक माननीय सदस्य : भाटी साहब का नाम भी तो लो, लिखा हुआ है, देवीसिंहजी भाटी का।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : रात को ढाई बजे उनके घर पर गये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कनकमलजी कटारा, बोलिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं बोल रहा हूं न, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं पर्ची पर ही तो बोल रहा हूं, आप मुझे अलाउ क्यों नहीं करते?

श्री उपाध्यक्ष : आप मर्जी आए जो बोल रहे हो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आज तो कम से कम मेहरबानी करो, अंतिम दिन है, +++ आज तो बोलने दो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आसन से निवेदन कर रहा हूं कि +++ आज तो अंतिम दिन है, बोलने दो मुझे आज तो।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने बिहेव को, यह डिबेट नहीं है, आप अपनी पर्ची पर बोलो, टू द पाइंट आप अपनी बात कह दो, कहना क्या चाहते हो। नहीं तो नैक्स्ट काल अपान करूं?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं पर्ची पर बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं वह तो सुनो आप। आप सुनो तो सही, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो फिर। बोलो-बोलो।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उनके घर पर रात को ढाई बजे, उनकी गैर मौजूदगी में गुण्डे घुस गये, उनके नौकर के साथ मारपीट की, उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की। इसका मामला दर्ज हुआ थाने के अन्दर। रात को घर में घुस कर अगर कोई मारपीट करता है तो धारा 456 बनती है। पुलिस ने 455 का मामला दर्ज कर लिया, वह सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि जो मारपीट करने आए थे उनमें एक राजस्थान पुलिस का सिपाही था। उस सिपाही का नाम है सुरेन्द्र सिंह और 455 का मामला इसलिए दर्ज किया कि वह निजी गनमैन है, आई.जी. मिस्टर चौहान का। एक नरेन्द्र थायपाल, आयुर्वेद चिकित्सक है। आपने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। और तो और, मैं आपको बताऊं, शायद इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा, मगर जो यहां सुन रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है। एम.पी. कुंवर नटवरसिंहजी का पोता, जो बहुत बड़े वरिष्ठ लीडर हैं, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य हैं, वह उनका पोता है। पूर्व डी.जी. शान्तनु कुमारजी का पोता है, उसके घर के अन्दर घुस कर अगर गुण्डे इस तरह से करेंगे तो आम जन का क्या हाल हो रहा होगा, इसका ज्ञान आपको नहीं है। इस सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी भी समय रहते सुधर जाओ, आपका समय तो समाप्त हो गया, बी.जे.पी. के तो 33 जीतकर आये थे, आप तो 30 भी जीत कर आने वाले नहीं हो, मैं आपको आगाह कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कनकमल कटारा। श्री कनकमलजी, प्लीज। कनकमलजी, बोलिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जिस किसी ने भी ऐसा कृत्य किया है, मैं आगाह कर रहा हूं कि उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करेंगे, मेरी सरकार से यह मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : कनकमलजी, बोलिए, नहीं तो बंद करता हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मुझे उम्मीद नहीं है कि यह सरकार कुछ कर पाएगी ज्यादा, क्योंकि सरकार को जो करना था वह कर लिया। मैं फिर भी मांग कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : श्री कनकमलजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मुझे कोई ठोस आश्वासन दे देना अभी, नहीं तो जनता, अभी तो आपके एम.एल.ए. पिट रहे हैं, इस कांग्रेस के एम.एल.ए. को जनता ठोकेगी जब आप क्षेत्र में जाएंगे। धन्यवाद, आपने टाइम दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची लगी थी, भिवाड़ी, टपूकड़ा, अलवर में सेल टैक्स की चोरी के सम्बन्ध में...।

(आसन द्वारा हाथ के इशारे से अंकित न करने के निर्देश)

श्री उपाध्यक्ष : श्री कनकमलजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पर्ची नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कनकमलजी, बोलो प्लीज। माननीय कटारिया साहब। आप बिराजिए प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : घोटाला अगली बार बताना, अगर आ जाओ हाउस में।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अगली बार आप हाउस में आ जाओ तो बताना, बिराजो। दिलावरजी, प्लीज। माननीय सदस्य, अब क्यों बहस कर रहे हो?

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : क्यों वातावरण खराब करना चाहते हो?

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो न आप। क्या फायद इससे, आप चाहते क्या हो? हाउस को चलाना चाहते हो या खतम करना चाहते हो?

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : चलने देना चाहते हो तो यह तरीका है? ऐसा नहीं चलेगा। अंकित तो हो नहीं रहा है, आपका अवसर आए तब बोलना।

अकाल राहत हेतु आबंटित गेहूं की कालाबाजारी

श्री कनकमल कटारा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मेरा आज का विषय है, केन्द्र सरकार द्वारा अकाल राहत के तहत मिलने वाले गेहूं की कालाबाजारी। अभी चित्तौड़ जिले में 70 हजार कट्टे यानी 70 ट्रक अकाल राहत का गेहूं पकड़े जाने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के सन्दर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 4 वर्षों में अकाल की विभीषिका को देखते हुए केन्द्र सरकार ने लाखों टन गेहूं राज्य सरकार को भेजा। यही नहीं, वह समय-समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी, राज्य सरकार की मदद करती रही। राजस्थान सरकार और जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर वाहवाही लूटने लगे कि हम यह व्यवस्था कर रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था है, प्रबन्ध अच्छा है। लेकिन सच्चाई में आपके सामने निवेदन करना

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कनकमल कटारा)

चाहता हूं कि वर्ष 1998–99 से अब तक केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार को 7442.77 करोड़ रुपए नकद उपलब्ध कराये गये। यह राशि वर्तमान सरकार के शासन में अब तक स्वीकृत की गई बजट राशि की तुलना में 42 प्रतिशत है। ऐसे ही वर्ष 2002–2003 के मई, 2003 तक राज्य सरकार ने 3133 करोड़ रुपए की नकद राशि एवं 31.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सहायता उपलब्ध कराई। 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं पशु आहार के रूप में दिलाया गया। मुफ्त चारा पानी ढोने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। फिर भी राज्य सरकार अकाल के प्रबन्धन को समुचित ढंग से नहीं कर पाई। फलस्वरूप कई सौ लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों मवेशी मर गये, किसानों ने आत्म हत्याएं कीं। राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत में श्रमिकों व बी.पी.एल. परिवारों के लिए गेहूं की व्यवस्था की गई, जिसके एक बहुत बड़े काण्ड का उदाहरण हमारे सामने है। इसको हमने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बताया और उसके पुख्ता प्रमाण सहित मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले में कालाबाजारी करते हुए सुवाणिया, पंचायत समिति गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ में यह प्रकरण दर्ज है। 70 ट्रक गेहूं बी.पी.एल. परिवारों, उन श्रमिकों के लिए था जो अकाल राहत में काम कर रहे थे। वह गेहूं कालाबाजारी के रूप में बाहर भेजा जा रहा था, एक गोदाम के अन्दर बंद था। उसका मुकदमा भी दर्ज किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कपासन (चित्तौड़गढ़) के एस.डी.एम. राज्य सरकार के एक मंत्री महोदय के छोटे भाई हैं जिनके क्षेत्र में श्रमिकों एवं बी.पी.एल. परिवारों हेतु आबंटित 480 बोरी गेहूं वितरण हेतु भेजा गया, परन्तु वहां पर इसको बांटा नहीं गया। वहां कहीं निजी डीलर के परिसर में 240 गेहूं की बोरियां पाई गई, कालाबाजारी करते हुए ट्रक को पकड़ा गया। यही नहीं, एक नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जब्त कर उसकी कार्यवाही भी की है और मुकदमा भी दर्ज किया। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे दिनांक 1.4.2003 को मनोहर लाल, सब इंस्पेक्टर ने पंचायत समिति कामां (भरतपुर) में भी 410 बोरी, गरीब 200 क्विंटल गेहूं के एक ट्रक को कालाबाजारी के लिए ले जाते हुए पकड़ कर एफ.आई.आर. दर्ज करायी। अकाल राहत के अन्तर्गत, हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहां पर श्रमिकों को जहां पर गेहूं पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए था, वहां नहीं दिया। डूंगरपुर में भी एक प्रकरण दर्ज है। गुजरात प्रांत में भी कालाबाजारी के रूप में गेहूं ले जाते हुए प्रकरण दर्ज है। यही नहीं, उस गेहूं को आधार मानकर अकाल राहत

(श्री कनकमल कटारा)

के मद में जो श्रमिक काम कर रहे थे, उनके साथ भेदभाव बरता गया, राजनीतिकरण भी किया गया। मस्टररोल में नाम दर्ज करने के लिए वहां के सत्ताधारी लोगों ने उनके साथ में पक्षपात किया। इस प्रकार से कई ऐसे मामले दर्ज हैं फिर भी सरकार इसकी ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं कर पाई। व्यवस्था करने के लिए सरकार ने वादे किये थे, परन्तु समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई, यह बड़े खेद का विषय रहा है।

यही नहीं, अभी-अभी कई पत्र-पत्रिकाओं में देखा होगा, राशन डीलर के गोदाम में 5 हजार क्विंटल बरामद, राशन डीलर के गोदाम में 1100 क्विंटल गेहूं बरामद, ऐसे ही कई प्रकरण इसके अन्दर दर्ज हैं। एक प्रकरण और सामने आया। अकाल राहत के अलावा आल इंडिया युवक कांग्रेस (ई), नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये गेहूं का जिलों में वितरण किया गया। 11 जिलों में 45 ट्रक गेहूं आया जिसके 1,55,100 रुपये अग्रिम पेटे दिये गये। जितनी गेहूं की कीमत नहीं थी उससे ज्यादा भाड़ा-किराया हो गया, यह परिस्थिति है। उस गेहूं का वितरण कैसे किया? हमारे क्षेत्र में एक आरागाह पंचायत है, वहां पर स्पेशली सरकार के प्रतिनिधि, जन-प्रतिनिधि और कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे और रात को गेहूं वितरित किया, अपने-अपने समर्थित लोगों को वहां पर देने का काम किया। इस प्रकार से इस गेहूं का दुरुपयोग किया है और आप कह रहे हैं हमारी व्यवस्था अच्छी है, हमारी व्यवस्था ठीक ढंग से है, हमने बहुत अच्छी तरह से गेहूं का वितरण किया है। इस प्रकार से कालाबाजारी में गेहूं भेजा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री कनकमल कटारा : इस प्रकार इसमें अव्यवस्था की है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) ग्राम पंचायत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में अकाल राहत कार्य का 60 लाख रुपये का काम ट्रैक्टर से, जे.सी.बी. मशीन से कराकर किस प्रकार का षड्यंत्र किया है, सारा अकाल का पैसा हड़प लिया है और जांचकर्ता गये तो उन पर हमला कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावजी।

श्री मदन दिलावर : और जांच रुकवा दी। जो गेहूं सरकार ने पकड़ा, अधिकारी ने पकड़ा वो अकाल राहत का था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : वित्त मंत्रीजी, अकाल राहत में मशीन की इजाजत नहीं

(श्री सांवर लाल)

होती है, लेकिन मशीन से करवाया गया। (व्यवधान) भारत सरकार तो पैसा देती है लोगों को पालन के लिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी। बैठिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर में जे.सी.बी. से काम करवाया गया। वित्त मंत्रीजी, भारत सरकार की गाइडलाइंस की अवहेलना करके काम करवाया गया।

श्री मदन दिलावर : जे.सी.बी. से काम करवाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, आप बोलना चाहते हो या नहीं? (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : उनको मजदूरी नहीं दी गई, बिल बनाकर पैसा उठा लिया।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : मजदूरी लोगों को देनी चाहिए, वह नहीं दी।

श्री मदन दिलावर : यह है, आप कहो तो सदन के पटल पर रख देता हूं। जे.सी.बी. मशीन से काम करवाया गया है, यह प्रमाण है...

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखी जाने वाली अधिसूचनाएं। (व्यवधान) माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : मजदूरी का तो सरकार पैसा नहीं दे रही है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप कहो तो सदन के पटल पर रख देता हूं कागज।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हो या मैं सदन की मेज पर अधिसूचनाएं रखवाऊं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप अनुमति दीजिए। (व्यवधान) इनके काले कारनामों (व्यवधान)

श्री रमजान खान : उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरी नहीं मिल रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए प्लीज।

फसल बीमा और इनपुट सब्सिडी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक-लुभावनी, आधारहीन और वोट ठगने के लिए थोथी घोषणा करना और घोषणा को अमलीजामा नहीं पहनाना इस प्रकार की पुरानी आदत है। वह घोषणा चाहे चुनाव घोषणा-पत्र के माध्यम से राजस्थान के आम-अवाम से की गई हो, चाहे बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्रीजी ने सदन में की हो, चाहे महामहिम राज्यपाल के मुख से कहलवाई हो, घोषणा का अंबार लगा देना और घोषणाओं के माध्यम से वोट ठगने के प्रयास करना इस सरकार की आदत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र, जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अक्टूबर, 1998 में इन्होंने जारी किया, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब 2003 का देखना, इसको तो बंद करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसके पृष्ठ 18 में इन्होंने कहा कि कृषि को हम उद्योग का दर्जा देंगे, फसल बीमा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्राकृतिक आपदा से किसान को उचित मुआवजा दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, इसी सदन के अन्दर दर्जनों बार हमने मांग की कि किसान की फसल का बीमा करो। हिन्दुस्तान के अन्दर 19 सूबों में फसल बीमा योजना लागू हो गई। हमने जब भी यहां मांग की, सरकार की तरफ से उत्तर आया कि हम 80 फीसदी बीमा प्रीमियम केन्द्र से चाहते हैं, 20 फीसदी हम देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए केन्द्र सरकार ने जो इसके लिए निर्देश जारी किये पूरे हिन्दुस्तान में, उन निर्देशों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। पूरे हिन्दुस्तान में उन्होंने कहा, 50 फीसदी पैसा राज्य सरकार दे, 50 फीसदी पैसा केन्द्र सरकार दे और फसल बीमा योजना लागू हो। इसके पश्चात्, उपाध्यक्ष महोदय, इस हिन्दुस्तान के अन्दर एक चमत्कारी घटना हुई। पहली बार हिन्दुस्तान की धरती पर एक ऐसी नेत्री ने राजस्थान की धरती को नाप दिया, 105 दिन की यात्रा के माध्यम से राजस्थान के किसान को जब वसुंधराजी ने जगा दिया तब इस सरकार को यह लगा कि अब राजस्थान का किसान उसके असली चेहरे को पहचान चुका है, तब इन्होंने चिन्तन शिविर किया। चिन्तन शिविर के माध्यम से इन्होंने एक घोषणा की 5 और 6 जून को, वह घोषणा मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इन्होंने कहा, सिर्फ खरीफ की फसल, सिर्फ खरीफ की मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ग्वार और कपास की फसलों का फसल बीमा लागू करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ इस बात की है, मैं वो गजट लेकर आया हूं, यह सरकार का गजट है, यह 24 जुलाई का गजट है, आप कहो तो मैं इसके नम्बर पढ़ूं, इसके अन्दर बैकों द्वारा कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2003 या फसल की बुवाई तिथि से लेकर एक माह, जो भी कम हो, वह निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि 31 जुलाई तक जो किसान फसल बीमा कराना चाहता है उसके प्रस्ताव सम्बन्धित बैंकों के पास पहुंच जाने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, कैसी विडम्बना है, राजस्थान के किसान के साथ कितना बड़ा अन्याय है। 28 लाख किसानों का मामला है, यह अधिसूचना जारी होती है 24 को और 31 को कहते हैं अंतिम तिथि है। 7 दिन के अन्दर राजस्थान का किसान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अपनी खतौनी भी लाएगा, राजस्थान का किसान पटवारी से रिपोर्ट भी ले आएगा और उसके पश्चात् ये कहते हैं कि हम प्रीमियम में 20 फीसदी पैसा देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह जो ऋणी कृषक हैं इनके लिए इन्होंने लिखा, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा निश्चित क्षेत्रवार एक विवरण बीमा शुल्क सहित तैयार कर आगामी माह की 15 तारीख तक शीर्ष शाखा में प्रस्तुत हो जाना चाहिए। यह मैं खुद नहीं कह रहा हूं, यह इनकी सरकार का जो गजट है वह कह रहा है, यानी जिन्होंने ऋण लिया उनको इन्होंने समय दिया। 21 दिन का और गैर ऋणी हैं उनको सात दिन का अब सात दिन के अन्दर राजस्थान का किसान फसल बीमा योजना का लाभ कैसे ले सकता है, यह मेरी समझ से बाहर है, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान के साथ इस सरकार ने धोखा किया है।

यही बात नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान के किसान की 16 हजार करोड़ की फसल नष्ट हो गयी, केन्द्र सरकार ने इनको इनपुट सब्सिडी दी। राजस्थान के मार्जिनल किसान की जो फसल नष्ट हो गई उसके लिए केन्द्र सरकार ने 155.68 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को दिये, एन.सी.सी.एफ. में दिये। इनको राजस्थान के किसान को पैसा देना चाहिए था। 107 करोड़ की 16.11.2002 को केन्द्र सरकार ने स्वीकृति जारी की, 115 करोड़ की 18.6.2003 को जारी की, 155 करोड़ की 18.12.2002 को जारी की, यानी 378 करोड़ रुपये जिनकी फसल भी नष्ट हो गई, 16 हजार करोड़ की फसल नष्ट हो गई, उनको बांटने के लिए राजस्थान सरकार को दिये। उस आदेश की प्रति भी मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। यह आदेश 8 जनवरी, 2003 का "...on account of payment grant-in-aid to the Stage Government from the National Calamity Contingency Fund." और इसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, कुल 317 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी हुई है और उसमें राजस्थान को मिले हैं 155 करोड़। पैसा मिल गया जनवरी में और पैसा बंट रहा है अब। मैं समझता हूं, राजस्थान का किसान जिस वक्त उसको बीज खरीदना था, जिस वक्त उसको खाद खरीदना था, उस वक्त राजस्थान के किसान को पैसा नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, ये स्वीकृति के कागज मेरे पास हैं, राजस्थान के किसान को फसल बीमा योजना लागू करने के बहाने से सात दिन का समय देते हैं। राजस्थान के किसान के साथ अन्याय करते हैं, 28 लाख किसानों का मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन का अन्तिम दिन है और आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जैसे किसान पुत्र इस आसन पर बैठे हैं, हमको सरकार से जवाब चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। जो पैसा कैलेमिटी का आया,...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सवाल सरकार में बैठे लोगों से हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावरजी, आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : किसानों की बात हो रही है और पेट में मरोड़ चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। माननीय राठौड़ साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कैलेमिटी का पैसा है वह काश्तकारों को नहीं बंटा क्या?

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पैसा आया जनवरी में और अब बांट रहे हैं आज की तारीख में, और कोई भी एलिजिबल काश्तकार है उसको पैसा नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : फर्जी तरीके से बंट रहा है और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, वह बोल रहे हैं न? (व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हैं, यह बोल रहे हैं न?

श्री सांवर लाल : हम भी तो जानकारी रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनका सब्जैक्ट है, ये बोल रहे हैं न, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो सवाल खड़ा किया, मैं समझता हूं कि किसान का दर्द आपके मन में है इसलिए आपसे यह सवाल खड़ा किया। मेरा सवाल यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह पैसा 8 जनवरी, 2003 को आया और बंट रहा है अब। उसमें जो धांधली हो रही है, वह अलग बात है। इसके अलावा पैसा दिया केन्द्र सरकार ने 16.11.2003 को, उसका अब तक पता नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय राठौड़ साहब, आप बात सही कह रहे हो, जरा तसल्ली से कह दें तो सब के समझ में तो आवे, इतना गुस्से में क्यों हो रहे हो?

श्री मदन दिलावर : यहां मरोड़ चल रही है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी बात सब सुनें, हम भी सुनें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनके दर्द बाकी नहीं है। (व्यवधान) आपको तो किसान का दर्द मालूम नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : जरा सहजता से कह दें।

श्री मदन दिलावर : किसान की बात होती है तो पेट दुखता है, मरोड़ चलती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मायावती के जाने पर गुस्सा क्यों हो रहे हो?

श्री मदन दिलावर : वह तो आपकी करनी थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : मायावती ने धोखा किया, गुस्सा यहां हम पर क्यों उतार रहे हो आप?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपकी तो समझदानी छोटी है, आजाद साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की संवेदनशील सरकार के उप मुख्य मंत्री, आप दो दो उप मुख्य मंत्री बिराज रहे हैं, मेरा सवाल आपसे इतना ही है, यह जो गजट नोटिफिकेशन आपने जारी किया फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में, इस गजट नोटिफिकेशन में आपने जो खुद ने लिखा है कि 31 जुलाई तक कृषकों के प्रस्ताव बैंकों के पास चले जाने चाहिए, यह कैसे संभव हो सकता है? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है सरकार पर कि जो 28 लाख किसान इस परिधि में आते हैं, राजस्थान का दो फीसदी किसान भी फसल बीमा योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। दूसरा, हिन्दुस्तान की सरकार ने जो इनपुट सब्सिडी का पैसा जनवरी में दिया, वह पैसा सरकार ने अब तक नहीं बांटा। यह असली किसान-विरोधी चेहरा इस सरकार का सामने आ रहा है इसीलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, यह सरकार का भी अन्तिम दिन है, इसके बाद यह सरकार भी नहीं आएगी, राजस्थान का किसान इस सरकार को जलाकर भस्म कर देगा। परन्तु हमें उत्तर चाहिए इन दोनों चीजों का कि फसल बीमा के नाम पर किसान के साथ खिलवाड़ हुआ और राजस्थान में इनपुट सब्सिडी के नाम पर राजस्थान सरकार ने नाइन्साफी की है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा।

श्री सांवर लाल : बहुत गम्भीर मामला है, उपाध्यक्ष महोदय। आप इस मामले में सरकार क्या कहना चाहती है, यह कहलवाएं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

परिवहन विभाग

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार मैं परिवहन विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या एफ. 6(96)परि/कर/मु/1/2002 दिनांक 28.2.2003

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कतिपय वाहनों को राजीव गांधी प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन द्वारा पिछड़ी व्यक्तियों एवं घुमन्तु बालक-बालिकाओं के लिए चल विद्यालय के कार्य हेतु उपयोग में लिये जाने हेतु सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है।

2. अधिसूचना संख्या एफ. 7(137)परि/नियम/मु/94 दिनांक 13.3.2003 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या एफ. 6(260)परि/कर/ मु/ 2002 /II- पार्ट दिनांक 31.3.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 6(260)परि/कर/मु/2002/IIपार्ट दिनांक 13.3.2003 में संशोधन किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या एफ. 7(29)परि/नियम/मु/II- पार्ट दिनांक 1.5.2003 जिसके द्वारा नागरिक सुरक्षा एवं महासमादेष्टा गृह सुरक्षा की 2 अग्निशमन वाहनों का चेसिस क्रय दिनांक से पंजीयन होने की अवधि तक देय अस्थायी पंजीयन शुल्क का परिहार किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या एफ. 6(96)परि/कर/मु/तिलो/ दिनांक 1.5.2003 जिसके द्वारा वाहन संख्या आर.जे.-14-1 पी-2412 डबल डेकर वाहन को देय मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर में 5 वर्ष की अवधि के लिए सशर्त छूट प्रदान की गई है।

6. अधिसूचना संख्या एफ. 6(96)परि/कर/ मु/III/2001 दिनांक 7.8.2003 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अन्तर्गत कतिपय मंजिली वाहनों हेतु सशर्त कर की दर निर्धारित की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला।

राजस्व विभाग

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 10 अधिसूचनाएं सदन की मेज़ पर रखती हूं :-

1. अधिसूचना संख्या एफ. 6(30)रेवे-6/2002/6 दिनांक 22.2.2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि का आबंटन) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या एफ. 11(1)रेवे-6/2000/8 दिनांक 28.2.2003 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

(डा.(श्रीमती)कमला)

3. अधिसूचना संख्या एफ़. 6(63)रेवे-6/2001/9 दिनांक 28.2.2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई के प्रयोजन के लिए कुएं खोदने और पम्पिंग सैट लगाने के लिए भूमि का आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या एफ. 6(54)रेवे-6/2001/10 दिनांक 5.3.2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि भूमि में संपरिवर्तन) नियम, 1961 में संशोधन किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या एफ. 6(54)रेवे-6/2001/11 दिनांक 5.3.2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ईंट भट्टा निर्माण हेतु भूमि का आबंटन एवं संपरिवर्तन) नियम, 1987 में संशोधन किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या एफ. 6(54)रेवे-6/2001/12 दिनांक 5.3.2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (चूना भट्टा हेतु अप्राधिकृत सरकारी भूमि का आबंटन) नियम, 1965 में संशोधन किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या एफ. 6(6)रेवे-6/94 पार्ट/13 दिनांक 22.2.2003 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या एफ. 10(6)रेवे-6/98/16 दिनांक 2.7.2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या एफ. 5(21)रेवे-4/80पार्ट/18 दिनांक 25.7.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 5 (21) रेवे-4/80/35 दिनांक 4.9.1982 में संशोधन किया गया है।

10. अधिसूचना संख्या एफ. 6(5)रेवे-6/2001/19 दिनांक 29.7.2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि भूमि में संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

वित्त विभाग

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 62 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या प. 8(14)वित्त/कर/मु/1999-2000 दिनांक 10.4.2003 जिसके द्वारा राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उदयपुर को वर्ष 1996-97 तक की कर देयता राशि पर 50 प्रतिशत कर राशि दिनांक 30.4.2003 तक जमा कराये जाने पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में छूट प्रदान की गई है।

2. अधिसूचना संख्या प. 10(7)वित्त/कर/98 दैनिक भास्कर द्वारा दिनांक 17.4.2003 जिसके द्वारा दिनांक 19 से 25 अप्रैल, 2003 आयोजित फिल्मोत्सव को कर मुक्त किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/मु/ 03-22 दिनांक 22.4.2003 जिसके द्वारा 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को लाइट डीजल आयल, हाई स्पीड डीजल व फरनेस आयल पर प्रवेश कर में छूट दी गई है।

4. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/03-23 दिनांक 22.4.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(4) वित्त/कर/03-210 दिनांक 5.3.2003 में संशोधन किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/03-24 दिनांक 22.4.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(4) वित्त/कर/03-221 दिनांक 5.3.2003 में संशोधन किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/03-25 दिनांक 22.4.2003 जिसके अधिसूचना संख्या प.4(4) वित्त/कर/03-222 दिनांक 5.3.2003 में संशोधन किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/98/03-26 दिनांक 22.4.2003 जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं के प्रवेश पर कर में छूट दी गई है।

8. अधिसूचना संख्या प. 8(2)वित्त/कर/03-27 दिनांक 22.4.2003 जिसके द्वारा इंस्ट्रूमेंटेशन लि. (बी.आई.एफ. आर. यूनिट) को सशर्त भूमि एवं भवन कर में छूट दी गई है।

9. अधिसूचना संख्या प. 2(1)वित्त/कर/01-28 दिनांक 23.4.2003 जिसके द्वारा किसान छात्रावास, बीकानेर द्वारा छात्रावास निर्माण के लिए क्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर में छूट दी गई है।

10. अधिसूचना संख्या प. 4(6)वित्त/कर/03 पार्ट-29 दिनांक 28.4.2003 जिसके द्वारा मै. अशोका मेटलडेकोर प्राइवेट लिमिटेड, नीमराना को केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत छूट दी गई है।

11. अधिसूचना संख्या प. 4(6)वित्त/कर/03-30 दिनांक 28.4.2003 जिसके द्वारा मै. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को विक्रय कर प्रोत्साहन योजना, 1989 के तहत विक्रय कर में छूट दी गई है।

12. अधिसूचना संख्या प. 4(6)वित्त/कर/03 पार्ट–31 दिनांक 28.4.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (55) वित्त/कर/95–268 दिनांक 24.1.2000 में संशोधन किया गया है।

13. अधिसूचना संख्या प. 4(6)वित्त/कर/03–30 दिनांक 28.4.2003 जिसके द्वारा मै. अग्रवाल मेटल वर्क्स प्रा. लिमिटेड, नीमराना को विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

14. अधिसूचना संख्या प. 4(6)वित्त/कर/03–30 दिनांक 28.4.2003 जिसके द्वारा मै. अग्रवाल मेटल वर्क्स प्रा. लिमिटेड, नीमराना को मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

15. अधिसूचना संख्या प. 4(43)वित्त/कर/02–34 दिनांक 29.4.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (43) वित्त/कर/02–141 दिनांक 3.1.2003 में संशोधन किया गया है।

16. अधिसूचना संख्या प. 2(1)वित्त/कर/94–35 दिनांक 1.5.2003 जिसके द्वारा धौलपुर पावर प्रोजेक्ट की सम्पत्ति मै. आर.पी.जी. से आर. आर. वी. यू.एन. को हस्तान्तरण से सम्बन्धित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है।

17. अधिसूचना संख्या प. 4(10)वित्त/कर/02–36 दिनांक 1.5.2003 जिसके द्वारा रूग्ण इकाइयों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन विक्रय कर में छूट दी गई है।

18. अधिसूचना संख्या प. 4(12)वित्त/कर/01–37 दिनांक 1.5.2003 जिसके द्वारा पेट्रोल, डीजल, सुपर केरोसीन तेल, तरल पेट्रोलियम गैस आदि मदों पर टर्न ओवर टैक्स की दर निर्धारित की गई है।

19. अधिसूचना संख्या प. 4(12)वित्त/कर/01–38 दिनांक 1.5.2003 जिसके द्वारा पेट्रोल, डीजल, सुपर केरोसीन तेल, तरल पेट्रोलियम गैस आदि मदों पर टर्न ओवर टैक्स से सशर्त मुक्त किया गया है।

20. अधिसूचना संख्या प. 4(26)वित्त/कर/01–39 दिनांक 1.5.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4(30) वित्त/कर/02–167 दिनांक 22.3.2002 में संशोधन किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

21. अधिसूचना संख्या प. 4(26)वित्त/कर/94-40 दिनांक 9.5.2003 जिसके द्वारा बुलियन को सरचार्ज व टर्न ओवर टैक्स से तुरन्त प्रभाव से कर मुक्त किया गया है।

22. अधिसूचना संख्या प. 10(16)वित्त/कर/02-41 दिनांक 2.5.2003 जिसके द्वारा हिन्दी फीचर फिल्म ग्लेडियर के एक शो दिनांक 11.5.2003 को आयोजित को मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है।

23. अधिसूचना संख्या प. 4 (4)वित्त/कर/03-42 दिनांक 19.5.2003 जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं के माल पर सशर्त प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है।

24. अधिसूचना संख्या प. 10(42)वित्त/कर/93-43 दिनांक 22.5.2003 जिसके द्वारा दैनिक भास्कर संस्करण, जोधपुर द्वारा आयोजित बाल फिल्मोत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है।

25. अधिसूचना संख्या प. 4(38)वित्त/कर/2000-44 दिनांक 22.5.2003 जिसके द्वारा साबुन, ईंट, कोटा स्टोन मार्बल एवं सेंड स्टोन को छोड़कर, खादी ग्रामोद्योग आयोग/राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्य संस्थाओं, सहकारी समितियों एवं व्यक्तियों द्वारा उत्पादित माल को निर्धारित सीमा तक कर मुक्त किया गया है।

26. अधिसूचना संख्या प. 2(26)वित्त/कर/98-45 दिनांक 22.5.2003 जिसके द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय निकाय द्वारा निष्पादित दस्तावेजों पर मुद्रांक कर की छूट बाजार मूल्य के स्थान पर प्रतिफल राशि, ब्याज, शास्ति के रूप में संदत्त राशि पर प्रभारित किया गया है।

27. अधिसूचना संख्या प. 8(5)वित्त/कर/03-46 दिनांक 26.5.2003 जिसके द्वारा जन उपयोगी भवन संस्थान, शास्त्री नगर, जयपुर स्थित भूमि एवं भवन को भूमि एवं भवन कर से छूट प्रदान की गई है।

28. अधिसूचना संख्या प. 4(6)वित्त/कर/03 पार्ट-47 दिनांक 29.5.2003 जिसके द्वारा मै. मंगलम सीमेंट को राज. विक्रय कर अधिनियम व केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत 75 प्रतिशत कर राशि में छूट प्रदान की गई है।

29. अधिसूचना संख्या प. 4(23)वित्त/कर/97-48 दिनांक 10.6.2003 जिसके द्वारा इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया को उनके द्वारा राज्य से अन्तरराष्ट्रीय

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उडानों हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले एवियेशन टरबाइन फ्यूल पर देय कर से 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 31.3.2004 तक प्रदान की गई है।

30. अधिसूचना संख्या प. 2(1)वित्त/कर/01-49 दिनांक 10.6.2003 जिसके द्वारा वर्ल्ड रिन्यूवल स्प्रीचुअल ट्रस्ट, अजमेर द्वारा दानस्वरूप दी गई भूमि के दस्तावेज पर देय पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

31. अधिसूचना संख्या प. 2(1)वित्त/कर/95-50 दिनांक 11.6.2003जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के 120 करोड़ रुपये के अपरिवर्तनीय बंध पत्रों पर मुद्रांक कर में रियायत दी गई है।

32. अधिसूचना संख्या प. 10(47)वित्त/कर/93-51 दिनांक 12.6.2003जिसके द्वारा दैनिक भास्कर संस्करण, उदयपुर द्वारा आयोजित बाल फिल्मोत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्म-7 को मनोरंजन कर से छूट दी गई है।

33. अधिसूचना संख्या प. 10(47)वित्त/कर/93-52 दिनांक 13.6.2003 जिसके द्वारा दैनिक भास्कर संस्करण कोटा, भीलवाड़ा द्वारा आयोजित बाल फिल्मोत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्म-7 को मनोरंजन कर से छूट दी गई है।

34. अधिसूचना संख्या प. 4(38)वित्त/कर/01-53 दिनांक 13.6.2003 जिसके द्वारा यूनाइटेड नेशन्स इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट आर्गेनाइजेशन द्वारा अपने कार्यों के लिए राज्य में की जाने वाली खरीद को कर मुक्त किया गया है।

35. अधिसूचना संख्या प. 4(6)वित्त/कर/03-54 दिनांक 17.6.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (6) वित्त/कर/03-पार्ट-33 दिनांक 28.4.2003 में संशोधन किया गया है।

36. अधिसूचना संख्या प. 4(18)वित्त/कर/2000-55 दिनांक 18.6.2003 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गैराज, जयपुर द्वारा वाहनों की नीलामी के द्वारा प्राप्त राशि पर वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 पर देय पर्ण्यावर्त कर से छूट प्रदान की गई है।

37. अधिसूचना संख्या प. 2(6)वित्त/कर/03-56 दिनांक 21.6.2003 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों तथा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा काश्तकारों से ली जाने वाली भूमि के बदले आबंटित 15 प्रतिशत भूमि पर देय मुद्रांक कर के सम्बन्ध में

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आदेश जारी किये गये हैं।

38. अधिसूचना संख्या प. 10(47)वित्त/कर/93–57 दिनांक 21.6.2003 जिसके द्वारा राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा बाल फिल्मोत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है।

39. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/03–पार्ट–58 दिनांक 24.6.2003 जिसके द्वारा भारतीय रेल द्वारा क्रय किये जाने वाले एच.एस.डी. पर कर की दर चार प्रतिशत निर्धारित की गई है।

40. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/99–पार्ट–59 दिनांक 28.6.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (30) वित्त/कर/02–167 दिनांक 22.3.2003 में संशोधन किया गया है।

41. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/99–पार्ट–60 दिनांक 28.6.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (30) वित्त/कर/02–143 दिनांक 22.3.2003 में संशोधन किया गया है।

42. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/99–पार्ट–61 दिनांक 28.6.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–265 दिनांक 20.1.2000 में संशोधन किया गया है।

43. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/99–पार्ट–62 दिनांक 28.6.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–261 दिनांक 15.1.2000 में संशोधन किया गया है।

44. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/99–पार्ट–63 दिनांक 28.6.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (25) वित्त/कर/94–334 दिनांक 3.4.2001 में संशोधन किया गया है।

45. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/99–पार्ट–64 दिनांक 28.6.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (12) वित्त/कर/2001–42 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

46. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/99–पार्ट–65 दिनांक 28.6.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99–227 दिनांक 7.5.1999 में संशोधन किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

47. अधिसूचना संख्या प. 4(4)वित्त/कर/99-पार्ट-66 दिनांक 28.6.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (4) वित्त/कर/99-221 दिनांक 30.4.1999 में संशोधन किया गया है।

48. अधिसूचना संख्या प. 2(18)वित्त/कर/96-97 दिनांक 28.6.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 2 (18) वित्त/ कर/ 96 दिनांक 10.5.2001 में संशोधन किया गया है।

49. अधिसूचना संख्या प. 2(26)वित्त/कर/98-पार्ट-68 दिनांक 28.6.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 2 (26) वित्त/कर/98-104 दिनांक 6.9.2002 में संशोधन किया गया है।

50. अधिसूचना संख्या प. 4(23)वित्त/कर/97-69 दिनांक 3.7.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (14) वित्त/कर/98-37 दिनांक 9.7.1998 में संशोधन किया गया है।

51. अधिसूचना संख्या प. 5(1)वित्त/कर/95-70 दिनांक 21.7.2003 जिसके द्वारा आर.एच.जे.एस. को राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर का सदस्य तीन वर्ष या अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।

52. अधिसूचना संख्या प. 2(5)वित्त/कर/87-71 दिनांक 27.7.2003 जिसके द्वारा आर.एफ.सी./रीको द्वारा अधिनियम-29 के अन्तर्गत अधिकृत औद्योगिकी इकाइयों के मुद्रांक कर में छूट प्रदान की गई है।

53. अधिसूचना संख्या प. 4(18)वित्त/कर/01-72 दिनांक 28.7.2003 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के तहत योग्य घोषित होटल एवं बासों को उक्त योजना के अन्तर्गत आदेशित दिनांक से सात वर्ष के लिए राजस्थान विलासिता कर (होटलों एवं बासों पर) अधिनियम के तहत छूट दी गई है।

54. अधिसूचना संख्या प. 4(18)वित्त/कर/01-73 दिनांक 28.7.2003 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के तहत योग्य घोषित इकाइयों को उनके द्वारा देय विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट उक्त योजना के अन्तर्गत आदेशित दिनांक से 7 वर्ष के लिए दी गई है।

55. अधिसूचना संख्या प. 4(18)वित्त/कर/01-74 दिनांक 28.7.2003 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के तहत स्थापित इकाइयों द्वारा क्रय/लीज पर ली गई भूमि पर देय मुद्रांक शुल्क में 50

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्रतिशत की कटौती की छूट दी गई है।

56. अधिसूचना संख्या प. 4(18)वित्त/ कर/01-75 दिनांक 28.7.2003 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के तहत योग्य इकाइयों को उक्त योजना के अन्तर्गत आदेशित दिनांक से 7 वर्ष तक मनोरंजन कर से 50 प्रतिशत तक छूट दी गई है।

57. अधिसूचना संख्या प. 2(24)वित्त/ कर/ 96-76 दिनांक 29.7.2003 जिसके द्वारा भारतीय जीवन बीमा के संभागीय मुख्यालयों द्वारा जारी जीवन बीमा पालिसियों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की एडवांस राशि समेकित रूप से प्रथम तिमाही के अनुरूप चालू शेष वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन सम्बन्धित कोषालयों में जमा करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

58. अधिसूचना संख्या प. 2(12)वित्त/ कर/02-77 दिनांक 29.7.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 2 (8) वित्त/ कर/ 96 दिनांक 14.3.1997 में संशोधन किया गया है।

59. अधिसूचना संख्या प. 2(11)वित्त/ कर/03-78 दिनांक 29.7.2003 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

60. अधिसूचना संख्या प. 2(11)वित्त/ कर/03-79 दिनांक 29.7.2003 जिसके द्वारा मुद्रांक प्रकरणों में स्टाम्प शुल्क मुद्रांक शुल्क बाबत विशेष राहत योजना जारी की गई है।

61. अधिसूचना संख्या प. 5(1)वित्त/ कर/02-80 दिनांक 31.7.2003 जिसके द्वारा राजस्थान सेटलमेंट बोर्ड का गठन किया गया है।

62. अधिसूचना संख्या प. 10(16)वित्त/ कर/02-81 दिनांक 31.7.2003 जिसके द्वारा फीचर फिल्म स्टाइल के एक शो (प्रात: 9.00 बजे से परांह 12.00 तक) को मनोरंजन कर से छूट दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम नारायण चौधरी। श्री रामसिंहजी विश्नोई।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002

श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 के चेप्टर 9 की धारा 32(4) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का प्रथम प्रतिवेदन व लेखे 2000-2001

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उप धारा 3(बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 2000-2001 (19.6.2000 से 31.3.2001) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पैरा टीचर का जवाब कब दिलवाएंगे आप?

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधव सिंह दीवान।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा किस ढंग से लागू की, विशेष कर उदयपुर सम्भांग में, सोयाबीन है उसका कुछ नहीं, न किसी किसान ने अब तक अपना बीमा कराया। एक भी किसान को बीमा कराने का मौका नहीं दिया। कागजों में करके फसल बीमा के नाम पर सरकार राजस्थान के किसान को ठगना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : महादेव सिंहजी, आप करो फिर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और इतना कहने के बाद भी सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री उठकर, दो-दो उप मुख्य मंत्री यहां बैठे हैं, फसल बीमा पर एक शब्द कोई बोलने को तैयार नहीं है तो किसान फिर कहां जाय?

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन 'क' समिति (संख्या 33 से 35)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति "क", 2003-2004 के 3 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

(1) खनिज एवं भूगर्भ विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "क", 2003-2004 का 33 वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "क", 2003-2004 का 34 वां प्रतिवेदन।

(3) पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "क", 2003-2004 का 35 वां प्रतिवेदन।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर यह सरकार इतनी एडामेंट है कि किसान के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहती तो मैं और मेरा दल इनपुट सब्सिडी के बारे में सदन को बताना चाहते हैं... (व्यवधान) सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको तो वाक-आउट की हैट्रिक करनी थी जो आपने आज कर ली।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसारामजी चौधरी। डा. श्रीमती कमला।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्षजी, आप वह पैराटीचर वाला जवाब कब दिलवाएंगे?

डा. (**श्रीमती**) **कमला** (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाय। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बहिगर्मन कर रहे हो।

याचिका का उपस्थापन

फलाद-राणावास-आउवा पेयजल योजना

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : एक मिनट बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फलाद-राणावास-आउवा पेयजल योजना क्रियान्विति बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

आपत्ति

प्रक्रिया विधेयक (Procedural Act) अधिष्ठायी विधेयक (Substantive Act) के पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रारम्भिक आपत्ति आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। यह राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अब विचारार्थ लिया जाएगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बिन्दुओं पर निवेदन करना चाहता हूं। एक तो राजस्थान टिनेंसी बिल विगत सत्र के अन्दर आया था और उसको सलैक्ट कमेटी को रैफर किया गया था। सब्सटेंटिव ला वह है, यह प्रोसीजर ला है, ये दोनों साथ आते तो बहुत उपयुक्त होता, इसके फार रीचिंग कांसीक्वेंसेज हैं। इसकी डिबेट के लिए चार-पांच रोज चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस चार जनवरी, 2004 को राजस्थान विधान सभा की पहली बैठक हुई थी...

श्री उपाध्यक्ष : 2004 को?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, 1999 को। चार जनवरी, 2004 को पांच वर्ष की अवधि पूरी होगी। जैसा कि सदन के माननीय सदस्य जानते हैं, इस 4 जनवरी से 6 माह यानी 4 जुलाई, 2003 से इलैक्शन कमीशन इस बात के लिए प्राधिकृत है कानूनन कि वह चुनाव करा

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सकता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, Constitutionally speaking, this government is a caretaker government now. 6 महीने पहले मैं यह नहीं कहता, आपका बहुमत है, बहुत अच्छा रहा और बहुमत आएगा, मैं कतई उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता और अब आप दुबारा सरकार बनाएंगे, लेकिन आज की तारीख में...(व्यवधान) मुझे उससे कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। यह विवाद का विषय नहीं है। विवाद सिर्फ इतना-सा है कि आज की तारीख में आप केयरटेकर गवर्नमेंट हैं और कितना महत्वपूर्ण आप विधेयक लेकर आये हैं। उसके पहले जो मूल विधेयक आना चाहिए था, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो विनम्र निवेदन है, हालांकि मैं यह बात मानता हूं कि राजस्व मंत्री सम्माननीय कमलाजी, मेरी क्या अपने सहयोगियों की किसी की बात मानती तो हैं नहीं, इसलिए मुझे यह तो आशा है नहीं कि आप मेरे सुझाव पर विचार करेंगी, लेकिन मैं आपको विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विधेयक पर विचार न करें और इसको आप रहने दें। जब टिनेंसी बिल आएगा, साथ में आएगा, आप ही वापस रेवेन्यू मिनिस्टर बन जाना और आप ही मूव कर देना। हो सकता है आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इलेवेशन हो जाए आपका, लेकिन आज यह उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत पुरजोर शब्दों में यह आपत्ति है कि इस विधेयक को विचारार्थ नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी यह निवेदन करना है...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इसमें जो प्रारम्भिक आपत्ति उठाई है मुझे उसके सम्बन्ध में अपनी बात इस प्रकार से रखनी है। आप कहना चाहते हैं कि इसमें सब्सटेंटिव ला टिनेंसी एक्ट है, मेरा निवेदन है कि सब्सटेंटिव ला लैण्ड रेवेन्यू एक्ट है और टिनेंसी एक्ट बाद में आता है। पहले मकान बनता है, फिर किरायेदार आता है। पहले लैंडलार्ड होता है, फिर टिनेंसी होती है, इसलिए पहले राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बनना चाहिए। पहले भी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बना था, उसके बाद टिनेंसी एक्ट बनता है, इसलिए पहले लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बनना चाहिए और उसके बाद में टिनेंसी एक्ट बनना चाहिए। अब आपका कहना यह है कि यह केयरटेकर गवर्नमेंट है, यह तो फिजूल-सी बात करना है। यह गवर्नमेंट सब्सटेंटिव गवर्नमेंट है, चल रही है गवर्नमेंट, चलती रहेगी गवर्नमेंट और फिर आएगी, इसलिए आपकी आपत्ति ओवररूल करनी चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह बड़ा इम्पार्टेंट कानून है और प्रदेश के अधिकांश लोगों को यह प्रभावित करेगा इसलिए इस पर बहुत गम्भीरता से विचार हो और अच्छे सुझाव आने चाहिए। अभी अभी मंत्री महोदया ने हमको ये संशोधन दिये हैं, अभी-अभी दिये हैं। अब इनका समावेश हो, अपने विचार हम कैसे इसमें रखें, क्या हम प्रस्ताव रखें...

डा. (श्रीमती) कमला : आपकी भावनाओं को बता दो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी दिये हैं न? दिये हैं तो मैं मना नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने अपनी गलती महसूस कर ली।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये संशोधन हमेशा ऐसे ही आते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। गवर्नमेंट साइड से मूव हो रहा है, आप भी पेश करते हो कभी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं उसकी आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, साहब। मैं एप्रिशियेट करता हूं कि गलती मान ली आपने और सद्बुद्धि से आपने अमैंडमेंट दिये हैं। मैं मना नहीं करता, पर और भी ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं जो इस एक्ट को ठीक रखेंगे। पर्याप्त समय उसके लिए मिले तो उसमें डिसीजन हो सकता है। इतना बड़ा कानून है और मैं समझता हूं कि अमैंडमेंट वैसे भी नहीं आये...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलाल साहब, आप स्वयं बी.ए.सी. में उपस्थित थे, आपके सामने यह सारा तय हुआ और उसके बाद यह पेश हुआ। उसके बाद आपको अब क्या एतराज होना चाहिए, मैं तो समझता नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बी.ए.सी. में तो अधिकांश लोगों की राय थी इसके विरोध में।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, कतई नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर आप बी.ए.सी. की रिपोर्ट को रैफर करते तो रिपोर्ट तो यही है कि जो हाउस में ली जाए। वह तो कमलाजी की सारी जिद्द है।

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट तो जो हाउस में पढ़ी गयी वही रिपोर्ट है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, वो ही मानी जाएगी, वह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : डिस्कशन हुआ लेकिन फाइनल तो...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने इनकी उपस्थिति का हवाला दिया है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि बी.ए.सी. में तो आप भी अवगत हैं इस बात से।

श्री उपाध्यक्ष : ये एतराज कर रहे हैं जिसकी कह रहा हूं मैं तो, आपकी बात समझ में आई।

श्री सुरेन्द्र व्यास :...यह सदन की जानकारी में भी आ चुका है, उपाध्यक्ष महोदय कि बी.ए.सी. के अधिकांश लोगों की राय खिलाफ थी। (व्यवधान) और कमलाजी की पक्ष की थी।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न आप जो कर रहे हो, वो बी.ए.सी. में आ चुका, उसमें आपने डिसाइड किया है, उसके बाद में क्या बहस?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस मीटिंग में नहीं था लेकिन मेरे माननीय सदस्य थे, इसलिए मैं और नहीं कहना चाहता। लेकिन यह ठीक से बने, सब के विचार ठीक आ जाएं, इसमें ऐसी कौनसी जिद्द की बात है? मेरा इतना-सा निवेदन है कि इसको जैसे व्यासजी ने कहा, बड़ी शांति से और ठीक समय में देकर इस पर विचार करना चाहिए। अब वो तो मैं जानता हूं कि कोई मानेगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह हाउस इस बिजनस को एडाप्ट कर चुका है और उसके बाद यह बिल आ रहा है, फिर इसको आप कैसे कह रहे हो कि इसको मत लो? कैसे नहीं लें?

श्री रोहिताश्व : ऐसे कोई पहली बार थोड़े ही हो रहा है, कई बार हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो रहा है? (व्यवधान) आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : We are appealing to the good sense of the hon'ble minister.

श्री उपाध्यक्ष : You can demand and they don't agree...

श्री सुरेन्द्र व्यास : Sir, we are making an appeal to the good sense of the hon'ble minister. अगर मान लीजिये मिनिस्टर खुद मना कर दे तो आप क्या करेंगे? (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी): उपाध्यक्षजी, कुम्हेर से आने वाले माननीय मंत्री महोदय ने यह जो कहा कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट तो प्राइमरी बिल है और राजस्थान टिनेंसी एक्ट सैकण्डरी बिल है, मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 जब 15 अक्टूबर, 1995 से प्रभाव में आया तो राजस्थान में लाखों किसान रात को जो बिना भूमि के सोये थे, खातेदार डिक्लेयर कर दिये गये थे। राजस्थान का काश्तकारी अधिनियम बड़ा एक ऐसा अधिनियम था जिसकी पूरे हिन्दुस्तान में तारीफ हुई थी। यहां राजस्थान के काश्तकार भूमि के मालिक नहीं थे, उनको खातेदारी के अधिकार दिये गये थे, इसलिए बेसिक जो अधिनियम है वह राजस्थान टिनेंसी अधिनियम, 1955 है। मैं बहुत अदब के

(श्री रामनारायण विश्नोई)

साथ माननीय कमलाजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान टिनेंसी एक्ट जो आप बनाना चाहते थे वो आप जल्दी के अन्दर नहीं बना सके। इसलिए यह तो एक प्रोसीजर ला है, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, और इस प्रोसीजर ला के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी के अन्दर जो छोटी-मोटी गलती हो गई, राजस्थान टिनेंसी, 2003 का जो रेफरेंस दिया गया उस रेफरेंस को सुधारने की कोशिश की गई है, यह जल्दी के अन्दर और भी गलती हो सकती है। ऐसा कोई यह महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी वजह से आज किसी भी काश्तकार का कोई काम अटका हुआ हो। राजस्थान टिनेंसी एक्ट कृपया पहले लेकर आप इसको बाद में पास करावें। वह तो 1955 का एक्ट है और 1956 में फिर बाद में बना था, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जल्दी के अन्दर आपने भी ये गलतियां महसूस की हैं और हमने भी बताया। राजस्थान टिनेंसी, 2003 का बार-बार आप इसमें कर रहे हैं as if the Tenancy Act has been passed by this House. इसलिए मेरा निवेदन यह करना है कि राजस्थान टिनेंसी एक्ट के अन्दर रेवेन्यू बोर्ड को जो अधिकार दिये गये हैं सुनवाई के, उससे सम्बन्धित ही राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में हैं। आपने भी, और इस सदन ने भी कई बार यह महसूस किया है कि राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारी, उनके खिलाफ बार-बार वकीलों की भी और जनता की भी शिकायत आती रही है कि हम किस प्रकार से उनको अपीलें सुनने की शक्ति दें, सिंगल मैम्बर को दें या डबल बैंच को दें और उनके ऊपर और कोई भी अधिकारी सुनवाई के लिए हो ताकि राजस्थान के काश्तकार जिनके मुकदमे वर्षों से लम्बे चले आ रहे हैं उनको कोई राहत दी जा सके। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई महत्वपूर्ण बिल यह नहीं है, इसको हाउस की सहमति से आगे लेकर टिनेंसी एक्ट के साथ पेश करेंगे हम सब मिलकर, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर श्रीमती कमलाजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं...

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप बोलोगे न। बुलाएंगे आपको।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह तो प्रश्न यह है कि विचारार्थ लिया जाए, नहीं लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ ले रहा हूं मैं। बात हो गई। इसको विचारार्थ ले रहा हूं मैं, इसलिए प्लीज बिराजें। विचारार्थ ले रहे हैं, यही बोल रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा निवेदन सुन लें आप एक मिनट। कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि दो मिनट में कोई...

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव कीजिये विचारार्थ का, माननीय कमलाजी। डाक्टर कमलाजी, आप विचारार्थ का प्रस्ताव कीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, आपसे तो कुछ निवेदन कर ही नहीं रहे हैं, आसन से तो कोई निवेदन किया ही नहीं जा रहा है, आसन से तो कुछ भी निवेदन नहीं किया जा रहा है, जो कुछ निवेदन किया जा रहा है, मंत्रीजी से निवेदन किया जा रहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, आसन के माध्यम से ही निवेदन कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आसन से तो निवेदन किया ही नहीं जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : निर्णय यह है कि इसको विचारार्थ ले रहा हूं मैं। आपकी बात सुन ली।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो आप ले ही रहे हैं। उसका आपको तो कुछ निवेदन किया ही नहीं जा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय। जो निवेदन किया जा रहा है वह तो माननीय मंत्री महोदया से निवेदन किया जा रहा है। एक माननीय सदस्य अपनी भावना से अवगत कराना चाहते हैं तो उसका महत्व है, आप सुनिये तो सही। बोलने दीजिये इनको।

श्री उपाध्यक्ष : करा दिया न उन्होंने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर मंत्रीजी अगर कह देती हैं, मान लीजिये, हो सकता है मंत्रीजी हमारी बात को मान लें, भगवान इनको सद्बुद्धि दे।

श्री उपाध्यक्ष : तो बोलो न ये। बिराजो। मैंने मंत्रीजी को काल-अपान किया है, अगर आपकी भावना के अनुरूप वापस लें तो मैं रोक थोड़े ही रहा हूं इनको। लेकिन नहीं लें तो फिर विचारार्थ लेंगे, और क्या रास्ता है?

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे सामने रखे हैं कि पहले टिनेंसी बिल आना चाहिए, फिर यह आना चाहिए, आप सारे माननीय सदस्यों को मालूम है कि उसके लिए भी राज्य सरकार बराबर बहुत गम्भीरता से, बहुत तत्परता से कार्यवाही करने में जुटी है, अगर वह प्रिंट हो जाता, 2-4 दिन बाद असेम्बली होती तो हम दोनों को साथ भी रख देते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो 2-4 दिन बाद में बुला लो।

डा. (श्रीमती) कमला : आप क्यों बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिये। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर

(डा. (श्रीमती) कमला)

टिनेंसी बिल नहीं आता है तो लैण्ड रेवेन्यू बिल भी नहीं आ सकता और नहीं आना चाहिए। किसान का दोनों ही एक्ट से बहुत गहरा ताल्लुक है और दोनों ही एक्ट्स में उसके सम्बन्ध में सारी स्थितियां मौजूद हैं, इसलिए एक बिल अगर तैयार है और उससे जो रिलीफ दी जानी जरूरी है वह काश्तकार तक अगर पहुंचती है तो पहले उसको भी पेश कर सकते हैं। इसमें कौनसी दिक्कत की बात है? दूसरा जो बिल है उसमें और इसमें अगर कोई विसंगति रह रही है जो कि तत्काल निराकरण की जानी चाहिए, तो उस विसंगति को हम आर्डिनेंस से भी सही कर सकते हैं, पूरा बिल बाद में भी ला सकते हैं। इसमें कौनसी दिक्कत की बात है?

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ पेश करें।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003

डा. (श्रीमती) कमला : इसलिए मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003 विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003 को...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट प्लीज, आप रख दो। मैंने काल-अपान किया था, आप बाहर चले गये थे।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (संख्या 204 से 221)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (सभापति, जन लेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2003-2004 के 18 प्रतिवेदनों को उपस्थापित करता हूं:-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1996-97 का पैरा संख्या 4.21 से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 204वां प्रतिवेदन।
2. जन लेखा समिति, 1994-95 में नवें प्रतिवेदन दसवीं विधान सभा में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2003-2004 का 205वां प्रतिवेदन।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1998-99 के पैरा संख्या 6.1 ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 206वां प्रतिवेदन।

4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1996-97 के पैरा संख्या 2.7 (सहकारिता) 7.1 (गृह, वन, मुद्रण, कृषि, भू-जल व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) वर्ष 1997-98 के पैरा संख्या 4.21(वन) वर्ष 1998-99 पैरा संख्या 2.4 (पर्यटन) 3.7(वित्त) 4.20 (वन, सिंचाई) व 5.2 (श्रम एवं रोजगार विभाग) से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 207वां प्रतिवेदन।

5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 1999-2000 में समाविष्ट खान एवं भू-विज्ञान विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 208वां प्रतिवेदन।

6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2000-2001 में समाविष्ट खान एवं भू-विज्ञान विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 209वां प्रतिवेदन।

7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 1997-98 में समाविष्ट देवस्थान विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 210वां प्रतिवेदन।

8. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1997-98 के पैरा संख्या 3.4 (सार्वजनिक निर्माण विभाग) से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 211वां प्रतिवेदन।

9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 के पैरा संख्या 3.4 में समाविष्ट सिंचाई विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 212वां प्रतिवेदन।

10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1997-98 के पैरा संख्या 3.4 में समाविष्ट उद्योग विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 213वां प्रतिवेदन।

11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1999-2000 के पैरा संख्या 6.6 में समाविष्ट पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 214वां प्रतिवेदन।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

12. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1998-1999 के पैरा संख्या 4.1 में समाविष्ट वन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 215वां प्रतिवेदन।

13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 1998-99 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 216वां प्रतिवेदन।

14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 1998-99 में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग एवं विद्युत कर के अनुच्छेद 7.5 व 7.6 से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 217वां प्रतिवेदन।

15. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2000-2001 में समाविष्ट वन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 218वां प्रतिवेदन।

16. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 1998-99 के अनुच्छेद 8.13 वर्ष 1999-2000 के अनुच्छेद संख्या 8.3 तथा वर्ष 2000-2001 के अनुच्छेद संख्या 8.9 में समाविष्ट सिंचाई विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2003-2004 का 219वां प्रतिवेदन।

17. जन लेखा समिति, 2001-2002 के 93वें प्रतिवेदन समाविष्ट यातायात विभाग से सम्बन्धित मामलों पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2003-2004 का 220वां प्रतिवेदन।

18. जन लेखा समिति, 2001-2002 के 95वें, 97वें, 98वें 101वें, 106वें व 107वें प्रतिवेदनों में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2003-2004 का 221वां प्रतिवेदन।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व विधयेक, 2003 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि इस सदन के अन्दर कई महत्वपूर्ण विधेयक आये हैं, लेकिन यह पहला विधेयक है, जो सदन में प्रस्तुत हो गया और प्रभारी मंत्रीजी

(13.50 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदन में विधेयक प्रस्तुत करने के पश्चात् 17 संशोधन लेकर आई हैं। संशोधन लाने का अधिकार तो सत्ता पक्ष को है लेकिन मैं समझता हूं प्रभारी मंत्रीजी, आपने कभी देखा कि इतनी बड़ी संख्या में संशोधन सरकारी पक्ष लेकर आए? इसका अर्थ यह हुआ कि इस विधेयक के पीछे और इसको बनाने में या तो आपकी भागीदारी नहीं रही और या आप गम्भीर नहीं हैं। आप गम्भीर हो भी नहीं सकतीं, क्योंकि दिखाने में तो आप किसान के हितैषी हो पर अन्दर कुछ और है।

सभापति महोदय, मंत्री महोदया ने उद्देश्यों और कारणों में जो बात उल्लिखित की है, वह यह है कि राजस्थान भू राजस्व विधेयक, 1956 में समय-समय पर संशोधन हुए। निश्चित रूप से, सभापति महोदय, 1956 की जब बात करते हैं तो हमारे जैसे कई लोग आज जो इस सदन के सदस्य हैं, उस समय पानी को पानी भी नहीं कह सकते थे, बू कहते थे, आवश्यकता थी, संशोधन भी हुए, पर अब मंत्रीजी कहती हैं कि राजस्व प्रशासन को संवेदनशील और सक्रिय बनाने के लिए यह विधेयक लेकर आये हैं। परन्तु, मंत्री महोदया, जिस आनन-फानन के अन्दर आप विधेयक लेकर आई हैं, इसके पीछे कुछ और बात छिपी है। सभापति महोदय, सबको मालूम है कि सरकार अपने अन्तिम क्षणों में, चुनाव सन्निकट हैं और चुनावों के अन्दर सरकार को कुछ भू-माफियाओं को फायदा देना है और भू-माफिया को फायदा देकर सरकार में बैठे लोगों को चंदा बटोरना है, इसलिए उनकी शर्तों के अनुसार इसी सत्र में और मात्र कुछ घंटों की चर्चा के पश्चात् इस विधेयक को सरकार पारित करा रही है। प्रचंड बहुमत है, विधेयक पारित भी हो जाएगा परन्तु इसके पीछे जो आपकी मंशा है वह छिपी नहीं रहेगी।

मैं मंत्री महोदया, आपका ध्यान इस प्रस्तावित विधेयक के सैक्शन 82 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सैक्शन 82 और 83 के अन्दर आपने कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग हो, इसका उपबन्ध किया है। सैक्शन 82 में तो आपने कहा है कि कोई भी किसान अपनी कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के और बिना उस प्रक्रिया को अपनाए जो इसमें विहित की गई है, अकृषि कार्यों के लिए उपयोग नहीं करेगा और उसके साथ ही सैक्शन 83 जो है, उसके अन्दर आपने कतिपय मामलों में भूमि के अधिकार का पर्यावसन और भूमि के पुनर्ग्रहण की बात कही है। सभापति महोदय, यह राजस्थान वित्तीय संशोधन अधिनियम, 1999 है उस समय भी एक आप संशोधन लेकर आये थे 90(बी) का, सभापति महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महानगरों के पास जिन किसानों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की भूमि थी, बढ़ती आबादी के कारण जिन भूमियों की कीमत बहुत बढ़ गई, उस सारी भूमि का लैण्ड यूज चेंज हो। किसान की जमीन अगर नगरीय क्षेत्र में आ जाए, सरकार ने नियम बना रखा है 90(बी), जो पहले था उसी का रूपान्तरित रूप है यह परन्तु इसके अन्दर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसान अपनी जमीन का, सैक्शन 83 में यह प्रावधान किया गया है कि एग्रीमेंट टू सेल कर ले, बिल कर ले किसी के साथ, और उसके बाद जिससे एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, वह अगर एप्लाई करे कि मैं इस कृषि भूमि को अकृषि भूमि के रूप में रूपान्तरित करना चाहता हूं तो 90(बी) के अन्दर सरकार उसको अपने में निहित करके वापस उसी को दे देगी। मंत्री महोदया, आप जानती हो, इस एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर किसान बरबाद हुआ है। किसान को भू माफिया एक बार लालच देकर कुछ पैसा दे देते हैं, पर उसके बाद वापस वे पैसा देते नहीं हैं। इधर तो कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है और लैण्ड यूज चेंज हो जाता है। और लैण्ड यूज भी आप उसी के नाम कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीमेंट टू सेल के बजाय आप सेल-डीड क्यों नहीं करते? या एग्रीमेंट टू सेल विद पजेशन की बात क्यों नहीं करते? आपका कितना बड़ा स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान होता है? उदाहरण हमारे सामने हैं। यह पृथ्वीराज नगर आपके पास है, किसान बरबाद हो गया, तबाह हो गया। हाउसिंग सोसायटी के नाम पर, एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर किसान की जमीन खरीद ली और अब आप जो प्रावधान लेकर आये हैं, उससे उस जमीन को जिसने एग्रीमेंट टू सेल करके कुछ राशि देकर किसान से ली है, आप उसी को वापस दे देंगे लैंड यूज चेंज करके। मैं समझता हूं, यह जो प्रावधान है, इस प्रावधान को, मंत्री महोदया, आपको बदलना चाहिए। इसमें या आप सेल-डीड का प्रावधान डालें या एग्रीमेंट टू सेल विद पजेशन का। यह तो तब बात है, वर्ना होता क्या है? सभापति महोदय, एग्रीमेंट टू सेल के बाद लैंड यूज चेंज हो जाता है, किसान अपनी जमीन पर बैठा है, उसको मालूम नहीं है और सोसायटी के लोग पट्टा काट काटकर उस जमीन को बेचने का काम कर देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, एग्रीमेंट टू सेल का कोई वैधानिक औचित्य नहीं है। अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य इसको विस्तृत रूप से बताएंगे, पर मैं मानिकचन्द जी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी जानकारी थोड़ी कम है, पर टी.पी. एक्ट के अन्दर साफ यह प्रावधान है कि एग्रीमेंट टू सेल से क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता और विक्रेता का अधिकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समाप्त नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। एक तरफ तो आपकी स्टाम्प ड्यूटी कम होगी और दूसरी तरफ इससे जिस तरह के लिटिगेशन बढ़ेंगे, उससे भी निश्चित रूप से बात करेंगे।

सभापति महोदय, अभी चर्चा यह चली कि यह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट तो प्रोसीजरल एक्ट है, इसका सब्सटेंटिव एक्ट तो टिनेंसी एक्ट है। सभापति महोदय, ये जिस तरह से संशोधन लेकर आये हैं, इस विधेयक के अन्दर एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैक्शन (3) में जिन परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें मंत्री महोदया ने खुद यह लिख दिया, आपने या तो पढ़ा नहीं और या आपकी रूचि ऐसी नहीं थी, पर आपको तो इतिहास में नाम लिखाना है ''डाक्टर कमलाजी'', इसलिए आप चाहती हैं कि आनन-फानन में जाए और यह बात चले कि कमलाजी के समय में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट री-राइट हो गया था। आपने अभी देखा कि आप जो संशोधन लेकर आई हैं, कल तक हम सब लोग बैठे वह एक्ट ढूंढ रहे थे, जिस एक्ट का उल्लेख आपने सैक्शन (3) में कर दिया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सभापति महोदय, सैक्शन (3) इसमें अधिनियम के अन्तर्गत जब तक विषय सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, परिभाषाओं का मामला दिया है कि आबादी भूमि कौनसी होगी। आगे लिखते हैं कि इसके अन्तर्गत नगरीय भूमि, राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 2003 का अधिनियम संख्या....वह छोड़कर उपबन्धों के अधीन अभिधारी के द्वारा धारित होगी। इसी तरह से इसमें सैक्शन (3), सैक्शन (3)(ज) में दुबारा लिखते हैं, नगरीय भूमि से ऐसी भूमि से तात्पर्य है कि राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 2003 से होगा। इसी तरह से सैक्शन (ट) में...। अब कहां-कहां बात करें, सभापति महोदय। यह मैं कल दो-तीन दिन से ढूंढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि शायद मेरे जैसे कम पढ़े लिखे आदमी को मालूम नहीं है कि राजस्थान टिनेंसी एक्ट कब पारित हो गया। जब वह मूल एक्ट नहीं है, हम यह परिभाषा कैसे परिभाषित करें? जो आप संशोधन लेकर आये हैं, मंत्री महोदया, यहां आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि आप संशोधन लेकर आये हैं कि इसको राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1956 पढ़ा जाए। मैं समझता हूं कि यह सरकार कतई इस बात के लिए गम्भीर नहीं है वरना इस तरह की बात नहीं होती।

सभापति महोदय, हमारा जो टिनेंसी एक्ट है 1955 का, और अब लैण्ड रेवेन्यू एक्ट है, उसके अन्दर प्रोविजन डाल रहे हैं 2003 के, सभापति महोदय, एक मारुति कार है, मारुति कार में अगर एक पहिया मारुति कार का हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और दूसरा ट्रैक्टर का पहिया लगा दो और फिर यह सरकार कहे कि हम राजस्व प्रशासन को संवेदनशील प्रशासन बनाना चाहते हैं कि त्वरित गति से फैसले हों, यह किस तरह से लागू होगा? क्यों राजस्थान के किसान के साथ आप अन्याय कर रहे हो? इसमें 4(3) के अन्दर, मंत्री महोदया, हमने जो संशोधन मूव किया, उस संशोधन को आपने स्वीकार किया, यहां आकर हमने देखा। तो आपको कहते हुए क्या परेशानी थी, कि मूल संशोधन जो मानिक चन्दजी सुराना और हम लोगों ने मूव किया, उसको आपने स्वीकार किया? इस चीज के लिए मेरी समझ में नहीं आया, जैसा आपका स्वभाव है, पिछले 15 सालों से सदन में मैं भी हूं, आप कभी किसी की मानती नहीं हैं, पर न जाने क्यों इस बार हमने जो संशोधन मूव किया सैक्शन 4(3) में, उसको आपने स्वीकार कर लिया। लेकिन उसका उल्लेख करना उचित नहीं समझा। सैक्शन 4(4) में जो टाइटल का मामला है, उसके अन्दर उन्होंने कहा कि उपचारित जांच होगी। सभापति महोदय, भूमि सरकार की हो, भूमि किसी व्यक्ति की हो और भूमि के टाइटल के सम्बन्ध में विवाद हो, अब आप संशोधन लेकर आई हैं, मैं समझता हूं आप गम्भीर नहीं थीं वर्ना ऐसी गलती। जिस तरह विदुषी महिला के नाम से आप विख्यात हैं, जिस महिला के नाम के आगे डाक्टर जैसी उपाधि लगी हो मैं समझता हूं,

(14.00 बजे)

हूं, यह कहीं न कहीं आपको गुमराह किया गया है। आप, उप मुख्य मंत्री महोदया, इन अफसरों के भरोसे मत रहना। वैसे आपको समय मिलेगा, अब पांच साल तक पूरा अध्ययन करना। इस अध्ययन का लाभ आप आने वाली पीढ़ी को देकर जाएं क्योंकि राजस्थान की विधान सभा में तो आपको आने का मौका मिलेगा नहीं। जिस मंशा से आप यह कानून ला रहे हैं, उस कानून के पीछे जिन लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों से लाभ जरूर लेना, पर राजस्थान का किसान आपको इसके लिए माफ नहीं करेगा। राजस्थान के किसान चाहे कितने ही चिंतन शिविर लगा लो, इस बार कांग्रेस की चिता को धू-धू कर जलाएगा।

इसके अलावा, सभापति महोदय, इस अधिनियम के सैक्शन 5 की ओर मैं मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सैक्शन 5 में है समस्त भूमि के राजस्व लगान के संदाय का दायित्वाधीन होना यानि जो सरकारी भूमि हो, किसी भी किस्म की भूमि हो, उस पर लगान लगाने का अधिकार सरकार को है। पर, मंत्री महोदया, इसके अन्दर यह प्रावधान डालने में कहां आपको दिक्कत थी? राजस्थान के अन्दर जब किसान का बेटा मुख्य मंत्री था, जब भारतीय जनता पार्टी का राज था, राजस्थान की बारानी भूमि का लगान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माफ किया था, मैं समझता हूं, आप राजस्थान के किसान पर सैक्शन 5 में जो अधिकार ले रहे हैं, आप वापस बारानी भूमि पर लगान लगाना चाहते हैं, वरना आप प्रावधान लेकर आते, उसके अन्दर सब–सैक्शन लेकर आते कि बारानी भूमि पर लगान नहीं लगेगा।

इसके अलावा सैक्शन 6, सभापति महोदय, यह ट्रेसपासर से सम्बन्धित है। यह पुराना कानून, आप तो खुद विद्वान वकील रहे हैं, कि जो धारा 91 है, इसी 91 में आज राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा लिटिगेशन है। अब इन्होंने सैक्शन 6(2) में प्रावधान किया है कि ट्रेसपासर को अगर पहला एक्ट हो तो राजस्व लगान का पचास गुना और तीन माह की कैद। उसके अलावा एक बात और है कि लोक प्रयोजनार्थ भूमि जिसमें चरागाह, जोहड़ पायतान हैं, इन पर अगर कोई कब्जा कर ले और ट्रेसपासर सिद्ध हो जाए तो बाजार मूल्य का दस प्रतिशत। अब इन्होंने जो परिभाषा इसमें डाली है, मंत्री महोदया, लोक प्रयोजनार्थ जमीन की चर्चा आपने की है सैक्शन 6 के अन्दर, आपने लिखा है-इस पर उप धारा के प्रयोजनार्थ लोक प्रयोजनार्थ भूमि से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो भूमि अभिलेखों में लोक पथ, चरागाह, औरा या जोहड़ पायतन है। अब, सभापति महोदय, गांव के अन्दर लोक प्रयोजनार्थ क्या चिकित्सालय की जमीन नहीं हो सकती, क्या विद्यालय की जमीन नहीं हो सकती, क्या वन के लिए आरक्षित जमीन इसमें नहीं हो सकती? मंत्री महोदया, चूंकि कानून तो पहले आपने कहा मैं री–राइट कर रही हूं, आप इतने संशोधन लेकर आई हैं कि आपने एक तरह से यहां प्रस्तुत करने के बाद इसको भी री राइट कर दिया, तो उसको भी शामिल कर लें, इस भूल को भी आप सुधार लें तो कोई लम्बी–चौड़ी बात नहीं होगी।

इसके अलावा, सभापति महोदय, जो फैसिलिटी एरिया है, फैसिलिटी एरिया में जहां अतिक्रमण हो गये, कई जगह तो ऐसी हैं, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक गांव है ढाणी लालसिंहपुरा, सौ साल पुराना गांव और गांव वालों को मालूम नहीं कि कब गांव में उन्होंने कह दिया कि यह तो पूरी वन भूमि है, आज गांव के अन्दर गांव बसा हुआ है, स्कूल है, सैकड़ों मकान है, मैं समझता हूं इस तरह के प्रकरणों का निष्पादन कैसे होगा जहां फैसिलिटी एरिया से पहले लोग बसे हुए हैं? अगर आपने कानून पास कर दिया तो मैं समझता हूं, इसका डंडा लेकर गांव के किसान पर नोटिस लेकर जब पटवारी दौड़ेगा और जब उसको पता लगेगा कि बाजार मूल्य के दस प्रतिशत तक तेरे को जुर्माना हो जाएगा, तेरे को तीन साल की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कैद हो जाएगी, तो भ्रष्टाचार पनपेगा। इसके लिए निश्चित तौर पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए।

इसके अलावा, सभापति महोदय, सैक्शन 6(2) में ट्रेसपासर को सिविल कारावास से दण्डित करने का प्रस्ताव लेकर आये हैं। सिविल कारावास क्यों? मंत्री महोदया, शायद आप साधारण कारावास और सिविल कारावास का अन्तर नहीं समझती हो। सिविल कारावास होगा तो उसके लिविंग स्टैण्डर्ड के अनुसार सरकार को पैसा देना पड़ेगा। मैं समझता हूं, इसके अन्दर साधारण कारावास की बात हम डालें तो क्या कमी है?

इसके अलावा, मंत्री महोदया, यह जो चकबंदी हुई है, चकबंदी के अन्दर कई ऐसी जगहें छोड़ी हुई हैं; फैसिलिटी एरिया दिखाया गया है। परन्तु, रोहिताश्वजी, वहां पहले से लोग बसे हुए हैं, मैं समझता हूं कि उसके बारे में भी आपको अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी, वर्ना यह एक्ट पास हो जाएगा और इस एक्ट पास होने के बाद किसान के साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा।

इसके अलावा सभापति महोदय, सैक्शन 6(6) की ओर मैं मंत्री महोदया का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपने कहा कि अगर कोई छोटी पट्टी छोटे किसान के खेत के साथ लगी है तो उस छोटी पट्टी को एस.डी.एम. बाजार दर पर उसको अलाट कर सकता है। सभापति महोदय, आप तो किसान के बेटे हो, किसान के पास कहीं रास्ता है, किसान के पास कहीं दूसरी जमीन है, कहीं सिवाय चक जमीन है, उसको कह रहे हैं बाजार मूल्य पर, आप रिजर्व प्राइस पर किसान को जमीन क्यों नहीं देना चाहते? जब भू-माफियाओं को आप संरक्षण दे सकते हैं, जब आप ऐसे लोगों का घर भर सकते हैं जिनका कोई अधिकार नहीं, तो किसान के हितैषी आप हो तो आपको इसमें संशोधन लेकर आना चाहिए कि बाजार मूल्य नहीं, हम रिजर्व प्राइस पर यह सारे का सारा काम देंगे।

इसके अलावा, सभापति महोदय, जो लैण्ड अलाटमेंट है, लैण्ड अलाटमेंट पहले लैण्ड अलाटमेंट कमेटी करती थी, उस कमेटी का एम.एल.ए. भी सदस्य होता था। अब इनको तो जाना है, इनको दोबारा विधायक बनना नहीं, न ही जन प्रतिनिधियों में इनका विश्वास है, न ही प्रजातंत्र में विश्वास है, अब सारे के सारे अधिकार दे रहे हैं सरकार के नुमाइंदों को, अधिकारियों को। मैं समझता हूं, इसके बारे में भी आपको निश्चित तौर पर पुनर्विचार करना चाहिए। सैक्शन 6(7)(ख) में ट्रेसपासर अगर वह है और वह दोषसिद्ध हो जाए तो उसको तो आपने कह दिया, तीन वर्ष के लिए किसान को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कह दिया कि जेल जा, पर अगर कोई कर्मचारी कराता है, आपने उसका प्रावधान डाला है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने सैक्शन 6(7)(ख) में दिया है उसके अनुसार कर्मचारी भी थोड़ा सचेत रहेगा, परन्तु अगर वह अतिक्रमण कराता है तो उसको दण्ड का प्रावधान क्या किया इन्होंने? सिर्फ एक माह का और हजार रुपये जुर्माना, ऐसा क्यों? किसान अगर करेगा तो, रोहिताश्वजी, उसको मिलेगी तीन वर्ष की सजा, सांवर लालजी, उसको मिलेगी तीन वर्ष की सजा, और इसको मिलेगी एक महीने की सजा। उसका जुर्माना होगा बीस हजार से ज्यादा, इसको जुर्माना होगा एक हजार मैं समझता हूं कि सरकार की इस तरह की नीति से स्पष्ट है कि सरकार ने घुटने टेक रखे हैं अधिकारियों के सामने।

श्री मानिक चन्द सुराना : तीन हजार से पांच हजार कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब पांच हजार किया है उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अब इसे पूरा ही री-राइट करो न। सभापति महोदय, जितने संशोधन आये हैं, इनको पढ़ ही नहीं सके, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यहां पुलन्दे वितरित हुए हैं, कुछ हमारी डाक के अन्दर आ गये, कुछ यहां, कब इनको देखें, मौका ही नहीं देना चाहते ये, इसलिए मैं तो चाहूंगा इसको पूरा ही री-राइट कराएं आप तो।

इसके अलावा, मंत्री महोदया, मैं आपका ध्यान एक सैक्शन 7 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सैक्शन 7 में वृक्ष काटने पर वृक्ष की कीमत की दुगनी राशि वसूल करने का प्रावधान है। सभापति महोदय, राजस्थान बरबाद हो गया, राजस्थान के वन समाप्त हो गये, निरन्तर वनों का आज ह्रास होता जा रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा, जिस तरह और में राजस्थान के किसान के साथ सख्ती की है, इसके अन्दर जो वृक्ष काटे, उसके अन्दर निश्चित तौर पर पैनल्टी बढ़नी चाहिए ताकि लोगों में प्रवृत्ति हो। हमारा ईको सिस्टम बदल गया, हमारा सारा वातावरण बदल गया। आज वृक्ष आने वाली पीढ़ी की जान बना हुआ है इसलिए इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए।

अब सैक्शन 14 में भी शायद संशोधन लेकर आये हैं ये। सैक्शन 14 के अन्दर हम लोगों ने संशोधन मूव किया था और संशोधन मूव इसलिए किया था कि सैक्शन 14 में रेवेन्यू बोर्ड का एक सदस्य कोई फैसला कर दे तो रेवेन्यू बोर्ड की डबल बैंच में नहीं जा सकता। नैचुरल जस्टिस के खिलाफ। राजस्थान की हाई कोर्ट में सिंगल बैंच में मामला हो, डबल बैंच में जा सकता है। परन्तु यह न जाने क्यों, कैसे बनाया, क्या किया, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं बड़ा सम्मान करता हूं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर इस पूरे एक्ट को जो मैं पढ़ पाया उसको पढ़कर मुझे लगा, कमलाजी, कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। कैसे आप जैसी कुशाग्र वृद्धि की विदुषी महिला न जाने किस ट्रैप में आ गई, क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आया, मुझे बहुत सहानुभूति है। पर खैर, जो भी हो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में भी आपको निश्चित तौर पर बात करनी होगी।

अब, सभापति महोदय, मेरी बात समाप्ति की ओर है, आप बार-बार देख रहे हैं...

श्री सभापति : नहीं, नहीं देख रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूं कि भंवरलालजी के लिए भी कुछ छोड़ो।

श्री रोहिताश्व : सभापति महोदय, आप स्वयं भी एक्सपर्ट हैं इसमें।

श्री सभापति : मैं तो यह सोच रहा था कि भंवरलालजी के लिए भी कुछ छोड़ो आप, इसलिए कहा है। आप बोले जाएं, बोले जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो दो मिनट में खतम करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरे लिए छोड़ना है तो उनसे कहो कि छोड़ें गद्दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य भंवर लालजी, स्वभाव भी इनका बहुत सरल है और मांग भी बहुत सरल करते हैं। मैं समझता हूं, बहुत छोटी-सी मांग है, मांग इतनी-सी है कि उप मुख्य मंत्रीजी यहां बिराज जाएं और भंवरलालजी वहां चले जाएं। यह तो एक्सचेंज आफ सीट्स है और यह होना ही है, उप मुख्य मंत्रीजी...

श्री रोहिताश्व : होना ही है।

डा. (श्रीमती) कमला : होना है तो अभी-अभी खबर पढ़ी न आपने। अभी अभी खबर आई है न आपके, होना ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस कुर्सी पर हाथ लगाकर जरूर देख लेना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप राजस्व मंत्रीजी की तारीफ करते-करते इधर ले आये क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस कुर्सी पर यों हाथ लगाकर जरूर देख लेना कि ऐसी कुर्सी है क्योंकि वह कुर्सी बाद में नसीब नहीं होगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राजस्व मंत्रीजी को तारीफ करते-करते इधर ले आये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब, सभापति महोदय, मैं सैक्शन-41 की तरफ उप मुख्य मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने इसमें समरी ट्रायल की बात की है और एक समय निश्चित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर दिया तीन महीने का। आप तो मुझे यह बता दें कि समरी ट्रायल के कितने मुकदमे आज विभिन्न राजस्व न्यायालयों में चल रहे हैं, तीन महीने का समय आपने इसमें लागू किया है, मेंडेटरी, अगर तीन महीने में वो नहीं करता तो आप क्या करेंगे? क्या डिसिप्लिनरी एक्शन आप उस अधिकारी के विरुद्ध प्रारम्भ करेंगे? इसके बारे में भी आपको कहना चाहिए।

अब सभापति महोदय, मैं सैक्शन 61 की तरफ माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सैक्शन–61 अपील के सम्बन्धित है। अपील और अपील प्राधिकारी, उसमें आपने लिखा है कि तहसीलदार कोई फैसला करेगा उसकी अपील कलक्टर को होगी, सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी फैसला करेगा उसकी आर.ए.ए. के पास अपील होगी और कलक्टर के फैसले की आयुक्त के पास अपील होगी। सभापति महोदय, सैक्शन–61 में क्या लिखते हैं ये, "परन्तु किसी भी दशा में इस धारा के अधीन अपीलों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी।" यानी तहसीलदार ने फैसला किया, अपील में कलक्टर के पास गया। कलक्टर ने फैसला किया, डिवीजनल कमिश्नर के पास गया। उसके बाद गरीब को अधिकार नहीं है कि वो रेवेन्यू बोर्ड में जाए। आज तक मैंने ऐसा न्याय नहीं देखा। मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग दरवाजा खटखटाते हैं। यह नैचुरल जस्टिस के खिलाफ है, इसलिए आपको निश्चित तौर पर इसमें संशोधन करना चाहिए।

मैं तो आपको अन्त में यही कहूंगा, हालांकि इसमें और भी मेरे संशोधन आएंगे तब वो बात रखूंगा, सभापति महोदय, लेकिन यह कानून, कानून नहीं है। इस कानून के अन्दर इतनी खामियां हैं कि किसी विद्वान आप जैसे व्यक्ति ने अगर पढ़ा होता, और मैं समझता हूं कि आप कुर्सी पर भी इसलिए बिराजे हैं कि आज अगर वहां बिराजते तो बोलते, और बोलते तो आपको कोफ्त होती, और कोफ्त होती तो आप सच्चाई बोलते और सच्चाई ये लोग सुन ही नहीं सकते इसलिए आपने आज राजनीतिक चतुराई की है। आप बोलते उसके बाद, क्योंकि अन्तिम सत्र के अन्तिम घंटे हैं और उसके बाद नाराजगी होती। इसलिए मेरी मांग है कि राजस्थान भू–राजस्व विधेयक जिस के साथ राजस्थान के लाखों–लाखों किसानों का भविष्य जुड़ा हुआ है, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए इस विधेयक को आप अभी तो जनमत जानने हेतु परिचालित करें और आपका और कोई अनुभव है वो कृपया लिखित में जाते–जाते हमें दे जाएं क्योंकि दुबारा रखने का मौका आपको नहीं आएगा। आपको यही विश्वास दिलाते हैं कि हमारे रामनारायणजी विश्नोई जैसे विद्वान व्यक्ति जब भी राजस्व मंत्री के रूप में यह कानून रखेंगे, इन सारी खामियों को हम दूर करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी प्रार्थना पर विचार करेंगे। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा। (अनुपस्थित) माननीय श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003 काफी जल्दबाजी में लाया गया है, हड़बड़ाहट में लाया गया है। ऐसा लग रहा था इन लोगों को कि इसको लाकर हम श्रेय लूट लेंगे। यदि थोड़ी भी डिले हो गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी और हम विधेयक को पास नहीं कर पाएंगे। फिर इसमें संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी इसको प्रस्तुत करेगी। इसी हड़बड़ाहट में बहुत सारी गलतियां ये लोग कर गये हैं। मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि इसको एक बार और अच्छी तरह से पढ़ें, कई विद्वानों को साथ लेकर बैठें तो आपको पता चलेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनसे ज्यादा विद्वान कौन हैं?

श्री मदन दिलावर : नहीं, इनमें नहीं, बाहर से बुलाएं एक्सपर्ट्स। इनके यहां तो कोई है ही नहीं। ये होते तो इतनी सारी विसंगतियां नहीं होती, इतनी सारी गलतियां नहीं होती। माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने काफी आपका ज्ञानवर्द्धन करने की कोशिश की है।

श्री रोहिताश्व : के.सी. विश्नोई हैं न।

श्री के. सी. विश्नोई : दुबारा आ जाओ तो बहुत गनीमत है।

श्री मदन दिलावर : क्या हो गया?

सभापति महोदय, यह राजस्थान भू राजस्व विधेयक, 2003 इस मंशा के साथ लाया जा रहा है कि कई सारे गड़बड़ घोटाले हम आसानी से कर सकें, क्योंकि अबकी बार जितने भी आबंटन हुए हैं उन आबंटनों में बहुत बड़ी तादाद में घोटाले करने की कोशिश की गयी थी। बहुत बड़े-बड़े घोटाले किए उससे भी ज्यादा घोटाले करने की कोशिश की गयी थी। ज्यादा घोटाले ये न कर पाएं इसलिए, और तांबी साहब जैसे +++ व्यक्ति को बचाने का षड्यंत्र इस विधेयक में किया जा रहा है, इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि यह राजस्थन भू-राजस्व विधेयक, 2003 यहां लाया गया है, इसको एक महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। श्री रामनारायण विश्नोई। (अनुपस्थित) माननीय डा. रामप्रताप (अनुपस्थित) माननीय श्री भंवरलालजी शर्मा (हवामहल)।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, वास्तव में यह कानून राजस्थान के लाखों काश्तकारों के लिए लाया जा रहा है और बहुत ही विचार के बाद इसको पास करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदया स्वयं ने इस एक्ट को अध्ययन करने के बाद यहां रखा उसके बाद भी यह अनुभव किया कि इसमें बहुत सारी गलतियां रह गयी हैं। अमैंडमेंट आपने पेश किये हैं ये पर्याप्त नहीं हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर अमैंडमेंट करना आवश्यक हो गया है। लेकिन क्योंकि अब आज इसको पास कर रहे हैं, मैं दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

आपने सैक्शन-4 है इसमें सारी, जितनी भी जमीनें हैं, रोड्स हैं, ये सरकार के आधिपत्य में दे दीं। अभी आप पिछले दिनों में बात कर रहे थे, पंचायतों को सशक्त करेंगे, पंचायतों को अधिकार देंगे। लेकिन जो प्रापर्टी पंचायतों के पास में थी वह भी आप हटा कर सरकार को दे रहे हैं, तो आपका यह कहना कि प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और पंचायतों को मजबूत करेंगे, यह गलत साबित होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा यह बताइये आप?

फिर जो सैक्शन 4 की उप धारा 3 है उसमें आपने यह तय किया है "Where any property or any right in or over any property is claimed by or on behalf of the State or by any person as against the State, it shall be lawful for the Collector, after..." फार्मल तो हटा दिया आपने। आफ्टर इंक्वायरी, मतलब जनता के और सरकार के बीच में कोई विवाद है जमीन का, उसका निर्णय कौन करेगा? कलक्टर करेगा? जनता के बीच में और सरकार के बीच में किसी जमीन का विवाद है तो अधिकार कलक्टर को दे दिया आपने, कलक्टर पार्ट आफ दी गर्वनमेंट नहीं है क्या? तो गवर्नमेंट ही पार्टी होगी, गवर्नमेंट ही गवाह होगी और गवर्नमेंट ही निर्णायक होगी। यह काहे के लिए किया आपने? यह तो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को देना चाहिए था। इससे कोई काश्तकार के हित की मंशा प्रकट नहीं होती है।

फिर सैक्शन-5 में है-"Liability of all land to payment of revenue or rent.-(1) Subject to the provisions of this Act or any other law for the time being in force, all land, to whatever purpose applied and wherever situate, is liable to the payment of revenue or rent to the State Government." मतलब अगर किसी आदमी की जमीन किसी काम में नहीं आ रही है तो वो मालिक जरूर है फिर भी रेंट लेंगे आप। और कब से लेंगे? जब से जिन्दगी शुरू हुई है तब

(श्री भंवरलाल शर्मा)

से लेंगे। तो जो काश्तकार कई बार जमीन को काम में नहीं ले पाते हैं, वह उसके लिए अनुपयोगी है, अधिक लाभ नहीं देती है, और उसको रख रखा है, उसको भी आप अब मुक्त नहीं करेंगे। यह किसान के हित में कौन-सी बात होगी, इस पर विचार करिये आप। "No length of occupation of any land shall release such land from the liability to pay revenue or rent." आपने कह दिया, कितने ही वर्षों से कब्जा हो उसका, जो मैं समझा हूं। माननीय सभापति महोदय, यह कानून आपके पास है क्या? आप देखें इसको "no length आफ आक्यूपेशन," अगर सात पीढ़ी से भी कब्जा है तब भी उसको रेंट आपको पे करना पड़ेगा। और कब से? वो तब से करना पड़ेगा। मान लीजिये, किसी आदमी ने कब्जा कर रखा है वर्षों से और किसी दूसरे ने खरीद लिया, then who will pay? किससे लेंगे आप? तो क्या जो नये काश्तकार ने जमीन ली है, नये व्यक्ति ने, उससे इतने वर्षों का आप रेंट लेंगे? कानून तो आज पास कर रहे हैं, जब उसने खरीदी तब यह कानून नहीं था, उसको यह जानकारी नहीं थी कि मुझे इतनी पीढ़ियों का भी रेंट देना पड़ेगा, तो क्या आप उस पर भी लागू कर देंगे यह? How is it possible? न्यायसंगत कैसे है?

आपने वेकेंट लैण्ड की कोई सीमा तय नहीं की है। अगर खाली जमीन भी है, चाहे थोड़ी-सी भी है, 5 गज भी है, उस पर भी आप रेंट लेंगे। तो कुछ तो सीमा तय करनी चाहिए आपको कि इतनी तो एगजम्प्ट रहेगी ही रहेगी। वो भी आपने तय नहीं किया।

फिर आपने तहसीलदार को बहुत बड़ी पावर दे दी। तहसीलदार साहब जांच करेंगे, एनक्रोचमेंट हटाएंगे और नहीं तो जेल भेज देंगे। तहसीलदार ही जेल भेज देगा। और कितनी जेल भेजेगा? तीन महीने की भेजेगा। और आपने यह भी तय किया कि एनक्रोचमेंट में अगर फसल है तो वह एक सप्ताह में खाली करेगा। यदि एक सप्ताह में खाली नहीं करता है तो वह इस अपराध में शामिल हो जाएगा। एक सप्ताह में फसल कटकर जा सकती है क्या? उसमें आपने रीजनेबल टाइम नहीं दिया। बजाय इसके आप उसमें लिख देते रीजनेबल टाइम, बात समझ में आ सकती थी। आपने एक वीक फिक्स कर दिया कि उसको एक सप्ताह में खाली करना चाहिये। कुछ तो व्यवहारिक बनाइए इसको। खड़ी फसल को, अगर कच्ची फसल है फसल पकी नहीं है तो कैसे काटेगा वह? और काटकर आप लाभ क्या उठाओगे उससे? इससे प्रदेश को ही हानि होगी। आप जुर्माना करवा लो, बाद में कुछ भी करिए लेकिन रीजनेबल टाइम दीजिए, ताकि वह फसल काटकर खलिहान

(श्री भंवरलाल शर्मा)

से अपने खेत में तो ले जाए। आपने उसमें तय कर दिया कि एक सप्ताह में करना पड़ेगा। और जो प्रोविजन है उसमें सजा तो आपने उसको दे ही दी कि तीन महीने तक की सजा भोगेगा ही भोगेगा। और आपने प्रोविजन में यह भी कर दिया कि अगर वह सात दिन में जमीन खाली करता है तो उसको सजा नहीं होगी। इन दोनों में क्या रेलेवेंस है, यह क्लीयर कीजिए आप? नीचे तो प्रोविजन में यह कर दिया कि सात दिनों में खाली करता है तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, ऊपर आपने कहा कि नहीं तो उसको तुरन्त जेल भेज दिया जाएगा तहसीलदार भेज देगा। एक्सप्लेशन में आपने जिन भूमियों को मुक्त रखा है उसमें स्कूल, हास्पिटल ऐसी कोई जमीन है उसको इसमें इनक्लूड नहीं किया, वह इसमें करना चाहिये था आपको। यह आपका सब-सैक्शन 5 है-"...the Tehsildar shall, unless in the case covered by clause (ii) the trespasser undertakes to vacate the land within a week's time..." एक सप्ताह में खाली कर देगा तो उसकी जान बच जाएगी। मैंने जैसा निवेदन किया, अगर उसकी फसल खड़ी है तो एक सप्ताह में उससे खाली करवाकर क्या करोगे? इसको चेंज कीजिए आप। फिर आपने आगे लिखा है..."...and vacate it within such time, order the removal of the trespasser from such land and shall remove, or depute any person..." Not officer. खाली कराने के लिये तहसीलदार डेप्युट एनी पर्सन, पर्सन मींस कोई सामान्य आदमी भी हो सकता है, उसकी क्या अथोरिटी होगी? Why should it go to a person? कमलाजी, आपके यह समझ में आ रही है, Am I clear? आपका ध्यान है न?

डा. (श्रीमती) कमला : और किधर है, मैं तो आपके सामने ही बैठी हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ध्यान है न? यह जो पर्सन है इसको क्लीयर कीजिए। कोई पर्सन को वह अधिकार दे देगा कि वह उससे खाली करवाए। आपने यही लिखा है..."...order the removal of the trespasser from such land and shall remove, or depute any person..." The word is "any person to remove." तहसीलदार जी किसी को भी कह देंगे कि जा खाली करके आ जा, यह कैसे होना चाहिये? यहां पर्सन से मतलब क्या है?

सैक्शन 6 में जो सजा है वह कम है, यहां आपने उसको ज्यादा कर दिया। आफेंस वही का वही है। इन दोनों में अन्तर क्या है? फिर आपने कहा कि

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नैचुरल प्रोड्यूस है जंगल की जैसे झाड़ी है, कोई बेल है, पेड़ है वह भी जंगल की प्रोड्यूस है, अगर किसी भेड़ चराने वाले ने, किसी ऊंट वाले ने, यह रोज होता है, वह खा लिया तो उस पर भी आप जुर्माना करोगे। रोज रास्ते से भेड़ें जाती है, ऊंट जाते हैं, कोई नीम में मुंह मार दिया, किसी ने घास काट ली, किसी ने झाड़ी काट ली तो वह जंगल की नैचुरल प्रोड्यूस तो है उस पर भी आप जुर्माना कर दोगे, How is it possible? Why it is so?

फिर जो कांस्टीट्यूशन आफ बोर्ड है उसमें आपने यह तय किया है–"There shall be established for the State of Rajasthan a Board of Revenue referred to in this Act as the Board." "(2) The Board shall consist of a Chairman, and not less than three..." तीन मैम्बरों से कम नहीं होगे..." ...and not more than 15 other..." क्या रेशो है। कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा 15 यह इम्प्रपोर्शनेट है। और इतना ही नहीं किया, आपने और यह लिख दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 15 से भी ज्यादा हो सकते हैं, इनकी संख्या तय नहीं की। यह इम्प्रपोर्शनेट इम्बैलेंस होगा। कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा 15 इन दोनों में अन्तर बहुत है और उसके बाद 15 से भी अधिक आप कर सकती हैं। ऐसी क्या बात है इसमें, इसमें कोई पर्मनेंट नम्बर तय कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, ईमानदारी से तो यह अध्ययन बहुत कम हुआ है लोगों का। कुछ अमैंडमेंट्स दिये हैं वे तो अभी दिये हैं उनको कहां इनकारपोरेट करेंगे, क्या करेंगे हम? फिर आपने कहा रेवेन्यू बोर्ड का जो नियंत्रण रहेगा वह रेवेन्यू कोर्ट में तो रहेगा, लेकिन आपने रेवेन्यू आफिसर भी लगा दिया। रेवेन्यू आफिसर पर भी उनका कंट्रोल रहेगा। तो ये गवर्नमेंट के सदस्य माने जाएंगे, रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य माने जाएंगे? किसका कंट्रोल रहेगा। रेवेन्यू कोर्ट तक तो ठीक है पर जो रेवेन्यू आफिसर है, एस.डी.ओ. वगैरह हैं इन पर उनके कंट्रोल से क्या मतलब? Then what the government will do? गवर्नमेंट भी करेगी, रेवेन्यू बोर्ड भी करेगा, यह एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है बोर्ड को क्यों करना चाहिये? बोर्ड का फंक्शन जुडीशियरी है, प्रशासनिक व्यवस्था तो सरकार के पास रहनी चाहिये, जो है। तो आपने उसको अधिकार क्यों दिया यह भी इसमें एक विसंगति है।

कभी कोई विषय आ गया कि कोई आर्डिनेंस है, कोई नियम है उस पर रेवेन्यू बोर्ड चाहे तो सरकार को बुला सकता है, उसको भी पार्टी बना सकता है, तो आपने यह लिख दिया कि..."If, at any

(श्री भंवरलाल शर्मा)

stage in any proceeding before the Board, it appears to the Board that the proceeding raised question as to the interpretation of a law which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to hear the State Government, the Board shall issue notice to the State Government and the State Government may, if it thinks fit, appear and the Board shall then hear the State Government before deciding the question." मतलब गवर्नमेंट को बोर्ड बुलाए तो आपने लिख दिया, गवर्नमेंट चाहे तो आके हो जाए "...and the State Government may if it thinks fit..." रेवेन्यू बोर्ड के बुलावे को, सम्मन को ठीक समझे तो जाए, वरना उसको रद्दी की टोकरी में डाल दे। रेवेन्यू बोर्ड की हैसियत को ही कम कर दिया आपने। ऐसी बातें इसमें रखी हैं, मैं समझता हूं इसको पास करने से पहले आप इस पर विचार करेंगी तो जन हित में होगा, अच्छा होगा। और इससे ज्यादा अच्छा तो यह है कि इसको जनता में भेज दीजिए, इसकी रिपोर्ट ठीक से आ जाएगी, इसमें सबकी सलाह आ जाएगी।

श्री सभापति : माननीय श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 2003 सदन के समक्ष विचारार्थ है। इस विधेयक में राज्य सरकार की तरफ से 11 संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, जहां तक मुझे मिले हैं और मैंने गिनती की। सभापति महोदय, इस बात की तो खुशी है कि माननीय मंत्री महोदया ने कुछ आवश्यक संशोधन और कुछ नीतिगत संशोधन, कुछ औपचारिक और कुछ नीतिगत संशोधन स्वीकार किये। पर अनेक मुद्दों पर अभी तक भी राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि सभी संशोधनों पर पूरा विचार करने का अवसर नहीं मिला। सभापति महोदय, निश्चिंत रूप से सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि भारी भरकम लैण्ड रेवेन्यू एक्ट जो वर्तमान में था 1956, उस भारी-भरकम एक्ट के गैर जरूरी प्रावधानों को हटा दिया गया। एस्टेट होल्डर के बारे में एक अध्याय था, सभापति महोदय, क्या आपको ये इसी तरह से डिस्टर्ब करेंगे? जो भारी-भरकम अनावश्यक चैप्टर थे वे कुछ हटा भी दिये गये। एस्टेट होल्डर के बारे में चैप्टर हटा दिये गये, आज उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। ये जो हटाये गये हैं इनसे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये अब रेलेवेंट ही नहीं हैं, उनका कोई सन्दर्भ नहीं है। वे चैप्टर हटा दिये गये, पर मैं निवेदन यह करता हूं कि जब आप नया कानून ला रहे हैं, राजस्थान की विधान सभा एक दिन में कुल मिलाकर 72 पेज का कानून बना दे, क्या राजस्थान के बुद्धिजीवी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

और प्रबुद्ध लोग हम पर हंसेंगे नहीं कि हमने 152 प्रावधानों पर दो घंटे में चर्चा कर ली और उसको पास कर दिया? आखिर इस सदन में महत्वपूर्ण कानून है, राजस्थान टिनेंसी एक्ट, पर हम लोगों ने प्रस्ताव मूव किया कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाए और इस सदन में माननीय मंत्रीजी ने मंजूर किया। आज भी तो हम यही कह रहे हैं कि इस कानून को आप प्रवर समिति के सुपुर्द करें। सवाल यह है कि आज का दिन आखिरी दिन होना चाहिए और अब यह राज्य सरकार के सोचने का विषय है।

हमारा बहुत स्पष्ट मन्तव्य है कि जो ये 152 प्रावधान हैं इन सभी प्रावधानों पर सलैक्ट कमेटी में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। सारा रेफरेंस इसमें राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 2003 का है, 6 जगहों पर, जब 6 जगहों पर यह रेफरेंस आया राजस्थान टिनेंसी एक्ट 2003, मतलब यह कि राज्य सरकार की मंशा यह थी कि 2003 टिनेंसी एक्ट पहले पास हो जाएगा। और फिर उसमें दी हुई परिभाषाएं इसमें उपभोग में ले ली जाएंगी। पर 2003 का टिनेंसी एक्ट तो हैं ही नहीं, और इसमें हमने भी संशोधन दिया कि इसको राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 पढ़ा जाए। यह खुशी की बात है कि माननीय मंत्रीजी ने 6 जगहों पर संशोधन राज्य सरकार की तरफ से पेश किया। इसमें जितनी भी परिभाषाएं हैं वे सब परिभाषाएं 1955 के राजस्थान अभिवृति अधिनियम के तहत जो दी हुई हैं वे पढ़ी जाएंगी। इस कानून में जो कुछ नई चीजें लाये हैं, आपने कानून में यह इंट्रोडयूज किया है, पहले तो आपने यही इसमें लिख दिया, सैक्शन चार पर अभी काफी चर्चा हुई हैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का पुराना सैक्शन 88 अब नये सैक्शन फोर के रूप में है। मैं निवेदन करता हूं कि हमने जो संशोधन दिये, माननीय मंत्री महोदया ने उन संशोधनों को इस बिल में इनकारपोरेट करने का प्रस्ताव दिया है। संशोधन क्या था? पहली बात तो यह है कि इन्होंने धारा चार में लिखा कि कलक्टर औपचारिक जांच करेगा। यह औपचारिक जांच माननीय मंत्री महोदया, 1956 से चल रही है। औपचारिक जांच में जहां राज्य सरकार किसी सम्पत्ति पर अपना अधिकार मानती है या कोई दूसरा व्यक्ति, ऐसे प्रकरणों की सुनवाई करने का अधिकार कलक्टर को है, और उसमें यह लिख दिया कि औपचारिक जांच के द्वारा कलक्टर तय करेगा। मुझे खुशी है कि आपने औपचारिक शब्द को ड्राप किया संशोधन के द्वारा, क्योंकि औपचारिक जांच, फार्मल जांच, ऊपर-ऊपरी जांच, सरकारी जांच का कोई मतलब नहीं है। जहां सम्पत्ति का निस्तारण होता है, कि राज्य सरकार की है या किसी नागरिक की है, वहां निश्चित रूप से जांच हो और जांच होने के पश्चात् कलक्टर महोदय

(श्री मानिक चन्द सुराना)

निर्णय करें। उसके साथ में, कलक्टर के निर्णय के खिलाफ जो भी अपील का प्रावधान है, कलक्टर के निर्णय की अपील पहले रेवेन्यू अपील अथोरिटी में जाती थी, उसके बाद भी कोई अपील का प्रावधान है तो उन अपीलों के निस्तारण की एक साल की अवधि में दीवानी दावा वह व्यक्ति कर सकेगा, जो विदित है। सरकार भी कर सकेगी।

हमने यह संशोधन दिया कि यदि किसी के पक्ष में, आपने तो नोटिस दे दिया कि सम्पत्ति राज्य की है जवाब दो, यदि उस व्यक्ति के पक्ष में पहले से दीवानी न्यायालय का सक्षम निर्णय है तो आपकी यह कानूनी कार्यवाही बिलकुल निरस्त कर दी जानी चाहिए। यदि दौराने कलक्टर महोदय के नोटिस के कोई दीवाना दावा वह करे और उसका निर्णय आ जाए अपील का निर्णय हो उससे पहले, तो दीवानी दावे में जो भी निर्णय है वह प्रभावी होना चाहिए और आपके अपील-शफील के निर्णय निरस्त होने चाहिए।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री महोदया ने जो सैद्धान्तिक नीतिगत संशोधन हमने दिया था, ठीक है वह उस भाषा में न सही, पर कुल मिलाकर नीतिगत, सैद्धान्तिक रूप से उस बात को और उस संशोधन को स्वीकार किया। इस बात के लिए मैं मंत्री महोदया को बधाई देना चाहूंगा। यह संशोधन जब हमने भेजा तो हमें उम्मीद थी कि आप जैसी विदुषी महिला इसको पढ़ेगी। निश्चित रूप से बाद में दीवानी दावा करने का प्रावधान है, पर यदि उस व्यक्ति के पक्ष में पहले से दीवानी वाद का निर्णय है तो वह क्यों दुबारा दीवानी अदालतों के चक्कर काटता फिरे? आपने उस संशोधन को माना, मुझे बहुत खुशी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन की गरिमा बनाकर नहीं रखते, इनको डांटो साहब, बहुत गम्भीर बात है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : थोड़ा सुनने का प्रयत्न कीजिए। हमारा तो यही नम्र निवेदन है कि आप भी कुछ सुनने का प्रयत्न करें। (व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुराना जो कानून था लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, उसमें बोर्ड आफ रेवेन्यू तक अपील होती थी, आपने जो नया कानून बनाया है, अपील के प्रावधान में यह लिख दिया धारा 61 में कि दो अपीलों से अधिक अपील नहीं होंगी। "Provided that in no case the number of appeals under this section shall exceed two." मैं निवेदन करना चाहता हूं, नीचे के प्रावधान को देखें। सन् 1961 के नीचे जो टेबल है, 61 के नीचे की टेबल, पेज 28 पर देखें। तहसीलदार का निर्णय कलक्टर के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

यहां अपील में जाएगा। सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय राजस्व अपील अधिकारी के यहां जाएगा। कलक्टर और जिला भूमि अभिलेख अधिकारी का निर्णय आयुक्त के यहां अपील में जाएगा और आयुक्त और निदेशक भूमि अभिलेख और राजस्व प्राधिकारी का निर्णय राजस्व बोर्ड में जाएगा। जब हमने यह प्रक्रिया बिलकुल न्यायिक समझी है और इसको एक सिद्धान्त माना है कि तहसीलदार का निर्णय कलक्टर को अपील में जाएगा, कलक्टर का निर्णय कमिश्नर को जाएगा और हम कमिश्नर के निर्णय को राजस्व बोर्ड में भेजने को तैयार हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को कोई भूमि आबंटित की गई तहसीलदार या एस.डी.ओ. के निर्णय के खिलाफ, तहसीलदार का ही निर्णय हुआ, कोई भूमि अलाटमेंट नहीं और वह कलक्टर के यहां आ गया तो कलक्टर की अपील गई। डिवीजनल कमिश्नर को पहले जाती थी रेवेन्यू अपील अथोरिटी। कमिश्नर के निर्णय की अपील जब हम खुशी रख रहे हैं राजस्व बोर्ड में, तो चाहे वह तीसरी अपील हो, पहली अपील कलक्टर में, दूसरी कमिश्नर और चाहे वह तीसरी राजस्व बोर्ड में हो, आपको क्या आपत्ति है कि आपके कमिश्नर के निर्णय को राजस्व मण्डल देख ले? राजस्व मण्डल जब तक किसी बात को नहीं देखता राजस्व मण्डल सर्वोच्च अदालत हमने बनाई है राजस्व के मामले में, जब तक वह नहीं देखता है तब तक किसी भी नागरिक को, किसी भी ग्रामीण को कैसे संतोष हो सकता है कि मेरे साथ न्याय हुआ है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रावधान है कि दो अपीलें ही होंगी, आप इस प्रावधान को विलोपित करने की कृपा करें और इसमें आवश्यक संशोधन करें। जो भी निर्णय अपील में हम साधारणतया समझते हैं कि जाने चाहिए और जा रहे हैं हमारी टेबल के अनुसार, धारा 61 की, उनको वहां जाने दीजिए।

श्री सभापति : माननीय सुरानाजी, आप बहुत विद्वान हैं, तीसरी अपील किन किन कानूनों में आज के दिन प्रोवाइडेड है? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न आपने पूछा है उसका उत्तर मैं वैसे ही दे दूं, यह उचित नहीं होगा, इसलिए मैं आपके सामने आर.आर.डी. 2002 पेज 41 पर जो निर्णय आनरेबल जस्टिस शिवकुमारजी शर्मा का लैण्ड अलाटमेंट के मामले में हुआ उसको कोट कर रहा हूं। मैं इसको विस्तार से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 5-7 लाइन पढ़ूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि सैकण्ड अपील में तथ्यों की भी जानकारी की जा सकती है। दो कोर्ट तथ्यों में जा सकती हैं और तीसरी कोर्ट सब्सटेंशल क्वेश्चन आफ ला को देख सकती है। मैं थोड़ा-सा पढ़ूंगा,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जिससे आपके मस्तिष्क में जो प्रश्न आया और जो आपने सदन के सामने रखा– "Sub-Section (d) of section 76 of the 1956 Act..." 76 का जो सैक्शन है वह अपील का सैक्शन है "...Provides that an appeal shall lie from an order passed in appeal by the Revenue Appellate Authotrity to the Board." पहले रेवेन्यू अपील अथोरिटी से बोर्ड में जा रहा था "...Sec. 76 of the 1956 Act is a creature of the State Legislature, whereas Sec. 100 of the Code of Civil Procedure was enacted by the Parliament. Sec. 100 CPC expressly mandates for second appeals save as otherwise expressly provided in the body of Code or by any other law for the time being in force. In Milap Chand Versus Dwarka Das...This court indicated that under item 3 of second list of the Constitution of India, the State Legislature..." मैं एम्फेसिस देकर अर्ज कर रहा हूं "...can organise courts and provide for machinery except the High Court or the Supreme Court. In view of this, sec 76 of the 1956 Act is not hit by Article 254 (1) of the Constitution as the provisions contained in sec 76 of the 1956 Act are not repugnant to section 100 CPC. The scope of sec 76 is wider than section 100 CPC. Under section 76 of the 1956 Act, second appeal shall lie even on facts. It is not necessary to formulate substantial question of law involved in the appeal as is necessary under section 100 CPC. Second appeal under section 76(d) of 1956 Act lies from an order passed in appeal by the Revenue Appellate Authority to the Board of Revenue."

श्री सभापति : नहीं, सवाल थर्ड अपील का था, सैकण्ड अपील तो है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, थर्ड की बात नहीं, मैं कह रहा हूं, सैकण्ड अपील तक तो आने दीजिए। सैकण्ड अपील फैक्ट्स में जाएगी। मैंने राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय कोट किया है कि फैक्ट्स में सैकण्ड अपील की जा सकती है। जब कलक्टर के यहां अपील आयी, कमिश्नर के यहां आयी, तो सभापति महोदय, दोनों फैक्ट्स में जा सकते हैं और फैक्ट्स में जाने के बाद सब्सटेंशल क्वेश्चन आफ ला यदि अराइज हो तो जिस तरह हमने सैक्शन 76 पिछले

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कानून में रखा, उसी तरह से नये कानून में, चाहे इसमें वह 61 है, हम इस तरह का प्रावधान कर सकते हैं। जहां थर्ड अपील जाएगी उसमें सब्सटेंशल क्वेश्चन आफ ला नहीं होगा तो या तो सर्टिफाई करेगा बोर्ड, और नहीं होगा तो वह खारिज कर दी जाएगी। पर यह खारिज करने का अधिकार, सभापति महोदय, नीचे नहीं रखे, बोर्ड तक जाने दें और सब्सटेंशल क्वेश्चन आफ ला जो भी महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उस नुक्ते में क्या हैं, इस बोर्ड को देखने दे, मेरा निवेदन यह है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा, पहले आपने रखा था और अभी भी रखा है कि कोई भी अपीलेट कोर्ट एडमिशन में मामले को खारिज कर सकेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह अवधारणा हम कहां से ले रहे हैं कि अपील में एडमिशन होगी? मैं निवेदन करना चाहता हूं, फर्स्ट अपील राइट है। सारा सिविल प्रोसीजर कोर्ड और सारे न्याय के सिद्धान्त, प्रथम अपील हमारा अधिकार है। द्वितीय अपील भी जैसा मैंने अभी पढ़ा, तथ्यों में जाने के लिये सैकण्ड अपील में भी राजस्व कानूनों में छूट इसलिये होनी चाहिए क्योंकि यह आम गरीब किसान से सम्बन्धित है। उसकी भूमि का मामला, वह अपील में जा रहा है और कोई अपीलेट कोर्ट में ग्राह्यता में खतम कर दिया, मैं संशोधन यही लाया हूं कि जहां प्रथम और द्वितीय अपील का प्रश्न है, ग्राह्यता में मुद्दे पर वह खतम नहीं की जाएगी। आप तो गुण–अवगुण के मुद्दे पर उसकी सुनवाई करके दोनों पक्षों को सुनकर कुछ भी करें, आखिर जल्दी क्या है कि वह एडमिशन में खारिज हो? एडमिशन में ही खारिज करने का अधिकार यदि हमने दे दिया तो, माननीय मंत्री महोदया, आप जानते हैं कि राजस्व अधिकारियों पर, हमारे एस.डी.ओज. पर, रेवेंयू अपीलेट अथोरिटीज पर शक की सुई रोज घूमती है, और शक की सुई घूमती ही नहीं है उनके खिलाफ पचासों शिकायतें प्रशासन को रोज प्राप्त होती हैं। कौनसी तहसील ऐसी नहीं है कि जहां यह शोहरत हो गयी कि ये एस.डी.ओ. साहब भ्रष्ट हैं, यह आर.ए.ए. भ्रष्ट है। जहां हाई–कोर्ट एडमिट करता है, मंत्री महोदया, वहां तो सारा मामला सिविल कोर्ट में छनकर आ रहा है। मुंसिफ के यहां सुनवाई, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील, कहीं सिविल जज के यहां अपील, ए.डी.जे. अपील सुनता है और उसके बाद हाई कोर्ट सैकण्ड अपील सुनता है। और हाई कोर्ट में भी प्रथम अपील जहां है वहां उसको राइट है, वहां एडमिशन नहीं होता प्रथम अपील में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हाई–कोर्ट में प्रथम अपील में ग्राह्यता का प्रथम नहीं है, एज आफ राइट काई भी पक्ष जा रहा है तो आप यह प्रथम अपील में ग्राह्यता के मामले

(श्री मानिक चन्द सुराना)

को क्यों रोक रहे हैं? इसको रोकने का क्या औचित्य है? यदि हमने रखा, हम तो चाहे अच्छी नीयत से रखें, बहुत शुद्ध नीयत से रखें कि मामले का निस्तारण जल्दी हो, लेकिन इस जल्दी निस्तारण के मामले में, मंत्री महोदया, अन्याय हो जाएगा। गरीबों के साथ बड़ा भारी ऐसा काम हो जाएगा जिसमें वह अपनी रोजी-रोटी और जमीन से महरूम हो जाएगा। अपील के प्रश्न पर राज्य सरकार बिलकुल गम्भीरता से जो संशोधन हम लोगों ने दिये हैं, जिसे पर अभी तक आपने कोई संशोधन स्वीकार करने का अपना मानस इंडिकेट नहीं किया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपील के मुद्दे पर भी प्रथम अपील में बिलकुल आप ग्राह्यता को हटाएं। सैकिण्ड अपील में हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। कलक्टर के आर्डर को कमिश्नर देखेगा, आखिर तो कमिश्नर उससे सीनियर अफसर है और कानून जो वह जानता है वह भी जानता है। तो तथ्यों की जहां सुनवाई हो सकती है, जैसाकि मैंने आपके सामने यह रूलिंग कोट की है श्री शिवकुमारजी शर्मा की, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां सैकिण्ड अपील के बाद निगरानी का सवाल है, वहां सब्सटेंशल क्वेश्चन आफ ला रखिये, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंत्री महोदया, निगरानी का प्रावधान, अपील के बाद जो निगरानी राजस्व बोर्ड में होती है, आपने सिविल प्रक्रिया संहिता की नकल पर निगरानी में संशोधन कर दिया है, निगरानी के प्रावधानों पर आपने संशोधन किया है, मैं उस प्रावधान को आपको अर्ज करना चाहूंगा।

यह धारा 69, क्लाज 69 अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं मैं, नीचे आपने जो प्रोविजो लिखा है, मैं अब हिन्दी में ही पढ़ देता हूं, पेज 31 पर है-''परन्तु बोर्ड किये गये किसी भी आदेश या किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में इस धारा के अधीन वहां के सिवाय न तो कोई फेरफार करेगा, न उसे उलटेगा, जहां आदेश, यदि वह पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता तो, वाद या अन्य कार्यवाहियों का अन्तिम रूप से निपटारा कर देता।''

सुविधा के लिये अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, ''Provided that the Board shall not under this section vary or reverse any order made, or any order deciding an issue in the course of a suit or other proceeding, except where the order, if it had been made in favour of the party applying for revision, would have finally disposed of the siut or other proceedings.'' मैं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदया से, ये निगरानी के प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता में अभी सन् 2000 में इण्ट्रोड्यूस हुए हैं इसके पहले निगरानी में एक शब्द का उपयोग किया हुआ है, जैसा कि मैंने संशोधन किया है, कि ऐसे मामले जहां यह लग रहा हो कि इस आदेश के कारण it will occasion a failure of justice, न्याय के निस्तारण में बिलकुल असफल हो जाएंगे हम, उन मामलों में भी निगरानी पहले होती थी, और ऐसे सैंकड़ों नहीं, हजारों आदेश हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने पास किये हैं। यह प्रावधान जो निगरानी का सिविल प्रक्रिया संहिता में आया है और अपन ने राजस्व मामलों में जो उद्धत किया है, इसको अपन कानून स्वीकार कर रहे हैं, मेरा निवेदन यह है कि इससे अनर्थ हो जाएगा। इससे अनर्थ हो जाएगा क्योंकि इसको आप यदि गम्भीरता से देख लेंगे, जिस आर्डर को मैंने चैलेंज किया, यदि वह मेरे पक्ष में होता तो मामले का निस्तारण फाइनल हो जाता। मतलब यह है कि मैंने तो कोई लिमिटेशन का मुद्दा उठाया और मेरे पक्ष में निर्णय होता तो वह वाद खारिज हो जाता, वाद खारिज हो जाता या वाद डिग्री हो जाता। इन दो परिस्थितियों के अलावा कोई भी पक्षकार निगरानी में जाएगा तो उसकी निगरानी यह कहकर ही अस्वीकार कर दी जाएगी कि वह इसकी परिधि में नहीं आती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन राजस्व मामलों का, जैसाकि पढ़ने-पढ़ाने का मेरा ताल्लुक पड़ा है और आर्ग्यू करने का भी पड़ा है, उनमें यह प्रोविजो सी.पी.सी. में कहीं सही हो सकती है पर यह राजस्व विधेयक में यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रावधान को भी आप संशोधित करें, इसको विलोपित करें। इस सैक्शन 69(बी) को आप विलोपित करने की कृपा करें।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान, मेरी बात को लम्बा नहीं करूंगा...

श्री सभापति : क्लाजेज में भी आपके अमैंडमेंट हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, मेरे अमैंडमेंट हैं।

श्री सभापति : वही तो है जो आप फर्मा रहे हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं वही बोल रहा हूं जो मेरे अमैंडमेंट हैं। मैं वही बोल रहा हूं क्योंकि बाकी बात कहने का तो फायदा क्या है?

श्री सभापति : उस वक्त बोलेंगे या...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा निवेदन है कि मैं जो अब बात कह रहा हूं मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं माननीय मंत्री महोदया के विवेक पर ही छोड़ रहा हूं कि उसमें से वे क्या ग्राह्य करती हैं और क्या ग्राह्य नहीं करती हैं। मैं धारा 83 की तरफ माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

सैक्शन–83, माननीय मंत्री महोदया, यह कानून तो अभी वर्तमान में भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ला रही हैं। यह तो सन् 1999 में बन गया राजस्थान में और विधान सभा में पास हो गया। राजस्थान लाज अमैंडमेंट एक्ट, 1999 के नाम से यह बिल आ गया और यह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन है 90(बी) के तौर पर। जो 90(बी) के तौर पर है उसको आप 83 के तौर पर लाये। मैंने उस 90(बी) को पहले भी पढ़ा और आज भी पढ़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको, देखिये बाई वे आफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल, दोनों परिस्थितियों में हम कह रहे हैं कि उस विक्रेता का अधिकार समाप्त हो जाएगा। मैं मानता हूं कि जहां किसी व्यक्ति ने अपने अधिकारों का, अपनी कृषि भूमि को विक्रय कर दिया तो फिर तो उसका अधिकार बचा ही क्या? लेकिन जहां सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है, माननीय मंत्री महोदया, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट के बारे में आप स्वयं देख लें और अपने विधि सचिवजी से पूछिये, किसी भी एग्रीमेंट के कारण कोई भी अचल सम्पत्ति में कोई अधिकार पैदा नहीं होता है। कोई एग्रीमेंट हो। और एग्रीमेंट कौन कर रहा है? काश्तकार कर रहा है। (व्यवधान) हां, वह सी.पी.सी., ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट का बिलकुल प्रावधान है। कोट तो क्या करूं, मैं अर्ज कर रहा हूं लेकिन यह सैक्शन नहीं बता पा रहा हूं, एक ही लाइन का सैक्शन है कि एग्रीमेंट के कारण अचल सम्पत्ति में एग्रीमेंट होल्डर का कोई अधिकार नहीं होगा और यह टी.पी. एक्ट का बिलकुल नीतिगत प्रावधान है। मैं निवेदन करता हूं कि जिस काश्तकार ने सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल किया है उसने विक्रय नहीं किया है, आप उसके अधिकार कैसे समाप्त कर देंगे? और एग्रीमेंट से जिसने 10 परसेंट, 5 परसेंट रुपया देकर खरीदा है, उसके पक्ष में विनियमन कैसे कर देंगे? यदि किया जाता है तो बड़ा-भारी अन्याय है। इसीलिए मैंने निवेदन किया है संक्षेप में कि एग्रीमेंट टू सेल विथ पजेशन लिखें। विथ पजेशन इसलिए लिखें कि 1999 में राजस्थान में यह कानून आ गया। सभापति महोदय, कि जहां एग्रीमेंट विथ पजेशन होगा वहां पर सेल की पूरी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, यह 1999 में रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्टाम्प ड्यूटी दोनों में संशोधन अपन ने किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब अपन 1999 से एग्रीमेंट टू सेल विथ पजेशन होते ही पूरी सेल ड्यूटी की स्टाम्प ले रहे हैं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

तो हम तो इसमें कम से कम एग्रीमेंट टू सेल विथ पजेशन लिखें। यदि किसी काश्तकार ने पजेशन भी दे दिया है तो निश्चित रूप से उसने काफी कुछ लेकर ही दिया होगा और जहां पजेशन उसका है, वहां उसको अधिकार सिर्फ अपनी बकाया राशि को प्राप्त करने का है, इसके अलावा फिर उसको कोई अधिकार नहीं बच जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि...

डा. (श्रीमती) कमला : दो-तीन लाइन नीचे लिखा है वह। दो-तीन लाइन नीचे वही लिखा है जो आप कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : लिखा है। मैंने उसमें संशोधन दिया है। माननीय मंत्री महोदया, 83 में मैंने एक छोटा-सा संशोधन दिया है कि एग्रीमेंट टू सेल विथ पजेशन, मय् कब्जे के। हमारी खुद की आय को ध्यान में रखते हुए और ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए ताकि काश्तकार के साथ फ्राड न हो जाए। काश्तकार तभी अपनी जमीन का कब्जा देगा जबकि वह 80, 90 परसेंट रुपया उससे ले लेगा, अन्यथा नहीं देगा। सब्सट्रेंशल रुपया ले लेगा तब देगा और तब तो जो भी बचा हुआ होगा-लाख, दो लाख, पचास हजार, चार लाख, वह भी दावा करके वसूल कर सकेगा। आज 10 लाख मिल गया, 2 लाख बच गया तो 2 लाख का दावा भी हो जाएगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल और उसमें 10 परसेंट रुपया दिया, 5 परसेंट रुपया दिया और हम विनियमन उसके पक्ष में कर दें तो अन्याय हो जाएगा काश्तकार के साथ में इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसको आप संशोधित करें। एग्रीमेंट टू सेल विथ पजेशन मेरी भावना है जो मैंने यहां व्यक्त की शब्दों में। उसको ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट से चैक कर लें। रजिस्ट्रेशन एक्ट में हम खुद संशोधन 1999 में लाये हैं, 1999 की तारीख कोई दिसम्बर, नवम्बर की है, मैं एग्जक्ट डेट आपको नहीं दे रहा हूं अभी, वह ला-डिपार्टमेंट आपको दे देगा, तो मेरा निवेदन है कि इसको आप संशोधित करें। यह संशोधन होने के बाद निश्चित रूप से जो फ्राड की गुंजाइश है धारा 83 के एग्रीमेंट टू सेल के कारण, वह फ्राड की सारी गुंजाइश समाप्त हो जाएगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

इसके साथ ही आप थोड़ा-सा गौर फर्माएं। सैक्शन 83 की उप धारा 11 पर। माननीय सभापति महोदय, यह देवस्थान की सम्पत्तियों के बारे में है, मूर्तियों की सम्पत्तियों के बारे में हैं और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हैं, वह चाहेगा तो उन भूमियों को विकसित कर सकेगा। उसके

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लिए वह जो भी अपनी लैण्ड है, एक बार राज्य सरकार को समर्पित कर दे और राज्य सरकार वापस उनको, ट्रस्ट के कब्जे से ली है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के कब्जे से ली गयी है, तो वापस उसको विकसित करने के लिए दे दे। जयपुर शहर ऐसा शहर है, सभापति महोदय, जहां पर हजारों मन्दिरों के साथ दो बीघा, पांच बीघा, दस बीघा भूमि शहर के बहुत विकसित इलाकों में है, और वे विकसित इलाके ऐसे हैं कि यदि वह उसको डवलप कर ले तो मूर्ति मन्दिर के लिए लाखों रुपये की आमदनी का साधन बनता है। पर आपने नीचे जो व्याख्या दी है, उस व्याख्या के कारण ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने लिखा है, यदि वह भूमि उसको फ्री आफ कास्ट दे दी स्टेट गवर्नमेंट ने, 100 साल पहले दी–माननीय मंत्री महोदया, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 300 साल पहले, 50-60 साल पहले, और अब अपन कह रहे हैं फ्री आफ कास्ट दी, इसलिए अब हम उसको विकसित करने का मौका नहीं दें। यदि टोकन अमाउंट पर दे दी तो भी मौका नहीं देंगे। चैरिटेबल और मन्दिर की सम्पत्तियां तो फ्री आफ कास्ट ही राजा-महाराजा जिनका राज था वे फ्री आफ कास्ट ही देते रहे। भविष्य के लिए उसको चार-पांच बीघा देते रहे, 10 बीघा, 50 बीघा भी देते रहे। अब आप फ्री आफ कास्ट देख रही हैं तो इन सम्पत्तियों का विकास नहीं हो पाएगा इसलिए इस व्याख्या को विलोपित करने के लिए मेरा निवेदन है।

डा. (श्रीमती) कमला : कौनसा बता रहे हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, यह हो सकता है कि जितना रुपया उसमें आए, आप 10 परसेंट, 15 परसेंट कोई हिस्सा राज्य सरकार का उसमें निर्धारित कर दें कि जो भी उसकी टोटल डवलपमेंट से आय होगी, राज्य सरकार उसमें 15 परसेंट हिस्सेदारी करेगी, 12 परसेंट करेगी, साढ़े 12 परसेंट करेगी। वह आपके देखने की बात है।

मैं इन्हीं निवेदनों के साथ में माननीय मंत्री महोदया ने खुले दिमाग से कुछ संशोधन स्वीकार किया, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए और खुले दिमाग से कुछ और संशोधन स्वीकार करने का निवेदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने अनेक बिन्दुओं पर अपनी टिप्पणियां, अपने विचार, विश्लेषण दिये हैं। सबसे पहले तो मैं सदन से माफी चाहूंगी कि एक कलैरिकल मिस्टेक या टैक्निकल मिस्टेक के कारण टिनेंसी एक्ट, 2003 इसमें लिख दिया है, छपने से पहले इसको हटाना

(डा. (श्रीमती) कमला)

चाहिए था, जिससे कि यह गलती नहीं होती। वह जितनी भी जगह आया है उसकी भी आप संख्या गिन रहे हैं कि इतने संशोधन आये, इसलिए यह एक संशोधन तो सभी के ऊपर लागू है और यह हमें वापस करना आवश्यक भी था।

दूसरा, जो 83 में यह आशंका प्रकट की गई है कि इसके कारण से आप भू-माफियाओं को लाभ दे रहे हैं, मैं समझती हूं कि सुरानाजी इस बात को समझ रहे हैं, इसमें भू-माफियाओं को संरक्षण देने वाली बात नहीं है। राजस्थान विधियां विनियमन, 1999 में यह जो लाया गया, उसके अन्तर्गत जो कार्यवाही हो चुकी, उसी को नियमन करने या उसको इंटेक्ट रखने की दृष्टि से किया गया है। जो हो चुका है उसको हमें रखना ही पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह भी आप ही की कृपा से था। वह भी आप ही लेकर आये थे।

डा. (श्रीमती) कमला : वह कृपा किसी की भी हुई हो लेकिन वह कृपा हो चुकी इसलिए उस कृपा को...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नया एक्ट ला रहे हो, सुधार लो।

(15.00 बजे)

डा. (श्रीमती) कमला : सिर्फ उस कृपा को यहां पर दर्ज करने की नीयत से किया गया है, कोई और इसके अन्दर मंशा नहीं है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, I am sorry for the intervention, Sir, कि हम 1999 से 2003 के प्रकरणों को खोलने की बात नहीं कर रहे हैं। कानून तो आगे लागू होगा, आप जानती हैं, प्रोसपेक्टिव है। लेकिन आज यदि 'विद पजेशन' आ जाता है तो बहुत सारे काम जिनमें पजेशन नहीं है और वे लेन-देन से करवाना चाहते हैं वे सब रुक जाएंगे। हमारी नीयत पहले के प्रकरणों को खोलने की नहीं, माननीय मंत्री महोदया, हम तो सिर्फ आगे की रोक चाहते हैं जिनके पास एग्रीमेंट विद पजेशन नहीं है। देखिये, 1989 के बाद सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है और वह क्लेम करता है कि मेरा पजेशन है, तो वह गैर-कानूनी है क्योंकि 'विद पजेशन' होते ही उसको पूरी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। आप इस पर गम्भीरता से विचारें करें, हम सिर्फ आगे के लिये ही यह रोक चाहते हैं, पीछे के लिये नहीं चाहते। रिटोस्पेक्टिवली नहीं चाहते हैं हम यह कानून कोई रिट्रोस्पेक्टिवली 1999 से बने, ऐसी मंशा नहीं है।

डा. (श्रीमती) कमला : नहीं, इस धारा में आगे के लिये भी एग्रीमेंट टू सेल वैलिड माना जाएगा। यह कहीं पर भी उल्लिखित नहीं है, आपको आशंका क्यों हो रही है? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इसलिए कि एग्रीमेंट टू सेल विद पजेशन हो, तभी वह काम आगे चले, अन्यथा काश्तकार का अधिकार रह जाता है कि नियमन अपने नाम से कराए।

डा. (श्रीमती) कमला : काश्तकार के अधिकारों को इंटेक्ट रखने के लिये यह किया गया है कि जो जमीने नगरीय क्षेत्र में आ गयीं और काश्तकार से उसको रेगुलराइज करने की विधि कोई निकाली जाए तो वह यही है कि वह सरेण्डर करके गवर्नमेंट को दे दे और गवर्नमेंट फिर उसी को डवलप करने के लिये वापस सौंप दे। इसके अन्दर यही लिखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया, बिलकुल आप सही फर्मा रही हैं, 90-(बी) के अन्दर इसी तरह का प्रोसीजर था पर उसका दुरुपयोग कितना हुआ है? आप तो जानते हैं कि...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : दुरुपयोग को रोकने के लिये तो और बहुत सारे चैक एण्ड बैलेंसेज हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब हमारा निवेदन इतना-सा था कि उसमें विद पजेशन कर दे या सेल डीड रखे। स्टाम्प ड्यूटी चोरी होती है, अपनी स्टाम्प ड्यूटी मिलती नहीं है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती नहीं है। आप विद पजेशन कर दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : मुझे बताइये, जो काश्तकार खुद अपनी जमीन किसी को बेच चुका, उस काश्तकार की जमीन के बाबत में अब आप यह प्रावधान करिये कि जो ओरिजिनल ओनर था, उसके हिसाब से आप इसमें दर्ज करो, कैसे करेंगे?...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा एक निवेदन आप सुने। आपके पास दो दरख्वास्ते आईं, एक तो काश्तकार की आ गयी और एक आ गयी एग्रीमेंट टू सेल वाले की, जिसने 25 लाख के पेटे उसको 50 हजार या लाख रुपया दिया है। दोनों जमीन चाहते हैं। जो काश्तकार है वह भी चाहता है और एग्रीमेंट किया उसने आज तक रुपया नहीं दिया, 25 लाख में सिर्फ लाख रुपया देकर बैठ गया वह भी अब एक लाख वाला भी आ गया और जो मूल कृषक है जिसकी जमीन की कीमत 4-5-10 साल पहले 25 लाख आंकी गयी, वह भी आ गया। आप किसके पक्ष में नियमन करेंगे? जिसके पक्ष में पजेशन नहीं है...(व्यवधान) नहीं, नहीं, इसमें आगे लिखा हुआ है कि नियमन आप उसी के पक्ष में करेगी, जो आदमी पजेशन देगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इन बिन्दुओं को आप बहुत बखूबी और बहुत विस्तार से वर्णन कर चुके हैं यहां, इसलिए माननीय मंत्रीजी जवाब दे दें, फैसला हो जाएगा। बीच-बीच में ठीक नहीं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, हां, ठीक है, आप विचार कर लें।

डा. (श्रीमती) कमला : मेरा निवेदन यह है, इसमें कहीं भी यह मंशा नहीं है कि जो मूल काश्तकार है उसके बजाय एग्रीमेंट टू सेल से किसी के पास गयी है तो उसको तरजीह दी जाए। यह कहीं भी मंशा नहीं है। दूसरा, माननीय सदस्य ने यह कहा कि न्यायिक...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, माननीय मंत्रीजी, मैंने जो उदाहरण दिया उसमें मान लीजिये, इस तरह की दरख्वास्त आती है दोनों की, फिर नियमन किसके पक्ष में होगा, मैं तो यह पूछ रहा हूं? जिसके पास कब्जा नहीं है उसके पक्ष में नियमन हो ही नहीं सकता। आगे लिखा हुआ है इसी के सब-सैक्शंस में कि नियमन होकर सरकार जिससे कब्जा प्राप्त करती है उसी को ही वापस कब्जा देगी, यह साफ-साफ प्रावधान है। यह साफ प्रावधान है, 83(5) में साफ प्रावधान है। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां कब्जा नहीं है एग्रीमेंट टू सेल वाले का, वहां आप मूल काश्तकार जिसके पास कब्जा हो, उसको ही दें।

श्री सभापति : सुराना साहब, बहुत कह चुके हैं, इसलिए मेरे खयाल से चलने दो इसको आगे। बहुत कह चुके।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं माफी चाहता हूं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : एक आपत्ति माननीय सदस्य ने यह कही कि आप रेवेन्यू बोर्ड को प्रशासनिक अधिकार क्यों दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह जो एग्रीमेंट टू पजेशन है, एग्रीमेंट टू सेल वाले का भी वही अधिकार हो जाएगा। बात तो बड़ी लोजिकली कही जा रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं। क्लाज आए तब कहना आप। क्लाज आए तब कहना। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा भी है, क्लाज तो बाद में आएगा, लेकिन इस समय क्या माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना हमारा कर्तव्य नहीं बनता है?

श्री सभापति : उस वक्त कहे, आपको मौका देंगे। बीच में नहीं बनता।

श्री हीरासिंह चौहान : जहां भी ला डिफैक्टिव बनता है, we all are responsible for this.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोले।

डा. (श्रीमती) कमला : आप बोल लेते न तो पहले, अब बीच में कह रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, एग्रीमेंट टू सेल की जगह एग्रीमेंट टू सेल विद पजेशन...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : यह आप पहले बोल लेते, जो बोलना है।... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब यहां क्लाज आवे तब आपको बोलने की पूरी छूट दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसा है, माननीय सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी का भी मानस बना है, इस बारे में वह गम्भीरता से चिन्तन कर रही हैं कि यह डिफैक्ट रह गया है और हम तो केवल ध्यान में ला रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापतिजी, महानगरों के किसान बरबाद हुए हैं, भू-माफिया...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : किसान की ही चिन्ता है इसलिए हम ला रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : किसान के लिये हम बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : किसान की बहुत-सी परेशानियों को खतम करने के लिये ही ला रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : किसान के लिये बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप ज्यादा दु:खी मत होवो किसान के नाम से... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : क्यों?... (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : किसान आप भी हैं, हम भी हैं। सभी लोग किसानों के लिये काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जो कानून बन रहा है उसके लिये प्रावधान हो रहा है, जैसा माननीय सुराना साहब ने कहा... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय चौहान साहब। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : तो क्या होगा? भू-माफिया मालिक बन जाएंगे, किसान पीछे रह जाएंगे इसलिए हम विद पजेशन कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बड़े सीनियर मैम्बर हैं, विद्वान हैं, जब वह क्लाज आवे उस वक्त आपको पूरी छूट होगी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उस समय बोलेंगे लेकिन माननीय मंत्रीजी का मानस बनाएं इस मामले में हमारी ड्यूटी नहीं बनती है क्या?

श्री सभापति : क्लाज आवे तब बना देना मानस। माननीय मंत्री महोदया।

डा. (श्रीमती) कमला : मेरा निवेदन यह है कि जो काश्तकार ने करार किया है उस करार के तहत अगर काश्तकार उसको अपनी जमीन दे चुका है तो भी उसमें और आप हम बीच में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विद पजेशन रहने दो। मंत्री महोदया, आपको...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पजेशन ही तो हम मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? सेल ट्रांजेक्शन हुआ और पजेशन नहीं हुआ हो। ट्रांजेक्शन तो मामूली पैसा में हो जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टी.पी. एक्ट के तहत जिन बातों का जिक्र मैंने और लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, टी.पी.एक्ट से आप अलग कैसे जा सकते हो? क्रेता को कोई अधिकार ही नहीं है। क्रेता तो...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : इसलिए कब्जा अगर उसको दे चुका है तो फिर बताइये, क्या होगा? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, प्लीज बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया, आपको मालूम है...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : एक आशंका आपने प्रकट की कि आप रेवेन्यू बोर्ड को विभागीय अधिकारियों का प्रशासनिक नियन्त्रण क्यों दे रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा। न्यायिक अधिकारी हैं, सिर्फ उन्हीं का है। क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड अपैक्स कोर्ट है रेवेन्यू मामलों का, चूंकि वह अपैक्स कोर्ट है इसलिए नीचे के जितने भी न्याय कोर्ट्स हैं रेवेन्यू के, उन सबका नियन्त्रण, उनको निर्देशित करना, उनको मोनीटर करना, यह उनका नियन्त्रण है। बाकी प्रशासनिक कोई भी नियंत्रण इसमें कहीं रेवेन्यू विभाग के लोगों का नहीं दिया गया है। दूसरा आप यह कह रहे हैं कि आप लगान लगा रहे हो। लगान लगा रहे हैं, जरा आप खण्ड 5(3) को पढ़ो। पहले भी नोटिफिकेशन के तहत... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें डाल ही दो न आप। मंशा साफ है।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब। (व्यवधान) बस कीजिये।

डा. (श्रीमती) कमला : सुनिये तो सही, यह भी मंशा है। 5(3) में भी सरकार की मंशा है कि जिस किसी भी भूमि को जिस सीमा तक सरकार कभी चाहे कि वह लगान से बरी करे तो कर सकती है। इसलिए आज जो अधिसूचना जारी है वह स्टैण्ड करती है, उसको कौन हटा रहा है? इसके अलावा आपने कहा कि दूसरी अपील के ऊपर एक तीसरी अपील और होनी चाहिये, हमने यह सब इतना काम इसलिए किया कि कांश्तकार को वकील एक कदम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऊपर से ऊपर, आगे से आगे समय में इतना उलझा कर उसका खर्चा करता है, परेशान करता है। तो हम यह चाहते हैं कि जैसे ही इनीशिएट हुआ, केस इनीशिएट हुआ पहली स्टेज फस्ट अपील

(डा. (श्रीमती) कमला)

हुई, सैकण्ड अपील हुई, तीसरा, अब तीन–तीन स्टेटैज में अगर वह फैक्ट्स को, मटीरियल को, कागजात को पेश नहीं कर पा रहा है और आप कह रहे हैं कि आप तीसरी अपील और कराओ तो काश्तकार की दिक्कत को कम करने के लिये हमने किया। और सिंगल बैंच में नहीं हो, इसलिये हमने सीधे ही डबल बैंच रखी, क्योंकि सिंगल बैंच में आम तौर पर यह आपत्ति है, साहब, कि अकेला आदमी होता है, उसको कुछ हो गया है। इसलिए इसमें काफी चर्चा करने के बाद में, ला डिपार्टमेंट वालों से पूछ कर हमने किया कि सीधा ही डबल बैंच को ही दे न कि सिंगल बैंच को। पहले सिंगल बैंच करे, फिर वह डबल बैंच में जावे। तो समय भी बचे, काश्तकार का हैरेसमेंट भी बचे। इसका पैसा भी बचे, इसलिए यह व्यवस्था हमने की है। इसमें मैं समझती हूं काश्तकार के हित की बात है, उसके अहित की कोई बात नहीं है।

इसके अलावा आपने जो कहा कि रिव्यू का कोई उपाबन्ध नहीं किया। लिखा हुआ है 72–73 के अन्दर बाकायदा, पढ़ लो आप। इसलिए यह आपको आशंका लग रही है कि, साहब, आपने हैफहैजर्ड–वे में किया, जल्दबाजी में किया, आपको पता है, पहले यह प्रवर समिति में गयी, प्रवर समिति के बाद गवर्नमेंट की एक मंत्रिमण्डलीय समिति बैठी, उसमें हमने कुछ आपके मैम्बर साहिबान को भी बुलाया, मंत्री साहिबान भी बैठे, अधिकारियों को भी बिठाया। कई बैठक लेकर एक–एक क्लाजवाइज क्लाज इस पूरे के पूरे विधेयक के सन्दर्भ में हमने चर्चाएं की हैं, समीक्षा की है। काफी समय इसमें खर्च हुआ है। बल्कि जितना जल्दी इसको पहले आ जाना चाहिये था, उससे भी ज्यादा कई तर्क–वितर्क और कई क्वैरीज होने के कारण से इतना लम्बा समय लगा। इसलिए आज इसको पारित करने में कोई यह दिक्कत नहीं कि आप तो भाग रहे हो, आप भागमभाग में कर रहे हो। इसी को आप भागमभाग कहते हो तो इसका मतलब सोये रहना चाहिए था, काम नहीं करना चाहिए था, मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, यह तैयारी नहीं करनी चाहिए थी। बहुत मेहनत की है, इसके पीछे बहुत समय लगाया है, बहुत चर्चाएं हुई हैं उसके बाद में हाउस के सामने लाये हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगी, सभापति महोदय, कि इसको आगे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू–राजस्व विधेयक, 2003 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(डा. (श्रीमती) कमला)

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व विधयेक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशःविचार

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, प्रभारी मंत्रीजी संशोधन पेश करेंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माफी मांगते हुए कीजिये आप।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सभापति महोदय, खण्ड-3 के उपखण्ड-3 में जो शब्द ''औपचारिक'' है, इसे हटाये जाने का मैंने प्रस्ताव दिया है क्योंकि ''औपचारिक'' शब्द से ऐसा जाहिर होता है कि जैसे सामान्य, फारमल वे में कोई जांच कर ली जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री महोदया, मैं क्षमा चाहूंगा, खण्ड-3 दूसरा है, यह खण्ड-4 की बात कह रहे हैं आप।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, खण्ड-3 की बात कह रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खण्ड-3 में है, तो आप पहले 3 को देख लो। तीन दूसरा है।

डा. (श्रीमती) कमला : अच्छा, हां। यह तो वे सारे के सारे मुद्दे हैं कि जिसमें...

श्री सभापति : वो ही हैं लेकिन पेश करना पड़ेगा आपको विधिवंत्।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप विधिवत पेश कीजिये, आप प्रस्ताव कीजिये।

श्री सभापति : खण्ड-3 में जो प्रस्ताव है, संशोधन है।

डा. (श्रीमती) कमला : विधेयक के खण्ड-3 के उप-खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं:...)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3)'' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–3. में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जिस प्रस्ताव को स्वीकार करने का संशोधन प्रस्ताव मंत्री महोदया लेकर आयी हैं, मंत्री महोदया से संशोधन प्रस्ताव हमने ही प्रेषित किया था न, हमारा यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से क्यों आए? बड़ा मन रखते हुए यह कहें...

डा. (श्रीमती) कमला : आपका मंजूर करते हुए ही तो किया है न यह।

श्री सभापति : हो गया, हो गया। ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपका प्रस्ताव मंजूर हो गया, इसमें भी आपत्ति है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे उससे होना चाहिए, हमने रखा उसको।

डा. (श्रीमती) कमला : वास्तविकता यह है कि आपका जो संशोधन आया, उससे पहले ही मैं लिख कर दे चुकी थी।

श्री सभापति : मंत्री महोदया, खण्ड-3 में 3,4,5 जगह संशोधन आपका एक ही पेश होना है इसलिए वह भी पेश कर दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, साहब।

श्री सभापति : हां, कर रही हैं, पढ़ रही हैं न।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, यह (क) में भी है, चार जगह है।

श्री सभापति : हो रहा है न।

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड–3 के विद्यमान उप–खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :–

"(ज) नगरीय भूमि" से ऐसे नगरपालिका क्षेत्र और उसकी परिधि में के क्षेत्रों में स्थित भूमि अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए और नगरपालिका क्षेत्र के भिन्न–भिन्न वर्गों के लिए परिधि क्षेत्रों की भिन्न–भिन्न सीमाएं अधिूसचित की जा सकेंगी।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि आपको जिस अधिकारी ने यह लिख कर दिया है...

डा. (श्रीमती) कमला : इसी के साथ एक दूसरा और है तीन का।...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह छोटी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, इसको विधिवत तरीके से लाना चाहिए। इतना लाइटली कैसे लिया जा रहा है इसे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह कानून राजस्थान की...(व्यवधान)...इस कानून के अन्दर आपने उस कानून का जिक्र कर दिया जो कानून एग्जिस्टेंस में नहीं है। (व्यवधान) इतने अधिकारी बैठे हैं, आपने किसी के खिलाफ क्या कार्यवाही की, बताओ?

श्री सांवर लाल :...(व्यवधान)...लिख कर दिया है उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? इतनी ब्लंट मिस्टेक है...(व्यवधान)...इतनी बड़ी गलती इतने बड़े अधिकारियों द्वारा की जाए और उसको कोई रिग्रेट नहीं करे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं समझता हूं, मंत्री महोदया, यह आपकी चूक नहीं, यह चूक उन लोगों की है...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : दिक्कत क्या हो गयी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह दिक्कत है कि आपने जो ड्राफ्ट करके राजस्थान की विधान सभा में प्रस्तुत किया उसमें लैण्ड टिनेंसी एक्ट, 2003 का जिक्र कर दिया जो कहीं एग्जिस्टेंट में नहीं है। इसके बाद इतने अधिकारियों का लवाजमा है, आप इसके लिए किसी को लाइबल तो ठहराओ। किसी ने देखा होगा।

श्री सांवर लाल : ऐसा कोई है क्या अधिनियम, आप बताइये? सभापति महोदय, यह तो फण्डामेंटल मिस्टेक है, इसके लिए...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : फण्डामेंटल मिस्टेक है इसीलिए इसको प्रसारित किया गया है कि यह पढ़ा जाए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह तो हमारे संशोधन के बाद आपकी जानकारी में आया। (व्यवधान)...उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहती हो?

श्री हीरासिंह चौहान : इसके लिए कोई न कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए।

श्री सांवर लाल : आपके अधिकारी बिना पढ़े, बिना नालेज के आपको लिख कर दे रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह डिफैक्टिव...(व्यवधान)...राजस्थान की विधान सभा में आया कैसे?

श्री हीरासिंह चौहान : यह तो बहुत गम्भीर गलती है। (व्यवधान)...इसको कोई देखे ही नहीं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : इस गलती के लिए विभाग क्या कार्यवाही करेगा और असैम्बली क्या सजा देना चाहती है, वह तो फर्क बात है लेकिन जो अमैंडमेंट उसको ठीक करने के लिए लाया गया है वह तो आप पारित करेंगे न?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अमैंडमेंट तो आपका बहुमत है, प्रचण्ड बहुमत है और इस प्रचण्ड बहुमत के नाम पर आप इतरा रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि इन्होंने किया क्या है।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, बहुमत उपस्थित नहीं है।

डा. (श्रीमती) कमला : यह कहीं है क्या कि अगर कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारने के लिए आप असैम्बली में कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते? यह है क्या कहीं प्रावधान?... (व्यवधान)... इसकी सजा देना, उनके खिलाफ कार्यवाही करना, यह विभाग का काम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप करेंगे न? आप तो यह कह दो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपका मन है क्या कार्यवाही करने का?

डा. (श्रीमती) कमला : हां, यह तो किया जाएगा। सजा तो करनी पड़ेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करोगे न? यह हुई न कोई बात।

श्री सांवर लाल : यह हुई हिम्मत की बात।...(व्यवधान)

श्री सभापति : अब तो बिराज जाओ आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साहब, मेरे को इनकी छवि की चिंता है।

श्री सांवर लाल : आपकी छवि बरकरार रहनी चाहिए।

डा. (श्रीमती) कमला : इतनी बड़ी गलती है, सही बात है। विभाग की गलती हो, यह सही बात है।

श्री सभापति : मंत्री महोदया, तीन जगह है, वह आप सब पढ़ लो। जितने भी हैं, सब एक साथ पढ़ दो।

डा. (श्रीमती) कमला : सब, आगे तक के खण्डों के भी?

श्री सभापति : इसका। तीन वाले का।

डा. (श्रीमती) कमला : अच्छा, 3 का।

विधेयक के खण्ड-3 के उप-खण्ड (ट) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं....) के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3)" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री सभापति : एक और है। तीन हैं आपके।

डा. (श्रीमती) कमला : बस, 3 का तो यही है।

श्री हीरासिंह चौहान : हां यही है, यह और है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड–3 संशोधन रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–4, संशोधन, प्रभारी मंत्रीजी।

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, खण्ड–4 के उप–खण्ड (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''औपचारिक'' हटा दी जाए।

विधेयक के खण्ड–4 के विद्यमान उप–खण्ड (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप–खण्ड (7) जोड़ा जाए :–

''जहां उप–धारा (1) या (3) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई भी अधिकार किसी सिविल न्यायालय द्वारा पहले ही विनिश्चित कर दिया गया है या किसी सिविल न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद की विषय–वस्तु हो वहां कलक्टर उन उप–धाराओं के अधीन कोई भी आदेश पारित नहीं करेगा और वहां कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में उप–धारा (4) में विनिर्दिष्ट परिसीमा के भीतर संस्थित किया जाता है वहां ऐसे सिविल न्यायालय का विनिश्चिय कलक्टर द्वारा उप–धारा (1) या (3) के अधीन पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध फाइल की गयी अपील में किसी भी अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश पर अभिभावी होगा।''

श्री सभापति : श्री मानिक चन्द सुराना। श्री ज्ञानदेव आहूजा। श्री सांवर लालजी, आपकी बात तो मान ली गयी। श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री ज्ञानचंद पारख। श्री रामनारायण विश्नोई। श्री हीरासिंह चौहान।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किये हैं, स्वीकार किये जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारा भी तो है, साहब। या तो हमें आज्ञा दे कि हम अपना संशोधन वापस लें। (व्यवधान) या फिर हमारे संशोधन पर...

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, अगर हमारा संशोधन मान लेते हैं तो कौनसी आफत आ गयी? यह हमारे संशोधन के बाद अधिकारियों की जानकारी में आया, फिर सरकार की तरफ से संशोधन पेश हुआ।

डा. (श्रीमती) कमला : आपके संशोधन को हमने, एक पार्ट इसका लिखा

(डा. (श्रीमती) कमला)

हुआ था कि अगर किसी भी कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो उसके ऊपर सिविल कोर्ट का लागू नहीं होगा। दूसरा पार्ट इसका यह है कि अगर सिविल कोर्ट ने दे दिया है तो इनका लागू नहीं होगा। तो दूसरा पार्ट जोड़ दिया। आपके सुझाव से जोड़ा, चाहे जरूरत थी इसलिए जोड़ा।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदया, सवाल दूसरा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कहें ही यही न कि आपने जो संशोधन मूव किया उस संशोधन की मंशा के अनुसार मैं यह संशोधन मूव करती हूं। बस, झगड़ा इतना-सा है।

डा. सी. पी. जोशी : मान लिया न, वह लायी इसीलिये हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं तो कह ही रही हूं कि आपके संशोधन के सन्दर्भ में इसको पूर्ण किया गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-5, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 स्वीकार किया गया।

खण्ड-6, प्रभारी मंत्रीजी।

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, खण्ड 6 के उप-खण्ड (7) के भाग (ख) में, अभिव्यक्ति "एक हजार" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच हजार" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री सभापति : श्री मानिक चन्दजी सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री रामनारायणजी विश्नोई। आपकी मंशा का सम्मान कर लिया गया है।

डा. (श्रीमती) कमला : यह इनका ही सुझाव है, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, बाकी तो सारी बात आ गयी, इसमें सिविल कारावास और साधारण कारावास की बात है। मैं समझता हूं कि सिविल कारावास के अन्दर उसके लिविंग स्टैण्डर्ड के हिसाब से राज्य सरकार को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए उसको भी साथ-साथ मान लो, साधारण कारावास और सिविल कारावास का जो हमने संशोधन मूव किया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–6 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड–6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–7 से 11, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–7 से 11 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड–7 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड–12, प्रभारी मंत्रीजी।

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड–12 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं...)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3)'' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–12 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–12 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड–12 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–13, प्रभारी मंत्रीजी।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सभापति महोदय, खण्ड–13 में, अभिव्यक्ति ''या गठित किसी भी'' के पश्चात् और अभिव्यक्ति ''खण्ड न्यायपीठ'' के पूर्व आयी अभिव्यक्ति ''सदस्य के द्वारा या किसी भी'' हटा दी जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–13 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–13 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड–13 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–14, प्रभारी मंत्रीजी।

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, खण्ड–14 में शीर्ष में अभिव्यक्ति

(डा. (श्रीमती) कमला)

''उसके सदस्य'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''खण्डपीठ'' प्रतिस्थापित की जाए और अभिव्यक्ति ''एकल सदस्य'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''खण्डपीठ'' प्रस्थापित की जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–14 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–14 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड–14 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–15 से 27 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 से 27 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड–15 से 27 स्वीकार किये गये।

खण्ड–28, श्री मानिक चन्दजी सुराना, श्री ज्ञानदेवजी आहूजा, श्री सांवर लालजी, श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, खण्ड–27 के अन्दर...

श्री सभापति : अब क्या बाकी रह गया? खण्ड–27 तो हो गया, 28 पर बोलो आप।

श्री ज्ञानचन्दजी पारख, श्री रामनारायणजी विश्नोई, श्री हीरासिंह चौहान। कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–28 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड–28 स्वीकार किया गया।

खण्ड–29 से 64, कोई संशोधन नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खण्ड–28 में हमारा संशोधन था।

श्री सभापति : फिर बैठ तो गये थे न आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने तो एक्सप्रेस मेल चला रखी है, साहब। वैसे तो पारित होना ही है। उधर से हमें पर्यटन मंत्रीजी धमका रहे हैं और आप इतनी फुर्ती से चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

प्रश्न यह है कि खण्ड–29 से 64 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड–29 से 64 स्वीकार किये गये।

खण्ड–65, श्री मानिक चन्दजी सुराना,

(श्री सभापति)

डा. रामप्रतापजी, माननीय श्री ज्ञानदेवजी आहूजा, श्री हीरासिंह चौहान, श्री सुरेन्द्रजी गोयल, श्री रामनारायणजी विश्नोई, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री ज्ञानचन्दजी पारख, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–65 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड–65 स्वीकार किया गया।

खण्ड–66 से 68 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–66 से 68 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड–66 से 68 स्वीकार किये गये।

खण्ड–69, श्री मानिक चन्दजी सुराना, श्री रामनारायणजी विश्नोई, श्री राजेन्द्र राठौड़, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–69 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड–69 स्वीकार किया गया।

खण्ड–70 से 82, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–70 से 82 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड–70 से 82 स्वीकार किये गये।

खण्ड–83, श्री मानिक चन्दजी सुराना, श्री रामनारायण विश्नोई, श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, खण्ड–83 के अन्दर जो संशोधन हमने प्रस्तावित किया है, जिसकी चर्चा, मंत्री महोदय, कई बार हो चुकी है, मेरा आपसे फिर निवेदन है कि नगरीय क्षेत्र के आसपास जिन किसानों की कृषि भूमि आ गयी और जिनको एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर, पुरानी 90–बी के अन्दर और अब इस 83 के अन्दर आप पहले सरकार में निहित करके वापस देते हैं, उसको सेल आफ एग्रीमेंट विद पजेशन की बात आप कर दें तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। वरना हो क्या रहा है कि किसानों की भूमि पर एक बार एग्रीमेंट कर लेते हैं, फिर किसान भी चक्कर लगाते रहते हैं और उसी दरमियान उस भूमि को मूव कर देते हैं उसका लैण्डयूज चेंज करने के लिए। लैण्डयूज चेंज होने के साथ–साथ भूमि के पट्टे भी सोसायटीज काट देती हैं, इसलिए विद पजेशन की बात करो आप।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय मंत्रीजी।

डा. (श्रीमती) कमला : मेरे तो आपकी बात ही समझ में नहीं आयी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

इसमें प्रावधान यह है कि 150 यार्ड या 500 वर्ग गज तक का, जो भी कम हो, आप कम की बजाय अधिक लिखना

(डा. (श्रीमती) कमला)

चाह रहे थे तो हमने उसको इसलिए नहीं माना कि यह जो एग्रीकल्चर परपजेज हैं उसके लिए रखा है, बाकी ढाई हजार वर्ग गज का हमने अलग से प्रावधान कर रखा है कि वह किसी भी उद्योग धंधे या कारोबार के लिए अगर करना चाहते हैं तो ढाई हजार वर्ग गज तक उसको छूट है। न समपरिवर्तन की जरूरत है और न पैसा देने की जरूरत हैं और न किसी को पूछने की जरूरत है, इसलिए काश्तकार को खेती और उद्योग धंधा करने के लिए, दोनों को पूरा मौका दिया।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, संशोधन वापस ले रहे हैं? आप खड़े होकर इजाजत लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जो संशोधन मैंने मूव किया है उसे मैं वापस लेता हूं।

डा. (श्रीमती) कमला : धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्या संशोधन वापस लेने की आज्ञा दी जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा दी जाती है। अब वापस लो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जो संशोधन मेरे द्वारा प्रस्तावित है उसको मैं वापस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-83 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-83 स्वीकार किया गया।

खण्ड-84 से 107 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 84 से 107 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-84 से 107 स्वीकार किये गये।

खण्ड-108, प्रभारी मंत्रीजी।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड 108 के उप खण्ड-5 के भाग-3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान अभिधृति अधिनियम 2003, (2003 का अधिनियम संख्या-3)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान अभिधृति नियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या-3)" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 108 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 108 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 108 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

खण्ड 109 से 118, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 109 से 118 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 109 से 118 स्वीकार किये गये।

खण्ड 119, प्रभारी मंत्रीजी।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड 119 के उप खण्ड-क में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्या...)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या-3)" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 119 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 119 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 119 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 120 से 155, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 120 से 155 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 120 से 155 स्वीकार किये गये।

अनुसूची-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करें संशोधित रूप में।

विधेयक का पारण

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003 संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003 संशोधित रूप में पारित किया गया। माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में शिक्षा व शिक्षकों की स्थिति

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने दूर-दराज के इलाकों में भी प्रारम्भिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके इसके लिए पिछले चार साल में लगभग 21453 राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं और इन पाठशालाओं में पैराटीचरों, शिक्षा सहयोगियों को पठन-पाठन का कार्य सौंपा गया। आज इन पाठशालाओं में लगभग 25 हजार ऐसे राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के पैराटीचर्स कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने प्रारम्भ में इन पैराटीचरों को 1200 रुपये मानदेय प्रति माह प्रदान किया व साथ ही प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की मानदेय की वृद्धि की भी व्यवस्था की। हाल ही में राज्य सरकार ने इन पैराटीचर्स के लिए न्यूनतम मानदेय 2000 रुपये कर दिया। इस प्रकार जो पैराटीचर चार वर्ष से कार्यरत हैं उन्हें लगभग 2800 रुपये प्रति माह मानदेय प्राप्त हो रहा है। दौ सौ रुपये प्रति माह की वेतन वृद्धि का प्रावधान इस बढ़े हुए मानदेय पर भी यथावत रखा गया है। राज्य सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप हाल ही में यह व्यवस्था भी कर दी है कि ऐसे राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के पैराटीचर जो शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता रखते हों एवं जिन्हें चार वर्ष का अनुभव प्राप्त हो चुका है, ऐसे पैराटीचर तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए किये गये 75 प्रतिशत आरक्षण के लिए पात्र होंगे।

(15.35 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14 जुलाई, 2003 को एक स्थान पंचायती राज सेवा नियम, 1996 के नियम 266 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि अब जब भी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सीधी भर्ती की जाएगी, उसके लिए 75 प्रतिशत पद राजीव गांधी पाठशाला के उन शिक्षा सहयोगियों के लिए रहेंगे जो शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता रखते हैं एवं जिन्हें चार वर्ष का निरन्तर अनुभव है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हाल ही में सात हजार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सीधी भर्ती करने की विज्ञप्ति जारी की है जिसमें 75 प्रतिशत

(डा. बी. डी. कल्ला)

आरक्षण का प्रावधान रखा है। ऐसी सम्भावना है कि इस भर्ती प्रक्रिया से ऐसे सभी राजीव गांधी पैराटीचर जिन्होंने चार वर्ष पूर्ण कर लिये हैं और जो शैक्षणिक व प्रशैक्षिक योग्यता रखते हैं, उनका चयन तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में हो सकेगा। भविष्य में भी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता रखने वाले एवं चार साल का अनुभव पूर्ण करने वाले राजीव गांधी पैराटीचर्स को भी नियमों के उक्त संशोधन का लाभ प्राप्त रहेगा।

यह बात भी उल्लेख करने योग्य है कि राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी पाठशाला के ऐसे हजारों पैराटीचर्स के लिए जो प्रशैक्षणिक योग्यता नहीं रखते थे, राज्य सरकार की ओर से विशेष व्यवस्था कराकर दो वर्षीय पत्राचार पाठयक्रम प्रारम्भ कराया जा रहा है। इस समय इस पत्राचार पाठयक्रम में ऐसे लगभग सात हजार राजीव गांधी पैराटीचर्स प्रशिक्षण ले रहे हैं जो जून, 2004 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर बी.एस.टी.सी. के समकक्ष हो सकेंगे।

यही नहीं, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर विशेष प्रयास कर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् से इस पत्राचार पाठ्यक्रम को बी.एस.टी.सी. के समकक्ष मान्यता दिलाई। इस प्रकार ऐसे राजीव गांधी पाठशाला के पैराटीचर जो प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे भी नियमों के संशोधन का लाभ उठाते हुए तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रूप में चयन हो सकेंगे। सम्भवत: ऐसे कुछ राजीव गांधी पैराटीचर्स जो शैक्षणिक-प्रशैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं, वे नियमितिकरण के पक्ष में हों, परन्तु शिक्षा में गुणवत्ता को बनाये रखने की दृष्टि से एवं नियमों की पूर्णतया पालना करने की दृष्टि से तृतीय श्रेणी अध्यापकों की पात्रता में किसी प्रकार का कोई शिथिलन दिया जाना उचित नहीं समझा गया।

राज्य सरकार ने पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से पैराटीचर्स को शैक्षणिक योग्यता दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राज्य सरकार को अत्यधिक प्रसन्नता होगी यदि सभी पैराटीचर्स शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता हासिल कर लेवें ताकि वे संशोधित नियमों का लाभ प्राप्त कर सकें।

यह कहना गलत नहीं होगा कि अन्य राज्यों में भी जहां तक पैराटीचर्स की व्यवस्था अमल में लाई गयी है, उनमें कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है कि कुछ वर्षों के बाद वे पूर्णरूपेण योग्य अध्यापक के रूप में बन सकें।

इसी प्रकार जितनी मानदेय की राशि राजीव गांधी पैराटीचर्स को राजस्थान में दी जा रही है, वह चाहे प्रशिक्षित हों, या अप्रशिक्षित, उतना मानदेय शायद ही किसी अन्य राज्य में दिया जाता हो। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इन पैराटीचर्स को अन्य कई सुविधाएं भी

(डा. बी. डी. कल्ला)

प्रदान की हैं, जिनमें पैराटीचर्स को एक शैक्षणिक सत्र में दस आकस्मिक अवकाशों की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। महिला पैराटीचर्स को दो प्रसूतियों तक सवैतनिक प्रसूति अवकाश का भी लाभ दिया गया है। अन्य वर्ग के पैराटीचर्स से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जहां एक ओर राजीव गांधी शिक्षा सहयोगियों के मानदेय को 1200 से बढ़ाकर दो हजार रुपये न्यूनतम कर दिया वहीं लगभग 8709 महिला शिक्षा सहयोगियों एवं मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को भी इस मानदेय वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया है।

राज्य में शिक्षाकर्मी योजना पिछले कुछ वर्ष से चल रही है। यह योजना बाह्य वित्त पोषित योजना है जिसमें इंग्लैण्ड की डी.एफ.आई.डी. व राज्य सरकार की पचास प्रतिशत राशि सम्मिलित है। इस योजना के तहत लगभग 3800 प्राथमिक शालाएं संचालित हैं। इनमें लगभग 8756 शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं। इन शिक्षाकर्मियों को उनके अनुभव के अनुसार 1800 रुपये से लेकर 2200 रुपये मानदेय दिया जाता है। यही नहीं, ऐसे लगभग 143 शिक्षाकर्मी हैं जिनको अनुभव के आधार पर 6500-7000 रुपये दिये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन 8756 शिक्षाकर्मियों में से केवल 3600 ही ऐसे शिक्षाकर्मी हैं जो हायर सैकण्डरी या उससे अधिक की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, जबकि लगभग 1549 ऐसे शिक्षाकर्मी हैं जिन्होंने एस.टी.सी., बी.एड. की योग्यता हासिल कर रखी है। इस प्रकार लगभग 5000 शिक्षाकर्मी ऐसे हैं जो हायर सैकण्डरी की योग्यता से नीचे की योग्यता रखते हैं व प्रशिक्षित भी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षाकर्मी योजना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 जून, 2003 को समाप्त हो जाती है, परन्तु इस योजना को दो वर्ष की अवधि बढ़ाये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। हालांकि डी.एफ. आई.डी. की ओर से दो वर्ष की अवधि बढ़ाने के संकेत प्राप्त हो गये हैं परन्तु भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति अभी तक अपेक्षित है। भारत सरकार के अनुसार इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सितम्बर, 2003 तक ही भेजा जा सकेगा। इस प्रकार जब शिक्षाकर्मी दो वर्ष और चलना सम्भावित है तो ऐसी स्थिति में इस योजना के शिक्षाकर्मियों को यथावत शिक्षाकर्मी विद्यालयों में कार्य करना होगा जिसके लिये उन्हें लगाया गया था।

शिक्षाकर्मियों की पिछले दिनों इस प्रकार की मांगें रही हैं कि जिस प्रकार राजीव गांधी पैराटीचर्स को 75 प्रतिशत आरक्षित वर्ग में पात्र माना है उसी प्रकार उन्हें भी पात्र माना जाए। साथ ही उनकी यह भी इच्छा है कि उन्हें अनुभव के आधार पर अधिक मानदेय मिलना चाहिये। राज्य सरकार का यह मत है कि शिक्षाकर्मी

(डा. बी. डी. कल्ला)

परियोजना के चलते हुए शिक्षाकर्मियों को परियोजना से हटाना न तो परियोजना की दृष्टि से उचित होगा और न ही शिक्षाकर्मी परियोजना की वित्त पोषक संस्था जो इंग्लैंड की एजेंसी है, उन्हें मान्य होगा। शिक्षा विभाग का यह मत है कि जब शिक्षाकर्मी परियोजना आगामी दो वर्ष की अवधि के लिये औपचारिक रूप से बढ़ा दी जाएगी उस समय इस परियोजना के शिक्षाकर्मियों के लिये तैयार किये गये प्रारूप सेवा-नियमों को अन्तिम रूप देकर मानदेय निर्धारण की योजना तैयार की जा सकेगी। जिसमें इस बात का प्रावधान होगा कि अधिक अनुभव रखने वाले शिक्षाकर्मियों को वर्तमान में मिलने वाले मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त हो।

जहां तक शिक्षाकर्मियों को सामान्य तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में लगाने की बात है, इस सम्बन्ध में शिक्षाकर्मी परियोजना के चलते ऐसा कोई निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षाकर्मी यदि चाहे तो सामान्य भर्ती प्रक्रिया के तहत तृतीय श्रेणी अध्यापकों की पात्रता के अनुरूप आवेदन कर चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

राज्य सरकार शिक्षाकर्मियों के भविष्य के प्रति कितनी चिंतित है यह इस बात से प्रमाणित है कि 2469 शिक्षाकर्मियों को राज्य सरकार की पहल पर एस.टी.सी. का पत्राचार पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है और इस कार्यक्रम को भी एन.सी.डी.ए. ने बी.एस.टी.सी. के समकक्ष मान लिया है। राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में ऐसे कई कदम उठाये हैं जिससे राज्य के शिक्षित व प्रशिक्षित नवयुवक बेरोजगारों को राजकीय विद्यालयों में रोजगार प्राप्त हुआ है। आज भी राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में अनेक रिक्त पदों के लिये सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है जिससे इन नवयुवक बेरोजगारों को रोजगार का मौका मिलेगा और साथ ही राज्य के विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित हो सकेगा।

वर्ष 1999-2000 में 11,885 राजीव गांधी पैराटीचर्स को कार्यों पर रखा गया और इन पैराटीचर्स ने निष्ठापूर्वक मेहनत के साथ काम किया और अच्छे परिणाम दिये। वर्ष 2001-2002 में 7676 राजीव गांधी शिक्षा सहयोगी एवं 8709 महिला शिक्षा सहयोगी, कुल मिलाकर 16,500 को रोजगार प्राप्त हुआ। वर्ष 2002-2003 में 5300 राजीव गांधी पैराटीचर्स एवं 784 शारीरिक शिक्षा सहयोगी, कुल लगभग 6000 व्यक्तियों को इस शिक्षण व्यवस्था से रोजगार मिला। वर्ष 2002-2003 में राजस्थान लोक सेवा आयोग को व्याख्याताओं के पदों को भरने के लिये अभ्यर्थनाएं भेजी गयीं जिसके आधार पर व्याख्यताओं के

(डा. बी. डी. कल्ला)

चयन व नियुक्ति प्रारम्भ कर दी गयी। ऐसे कुल लगभग 1250 व्याख्याताओं के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण कुछ नियुक्तियां रुकी हुई हैं। वर्ष 2003-2004 में 7000...(व्यवधान) यह यातायात का मामला नहीं है, यह शिक्षा का मामला है, रोहिताश्वजी।

वर्ष 2003-2004 में 7,000 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया हाल ही में प्रारम्भ की गयी है जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों की रिक्तियां मौजूद हैं उन्हें गैस्ट फैकल्टी योजना के तहत अध्यापकों को लगा कर व्यवस्था की जा रही है। ऐसा अनुमान है...(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : इधर कोर्ट से स्टे कर रहे हो, उधर से भर्ती कर रहे हो।

डा. बी. डी. कल्ला : कोर्ट क्या हमारे अंडर में है? आप क्या बात कर रहे हो? कोर्ट के लिये टिप्पणी उचित नहीं है। कोर्ट कंटेम्पट की कार्यवाही कर देगा।

श्री रोहिताश्व : आप जे.डी.ए. के मामले में खुद ही समझौता समिति बनाओ और जे.डी.ए. के मामले में कोर्ट में जाकर जनहित याचिका से अपने ही निर्णयों को स्टे कराते हो। आपकी दोहरी चाल, इधर क्या, उधर क्या पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रोहिताश्व कुमारजी।

डा. बी. डी. कल्ला : कोर्ट स्वतंत्र है। कोर्ट इनडिपेंडेंट है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनकी गैस निकलने दो, रोहिताश्व। एक बार गैस निकलने दो, फिर बात करें। एक बार पूरी गैस निकलने दो इनकी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही इसको नहीं माना, यही बात है। वर्ष 2001 के सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना आपने। आपने 2001 के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को नहीं माना। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यू.पी. में तो निकल गयी गैस...

श्री रोहिताश्व : आपने शिक्षा से भी निकाल दिये...(व्यवधान) हैल्थ मिनिस्टर रहे तो भी डाक्टर लगा दिये दसवीं पास...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : वर्ष 2003-2004 में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि आप स्टेटमेंट नहीं चाहते हो तो मैं बंद करा दूं। You can not ask the question, You can not intervene.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम असत्य कैसे सुनेंगे? यह असत्य बात कैसे कह रहे हैं, असत्य नहीं सुनेंगे हम।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करिये... (व्यवधान) नहीं, आप इंटरप्ट नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ग्यारहवीं विधान सभा का अंतिम दिन और अंतिम घंटे और आपके चेहरे पर गुस्सा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 2001 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं, यह और बात कह रहे हैं कोर्ट की...

श्री उपाध्यक्ष : फिर आपको मौका देंगे। Why are you intervening to him? इनको बोल लेने दो ना आप। Why are you intervening to him?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खूब बोले... (व्यवधान) आप कुर्सी पर बैठे हो, आज तो विदाई हंसते–हंसते करो, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको घर जाना है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। बिराजिये बिलकुल। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जरा एक बार तो मुस्करा दो, उपाध्यक्ष महोदय, फिर बैठ जाएंगे। एक बार मुस्करा दो।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो सूर्य अस्त हो रहा है, अब तो डबोओ। बिराजो प्लीज...Let him finish.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अंतिम सैकण्ड में भी...

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोल लेने दो। आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अंतिम सैकण्ड में भी गोल दाग लो, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्टेटमेंट चाहते हो कि नहीं? जल्दी क्या है आपको? what is the hurry? जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, हंसते–हंसते विदा करो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गैस्ट फैकल्टी की बात करते–करते कभी व्याख्याता और कभी क्या है...

डा. बी. डी. कल्ला : वर्ष 2003–2004 में ही लगभग 1681 द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह बात तो पैराटीचर्स की चल रही है, आप कहां द्वितीय पर, व्याख्याता पर जा रहे हो? बात पैराटीचर्स से शुरू की, व्याख्याता में घुस गये, द्वितीय श्रेणी तक पहुंच गये।

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात हो गयी।

डा. बी. डी. कल्ला : जिसमें से लगभग 469 पदों को भर लिया गया और शेष लगभग 1200 पदों पर नियुक्तियां किसी भी समय की जा सकती हैं, बशर्ते माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश हटे।

वर्ष 2003–2004 में कुछ दिन पूर्व ही 1904 द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के पदों के

(डा. बी. डी. कल्ला)

लिये भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी जिसके लिये विज्ञप्तियां सम्बन्धित उप निदेशकों द्वारा जारी कर दी गयी हैं। वर्ष 2003-2004 में ही पिछले माह शारीरिक तृतीय श्रेणी के लगभग 1300 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है जिसकी विज्ञप्ति जारी होकर प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार द्वारा 529 प्रधानाध्यापकों के चयन व नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी। ऐसी सम्भावना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनकी नियुक्ति हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लगभग 500 और व्याख्याताओं के पदों के लिये आर.पी.एस.सी. को अभ्यर्थनाएं भेजी गयी हैं जिसके आधार पर व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों, व्याख्याताओं एवं अध्यापकों की भर्ती एवं नियुक्ति से सम्बन्धित उक्त कार्यवाही के अलावा जितने भी शेष रिक्त पद बचते हैं, उनके शिक्षण की व्यवस्था कर दी जाएगी। इस योजना के तहत व्याख्याताओं को प्रति माह अधिकतम 3000 रुपये तक एवं वरिष्ठ अध्यापक को प्रति माह 2500 रुपये तक की राशि...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इससे ऊपर देने की थी। कहां से कहां पहुंच रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह आखिरी दिन है, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, यही तो बात है न।

श्री उपाध्यक्ष : आपके कहने से तो स्टेटमेंट आएगा नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सारी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं और क्या किया...(व्यवधान) दीजिये न आप। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : शिक्षण व्यवस्था के बारे में स्टेटमेंट मांगा है, आप तो मंत्री रही हुई हैं, स्टेटमेंट के बीच में ऐसे कभी परम्परा नहीं रही है...

श्री उपाध्यक्ष : इतनी क्या जल्दी हो रही है?

डा. बी. डी. कल्ला : स्टेटमेंट पूरा हुआ नहीं, उससे पहले ही बीच में आप...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इर्रेलेवेंट बोलेंगे तो बिलकुल टोकेंगे हम आपको। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : आप सीनियर मैम्बर हैं, इसके बावजूद इस तरह की बात कर रही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इर्रेलेवेंट बोल रहे हैं आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : The statement should be relevant.

डा. बी. डी. कल्ला : शिक्षा और शिक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाओं के बारे में...(व्यवधान) वक्तव्य दे रहा हूं, आप हैडिंग देख लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : स्टेटमेंट दीजिये, It is an argument.

डा. बी. डी. कल्ला : और क्या है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हो, आपने यह किया और हमने यह किया।

डा. बी. डी. कल्ला : आपको तो जो हम बात कर रहे हैं उससे यह लग रहा है कि यह क्यों कर रहे हैं। नहीं करते तो अच्छा रहता, आप तो यह चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : माननीय मंत्री महोदय, सी.पी. जोशीजी आपके गले में मरा सांप छोड़ गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं चाहते स्टेटमेंट, आप नहीं चाहते यह सब। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सरकार के आखिरी दिन, विधान सभा के अन्तिम दिन तो सच बोलें, क्यों असत्य बोल रहे हो?

डा. बी. डी. कल्ला : आखिरी दिन नहीं, आगे भी हम ही आएंगे। आप जैसे लोगों को लोग पसंद नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोरा असत्य बोल रहे हो। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : माध्यमिक शिक्षा में लगभग तीन हजार तृतीय श्रेणी रिक्त पदों के लिए भी गैस्ट फैकल्टी योजना आरम्भ की गयी है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो रहा है? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : उपरोक्त उदाहरणों व राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों में उठाये गये कदमों से यह बात स्पष्ट होती है कि राज्य ने सरकार शिक्षा विभाग के तहत चलने वाले राजकीय विद्यालयों, अथवा राजीव गांधी पाठशालाओं में पिछले चार वर्षों में लगभग 50 हजार नवयुवकों व अन्य को रोज़गार प्रदान किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पाइंट आफ आर्डर, सर, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : भर्ती प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काहे का पाइंट आफ आर्डर? (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : मजदूर बना दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पाइंट आफ आर्डर सुने तो बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या पाइंट आफ आर्डर है?

डा. बी. डी. कल्ला : यह भी स्पष्ट होता है कि 20 हजार ऐसे पद हैं जिन पर गैस्ट फैकल्टी योजना के तहत आगामी कुछ सप्ताहों में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट में क्या पाइंट आफ आर्डर है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्यों नहीं हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइंट आफ आर्डर, इसको सुन लीजिये न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, यह पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पहले पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं। यह मंत्री महोदय का अधिकार है कि वह स्टेटमेंट दे, लेकिन जिस विषय पर आपने अनुमति दी है उस विषय पर स्टेटमेंट दे सकता है। केवल उसी विषय पर स्टेटमेंट देगा जिस पर आपने अनुमति दी है या उन्होंने मांगी है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, आप बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुन तो लो आप पूरी बात।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। कल माननीय विपक्ष के नेता महोदय से बात हुई इन्होंने कहा पैराटीचर्स पर, मैंने पूछा था कि यदि खाली पैराटीचर्स पर स्टेटमेंट दिलाना चाहते हो तो मैं आज दिला दूं और यदि ओवरआल स्टेटमेंट चाहते हो मैं कल दिलवाऊं। इन्होंने कहा था कि आप कल दिलाना। उसके आधार पर स्टेटमेंट हो रहा है, आपको शायद ध्यान नहीं है।

श्री रोहिताश्व : सी. पी. जोशी साहब ने मरा हुआ सांप इनके गले में घाल दिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो जानना चाहते हैं कि पूरी शिक्षा के कितने पद खाली है, कब भरे जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य। या तो आप हाउस में एब्सेंट थे इसलिए ध्यान नहीं है, वरना यह बात कल हो गयी थी। यह बैठे हैं, आप पूछ लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आई विद्ड्रा, इन्होंने कहा है तो फिर बात ही नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : शिक्षा विभाग में ओवरआल स्थिति क्या है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मायावती कैसे चली गयी, आपके पास कोई जवाब है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, बोलिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मायावती अपने कर्मों से गयी, कैसे चली गयी...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मायावती अपने कर्मों से गयी है और जाएगी। (व्यवधान) और आपके कर्मों से आपकी सरकार जाएगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कल तक आपको बहुत अच्छी लग रही थी, आज क्या हो गया? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वैसे ही आप जाएंगे जैसे मायावती गयी है...(व्यवधान) आपके कुकर्म आपको ले मरेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : बी.जे.पी. के माननीय लोगों को अपना भाई बनाया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके कुकर्म आपको ले मरेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको भाई बनाने के बाद यह हुआ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्यों असत्य बोलते हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : भाई बनाया था न आप लोगों को? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : राखी बांध रही थी कल तक। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद, प्लीज। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षण विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो ऊपर दर्शायी गयी व्यवस्थाएं की गयी हैं उससे इस बात की पूरी सम्भावना है कि राज्य में शायद ही कोई विद्यालय होगा जिसके लिए रिक्त पदों की किसी न किसी रूप में राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान नहीं की हो। प्रारम्भिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा में राजकीय विद्यालयों में की गयी व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं:-

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, प्लीज।

डा. बी. डी. कल्ला : प्रारम्भिक शिक्षा के तहत आने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में...(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : सारी स्कूलें खाली पड़ी हैं...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : वर्ष 2003-2004 शिक्षण सत्र में लगभग 19 हजार पदों की रिक्तता की स्थिति थी। माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने यहां बताया कि 50 हजार रिक्त पद हैं वह स्थिति नहीं है। राज्य सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिये 7 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में जो प्रक्रियाधीन है, हालांकि हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगन प्रदान किया हुआ है। भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होने तक इन पदों

(डा. बी. डी. कल्ला)

पर गैस्ट फैकल्टी से अध्यापक लगाये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार भर्ती की प्रक्रिया रहते हुए अभी शेष रहे रिक्त पदों के लिए भी राज्य सरकार ने गैस्ट फैकल्टी योजना प्रारम्भ की है जिसके तहत लगभग 10 हजार की संख्या तक रिक्त पदों पर गैस्ट फैकल्टी के तहत अध्यापकों को लगाया जा रहा है, तत्पश्चात् सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य नियमित रूप से चल सकेगा।

प्राथमिक शिक्षा में लगभग दो हजार वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों के लिए डी.पी.सी. की कार्यवाही होने पर पदों का भरा जा सकता है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के पास उपलब्ध 594 वरिष्ठ अध्यापकों के पूल बजट से प्रारम्भिक शिक्षा के पदों के भरे जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

माध्यमिक शिक्षा : प्रधानाचार्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के स्वीकृत कुल 2244 पदों में से 800 पद रिक्त हैं। ये सभी पद विभागीय पदोन्नति के द्वारा भरे जाने हैं जिसके लिए निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में कुछ समय लगने की सम्भावना है। अत: 800 रिक्त पदों को पांचवें वेतन व्यवस्था से भरे जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी है। निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा आगामी कुछ दिवसों में इन सभी रिक्त पदों को पांचवें वेतन व्यवस्था के माध्यम से भर दिया जाएगा।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापकों के कुल स्वीकृत 3804 पदों में से 1277 पद रिक्त हैं, इन रिक्त पदों में से 553 पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। इन सभी पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा अर्थनाएं भिजवायी जा चुकी हैं। शेष 734 पद विभागीय पदोन्नति से भरे जाने हैं जिसके लिए निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा कार्यवाही की जा रही है। चूंकि इसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है, अत: 146 पद पांचवें वेतन व्यवस्था से भरे जाने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं तथा इसकी पालना में निदेशालय द्वारा 146 पदों के सम्बन्ध में पांचवें वेतन पर पदस्थापन के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

व्याख्याता : व्याख्याता के कुल स्वीकृत पद 16853 पदों के खिलाफ कुल 6166 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों में से 3683 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं। शेष 2483 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले 2483 रिक्त पदों में से 1281 पदों की अर्थनाएं काफी

(डा. बी. डी. कल्ला)

समय पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवायी जा चुकी हैं तथा आयोग द्वारा पिछले कुछ माह से विषयानुसार व्याख्याताओं का चयन कर चयन सूची निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को भिजवायी गयी है। माननीय न्यायालय को स्थगन आदेश होने के कारण चयनित व्याख्याताओं में से 50 प्रतिशत आशार्थियों को ही फिलहाल नियुक्ति दी जा रही है। शेष 1202 पदों में से 564 पदों के लिये भी अभ्यर्थनाएं भिजवायी जा चुकी हैं। इस प्रकार शेष 683 रिक्त पदों को गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से भरे जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके वक्त में भी कम से कम कम दो–तीन हजार व्याख्याताओं के पद रिक्त थे। हमने तो केवल 538 पर गैस्ट फैकल्टी रखी है। बाकी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। पदोन्नति से भरे जाने वाले 3683 पदों के लिए निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सभी रिक्त पदों को अन्य व्यवस्था होने तक गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से भरे जाने का प्रयास किये जाएंगे।

श्री रोहिताश्व : एक हजार स्कूल और खोलने जा रहे हो।

डा. बी. डी. कल्ला : वरिष्ठ अध्यापकों के कुल स्वीकृत 32587 पदों में से केवल 5970 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों में से 2160 पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं। पूर्व में ये पद राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के क्षेत्राधिकार में होने के कारण पदोन्नति प्रक्रिया में समय लग रहा था, अब पुनः वरिष्ठ अध्यापकों के पद विभागीय क्षेत्राधिकार में आ गये हैं तो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले 2160 में से अधिकांश पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है। आगामी 15 दिवसों में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले अधिकांश पदों को भर दिया जाएगा। सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले 3810 रिक्त पदों में से 1906 रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में पिछले एक–दो दिवसों में विज्ञप्ति सम्भागानुसार प्रकाशित की जा रही है तथा शेष 1906 रिक्त पदों को भरने के लिए हम व्यवस्था करेंगे। सभी रिक्त पदों को अन्य व्यवस्था होने तक गैस्ट फैकल्टी के प्रयोग से भरे जाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा।

अध्यापक, तृतीय श्रेणी : तृतीय श्रेणी के कुल स्वीकृत 14366 पदों में से 3088 पद वर्तमान में रिक्त हैं। ये सभी पद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सैट अप परिवर्तन के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापकों से भरे जाने हैं। इस प्रकार अग्रिम व्यवस्था होने तक इन सभी रिक्त पदों को गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से भरे जाने के आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रसारित कर दिये गये हैं, ऐसी सम्भावना है कि अधिकांश पद इस प्रकार से भर लिये जाएंगे।

(डा. बी. डी. कल्ला)

शारीरिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी : इनके कुल स्वीकृत 1596 पदों में से सीधी भर्ती के 213 रिक्त पदों में से 100 पदों को भरे जाने की स्वीकृति निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है। शीघ्र ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

(16.00 बजे)

शारीरिक शिक्षक, तृतीय श्रेणी : शारीरिक शिक्षक, तृतीय श्रेणी के कुल स्वीकृत 3309 पदों में से 498 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

इस प्रकार यदि देखा जाए तो शिक्षा विभाग में रिक्त पद भरे जाने के लिए राज्य सरकार सभी स्तरों पर प्रयास कर रही है। पदोन्नति द्वारा भरे जाने योग्य पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : सरकार चली जाए तो भरना।

डा. बी. डी. कल्ला : सरकार कहीं नहीं जाएगी, आपके सामने रहेगी। (व्यवधान) पिछले वर्षों में पदोन्नति समितियों पर सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट्स की रोक लगी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 900 डी.पी.सीज. कराई हैं अलग-अलग विभागों की और 30 हजार लोगों को...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसी भी फैकल्टी में एक भी व्यक्ति एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का नहीं भरा गया है। गैस्ट फैकल्टी में आपने एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. का एक भी नहीं भरा है। ये सारे जो भर रहे हैं वह जनरल कास्ट के भर रहे हो, यह आप अपराध कर रहे हो।

डा. बी. डी. कल्ला : नहीं, सभी को। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे यहां जो गैस्ट फैकल्टी में भरे हैं, एक भी एस.सी., एस.टी. का नहीं हुआ है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप प्रपंच कर रहे हो, झूठ फैला रहे हो।

डा. बी. डी. कल्ला : आप एस.सी., एस.टी. के कब समर्थक बन गये? आज ही मायावती का उदाहरण आपके सामने है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम तो हैं। अब ग्रहण लगेगा तो आप पर लगेगा।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : यह बात सही है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : आप बना दो वहां पर मायावती को।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, 20 हजार कार्मिकों को राज्य सरकार ने अभी पदोन्नति देकर, उनकी

(डा. बी. डी. कल्ला)

जो पदोन्नति 10 साल, 12 साल से इनके राज के समय से रुकी हुई थी, वे सब पदोन्नतियां इस सरकार ने दी हैं। सीधी भर्ती के रिक्त पदों में से अधिकांश को भरे जाने की प्रक्रिया चल रही है लेकिन चयन प्रक्रिया में कुछ समय लगना स्वाभाविक है।

श्री जीतमल खांट : जो तनखाह मिल रही है उसी पर क्रमोन्नत कर दो, उसको प्रमोशन दे दो।

डा. बी. डी. कल्ला : पदोन्नति या चयन प्रक्रिया से योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक हमने पद भरने की अल्टरनेटिव व्यवस्था की है। शिक्षण व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकता महसूस होने पर अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से भी शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर पर्चियों के माध्यम से रोजगार के अवसरों के बारे में भी कुछ बातें आईं। आपने कहा था कि उसके बारे में स्टेटमेंट दें। मैं बहुत संक्षेप में सदन को बताना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने दिनांक 22.8.2003 को सदन में हुई चर्चा के दौरान शिक्षा विभाग में रिक्तियों की बात रखी एवं अपूर्ण जानकारी के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले। मैं माननीय विपक्ष के नेता महोदय को आदरपूर्वक यह बताना चाहता हूं कि 50 हजार अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं, यह बात आपकी बिलकुल सही नहीं है। मुझे अफसोस है कि विपक्ष के माननीय नेता शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्हें शिक्षा विभाग की जानकारी होते हुए भी इस तरह से बात की। उन्होंने कहा कैसे? यह बात बिलकुल गलत है कि शिक्षा विभाग में 50 हजार अध्यापकों के पद खाली हैं। मैंने एक तरह से हर वर्गवार माननीय सदस्यों को यह जानकारी दी है कि किस-किस संवर्ग में कितने पद रिक्त हैं। मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार शिक्षा के प्रति पूर्ण सजग है, समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये गये हैं। शिक्षा विभाग में खासकर छोटी कक्षाओं की सबसे बड़ी समस्या यह थी...

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : एक मिनट।

डा. बी. डी. कल्ला : पहले स्टेटमेंट दे दूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं पूछ रहा हूं। नहीं, नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि 50 हजार इन्होंने तो गलत बताया है, यू मे काइण्डली करैक्ट इट। आप कंसोलिडेट फिगर तो बताओ कि टोटल कितने खाली हैं?

डा. बी. डी. कल्ला : मैंने संवर्गवार सब बताया है, किस-किस में कितने-कितने पद खाली हैं। अभी जोड़कर बता दूंगा अलग-अलग से। (व्यवधान) अभी स्टेटमेंट के बाद में जोड़ कर बता दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, टोटल कितने हैं? टोटल बताओ आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनका जोड़ 32 हजार किया है।

श्री रोहिताश्व : हर कैटेगरी के खाली पदों का इन्होंने जिक्र किया है कि किस कैटेगरी में कितने पद खाली हैं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, समानीकरण के नाम से राजस्थान के विद्यालयों में कितने पद आपने खतम किए हैं, यह तो बता दो? खाली पद तो उधर समाप्त कर दिए आपने, खाली का फीगर कैसे दे सकते हो?

श्री रोहिताश्व : शिक्षा मंत्री हैं, जबानी बोल दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, 28 हजार के लगभग, 28 हजार के लगभग पद रिक्त हैं, आपके स्टेटमेंट के अनुसार।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पहले पोस्टिंग होने के बाद भी या तो गैर हाजिर रहते थे या देर से आते थे, समय पर नहीं पहुंचते थे या अधिकांश छुट्टी पर रहते थे। इससे न सिर्फ सरकार पर आर्थिक भार था बल्कि पढ़ाई का और विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा था। सरकार ने एक नई योजना राजीव गांधी पाठशाला के नाम से शुरू की एवं व्यवस्था की कि यथासम्भव स्थानीय अध्यापक लगें ताकि वहीं रहकर वे पूरे समय पढ़ाई पर ध्यान दे सके। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमने 21 हजार से भी अधिक ऐसी पाठशालाएं खोली जिससे इतने ही गांवों व ढाणियों में 13 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। यदि हमारी सरकार यह निर्णय नहीं लेती तो आप सोच सकते हैं कि ये बच्चे दूर-दूर भटकते या शिक्षा से वंचित रह जाते।

माननीय सदस्यों ने पैराटीचर्स के बारे में तरह–तरह की आंशकाएं व्यक्त कीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार किसी भी पैराटीचर के साथ अन्याय नहीं होने देगी। इसी धारणा को लेकर सरकार ने राजीव गांधी पाठशालाओं में शिक्षा सहयोगियों के लिए घोषणा की थी कि उन्हें चार साल बाद नियमित अध्यापक बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। सरकार ने इसी घोषणा के अनुरूप सम्बन्धित सेवा नियमों में परिवर्तन कर इन शिक्षकों की नियमित भर्ती का रास्ता खोला है। माननीय उच्च न्यायालय ने इसकी क्रियान्विति फिलहाल स्थगित की है, परन्तु सरकार का यह प्रयास है कि स्थगन शीघ्र हटे एवं उन्हें चार वर्ष की सेवा पर नियमित शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त हो।

माननीय सदस्यों को मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की शिक्षा के प्रति सर्वोच्च प्राथमिकता का नतीजा है कि हमने राजीव गांधी साक्षरता मिशन की स्थापना

(डा. बी. डी. कल्ला)

की। इतने सारे नए विश्वविद्यालय खोले हैं, निजी क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा, प्रबन्धन शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, फार्मेसी को बढ़ावा देने के लिए काफी इंजीनियरिंग व मेडिकल, डेंटल कालेज खुलवाये। इनमें 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है तथा इन निजी शिक्षण संस्थानों में 6 हजार से अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिला है। न सिर्फ यह बल्कि किसी भी कारण से विद्यालय में पद खाली रहने से पढ़ाई का नुकसान हो सकता था, उसकी उचित व्यवस्था की गई है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लूटा है गरीब बच्चों को, दो–दो लाख रुपए की फीस रखकर। सारे कालेज खोले हैं वे कांग्रेसी नेताओं के हैं, दो–दो लाख, तीन–तीन लाख रुपए फीस रखकर लूट रहे हैं गरीबों को।

डा. बी. डी. कल्ला : न सिर्फ़ ये प्रयास किये गये बल्कि संकल्प लिया कि वर्ष 2003 तक विद्यालय से बाहर, विद्यालय जाने योग्य बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन किया जाकर शिक्षा मुहैया कराई जाए। इसकी प्राप्ति के लिए स्कूल न जाने वालों का सर्वेक्षण कराया गया जिसे "शिक्षा दर्पण" के नाम से जाना जाता है। "शिक्षा आपके द्वार" जैसे अभियान चलाये गये। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि सर्वे किये गये अनामांकित 23 लाख 12 हजार बच्चों में से लगभग 22 लाख 9 हजार बच्चे नामांकित हो गए हैं और मात्र 1 लाख 3 हजार बच्चे जो बचे थे उनका भी इसी वर्ष नामांकन करने का काम किया गया है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों को भी नामांकित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार ने बालिका शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया है। हर पंचायत पर महिला अध्यापक की नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार मदरसों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें भी शिक्षकों के पद उपलब्ध कराये गये ताकि वहां सब तरह की शिक्षा उपलब्ध हो सके।

माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि सरकार ने न सिर्फ शिक्षा में वरन् अन्य विभागों में भी पद खाली छोड़कर बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। यह बात मात्र आपने भ्रम फैलाने के लिए कही है। सरकार ने जहां–जहां भी आवश्यकता महसूस की, वहां पद भरने की पूर्ण व्यवस्था की, चाहे वह डाक्टर हो, कम्पाउण्डर हो, तकनीशियन हो या ए.एन.एम. हो। मैं यह बताना चाहूंगा कि आज ए.एन.एम. का एक भी पद राज्य में रिक्त नहीं है। 557 डाक्टर स्थानीय स्तर पर अधिकार प्रदान कर लगाये गये हैं ताकि नियमित नियुक्ति होने तक पद खाली नहीं रहे। इसी प्रकार तकनीशियन,

(डा. बी. डी. कल्ला)

नर्स, कम्पाउण्डर व ए.एन.एम. के पदों को भरा गया है। यही व्यवस्था आयुर्वेद, पशु पालन विभाग आदि महकमों में की गई।

श्री जीतमल खांट : यहां 200 दिन से कम्पाउण्डर धरने पर बैठे हुए हैं, उदयपुर सम्भाग को।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : ठेके पर डाक्टर बैठे हुए हैं। मारवाड़ जंक्शन रैफरल हास्पिटल ठेकेदारों के भरोसे चल रहा है, इस राज का ठेका भी ठेकेदारों के भरोसे दे दो।

डा. बी. डी. कल्ला : राज्य सरकार द्वारा गत साढ़े चार वर्षों में 33038 लोगों को विभिन्न विभागों में...

श्री केसाराम चौधरी : ठेके पर चिकित्सक हैं। सांप काटा हुआ आदमी आया, रात को उसको पाली भेजा, आप क्या बात कर रहे हो। मारवाड़ जंक्शन रैफरल हास्पिटल को ताला लगा दो आप।

डा. बी. डी. कल्ला : यह बात बाद में मुझे बता देना।

श्री केसाराम चौधरी : बाद में क्या बताऊं, साहब, बिलकुल ही वहां डाक्टर नहीं, 4 साल हो गये आपको कहते-कहते। 4 साल में उस हास्पिटल में डाक्टर नहीं, आज भी वह हास्पिटल बिलकुल बंद होने के कगार पर पड़ा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह भागती हुई सरकार है, इससे क्या, हमसे बात करो, हम लगाएंगे। इससे क्या कहते हो, हम लगाएंगे डाक्टर आपके यहां।

श्री केसाराम चौधरी : दो महीने चुप रह जाएंगे, राठौड़ साहब, आप ही डाक्टर लगाना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 80 दिन बाद मैं लगाऊंगा, मैं।

डा. सी. पी. जोशी : मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर स्टेटमेंट को बंद कर दें, दो महीने इन्तजार कर लें?

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान) यह शिक्षा सम्बन्धी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप उनको कहो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बेरोजगारों को रोजगार कितना दिया उसके मंत्री महोदय बता रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार दिया गया इस बारे में बता रहे हैं मंत्री महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शैलेन्द्रजी, बैठ जाओ, आपकी तो बोलती बंद हो गई।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज अंतिम दिन है, आप चिंता मत करो, आपका अंतिम दिन है और अंतिम क्षण है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शैलेन्द्रजी, आपको तो बोलती बंद हो गई मंत्री बनते ही।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप डिस्टर्ब मत करो, अन्तिम दिन है आपका। (व्यवधान) अंतिम दिन और अंतिम क्षण।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शैलेन्द्रजी, आपकी तो बोलती बंद हो गई मंत्री महोदय बनते ही। अब क्या बोल रहे हो?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप इसकी चिन्ता मत कीजिए। यह आज जीवन का अन्तिम दिन और अन्तिम पल है।

श्री सांवर लाल : डाक्टरों की नियुक्ति नियम के अनुसार हुई है यह बता दें, मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय ने आसन से व्यवस्था दी थी कि राज्य में रोजगार की स्थिति क्या रही है, और आप लोगों की पर्ची थी उसके आधार पर स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब आप उपलब्धियों को देखकर...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मैं यही पूछ रहा हूं आपसे।

डा. बी. डी. कल्ला : आप थोड़ा धैर्य रखें।

श्री सांवर लाल : आपने डाक्टरों की भर्ती डाक्टर भर्ती नियम के हिसाब से की है क्या?

डा. बी. डी. कल्ला : आप बिराजो। (व्यवधान) राज्य सरकार द्वारा गत साढ़े चार वर्षों में, उपाध्यक्ष महोदय, 33088 लोगों को विभिन्न विभागों में नियमित पदों पर नियुक्तियां दी गई तथा 63,296 लोगों को संविदा अथवा एकमुश्त राशि पर नियुक्तियों दी गईं है। 20330 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चल रही है। इस प्रकार 1,16,714 लोगों को...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : डेढ़ करोड़ बेरोजगार हैं राजस्थान में और आपने 33 हजार को दी है, शर्म तो नहीं आती, मंत्री महोदय? डेढ़ करोड़ लोग बेरोजगार हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : रोजगार देने के लिए आपके प्रधानमंत्री ने कहा था, एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की घोषणा की थी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : विद्यालयों का अनुदान बंद कर दिया। (व्यवधान) मंत्री महोदय, राजीव गांधी का नाम बदनाम कर दिया आपने। आपने राजीव गांधी के नाम को कलंकित कर दिया पैराटीचर रखकर, उनको अनियमित रखकर। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन है, सदन में इस तरह से ये बोलेंगे तो फिर इधर के लोग भी बोलेंगे। यह कोई तरीका थोड़े ही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप क्या असत्य बोल रहे हो, डेढ़ करोड़ बेरोजगारों में से 33 हजार को...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : एक करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का प्रधानमंत्रीजी ने कहा था...(व्यवधान) उसका क्या हुआ? प्रधानमंत्रीजी ने खुद ने कहा था।

डा. बी. डी. कल्ला : एक मिनट बिराजो आप।

श्री रोहिताश्व : राजस्थान की गरीब जनता का लाखों रुपया राष्ट्रभक्त को बंद करने के लिए खर्च कर दिया और राजस्थान के गरीब किसानों के बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर दिया, आपने मजाक उड़ा दिया यह कोई तमाशा है?

डा. बी. डी. कल्ला : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इसमें डाक्टर, नर्स, लैब टैक्नीशियन, रेडियोग्राफर, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–3165 नियमित नियुक्तियां की गई। पुलिस में पांच हजार...(व्यवधान) एक मिनट। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजेन्द्रजी पारीक साहब, आखिर तक मंत्री नहीं बन पाओगे। कितने ही चिल्ला लो, मंत्री नहीं बन पाओगे। आपको कोई मंत्री नहीं बना रहा इसलिए बार–बार चिल्ला रहे हो। अब तीन महीने में क्या मंत्री बनोगे। अब सरकार आई और गई, पार पड़ी। अब मंत्री बनोगे जो चिल्ला रहे हो, राजेन्द्र पारीक साहब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आई एम आन पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पैराटीचर्स से सम्बन्धित वक्तव्य की बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन ये चिकित्सा पर, पुलिस पर भागकर कहां जा रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज्ञा दी थी यहां पर पैराटीचर्स और शिक्षा से सम्बन्धित वक्तव्य देने की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं दी थी। मैंने यह आज्ञा दी थी कि ओवरआल स्टेटमेंट आएगा, जितना एम्प्लायमेंट हुआ है। (व्यवधान) आप इनसे पूछो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह चिकित्सा की बात कहां आई? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके नेता से पूछो। आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शिक्षा की बात है, चिकित्सक कहां आ गया?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ओवरआल स्टेटमेंट केवल शिक्षा के लिए था, शिक्षा विभाग के लिए था स्टेटमेंट, सारे विभागों के लिए थोड़े ही था?

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं है, आप बैठिए। आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेडिकल, हैल्थ कहां से आ गया?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। कल यह तय हुआ था कि ओवरआल स्टेटमेंट जितना भी लेबर एम्प्लायमेंट जनरेट हुआ

(श्री उपाध्यक्ष)

उस पर चाहते हैं। आपने कहा, हां, उस पर चाहते हैं और कल देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, केवल शिक्षा के लिए था। शिक्षा से सम्बन्धित था, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. बी. डी. कल्ला : सरकार की उपलब्धियों से आपको डर क्यों लग रहा है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सारे विभागों से सम्बन्धित थोड़े ही था, क्या बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको पता ही नहीं है। (व्यवधान) आप पूछो न इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिर्फ शिक्षा का था।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : आपकी उपलब्धि, बी. डी. कल्ला साहब, जब ढाई-तीन महीने बाद वोट लेने जाओगे तब पता लग जाएगा, क्या उपलब्धि है आपकी। सब जानते हैं आपकी उपलब्धियों को।

श्री उपाध्यक्ष : ओवरआल स्टेटमेंट की बात थी। (व्यवधान) आपको पता ही नहीं है, यों ही बोल रहे हो।

श्री नन्दलाल मीणा : सब जानते हैं आपकी उपलब्धियों को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. बी. डी. कल्ला : पुलिस–5461 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई। पशुपालन विभाग–344, कालेज शिक्षा–480, आयुर्वेद विभाग–581, प्रारम्भिक शिक्षा–10107, माध्यमिक शिक्षा–6000, कृषि विभाग–120, संस्कृत शिक्षा–721, तकनीकी शिक्षा–274, वन विभाग–142 ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये क्या कह रहे हैं? हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं। शिक्षा को लेकर पता नहीं कहां-कहां से बोल रहे हैं।

डा. बी. डी. कल्ला : महिला बाल विकास–321, रेवेन्यू बोर्ड–901, कार्मिक विभाग–122, जलदाय विभाग–610, पी.डब्ल्यू.डी.–207...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या बोल रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, क्या बोल रहे हैं?

डा. बी. डी. कल्ला : वाणिज्यिक कर विभाग 198, आबकारी विभाग–138, राज्य बीमा विभाग–119, होमगार्ड विभाग–297, सहकारिता विभाग–649, पैराटीचर्स–36 हजार। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में कहना था। (व्यवधान) बेरोजगार शिक्षकों को समाप्त कर दिया, पैराटीचर को बरबाद कर दिया। बात शिक्षा के बारे में कहनी है। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : चिकित्सक-557 (व्यवधान) नर्स ग्रेड-2-1600, 818, ए.एन.एम.-1397, लैब टैक्नीशियन-338 (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या बोल रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन ऐसे कैसे हो गया?

डा. बी. डी. कल्ला : आंगनबाड़ी सहायिक कार्यकर्ता-22062। विद्युत कम्पनी में कनिष्ठ अभियन्ता-55, ड्राइवर-500 (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम क्षणों में तो निष्पक्ष रहो। आपकी निष्पक्षता कहां चली गई?

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने आपको सम्भालो।

डा. बी. डी. कल्ला : पर्ची देकर आपने स्टेटमेंट मांगा है, अब उपलब्धियां आ रही हैं तो आपके मन में धुकधुकी लग रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपलब्धि क्या है? क्या उपलब्धि है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम प्रश्न पूछेंगे तो जवाब देना।

डा. बी. डी. कल्ला : आप सुनने का भी धैर्य रखिए। कोई आंकड़े गलत हों तो बता देना मुझे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्राइवेट स्कूलों का अनुदान बंद कर दिया आपने।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, व्याख्याता-128 (व्यवधान) अध्यापक श्रेणी द्वितीय-1600, अध्यापक श्रेणी तृतीय-11 हजार।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारे प्रश्नों का जवाब आएगा क्या? हमारे प्रश्नों का जवाब भी दिलाना इनसे आप।

डा. बी. डी. कल्ला : पैराटीचर्स-14311, आर.ए.एस. और आर.टी.एस. आदि-490, नर्स ग्रेड-2-825, लैब टैक्नीशियस-152.

एक माननीय सदस्य : पैराटीचर को कब नियुक्ति देंगे?

डा. बी. डी. कल्ला : सहायक रेडियोग्राफर-36, पशुधन सहायक-500 (व्यवधान) डाक्टर-340...(व्यवधान) आयुर्वेद चिकित्सक-200...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पैराटीचर्स को लाठियां मारीं, बेरोजगार शिक्षकों को मारा...(व्यवधान) अनुदानित चिकित्सकों को बंद किया। (व्यवधान) आप पैराटीचर्स को लाठियां मारीं, डंडे मारे। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : राज्य सरकार ने कियोस्क के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने की भी एक महती योजना प्रारम्भ की ताकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र

(डा. बी. डी. कल्ला)

में युवक स्वयं का व्यवसाय कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में 36889 कियोस्क निर्माण कराये गये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुन ली हमने गरुड़ पुराण आपकी। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री बोलते हैं तो...(व्यवधान) ये बोलेंगे तो इधर से भी अव्यवस्था होगी। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या होगा? क्या करोगे? (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : जवाब तो कभी सरकार दे नहीं पायी। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहुत हो गया, जवाब दो आप तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने बेरोजगार शिक्षकों को लाठियां मारीं, पैराटीचर्स को डंडे मारे, आपने उनको बंद करवाया, इसके अलावा क्या किया?

डा. बी. डी. कल्ला : राज्य सरकार ने कियोस्क के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने की एक महती योजना प्रारम्भ की ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में युवक स्वयं का व्यवसाय कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में 36889 कियोस्क निर्मित कराये गये अथवा उनके लिए भूमि आबंटित की गई। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 13622 कियोस्क हेतु भूमि का आबंटन किया जा चुका है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने उनको धरने के लिए मजबूर किया। (व्यवधान) लाठियां मारीं पैराटीचर्स को। आपने पैराटीचर्स को डंडों से मारा। प्रदर्शनकारियों को घायल किया। (व्यवधान) और आपने क्या किया? कई के सर फोड़े पैराटीचर्स के (व्यवधान) आपने अनुदान खतम किया, और क्या किया? कोई रोजगार नहीं दिया। उनको लाठियां से पीटा। (व्यवधान) उनका सर फोड़ा (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : इस प्रकार इस योजना से 50 हजार से अधिक लोगों को स्वयं का व्यवसाय करने का अवसर प्रदान हो सकेगा। माननीय विपक्ष के सदस्यों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्रीजी ने घोषणा की थी कि प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वे यह काम नहीं कर पाये। उन्होंने कहा था कि रोजगार मिलेगा हर एक घर के लिए। और कहीं रोजगार मयस्सर नहीं शहर के लिए। ''यहां दरख्तों के साये में धूप पड़ती है, चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए।''

एक माननीय सदस्य : मायावती छोड़ गई उनको।

डा. बी. डी. कल्ला : आपके प्रधान मंत्री ने और आपने यह वादा किया था

(डा. बी. डी. कल्ला)

कि प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, एक भी व्यक्ति को उन्होंने रोजगार नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्री रोजगार योजना पर तो आओ। मुख्य मंत्री रोजगार योजना का क्या हुआ? मुख्य मंत्री रोजगार योजना का क्या हुआ? आपके घोषणा पत्र का क्या हुआ? (व्यवधान) आप अपने दिल में तो झांक कर देखो। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : एक आदमी को भी रोजगार नहीं दिया। राजस्थान सरकार ने लाखों बेरोजगारों को रोजगार दिया। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : वे काम नहीं कर पाये तो उन्होंने कहा कि हम एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।

श्री सांवर लाल : डेढ़ करोड़ बेरोजगार हैं। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ऐसी चतुराई नहीं बरत रही है। हमने अपने कार्यकाल में एक लाख से भी ज्यादा लोगों को सरकार ने काम पर रखा है। यदि मैं माननीय प्रधानमंत्रीजी की परिभाषा से प्रदान किये गये रोजगार की बात गिनाऊं तो मैं यह भी कह सकता हूं कि हमने 70 लाख परिवारों को अकाल राहत कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्री रोजगार योजना का क्या हुआ, वह बताओ?

श्री सांवर लाल : अकाल राहत में भारत सरकार का पैसा था।

डा. बी. डी. कल्ला : बल्कि हमने कई और तरीकों से रोजगार को प्रोत्साहन दिया है जैसे कि निजी शिक्षण संस्थाओं में, पावर सैक्टर में जनरेशन बढ़ाकर एवं कई सब स्टेशन बनाकर रोजगार के अवसर बढ़ाये हैं।

सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण का एक बहुत बड़ा कार्य...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हमने सरकार की उपलब्धियां कभी नहीं पूछी थीं। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : जिससे रोजगार का सृजन हुआ। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : जो हो रहा है सुनो तो सही। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कम्प्यूटर...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : प्रतिपक्ष के नेताओं की हवा निकल गई। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता दें कि अकाल राहत कार्य में राजस्थान सरकार ने अपने खजाने से कितना पैसा लगाया? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : सारा कैश कम्पोनेंट हमने अपने खजाने से दिया है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : एक रुपया नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री सांवर लाल : रेल, चारा, पानी और कई कामों के लिए हर चीज भारत सरकार ने दी है। उसकी व्यवस्था नहीं कर सकी यह सरकार। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, कितना बाकी है अब यह?

डा. बी. डी. कल्ला : बस थोड़ा सा है, साहब।

श्री सांवर लाल : कोई व्यवस्था राजस्थान सरकार ने नहीं की।

डा. बी. डी. कल्ला : बी.ओ.टी. पद्धति से सड़कों का निर्माण करवाया ताकि न सिर्फ सड़कें अच्छी बने बल्कि रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों। इसी प्रकार कम्प्यूटर व गाड़ियां आदि और उनके साथ आपरेटर और ड्राइवर्स को रोजगार उपलब्ध कराया। माननीय सदस्यों को जानकारी हैं कि सरकार द्वारा...(व्यवधान) सड़कों की योजना लागू कर उद्योगों को प्रोत्साहित किया है ताकि निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।

इसी प्रकार, जहां भी रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद दिखाई दी वहां न केवल...(व्यवधान) उस गति से भूमि व अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई बल्कि कई तरह के प्रोत्साहन दिये। उसी का नतीजा है कि...(व्यवधान) जयपुर में प्रारम्भ कर चुका है। (व्यवधान) हमारी सरकार सम्भवतया देश में पहली सरकार है जिसने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम इस आपत्ति को झेलने के लिए तैयार हैं, कृपया यह और बता दें कि किस किस मंत्री ने कितना कितना धन कमाया है। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : निजी उद्योगों को मजदूरी की 25 प्रतिशत राशि के बराबर सहायता की...(व्यवधान) नीति बनी जो मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों के लिए बनी, लेकिन यह पहला अवसर है कि हमने इस पालिसी में सभी प्रकार का रोजगार देने वाले प्रोत्साहनों को प्रारम्भ किया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब आपने सौ–सौ करोड़ रुपया लूटा है। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : वरिष्ठ पत्रकारों, मनोरंजन क्षेत्र में रहने वालों के बीच में बने हों...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने इस राजस्थान की जनता को लूटा है। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से आग्रह करूंगा।

(डा. बी. डी. कल्ला)

(व्यवधान) यह अपने शासन की बात भूल जाएं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इतने दिन में कितना कमाया है? (व्यवधान) आप खुद ही बताइये, सारे मंत्री कितने भ्रष्ट हैं? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : हजारों पद खाली हुए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : बैठ जाओ। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : इसी प्रकार शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र को जोड़कर आप...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप खुद ही बताइये कि ट्रांसफरों में कितना कमाया है? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : सराहनीय एवं अनुकरणीय है। धन्यवाद।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप खुद ही बताइये कि कितने मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, आर्डर, आर्डर। एक मिनट बिराजिये। रूल 290 यह कहता है कि A statement may be made by a Minister on matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप चाहते क्या हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या चाहते हैं? आज आपसे मैं कह रहा हूं, चाहते क्या हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष : आपको अलाउ कर रहे हैं, आप बिराजो तो सही। एक मिनट आप बिराजिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप चाहते क्या हैं? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मैंने कहा नहीं कि अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन तो +++ कर रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह आसन को शोभा नहीं देता पक्षपात करने का।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, एक मिनट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन +++ कर रहा है।

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप बिराजिये। आसन पैरों पर है, आप बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आसन जरा बैठे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो पक्षपात है न, परवाह नहीं करेंगे हम आपकी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, आप बिराजिये न। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इनको और निकालो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या जोश आ रहा है? (व्यवधान) आर्डर प्लीज, आर्डर but inspite of this rule, आप सुनिये न पूरी बात, व्हाट नो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम वापस प्रश्न नहीं पूछेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, आप एक मिनट बिराजो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : No, I cannot.

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट बिराजिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्थाओं को याद करो, आपने व्यवस्था दी थी कि डिस्कशन होगा और प्रतिपक्ष के नेता मुख्य रूप से... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने मना कर दिया क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप इस रूल को पढ़कर क्या बताना चाह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मैं बताना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या बताना चाह रहे हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं न, आप बिराजो तो सही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने क्यों दिलाया स्टेटमेंट? इस किताब को खोलकर क्या कहना है?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप स्वयं आज +++ होकर कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह क्या सवाल है? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : यह आसन को प्रभाव में ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : विपक्ष के नेता जिस तरीके से बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप आसन को प्रभाव में नहीं ले सकते। (व्यवधान)

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हीरालाल विश्नोई)

इस तरह से चार्ज लगा रहे हैं आप आसन पर। आप आसन को चैलेंज कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कहना क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप आसन को चैलेंज कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं कहता हूं आसन से आज, यह हम पर कोई मेहरबानी कर रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रूल तो रैगुलेट करने के लिए है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह आप कोई मेहरबानी कर रहे हो क्या रूल्स पढ़कर? क्या मेहरबानी करना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? आपकी मेहरबानी है जिसके कारण से हम पूछ सकेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : मैं नियम से चल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह हमारा अधिकार है, अधिकार, आपकी दया पर हम जिन्दा नहीं हैं यहां। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको बुलवाउंगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज यह अंतिम दिन, अंतिम दिन की तरह चला जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कब कह रहा हूं कि आपको नहीं बोलने दूंगा? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमें कोई सवाल का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यह किताब निकालकर क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आपने चेयर की अथोरिटी को चैलेंज किया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम आप लोगों की मेहरबानी से आएंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतना अभिमान आपको भी नहीं करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने जिस तरह से आज सदन में यह पढ़ा। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन से लड़ेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज यह अंतिम दिन जहर घोलकर जाना चाह रहे हो?

श्री हीरासिंह चौहान : अन्तिम दिन जहर घोल रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप गलत समझ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : प्रतिपक्ष के नेता, आप असल में धमकी दे रहे हो। (व्यवधान) यह आपका व्यवहार अशोभनीय है। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता के लिए यह शोभा नहीं देता। आप आसन को चैलेंज कर रहे हो। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आसन को धमकाया जा रहा है, आसन की अथोरिटी को चैलेंज किया जा रहा है प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दे दो न क्लैरिफिकेशन। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : इस तरह से प्रतिपक्ष के नेता आसन के साथ व्यवहार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप इस तरह से आसन को चैलेंज कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : आप आसन को धमका रहे हो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप इस तरह से आसन को चैलेंज नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : सदन की कार्यवाही चलाई जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : उनका जवाब तो मैं ही दे रहा हूं, आप क्यों ताव खा रहे हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने जिस तरह से अभी यहां पढ़ा...(व्यवधान) आज आप और हम पहली बार चर्चा कर रहे हैं? (व्यवधान) अफसोस है, पहली बार मुझे इतना क्रोध है, जिस प्रकार आपने यहां किया न...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप आसन को चैलेंज नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : यह बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप आसन को चैलेंज नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : जिस प्रकार से आप कर रहे हो यह बरदाश्त किये जाने योग्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप पहली बार हमको रूल्स पढ़ा रहे हो, क्या इससे पहले कभी स्टेटमेंट नहीं हुआ था? कभी उस पर कोई सवाल खड़े किये थे, हमको कोई जानकारी नहीं है? (व्यवधान) आप स्टेटमेंट के बाद क्या कर सकते हो, पहली बार हमको पढ़ा रहे हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : क्रोध आपको यह नहीं है, क्रोध इस बात का है कि बहन मायावती राखी इनके मुंह पर मार गई। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप आसन को चैलेंज नहीं कर सकते इस तरह से।

(श्री हीरालाल विश्नोई)

आप सुनना नहीं चाहते इसलिए रूल्स बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तमाशा कर दिया, जैसे आपकी कृपा से आये होंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्रोध आप पर नहीं है, वह बहन मायावती इनके मुंह पर राखी मार गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप पहली बार पढ़ रहे हो। (व्यवधान) हम भी पहली बार आये होंगे विधान सभा में, यहां पहली बार स्टेटमेंट पढ़ा होगा, यह स्टेटमेंट पर पहली बार विचार किया होगा, पहली बार आपकी मौजूदगी में हमने 20 साल तक झक मारी थी। स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, हमको पता नहीं था कि यहां आप किताब खोलकर पढ़ने लगे? आप चाहते क्या हो? (व्यवधान) यह मजाक किया है। (व्यवधान) हमको धोखा दिया। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : यह आपका मिथक है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? (व्यवधान) आप अच्छे माहौल के ऊपर असैम्बली होनी चाहिए, आज आखिरी दिन है, ऐसे नोट के ऊपर क्या असैम्बली को खतम करना चाहते हैं? अच्छी तरह से, प्यार से खतम होनी चाहिए असैम्बली। आखिर जनता में क्या मैसेज लेकर जाएंगे आप? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन का अपमान नहीं है, यह पूरे सदन का अपमान है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अशोभनीय व्यवहार किया है। (व्यवधान) जिस तरह का व्यवहार किया है प्रतिपक्ष के नेता ने, यह पूरे सदन की गरिमा है। (व्यवधान) इनको खेद प्रकट करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह व्यवस्था करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : अच्छे नोट के ऊपर होना चाहिए, क्या मैसेज हम जनता को देना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह इतनी सारी आज की प्रोसिडिंग्स निकालकर लाया हूं, बोलते क्या हो और करते क्या हो, आप राजस्थान की जनता को धोखे में रखकर बात करते हो। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : हम क्या जनता को मैसेज देकर जा रहे हैं? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :... (व्यवधान) हां, नहीं की जा सकती। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक :...आखिरी दिन है, सत्रावसान के पूर्व इस तरह का व्यवहार नहीं करके अच्छी तरह से असैम्बली का सत्रावसान होना चाहिए।

डा. बी. डी. कल्ला :...आसन को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोकतंत्र का मजाक है, पूरे सदन का अपमान है। इनको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक :...क्या याद लेकर के जाएंगे, साहब? (व्यवधान) इस तरह का व्यवहार...

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...यह झूठ बोलना अपमान नहीं है? (व्यवधान) सदन में यहां यह बोलना वह अपमान नहीं है? यह सदन का अपमान नहीं है? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : मैंने कोई असत्य नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : शांति-शांति। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : मैंने कोई असत्य नहीं कहा है, क्या राजस्थान में 50 हजार पद रिक्त हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं बताता हूं। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : आप मेरे खिलाफ प्रस्ताव मूव करें और नहीं तो आप इस्तीफा दे दें। (व्यवधान) आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, आप सदन में असत्य बोले हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने सदन को गुमराह करना, झूठ बोलना जिन्दगी में सीखा नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : शांति-शांति। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : आप देख लें। (व्यवधान) आप असत्य-असत्य बोले हैं। (व्यवधान) 50 हजार पद रिक्त हैं, आपने सदन में कहा है। 50 हजार पद रिक्त नहीं हैं, आप...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का शांतिपूर्वक सत्रावसान होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जनता को गुमराह करते हो झूठी घोषणा करके और पांच साल से...(व्यवधान) 99 का यह भाषण है। पढ़ा है आपने अपना? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : शांति रखिये, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। हमको आपकी चिंता हो रही है, तबीयत खराब हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...क्या मजाक है। पहला भाषण शिक्षा मंत्री का, क्या हुई उसकी पालना? क्या किया आपने इसका? करते हैं? यों करते हो, यह देखा है? यह किताब कोई मैंने नहीं छापी। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : हम नहीं चाहते कि आपकी तबीयत खराब हो। तबीयत खराब हो जाएगी, सम्भालो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको गुस्सा मायावती का है, यह थोड़े ही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...यह प्रोसिडिंग की किताब है। (व्यवधान) क्या किया आपने? बाते करते हो जैसे कोई... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : हम नहीं चाहते, प्रतिपक्ष के नेता का स्वास्थ्य खराब हो। (व्यवधान) शांतिपूर्वक असैम्बली का सत्रावसान होना चाहिए आज। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपको पूछना चाहता हूं, सुनिये, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या डिप्टी स्पीकर साहब ने किसी स्टेटमेंट के ऊपर कोई नियम का यदि हवाला दे दिया तो कोई अपराध कर दिया क्या? क्या गुनाह कर दिया इसके अन्दर? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं रिलैक्स...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...बहुमत का इतना घमंड...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : शांति-शांति। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कब तक यह लोगों को गुमराह करोगे? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : शांति रखिये, तबीयत खराब हो जाएगी। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आपको आसन का अपमान नहीं करना चाहिए। (व्यवधान) आप सम्मानित पद के ऊपर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कहते क्या हो और करते क्या हो। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : विपक्ष के नेता हैं, आपको खेद प्रकट करना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : शांति-शांति। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस बच्चे का कब तक शोषण करोगे? कब तक उस नौ जवाब के साथ खिलवाड़ करोगे? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : तबीयत खराब हो जाएगी, सम्भालो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह रो रहा है गांव में। कौन रोएगा उसको? 25 रुपये में मास्टर...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : राजेन्द्रजी, सम्भालो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...उस बच्चे को 25 रुपये के मास्टर से... (व्यवधान) तब बताएगा कि क्या होता है। (व्यवधान) गरीब का बच्चा पढ़ता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है सरकारी स्कूल में। आप और हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है सरकारी स्कूल में। उस गरीब का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में आप में से एक का भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता जहां अध्यापक नहीं है। वह बच्चा रो रहा है। (व्यवधान) जिस तरह से आप लूट रहे हो उस बच्चे को...(व्यवधान) और उस बच्चे को, 2-2 अध्यापक से मिडल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल चला रखा है आपने। क्या मजाक की है पांच साल तक? (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्षजी, कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं? यह मर्जी आये वैसे बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप इनको मना क्यों नहीं करते? आसन, आसन की अवहेलना की और मर्जी आये जैसे बोल रहे हैं। शिक्षा के प्रति केवल एक ही चिंतित है क्या, दूसरे लोग चिंतित नहीं हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आप बिराजें। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : आसन का अपमान करें और मर्जी आये जैसा बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान) माननीय काबराजी, बिराजें। बिराजें। (व्यवधान) माननीय विपक्ष के नेता महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि आप जैसे...(व्यवधान) आप बिराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मुझे भी अफसोस है आज। मैंने भी 20 साल तक की राजनीति में इतना...

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा होता कि आप मेरी पूरी बात सुन लेते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : घटियापन नहीं देखा। मैंने भी अपने जीवन में इतना घटियापन नहीं देखा कभी भी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन किया है, इसमें शब्दों का...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...मैंने भी शिक्षा मंत्री रहते हुए...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान :...आप आसन के ऊपर आरोप लगाये जा रहे हो। प्रतिपक्ष के नेता महोदय की भाषा...(व्यवधान)...घटियापन।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान) प्लीज बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...उम्मीद थी कि आखिर में तो संरक्षण...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष :...आप यह क्या कि भागना चाहते हो...(व्यवधान) आर्डर प्लीज। बिराजिये-बिराजिये। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत :...क्या हुआ था इनके साथ में? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काबराजी, बिराजो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : निंदा प्रस्ताव लाओ इनके खिलाफ। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन नहीं चल सकता और प्रतिपक्ष के नेता महोदय का ऐसा व्यवहार रहेगा, हम इस तरह से आसन का अपमान नहीं सहन कर सकते, इस सदन की गरिमा को धूल में नहीं मिलने देंगे। आप माफी मांगें यहां पर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन नियमों से चलेगा, प्रक्रियाओं से चलेगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय भागना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का आचरण असैम्बली में ही नहीं, गर्वनर हाउस में भी इनका आचरण जिस तरह से क्षोभजनक था, गवर्नर साहब को कहना पड़ा था कि आपका आचरण बड़ा क्षोभजनक है, आप तो...(व्यवधान) आदत में हो गया आपका यह काम। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या कह रहे हो? (व्यवधान) बिराजो-बिराजो। पण्डितजी, बिराजो। आर्डर-आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई मंत्री महोदय स्टेटमेंट देते हैं तो पूरे हाउस को यह अनुमति होती है कि कोई जानकारी कर सकते हैं। आज तक मैं समझता हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंत्री महोदय के स्टेटमेंट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कब कहा कि आप जानकारी मत लो? मैंने तो कही ही नहीं यह बात। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Let me finish.

श्री उपाध्यक्ष : I never said. I never said.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरी बात तो पूरी करने दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और मैं इस रूल को रिलैक्स कर रहा हूं। आपने मेरी बात को ही नहीं सुना, आप जबरदस्ती ताव खा गये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह आज हमने पहली बार...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना ही नहीं इस बात को। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो अलाऊ कर लें हमको।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो ताव खा गये। आप तो ताव खा गये। (व्यवधान) मेरे खिलाफ तो आपने...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अलाऊ करिये आप। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : पहले क्षमा मांगनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझे ही नहीं पूरी बात। यह कोई दूसरे बोलते तो समझ में आता है, आप जैसे आदमी ऐसे बोल गये। (व्यवधान) तब मुझे यह कहना पड़ा...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : पहले आसन से क्षमा मांगनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष :...मैं यह कह रहा हूं और मैं इस रूल को रिलैक्स कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बैरी गुड।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों ताव खा रहे हो? (व्यवधान) पूरी बात ही नहीं सुनी और ताव खा गये। (व्यवधान) मैं कोट कर रहा हूं। (व्यवधान) आर्डर-आर्डर। मैं रूल कोट कर रहा हूं, उसको रिलैक्स कर रहा हूं, आप सुनना ही नहीं चाहते, उससे पहले आप पता नहीं क्यों ताव खा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। हाउस तो रूल्स से चलेगा न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वे आफ पुटिंग ठीक नहीं था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने क्यों इतना ताव खा लिया? (व्यवधान) मैंने यह कोई कह दिया हो कि मैं आपको नहीं बोलने दूंगा या मैंने यह कहा हो कि मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूं, कोई ऐसी बात कही हो तो समझ में आ सकती है। पता नहीं आप कहां से इतनी बात को उठाकर ले आये। (व्यवधान) और फिर आप जैसे आदमी...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और आखिरी दिन पर आपसे मुझे इतनी बात कहनी पड़ी। मुझे बहुत अफसोस है, क्या बात करते हो आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद :..इसमें कोई बचाव नहीं है, उसमें कोई बाकी नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. चन्द्रभान : जो घटिया शब्द का प्रयोग कर लिया आसन के लिए और अब मैं कह रहा हूं कि जब तक ये खेद प्रकट नहीं करेंगे, यह सदन नहीं चल सकता। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : कोई बात नहीं, आसन का बड़ा दिल है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खेद प्रकट करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...दादागीरी के भरोसे...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका है आपके लिए? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...क्या होता है, अकेला निपट सकता हूं। मैं अकेला निपट सकता हूं, बोलो क्या करना चाहते हो। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आसन ने बड़ा दिल रख लिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...मैं अकेला ही कर सकता हूं सवाल–जवाब, आप कौन–कौन करता है? (व्यवधान) कौन–कौन करना चाहता है, आ जाओ। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) :...आप लंग पावर का प्रयोग करना, समय बढ़वा देता हूं मैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह क्यों? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी आपके पास लंग पावर शेष है, समय बढ़वाने के लिए निवेदन कर देता हूं, फिर उसका और प्रयोग कर लें। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपका तो बढ़ना नहीं है समय। आपका समय तो खतम हो गया, अब क्या बढ़ेगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब तक माननीय कटारियाजी क्षमा नहीं मांगेंगे जब तक आसन का समय बढ़ाया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बिराजो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : समय बढ़ाओ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो साढ़े चार है, अभी क्या समय बढ़ा रहे हो?

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, बाद में कुछ लंग पावर का प्रयोग होगा वह रह जाएगा, उपयोग हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 4.38 है। कुछ नहीं रहेगा, सब निपटाउंगा मैं, आप चिंता मत करो, आप बिराजो। आप बिराजो। पण्डितजी, बिराजिये। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आर्डर–आर्डर। (व्यवधान) कुछ माननीय सदस्यों को यह लगा है कि आपने कुछ कहा है, कोई बात नहीं है। मेरे लिए कहा है, मुझे कोई बुरी बात नहीं लगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह सदन का अपमान है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का अपमान है। यह आसन का और सदन का अपमान है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई इसको बरदाश्त नहीं करेगा। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : कितने हलकेपन से...(व्यवधान) यह सदन का अपमान है। यह आसन की गरिमा का सवाल है, यह पूरे सदन का सवाल है। यह व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह आसन की गरिमा का सवाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : इतनी हल्की भाषा का प्रयोग आज तक इस विधान सभा में नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने महानता दिखाई है मगर यह...(व्यवधान) आने वाली संतान आपको क्या देगी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

डा. चन्द्रभान : इस तरह का आचरण कोई सामान्य सदस्य करता तो (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता को यह आपत्तिजनक है।

श्री उपाध्यक्ष :--माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आप बिराजिये।

डा. (श्रीमती) कमला : चेयर को अफसोस जाहिर करने में क्या छोटापन हो रहा है? आप चेयर को कर रहे हैं न कि किसी व्यक्ति को कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने आपके लिए नहीं कहा है।

डा. (श्रीमती) कमला :...इतनी-सी बात के लिए अपने आपको यह समझें कि मैं इतना छोटा क्यों बनूं या मैं ऐसा क्यों करूं, वह तो आपको अपने आप ही...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न।

डा. (श्रीमती) कमला : चेयर के लिए बात है, व्यक्ति की बात थोड़े ही है। (व्यवधान) सीट की बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजो ना।

डा. (श्रीमती) कमला : यह व्यक्तिगत आचरण का सवाल है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह व्यक्तिगत सवाल नहीं है, यह आसन की गरिमा का सवाल है, सदन की गरिमा का सवाल है। यह सदन है, व्यक्तिगत नहीं है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय द्वारा यदि इस प्रकार की गरिमा का आचरण होता है तो यह खेदजनक है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता महोदय से आग्रह करता हूं कि आप कृपा करके आसन के सामने अफसोस प्रकट करें, इससे प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ऐसी हलकी भाषा का उपयोग किसी प्रतिपक्ष के नेता से पहले कभी नहीं किया होगा जो आपने किया आज। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये न आप।

श्री रोहिताश्व : उपाध्यक्ष महोदय, कौनसे इन्होंने नियमों का उल्लंघन कर दिया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसको कौन पूछ रहा है?

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह घटियापन शब्द को सदन की कार्यवाही से बाहर कीजिये पहले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये, बिराजिये, माननीय सदस्य। आप बैठो न। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :...अस्पतालों में डाक्टर नहीं, और यह सरकार भागना चाहती है, जाने दो ना। गांव में बिजली नहीं, बिलकुल नहीं बिजली।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। प्लीज, हाउस को आर्डर में लाइये। आर्डर प्लीज़। हाउस को आर्डर में लाइये।

डा. सी. पी. जोशी : अगर हाउस आर्डर में हो...(व्यवधान) जब डिपार्ट ही हो रहे हैं तो प्रेस से डिपोर्ट हों, हाउस को एडजोर्न कर दीजिये आप जिस बैकग्राउण्ड में आप डिस्कशन करा रहे हैं, वह एंवायर्नमेंट ठीक नहीं है। लोकतंत्र में यह आखिरी सदन है, आखिरी दिन है तो प्रेस से डिपार्ट करें। आप हमको भी माफ करो और इनको भी माफ करो और हाउस को एडजोर्न करिये। दुबारा जीतकर आएंगे फिर मिलेंगे। छोड़िये इस बात को।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो बिजनस बाकी है, एडजोर्न कैसे करें? हाउस का बिजनस बाकी है। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : सब अच्छी मैमोरी लेकर जाइये।

श्रीमती बीना काक : आज आखिरी दिन है सत्रावसान का। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में विरोधी पक्ष के नेता की अपनी फीलिंग है। आपके बारे में कुछ कहा गया है, सदन को चलाने की वनिस्पत सदन को बन्द करना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। आप सदन को चलाकर गरिमा नहीं बनाएंगे। जिस वातावरण में डिस्कशन हो रहा है, वह वातावरण लोकतंत्र के लिए मजबूत करने के लिए ठीक नहीं है। अगर आज आपस में डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं तो जब हम अगले चुनाव में जीतकर आएं, तब हम प्रेस से बात करेंगे, इसलिए आज हाउस को आप एडजोर्न करके धन्यवाद दे दीजिये। (व्यवधान) कोई मतलब नहीं है इस बात का। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके लिए क्या कह दिया इन्होंने, चेयर के लिए कह दिया, हाउस को एडजोर्न कीजिये। (व्यवधान) हाउस का अपमान किया है और चेयर के लिए जब इन्होंने कहा, आपकी ये बात सुनें नहीं, शांत नहीं हो सकते तो फिर नेता प्रतिपक्ष का क्या मतलब है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव में बिजली नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं।

डा. सी. पी. जोशी : मतलब ये इतने सम्मानित सदस्य हैं, इनको आराम दिलाओ। पहले ठीक हो जाएं, फिर बात करेंगे, ठीक रहेगा। (व्यवधान) मैं सम्मान के

(डा. सी. पी. जोशी)

साथ कह रहा हूं, जब वातावरण ठीक नहीं हो तो क्यों डिबेट करना चाहते हैं? मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आप भी एप्रिशियेट करेंगे कि जिस वातावरण में डिबेट हो रही है, उस वातावरण में समझने की आवश्यकता है। हम सब लोकतंत्र में जीतकर आते हैं, विचारों में अपने मतभेद व्यक्त करते हैं लेकिन हममें अगर आस्था ही नहीं रही है, चेयर के ऊपर आस्था नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता में आस्था नहीं है तो फिर ऐसी डिबेट कराने से कोई फायदा नहीं है इसलिए ज्यादा होगा, इस डिबेट को अच्छी खतम करके हाउस को एडजोर्न कीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उग्रवादियों, ज्यादा भागने का बहाना क्यों बना रहे हो?

डा. सी. पी. जोशी : और सदन में दुबारा जब आएंगे तो फिर कूल ढंग से बात करेंगे। मैं समझता हूं कि यही प्रोविजन है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : झूठे लोकतंत्रवादियों, बहाना क्यों बना रहे हो भागने का? आप बहाना क्यों बना रहे हो भागने का? (व्यवधान) भागना है तो वैसे ही भाग जाओ।

श्रीमती बीना काक :...और कोई दूसरी बात क्यों कर रहे हो? बिटरनैस एक दूसरे के लिए मन में क्यों ला रहे हो? इतनी बात कहने के बाद वही झूठे और उग्रवादी, ये सब क्यों बोल रहे हो? प्रेम से डिपार्ट हों, क्या फालतू की बात लेकर बैठे हुए हो? काहे की बिटरनैस एक दूसरे के प्रति लेकर जाते हो?

श्री उपाध्यक्ष : बिल बाकी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : झूठे लोकतंत्रवादी हैं ये, काहे को लोकतंत्र का हवाला दे रहे हो। हमको भी जनता ने चुना है, आपको भी जनता ने चुना है। लोकतंत्र का हवाला देकर झूठ काहे को, भगाना है तो वैसे ही भाग जाओ।

डा. सी. पी. जोशी : जब यदि अध्यक्ष में आस्था ही नहीं है तो क्या डिबेट करेंगे, क्या कार्य सूची चला रहे हैं? जिस सदन में यदि अध्यक्ष में आस्था नहीं है तो मैं समझता हूं कि इस डिबेट का कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं है, इस डिबेट का कोई मतलब नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, यह जरूरी है कि हम अध्यक्ष में आस्था प्रकट करें। वर्ना फिर यह क्या डिबेट कराना चाहते हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, पूरी आस्था है। पूरी आस्था है।

डा. सी. पी. जोशी : किसकी?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमारी आसन के प्रति आस्था है। आस्था सबकी है।

डा. सी. पी. जोशी : वह तो खतम हो गई। फीलिंग तो आपकी हर्ट हुई है।

(डा. सी. पी. जोशी)

फीलिंग तो आपकी हर्ट हुई है। मैं समझता हूं कि आपकी फीलिंग हर्ट हुई है, आपकी फीलिंग हर्ट हुई है। हर्ट क्यों करें फीलिंग को? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब अच्छे वातावरण में यदि इस सदन को चलाएंगे, आज हम हमारी भावनाओं को उसमें बहकर इस तरह से करेंगे तो इसका क्या मतलब है? मैं समझता हूं कि आज आप भी हर्ट हुए हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, आप बड़ी चतुराई से, पूरा रैस्पैक्ट है। आप बैठिये, पूरा रैस्पैक्ट है।

डा. सी. पी. जोशी : आपने खुद ने ही कहा है, आप हर्ट हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष हर्ट हुए हैं। आपकी फीलिंग के हर्ट होने के बाद, आज यदि हाउस में, चेयर में रैस्पैक्ट नहीं है तो फिर हाउस चलाने का मतलब क्या है, मैं समझता हूं कि यहां भावनाओं को हर्ट करके, चेयर को रैस्पैक्ट नहीं करें, यदि हम डिबेट करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम परम्परा डाले और इस तरह के वातावरण में डिबेट नहीं कराएंगे तो अच्छा मैसेज जायेगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप बैठिये ना, आप बैठिये।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : कटारियाजी खेद प्रकट कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी चतुराई से माननीय जोशीजी...

डा. सी. पी. जोशी : नहीं-नहीं, चतुराई से नहीं, भंवरजी, आप बड़े सीनियर आदमी हैं, आपने कटारियाजी को रोका नहीं। आपकी ड्यूटी बनती थी, प्रतिपक्ष के अध्यक्ष हैं, आसन पर गुस्सा आ रहा था तो आप इनको रोकते, आपने रोका नहीं। आप चुपचाप बैठे रहे, आपको रोकना चाहिए था। हम यहां बैठकर बात कर लें, आपने रोका नहीं। आप एनकरेज कर रहे हैं। मैं समझता हूं, आप इतने सीनियर आदमी हैं, लोकतंत्र में पार्टी का...

डा. चन्द्रभान : माननीय भंवरजी, आप प्रतिपक्ष के नेता के व्यवहार को उचित मानते हैं क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप बैठिये ना, आप ठहरो ना।

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो जो कहना था, कह दिया। विपक्ष के नेता महोदय, बिराजिये आप। (व्यवधान) इन्होंने कहा था और बार-बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : जिस तरह का व्यवहार इन्होंने किया है, क्या इसको उचित मानते हैं आप?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं तो इनसे भी कह रहा हूं।

श्रीमती बीना काक : जो विपक्ष के नेता को कहना था, कह चुके। अब, माननीय, बिराजिये, ढंग से थोड़ा-सा हाउस चल जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी सदन में बहुत लम्बे समय से सदस्य रहा हूं और...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : टाइम बढ़ाने दो, टाइम बढ़ाने दो। कटारियाजी, टाइम बढ़ाने दो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची के पूरा होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

फोरगेट इट, आप तो अपनी बात कहो। मैं कह रहा हूं, आप क्या बात कर रहे हो। (व्यवधान)

शासकीय व्यक्तव्य

राज्य में शिक्षा व शिक्षकों की स्थिति

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी सदन का पुराना सदस्य हूं, इस सदन में मेरे व्यवहार से और मेरे आचरण से सदन के प्रत्येक सदस्य भी परिचित हैं और जनता भी परिचित है। मेरे अपने मुंह से कभी झूठ बोला नहीं जा सकता है और मेरे सामने कोई झूठा बोलता है तो मेरे से बरदाश्त भी नहीं होता है। मुझे बहुत अफसोस है, जिस ढंग से राजस्थान की शिक्षा का सत्यानाश हुआ है, मैं आज कह रहा हूं...

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सत्यानाश तो आपने किया है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : पहले इनको अफसोस करना चाहिए, इन्होंने आसन का अपमान किया है। आप पहले उसके ऊपर अफसोस प्रकट करें कि आपने आसन का अपमान किया है। यह नहीं चल सकता। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : आपने कहा है कि 50,000 पद रिक्त हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं अकेला काफी हूं। आपको आंकड़ों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ बता सकता हूं। (व्यवधान) भगवान ने मुझे दम दिया है।

डा. बी. डी. कल्ला : आपको दम दिया होगा, लेकिन 50,000 पद राजस्थान में रिक्त नहीं हैं। आप असत्य बोले हैं और असत्य का दोष लगेगा आपको।

डा. चन्द्रभान : आपने जो दुर्व्यवहार किया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय के साथ, आसन के साथ, उसके लिए अफसोस प्रकट करना चाहिए पहले।

डा. बी. डी. कल्ला : आपने 50,000 पद रिक्त बताये हैं, आप बताएं कि कौन

(डा. बी. डी. कल्ला)

कौनसे पद रिक्त हैं राजस्थान में। आप इस सदन में बोले हैं कि 50,000 पद रिक्त हैं राजस्थान में, कहां रिक्त हैं राजस्थान में 50,000 पद, बताइये?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : श्रीमान्जी, अगर सच बोलना सीख सकते हो तो सीखो और नहीं सीख सकते हो तो...(व्यवधान) यह रहा उसके साथ डाकूमेंट, यह आपका निकाला हुआ है डाकूमेंट।

डा. बी. डी. कल्ला : कम से कम ढकोसला करते समय असत्य नहीं बोलते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने कोई खुद नहीं निकाला है, ये आपके द्वारा दिये हुए आंकड़े हैं, प्रगति प्रतिवेदन से निकाले हुए हैं जिसको मैं एक-एक को पढ़ सकता हूं। (व्यवधान) यदि चाहें तो एक झूठ से जितना झूठ बोलकर सदन को गुमराह किया है...

डा. बी. डी. कल्ला : पुराने आंकड़े देख लिये होंगे। यह झूठ शब्द असंसदीय है, आप कैसी असंसदीय भाषा बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : असत्य कह दो, असत्य कह दो। झूठ गड़बड़ है तो असत्य कह दो।

डा. बी. डी. कल्ला : 50,000 पद रिक्त नहीं हैं राजस्थान में, आप असत्य बोले हैं। आप केवल असत्य बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ये आपके जिन अधिकारियों ने आकड़े दिये हैं, उन अधिकारियों ने आपके पुराने प्रगति प्रतिवेदन को देखने की कोशिश नहीं की। मैंने पांच साल के प्रगति प्रतिवेदन को देखने के बाद ही पता लगाया है कि शिक्षा का वातावरण कैसा है।

डा. बी. डी. कल्ला : मैंने सदन में पूरे एक-एक संवर्ग में कितने पद रिक्त हैं, सब बताया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। आप बैठिये, माननीय सदस्य। माननीय शर्माजी, बिराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं अकेला हूं काफी, केवल आप बताना ही चाहते हैं तो मैं आपको एक्चुअल फिगर्स बताना चाहता हूं, केवल दो-तीन महीने के फिगर्स बताता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय। (व्यवधान) आप बैठो, बैठो। आप अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं या जो कुछ आपने कहा है, उसके प्रति खेद प्रकट कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग...(व्यवधान) मैं आपका स्टेटमेंट दिलाऊंगा देन आई प्रोमिस यू, लेकिन सदन की भावना यह है कि...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बात खतम कर दी, साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आसन के प्रति अनादर न मैंने पहले कभी किया, न आसन के प्रति कोई अनादर करने का मेरा मन है, न कोई आसन के प्रति अवहेलना करने का मन है। मैंने आपका पूरा स्टेटमेंट, जब से लेकर आप बोले हैं, तब से लेकर पढ़ना शुरू किया, मैं बैठा-बैठा सुन रहा था, बीच में एक शब्द भी उठकर नहीं बोला...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। एक मिनट, आर्डर प्लीज। (व्यवधान) अब रूल 290 को मैं रिलैक्स करता हूं। कौल एण्ड शकधर यह कहता है–For some time, practices developed that the Speaker in exceptional cases allowed a few clarifications inspite of the statement relating to the Minister. यही तो मैं कह रहा था। आपने इतना दांव लगाकर दो घंटे यों ही खराब कर दिये, इतनी-सी बात थी। अब बोलिये आप। बात खतम हुई।

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता महोदय होकर इस तरह की बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बिराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, अगर सदन की और आपकी इजाजत हो तो मैं इनके प्रत्येक बिन्दु के ऊपर बड़े इत्मीनान से और पूरे रिकार्ड से इस सदन में प्रूव कर दूंगा कि शिक्षा की क्या गति इन पौने पांच सालों में बनी है। मैं एक-एक बिन्दु के ऊपर शुरू कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आप बिराजें। आप बिराजो न।

डा. करण सिंह यादव : हम भी इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, दो सवाल पूछना चाहते हैं, यह तो भाषण दे रहे हैं पूरा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मना कर दिया क्या मैंने? इतना जोश क्यों आ रहा है आपको? माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप भाषण तो नहीं दे पाओगे, You can seek some clarifications as per the statement. यह कर सकते हैं आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, भाषण मैं नहीं देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्लैरिफिकेशन सीक कर लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पर यह जो सच्चाई है...

श्री उपाध्यक्ष : हां, यह ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारे मंत्री महोदय ने 99 के अपने रिप्लाई भाषण को वापस देखने की कृपा नहीं की कभी भी। आप जितना इस सदन में बोले हो, एक ही है, इस वर्ष पहली बार राज्य

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के उच्च प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का गठन करने का एलान किया गया है। हो गया न?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या पढ़ रहे हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्राथमिक शिक्षा का बोर्ड बन गया न? फिर आपने इसके नीचे दिया है, मतलब एक-एक नहीं है, आपने लिखा है कि जो हमारे व्याख्याता के पद खाली थे, 1999 के 06 अप्रैल के दिन जो आपका भाषण हुआ, इस भाषण में आपने शिक्षा मंत्री के नाते रिप्लाई दिया था विधान सभा के सत्र में, वह का वही आज आप फिर रिपीट कर रहे हो। आप एक कदम आगे नहीं बढ़े हो व्याख्याता की दृष्टि से। मैंने उस समय भी यह स्वीकार किया था कि मेरे सब प्रयास के बाद भी मैं व्याख्याता के पद नहीं भर सका था, इसका मुझे दुःख है। आपने इस सदन में कहा, प्रोसिडिंग्स उठाकर देख लेना, इस प्रकार 2687 व्याख्याताओं की नियुक्ति के पद रिक्त हैं। अब वर्तमान में 1378 पद व्याख्याताओं के रिक्त हैं, इसके लिए इमरजेंसी रिक्रूटमेंट किया जाएगा। हो गया न पूरे पौने पांच साल में यह रिक्रूटमेंट? इमरजेंसी रिक्रूटमेंट हुआ? यह मैंने अपनी तरफ से नहीं पढ़ा है, यह मैंने आपकी ही इन सब चीजों से निकाला है।

अब आप जिस पैराटीचर के बारे में कह रहे हैं, न तो आपके डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी इसके बारे में चिंतित है, सोचते हैं कि मर्जी चाहे जो लट्ठ घुमाओ, कोई देखने वाला है न सुनने वाला है। यह आपने दिया था चार साल पहले, यह आपकी प्रोसिडिंग्स है। यह पिछले साल का भाषण है शिक्षा मंत्रीजी का। इसमें आपने लिखा है, चार साल में जो पैराटीचर हैं उनको अनुभव के आधार पर थर्ड ग्रेड टीचर बना दिया जाएगा। यह आपका ही है। यही नहीं, इसके आगे और है। आपने इसके बाद यह कहा कि हम तीन महीने में नियम बना देंगे। आपके भाषण का ही पैरा है, थर्ड ग्रेड टीचर की पात्रता रखेंगे ऐसे व्यक्तियों को चार साल में अनुभव के बाद हम थर्ड ग्रेड टीचर बनाये जाने के नियमों का संशोधन करेंगे। संशोधन हो गया न? नहीं हुआ, जरूरत नहीं थी आपको। मतलब आप जितना चाहो, एक-एक लाइन मैंने कर रखी है आपकी। जिसको आपने पैराटीचर लगाया है, आप ईमानदारी से बताओ कि बारह सौ रुपये में, चाहे आपने किसी कारण से रखा होगा, कुछ भी किया होगा, पर जो क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है उसके भी तो घर पर कोई न कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा, उससे कुछ पूछेगा कि चार साल, पांच साल तक मैं इस बारह सौ रुपये में कैसे गुजारा कर सकता हूं, मेरा कैसे गुजारा सम्भव है। उस टीचर के बारे में नहीं। वह आपको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यहां मांग करने आता है तो आप उससे समझौता करते हैं। आप यह आश्वासन देते हो, मुख्य मंत्री आश्वासन देते हैं, परिणाम कुछ नहीं निकलता है।

शिक्षाकर्मी के बारे में भी यही सवाल है। 1984 से शिक्षाकर्मी व्यवस्था लगी है, 16–16 साल हो गये। जिस समय उनको शिक्षाकर्मी लगाया था, यह था कि अगर वे क्वालिफिकेशन फुलफिल करेंगे तो आठ साल के बाद वे अपने आप थर्ड ग्रेड के टीचर के रूप में जाएंगे। आठ के बजाय आज उनको सोलह साल हो गये, उसके बारे में कोई विचार करने की जरूरत नहीं? और अब आप यह जो कह रहे हैं गैस्ट फैकल्टी, पैराटीचर, आखिर पच्चीस रुपये का जो अध्यापक आप लगाओगे या वह गोल्ड मैडलिस्ट जिसने टाप किया है, जो पी.एच.डी. किया हुआ है, वह बच्चा जिस समय पिचहत्तर रुपये में चाक घिसेगा, उस समय उसके अन्दर के हाथ–पैर हिलेंगे कि कोई शोषण की भी पराकाष्ठा है। क्या गारंटी है कि वह पढ़ाएगा या गीत गाकर चला आएगा? वह अध्यापक उस क्लासरूम में पढ़ाएगा, या नहीं पढ़ाएगा, इसको देखने का क्या आपके पास मापदण्ड है? आज हमारे रैगुलर टीचर हैं, जो आठ हजार और दस हजार तनखाह पाते हैं, उनके बारे में भी अपना शिकंजा कसकर पढ़ाई की दृष्टि से उनको हम उत्तरदायी नहीं बना सके तो इस पच्चीस रुपये के शिक्षक को आप कैसे उत्तरदायी बनाओगे? कैसे गांव के बच्चे को आप इस बारे में संतुष्ट करोगे?

यह का यह सवाल आया जब आपने कहा कि हमने भर्ती के लिए निकाला। क्या भर्ती निकाली? 1998 से लेकर जब तक आप राज में आये हो, कभी आपने थर्ड ग्रेड और सैकण्ड ग्रेड की वेकेंसी डिक्लेयर की हो और बच्चे को कहा हो कि आप इसमें अपना आवेदन भरो और उसके आधार पर सलेक्शन हो? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। हजारों पद खाली होने के बाद भी उस बच्चे का क्या अपराध है जो बी.एड. किया हुआ, एम.एड. किया हुआ बैठा है? आखिर वह भी इन्सान है, आपका ही कोई बच्चा होगा, आपका भाई होगा, उसको नौकरी करने का हक है। पर नहीं, उसके लिए नहीं। अब आपने, क्योंकि जाने के अन्तिम दिन आये हैं, यह नौज़वान हमको खाने दौड़ेगा, इसका क्रोध फूटेगा जैसे हम पर फूटा था। आपने केवल एक हथियार से हमको परास्त कर दिया कि हम 60 से 68 साल की उम्र कर रहे हैं। हजारों पद खाली होंगे, तेरी भर्ती होगी, बच्चा आस लगाये बैठा है कि 60–70 हजार अध्यापकों के पद जो खाली हो रहे हैं उसके कारण से मेरी भी कहीं नौकरी लगेगी। उसके बारे में कोई विज्ञप्ति नहीं। विज्ञप्ति अभी निकाली है। विज्ञप्ति भी आपने डिफैक्टिव

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निकाली जिसके कारण से कोर्ट में चुनौती होनी ही होनी है। और आप यह जानते थे। यह केवल एक दिखाने का भ्रम पैदा होगा उस बच्चे को कि तेरी भर्ती हो रही है। तेरी भर्ती हो रही है, उसके कारण से उसको ठंडे छींटे पड़ जाएंगे वह खुश होकर कहेगा कि नहीं-नहीं, बहुत अच्छा है। और उस पर स्टे आ गया। कभी तो आपके सैकण्ड ग्रेड पर स्टे आता है, कभी थर्ड ग्रेड के सलैक्शन पर स्टे आता है, कभी आपके व्याख्याता के ऊपर स्टे आ जाता है। आपके अधिकारी जो नियम बनाते हैं या जो विज्ञप्ति जारी करते हैं, उस समय उनका दिमाग काम नहीं करता है कि यह कानून के खिलाफ निकाल रहे हैं, कानून की अवहेलना करके निकाल रहे हैं? उसके कारण से आप किस–किस को संतुष्ट करना चाहोगे, कैसे संतुष्ट करोगे?

अब आप ये पैराटीचर, पैराडाक्टर, पैराइंजीनियर करना क्या चाहते हो? आपकी मंशा क्या है, कम से कम आप उस नौजवान को बता दो ताकि वह रोज सड़कों पर रोये नहीं, सड़कों पर आकर डंडा नहीं खाये और यहां भूखा-प्यासा आपके दरवाजे पर भिखमंगे की तरह से बैठा नहीं रहे। वह भी पढ़ा-लिखा है। आज हम यहां विधान सभा में आ गये तो कोई बहुत बड़े योग्यताधारी हो गये? और वह एम.ए. बी.एड. किया हुआ सड़क पर घूम रहा है इसका मतलब बिलकुल बेकार आदमी है? इस प्रकार का सोच तो शायद मैं सोचता हूं कभी नहीं ठीक बैठ सकेगा। इस प्रकार के सोच के आधार पर आप चल रहे हो। आप कह रहे हो, पद कितने रिक्त है? आज अभी आपने गिनाये, आपको नहीं लगता है कि 2200 कुल प्रिंसिपल हैं उसमें 800 प्रिंसिपल के पद खाली हैं, स्कूल कौन चलाएगा? चपरासी? कौन व्यवस्था करेगा उसकी? हमको दर्द नहीं होता है। ऐसा स्कूल जिसमें प्रिंसिपल नहीं है, जिसमें व्याख्याता नहीं है, जिसमें अध्यापक नहीं है, जब बच्चा पढ़ने जाएगा और घर आकर रात को आपको कहे कि काकाजी कोई पढ़ाता नहीं, पापाजी कोई पढ़ाता नहीं, आपका मन रोएगा नहीं? लेकिन गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता, उसके मां-बाप उसकी फीस नहीं दे सकते। हम आज जितने लोग बैठे हैं न, सब के बच्चे किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। किसी गरीब ठेले वाले का बच्चा पढ़ता है इसका मतलब वह नागरिक नहीं है इस राजस्थान का? आपके इस धन के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है, आपके इस खजाने पर उसका कोई हक नहीं है? उसके कारण से उसको कोई अध्यापक नहीं लगता, कोई चिंता नहीं। व्याख्याता पद खाली है, खाली है, कोई चिंता नहीं। आपने अभी बताया था न, कितने हैडमास्टर्स की पोस्ट खाली हैं? 3300 तो कुल हैडमास्टर्स हैं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

3300 सैकण्डरी के हैडमास्टर्स में से अगर आप 1200 पद खाली बताते हो, क्या यह शोभा देता है आपको? आपका मन कहता है कि बहुत अच्छा काम किया है हमने? संतुष्टि लायक है? 3300 हैडमास्टर्स के पदों में से 1200 पद अगर खाली हैं, इससे ज्यादा शिक्षा की ओर क्या दुर्गति होगी? क्या दुर्गति होगी। क्या बात करना चाहते हैं आप लोग?

आप किस–किस विषय को लेकर बात करोगे। मुझे बहुत अफसोस है आप जिस तरह से बातें करके केवल अपने मन को धोखा दे रहे हैं। हम लोकतंत्र में भले ही यहां मिनिस्टर क्या, मुख्य मंत्री बन जाएं, बन जायें लेकिन कोई समाज के ऊपर नहीं हैं, जनता के ऊपर नहीं है। जनता हमको चुनती है इसका मतलब इतना गलत अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि हम कोई सातवें आसमान पर चले गये हैं। हमको धरातल पर रहना पड़ेगा, उस जनता के लिए ही हम आये हैं और उस जनता के लिए ही हमको करना है। सारी सूचियां मैंने बनाई है, आप चाहें तो मैं एक–एक पद की सूची दे सकता हूं और आपके ही प्रगति प्रतिवेदनों से देता हूं। या तो अधिकारी जो प्रगति प्रतिवेदन बताते हैं, पर पुरानी दृष्टि डालते ही नहीं हैं, और आपको फिर लाकर कोई दूसरे आंकड़े देते हैं। व्याख्याता पद नहीं, सैकण्ड ग्रेड पद नहीं, थर्ड ग्रेड का मास्टर नहीं। प्राइमरी स्कूल में कभी यह नियम बनाया था कि कम से कम दो टीचर रहेंगे, सिंगल टीचर को हमने समाप्त किया था कि, नहीं, चाहे बच्चे कम हों या ज्यादा हों, कम से कम दो अध्यापक रहेंगे। आज आप उस प्राइमरी स्कूल की बात छोड़ें, कितने मिडल स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर चला रहे हैं, आठवीं तक के? आप में से सब लोग अगर चुप बैठना चाहें, बैठें। आपके मन को बहुत अच्छा लगता है, कोई चिंता नहीं मुझे इस बात की।

आप अपने क्षेत्र को उठाकर देखें कि आपके वहां के माता–पिता आपको चिल्ला–चिल्लाकर आकर रोज दरखास्त देते हैं। जब कभी भी दौरे पर जाते हैं, सबसे पहले शिकायत कोई करता है, वह बच्चा करता है। आप कम्प्यूटर की फीस लेते जा रहे हो छह सौ रुपये हर साल, बच्चे ने कम्प्यूटर देखा नहीं। आपकी बिजली आती नहीं, दिन में कोई बिजली जलती नहीं, बच्चा कम्प्यूटर जानता नहीं। आखिर उस गरीब के बच्चे से छह सौ रुपये लेते हो, वह चार पड़ोस से मांगकर छह सौ रुपये इस सरकार को देता है,

(17.00 बजे)

कभी आपने इस बात को अनुभव किया है? आखिर क्या जरूरी है कि उसको कम्प्यूटर शिक्षा का 6 सौ रुपया देना पड़े? आपके इसी स्टेटमेंट में है, हूजुर आपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कहा कि जहां कम्प्यूटर शिक्षा नहीं होगी वहां फीस लौटा दी जाएगी। मुझे एक स्कूल का नाम बता दें जिसने फीस लौटायी हो। क्या बात करते हो। आप करना क्या चाहते हो? एक बच्चे की फीस आपने लौटायी नहीं जबकि आपकी बिजली दिन में गायब रहती है। यानी कम्प्यूटर की सुविधा नहीं। लोगों ने एक तरह से शोषण करने का अड्डा बना दिया। आपके बोर्ड का अध्यक्ष, अपने भांजे को नकल कराते हुए, और सेंटर अलाट करता है, क्या इस सदन में नहीं रखा? क्या हो गया कोई बड़ा आदमी होगा तो? होगा, उसकें घर होगा खड़ा आदमी। इस शिक्षा विभाग और इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बड़ा नहीं हो सकता। जिसका सम्मान सारे हिन्दुस्तान में है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष व्यास अपने भांजे को नकल कराने के लिए स्कूल की बाउण्ड्री के बराबर की स्कूल में सेंटर देता है। सिंगल लड़के का सेंटर होता है प्राइवेट कभी, मैं शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। हमारे यहां सेंटर देने की एक प्रक्रिया है। एल्फाबेट से नाम लेते हैं, फार्म भरते हैं, उसके आस-पास सेंटर अलाट करते हैं और आपका सैक्रेटरी गुप्ता, उसने अपने बच्चे का सेंटर फरवरी में अजमेर के प्राइवेट स्कूल से जयपुर के प्राइवेट स्कूल में किया। आपकी टीम ने जाकर छापा मारा, परीक्षा उसका लड़का नहीं दे रहा था, उसकी मां दे रही थी। क्या है यह? सवाल है कि क्या किया आपने, उसका परीक्षा का एक साल कैंसिल कर दिया। क्या सजा हुई? उसकी मां को जेल में ठोंस देते न जो परीक्षा देते हुए पकड़ी गयी। क्या शर्म लगेगी? केवल सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता है। क्या हो गया? अर्थ क्या है?...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, ये सारी बातें आप पहले कोट कर चुके हैं।

डा. करण सिंह यादव : पुराने भाषण का टेप है यह सब। यह पुराने भाषण का रिकार्ड है।

डा. बी. डी. कल्ला : ये विषयान्तर हो रहे हैं। (व्यवधान)...इनका जवाब दे चुका हूं मैं।

डा. करण सिंह यादव : 6 महीने पहले यही भाषण था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तीन महीने हो गये इस बात को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप उनके स्टेटमेंट में कोई क्लैरीफिकेशन पूछें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तीन महीने में निर्णय क्या निकला? आपने क्या देखा?

श्री उपाध्यक्ष : यह पूछो न आप कि निर्णय क्या किया?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पैराटीचर्स के बारे में, तीन महीने में जो विषय हमने यहां उठाये, डाकूमेंट के साथ उठाये, प्रूफ देकर उठाये, आपने कहा कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे। बता दो जैसलमेर की क्या कार्यवाही हुई? जैसलमेर के आपके डी.ई.ओ. के लड़के को गलत नौकरी दी, गलत ढंग से उसको पेश किया और ट्रांसफर करके यहां लाये, क्या हुआ उसका? आपके यहां का आफिस असिस्टेंट रंगा के बेटे को नौकरी, उसकी लडकी को नौकरी दी डाकूमेंट्स से ही सारा पढ़ दिया, क्या हुआ उसका? जांच करने वाले थे न, तीन महीने में क्या जांच हुई?

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, कोर्ट में प्रोसीक्यूशन आया हुआ है, कोर्ट उसका प्रसंज्ञान ले चुकी है, उसके बारे में क्या उठा रहे हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, कोई कोर्ट में नहीं। क्या कोर्ट में गया है? इसमें क्या कोर्ट में गया है, वो तो बता ही दिया है।

डा. बी. डी. कल्ला : मिथिलेश कुमारी को आपने नौकरी दी है यहां पर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं, हमने दी तो निकालो न, मैं कोई न कहता हूं? अगर गलत है तो गलत है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें?

डा. बी. डी. कल्ला : क्या बात करते हो आप? वो भी काम हुआ तो आपके वक्त में हुआ, हमने तो उसको आगे परस्यू किया है कोर्ट में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपको अभी भी निमंत्रण देता हूं कि अगर मैंने कोई गलती की है और गलती के तहत मैं सजा पाने लायक हूं तो आप जिस भगवान को मानते हैं उसकी सौगन्ध है मुझे सजा देवें। मैं लेने के लिए तैयार हूं, कभी न नहीं कहूंगा। पर मैं इस प्रकार इस शिक्षा की दुर्गति को देख नहीं सकता। जुलाई का महीना, अगस्त का महीना निकल जाए और बच्चों को किताबें नहीं पहुंचे, ब्लैक मार्केटिंग हो। किताबें नहीं पहुंची, अभी पहुंची हैं 15 दिन पहले।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह शिक्षण व्यवस्था के बारे में, पैराटीचर्स के बारे में बात थी, पूरे शिक्षा विभाग की डिबेट थोड़े ही हो रही है? विषयान्तर हो रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्वेश्चन पूछने की आपने इजाजत दी थी या भाषण देने की दी थी?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बहुत अच्छा। आपको सुनने के कारण से बहुत तकलीफ होती है न।

डा. बी. डी. कल्ला : नहीं, उसमें तकलीफ नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपको तकलीफ होती है इस बात की। जो फीस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने बढ़ायी है उस फीस के बारे में कभी आपने सोचा है? ऐसी क्या जरूरत है? मैं सोचता हूं कि सरकारी स्कूल में कोई गरीब का बच्चा पढ़ने आता है, मजबूरी में आता है। अब सबका मन उठ चुका है। उस समय में भी 39 रुपये की फीस जो छठी, सातवीं, आठवीं की एडमिशन फीस थी, वो आपने 140 रुपये कर दी। नवीं से लेकर ग्यारहवीं तक के लिए केवल 140 रुपये फीस थी, वह आपने 1400 रुपये फीस कर दी और 600 रुपये कम्प्यूटर के और लगते हैं। मेडिकल कालेज के लिए दो लाख रुपये की फीस कर रहे हो। हर एक की चाहे वो एडमिशन फीस हो, कालेज की फीस हो, कोई बच्चा 2600 रुपये से कम में भर्ती नहीं होता। पहले ढाई सौ रुपये में कालेज में बच्चे का एडमिशन होता था। आखिर क्या चाहते हैं आप? यह कोई मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, मैंने आपके ही सारे आंकड़े उठाये हैं, आपके ही रिकार्ड से मैंने ये सब चीजें निकाली हैं।

यह जो आप दे रहे हो, आप ये अध्यापकों के पद गलत बता रहे हो। माध्यमिक स्कूल के ये सारे के सारे पास एक-एक साल के आंकड़े हैं, किस साल में कितने रिक्त हुए, और मैंने तो पिछली बार बजट में आपको बताया था कि 131 करोड़ रुपये केवल आपने तनखाह में बचाये हैं। पिछले साल का एक साल का रिकार्ड बताया है, और क्या चाहते हो आप मुझसे? 131 करोड़ रुपया सैलेरी हैड में आपका बचा। आपने आखिर ये चार हजार स्कूल खोली हैं पिछले चार-पांच सालों में, एक मास्टर का पद स्वीकृत किया गया? ये स्कूल खुल गये, पद भी हैं उनमें, और बिना मास्टर लगे। पहले हैं जो जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, नयी कोई भर्ती नहीं हो रही है। चार हजार स्कूलें आपने खोली हैं, उसका आप चार भी एवरेज माने तो 16 हजार पद खाली होते हैं। ये सब कहां से भर गये, कैसे भर गये, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। गांव के लोगों को आप प्रसन्न करो कि हमने स्कूल खोल दिये, पर स्कूल खोलने के बाद स्टाफ कहां है? दिया कहां? एक साल नहीं दो, समझ में आता है। दो साल नहीं दो, समझ में आ सकता है। पर पूरे पांच साल गुजर जाएं और अध्यापक की भर्ती नहीं करो। आज की तारीख में नहीं करो और कहो कि कोर्ट के स्टे आ गये, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई ऐसा...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप कहें तो मैं समाप्त करता हूं, पर मैं माननीय सदस्यों से क्षमा चाहता हूं, मैंने कभी भी किसी का अनादर करने का न मन से सोचा है, कभी न सोच सकता हूं।

डा. बी. डी. कल्ला : खेद प्रकट करो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मुझे अफसोस है, क्योंकि मैं गरीबी में पढ़ा हूं, उस सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं जहां बड़ी मेहनत से मेरे मां-बाप ने मुझे पढ़ाया है। उस स्कूल की यह दुर्दशा देख कर, जहां बच्चा मास्टर के लिए रोता है, जहां मास्टर के लिए चिल्लाता है और हम उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते और अब कह रहे हैं कि 25 रुपये का मास्टर लगा देंगे। कब लगा दोंगे? क्या होने वाला है? न अध्यापक है, एक तरफ बालक रो रहा है, एक तरफ अध्यापक रो रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : रिपीटीशन हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं अगर वास्तव में...

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने मुद्दे उठाये हैं उनका जवाब तो देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, बोलना है कुछ?

डा. बी. डी. कल्ला : हां, बिलकुल। जो मुद्दे इन्होंने उठाये हैं...(व्यवधान) जो मुद्दे इन्होंने उठाये हैं उनका जवाब तो देना पड़ेगा न।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलोगे तो वापस ये बोलेंगे।

डा. बी. डी. कल्ला : मैं बड़े संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने आपको सारा मिला कर...(व्यवधान) 25 हजार तो केवल आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के खाली हैं 25008 और सैकण्डरी स्कूल के 9948... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे इन्होंने उठाये हैं... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यहां क्या जवाब दोगे अब? अब जनता में जवाब देना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया :... (व्यवधन)...35 हजार का फीगर तो केवल यह है, व्याख्याता अलग हैं, सैकण्डरी का हैडमास्टर अलग है, प्रिंसिपल अलग है। ये सब मिला कर आपके चालीस हजार पद खाली पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, जो मुद्दे इन्होंने उठाये हैं ये पहले उठ चुके हैं और उनका जवाब आप पहले दे चुके हैं। सारा रिपीटीशन है, कोई नयी बात तो है नहीं इसमें।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, संक्षेप में दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नयी बात नहीं है इसमें जिसका आप क्लैरीफिकेशन करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची पर तो आपने व्यवस्था दी थी, एक प्रश्न मुझे भी पूछने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सुरेन्द्र व्यासजी, आपको क्या कहना है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत पाइंटेड स्पेसिफिक कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि राजीव गांधी पाठशाला में शिक्षा सहयोगी शिक्षाकर्मी, पैराटीचर सब भर्ती किये थे आज के चार साल पहले, तो यह आरोप लगाया था कि यह फौज खड़ी हुई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, तमाम विपक्ष ने यह आरोप लगाया था? क्या यह सही है कि आज यही फौज आपके खिलाफ हो रही है? उनके काज़ को अपोजिशन टेक-अप कर रहा है। मंत्रीजी, आप इस बात का इंट्रोस्पेक्शन कीजिये कि जिन लोगों को आपने रोजगार दिया, जिन लोगों के लिए आपने यह कहा सदन में कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है, आज वो पूरी की पूरी फौज आपके खिलाफ खड़ी हो रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनकी नाक काट रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप नाराज होते हैं 50 हजार की संख्या पर, 50 हजार की संख्या आप करैक्ट कर दीजिये, पर क्या आप राजस्थान का एक स्कूल ऐसा बता सकते हो, एक स्कूल including Bikaner and Jodhpur; Constituency of the Hon'ble Education Minister and the Constituency of the Hon'ble Chief Minister कि जिस स्कूल के अन्दर स्वीकृत पदों के अनुसार पूरे अध्यापक मौजूद हों? एक स्कूल बता दीजिये आप।...(व्यवधान)...Kindly don't interrupt. You will have a chance.

डा. करण सिंह यादव :...(व्यवधान) ...बहरोड़ में है। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पिछले पांच वर्षों में, सवाल पूछ रहा हूं मैं...

श्री उपाध्यक्ष : हां, पूछिये न।

श्री जुगल काबरा :...(व्यवधान) ...जोधपुर में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां कोई भी पद रिक्त हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर यह सच है तो यह ज्यादा भेदभाव कर रहे हो आप। इसका मतलब कि आपके यहां तो पूरे लगा रहे हो और हमारे यहां पूरे खाली छोड़ रखे हैं आपने। यह तो आप पर रिफ्लेक्शन है। काबराजी, सोच-समझ कर बोलना।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या पूछ रहे हैं व्यासजी?

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में आपने कोई अध्यापकों की भर्ती नहीं की? क्या यह सही है कि आपने श्री नरेन्द्र सिंह छोगाड़, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षा सहयोगी संघ, इनको लिखित में यह दिया है कि शिक्षा सहयोगी/पैराटीचर्स के रूप में कार्यरत मानदेय-प्राप्त योग्यताधारी शिक्षा सहयोगियों को पांच वर्ष की सेवा अवधि के दौरान तृतीय श्रेणी अध्यापक की नियमित वेतन श्रृंखला 4500-7000 में नियमित करने की कार्यवाही की जाएगी? क्या यह सही है कि जो सात हजार अध्यापकों की भर्ती के लिए आपने अभी प्रक्रिया प्रारम्भ की, उसमें 75 प्रतिशत इनके लिये आरक्षण किया? क्या यह सही है कि इस आरक्षण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 50 परसेंट से अधिक आरक्षण करने का मना ही किया हुआ है, इस आधार पर इनको स्टे मिला? क्या यह सही है कि इन अध्यापकों को कोई आवश्यकता नहीं थी इस चयन प्रक्रिया का सामना करने के लिये? आज एक राजस्व मंत्रीजी की जिद के कारण इतना महत्वपूर्ण बिल अनावश्यक रूप से बिना डिबेट के आपने पास करा लिया? और जो आवश्यक था, मंत्रीजी, आप विधेयक क्यों नहीं लाये? इनकी सेवाएं नियमित करने के लिये अलग से आपको रास्ता निकालना चाहिये था। (व्यवधान) आपका यह कमिटमेंट था, गवर्नमेंट का कमिटमेंट था और, माननीय कल्लाजी मैं आपका शुभचिंतक हूं, मित्र हूं, मैं कोई आपको आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, आप इस बात को समझिए कि ये लोग वाकई में आपसे अनुग्रहीत थे कि आपने इनको रोजगार दिया। यह रोजगार एम.ए., बी.ए. पास, बी.एड. पास जोशीजी ने यह प्रारम्भ किया, शुरू में हो सकता है कि इन्होंने मैट्रिक पास ले लिये, लेकिन बाद में हाई कोर्ट से आर्डर क्वैश हो गये, बाकायदा जो ट्रेण्ड टीचर हैं बी.ए., बी.एड., एस.टी.सी. ट्रेण्ड, एम.ए., बी.ए. लड़कों को भर्ती किया, आप क्या समझते हैं कि 1200 रुपये के लिये ये भर्ती हुए? बेरोजगारी के इस माहौल में इन लोगों ने सिर्फ यह समझा कि चार साल के बाद हमको नियमित वेतन श्रृंखला मिल जाएगी। आपने इनको नियमित करने के लिये अलग से कार्यवाही क्यों नहीं की? आप इनकी सेवाएं नियमित करने के लिये अलग से विधेयक क्यों नहीं लाये जबकि आपका यह सैशन मौजूद था? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत एक शुभचिंतक होने के नाते कह रहा हूं कि आप बहुत त्रुटिपूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दिस कन्फ्यूजन... was worst confounded after the statement of the Hon'ble Education Minister. आपने कौनसी बात क्लैरीफाई

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

की? मैं यह नहीं कहता कि आपने एजुकेशन में वेस्ट किया, लेकिन स्टेटमेंट में आपने घुमा फिराकर टोटल वेस्ट कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक समस्या नहीं है, संविदा अध्यापक हैं, प्राइमरी स्कूल आप कहीं नहीं खोलते हैं और 10 तरह की अलग-अलग स्कीम हैं, मदरसे के पैराटीचर्स हैं, मिडल स्कूल में भी पैराटीचर्स हैं, उन सबको मिलाकर थर्ड ग्रेड टीचर्स की जो जगह हैं उनको भरना आवश्यक था।

उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज, हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप वाकई में इनकी सेवाएं नियमित करना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंहजी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अगर इनकी गुडविल लैण्ड करना चाहते हैं और आपकी नीयत साफ है तो, मंत्रीजी, यह विधान सभा का सैशन गवर्नमेंट की तरफ से आप रिक्वैस्ट कीजिए, इसको बढ़ाइये और आप विधेयक लाइये और पास करवाइये। आर्डिनेंस की कोई जरूरत नहीं है, आप इनकी सर्विसेज को नियमित कीजिए। वरना आप यह बात समझ लीजिए कि यह रिकवरी करेगी और इसका नुकसान आपको होगा, मुझे नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंहजी।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) **:** माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैं यह जानकारी चाहता था कि 1998 में जिला परिषदों के जिन लोगों को नियुक्ति देने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी, एक जुलाई को एक आदेश राज्य सरकार ने निकाला कि 15 प्रतिशत मार्क कम करने के बाद वरीयता बनाकर उनको हम नौकरियां देंगे उस मामले में आज विभाग की क्या नीति है? दूसरा, जो 7000 पद भी एडवरटाइज हुए हैं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था, शिक्षा के बारे में चिंता सिर्फ सदन के प्रतिपक्ष के नेताओं की ही नहीं है, मैं तो उलटा यह आरोप लगाना चाहता हूं कि ये तो यह चाहते थे कि सूखे में कमल खिलेगा, बरसात नहीं हो जाए यहां पर। बरसात हो जाएगी तो वापस कांग्रेस आ जाएगी, इसलिए सूखे के लिये चिंता कर रहे थे। मेरा यह भी कहना है कि जो आपके खिलाफ बार-बार कोर्टों में स्टे आ रहे हैं, यह विपक्ष के लोगों के द्वारा प्रायोजित तो नहीं है कि आप नौकरियां देना चाहते हैं, आप नौकरियां दे दोगे तो ये लोग आगे आकर चुनाव में मदद करेंगे आपकी? (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : यह मुख्य मंत्रीजी ने गलती की, यह विभाग आपको देना चाहिये था।

डा. करण सिंह यादव : अगली बार देंगे, आपकी कृपा रही तो, डाक्टर साहब।

(डा. करण सिंह यादव)

अगली बार देंगे। (व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इसमें कहीं साजिश नजर आ रही है। इसलिए आपका ला डिपार्टमेंट, आपके जो प्रोसीक्यूटर्स हैं, कृपया उनको कहिए कि स्टे को वैकेट करा कर इन लोगों को तत्काल रोजगार दें। एक बिन्दु मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक लाइन का सवाल है, मैं भाषण नहीं दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, वह बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : केवल 15 शब्द बोलूंगा।

डा. करण सिंह यादव : दूसरा मैं निवेदन करना चाहता था कि इन पदों के ऊपर...(व्यवधान) राजस्थान के 32 जिलो में एक आदमी ने 20 जगह आवेदन दिया है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी :...(व्यवधान) उसके लिये दवाई नहीं ले सके। उपाध्यक्ष महोदय, रैफरल हास्पिटल में, डाक्टर साहब, आप तो जयपुर शहर में रहते हैं, गांवों में हास्पिटलों का क्या हाल है, आप देखिए तो सही। आपको चिंता होनी चाहिये, डाक्टर साहब। हम तो आशा करते थे कि आप चिकित्सा मंत्री बनें। राजेन्द्रजी ने धूल उड़ाई, फिर दीवान साहब ने उसका पापा काटा और अब आपने तो पूरा का पूरा भट्टा बैठा दिया, बी.डी. कल्ला साहब। तीन डाक्टर रैफरल हास्पिटल में वे भी ठेकावार, बहुत दुःख होता है, साहब। रात को सांप काटा हुआ आदमी मेरे सामने तड़प-तड़प कर मर रहा है और आप बात कर रहे हो। जनता मर रही है, आपको एक पैसे की चिंता नहीं है। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : मेरी चिंता 7000 पदों पर यह है कि एक-एक अभ्यर्थी ने 10-10 जिलों में फार्म भरा है-बीकानेर में भी भरा है, उदयपुर में भी भरा है, आप जिस दिन आयोग की स्थापना करेंगे वह वरीयता सूची कैसे होगी? दूसरी मुझे चिंता जो पिछली बार 1998 में हुई, अलवर जिले का या झुंझुनूं जिले का आदमी बाड़मेर या जोधपुर में इंटरव्यू देने गया, लोगों ने इंटरव्यू नहीं देने दिया, उसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? ये 2-3 सवाल थे जो आपसे पूछना चाहता था, धन्यवाद। इस विधान सभा का आखिरी राम-राम, उसके बाद मुखबंद। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक सवाल है। मंत्री महोदय, संविधान के कौनसे अनुच्छेद में लिखा हुआ है राजीव गांधी पाठशाला...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, एक मिनट, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, आपने राजस्थान में पैराटीचर्स को जो तनख्वाह दी, क्या यह सही है कि वह सारा का सारा पैसा डी.पी.ई.पी. और लोक जुम्बिश का था? ये दोनों संस्थाएं स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, लोक लेखा यह कहता है कि इन संस्थाओं का पैसा आप पैराटीचर्स को तनख्वाह के लिये नहीं दे सकते हैं? पैराटीचर्स के नाम पर जो आपने व्यवस्था की, इनकी तनखाह के लिये बजट में आपने प्रावधान नहीं किये, क्या यह सही है?

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि शिक्षण सहयोगी, पैराटीचर्स के बारे में आपने नियुक्ति दी, यह आपने अच्छा काम किया। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि शिक्षाकर्मी योजना में बी.जे.पी. के राज में 650 रुपये तनखाह मिलती थी, फिर हजार रुपये हुई। आज हम शिक्षाकर्मियों को जो सीनियर हो चुके हैं, 6700 रुपये की ग्रेड दे रहे हैं। (व्यवधान) एक मिनट, मैं पूरा कर दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, क्या बोल रहे हो, 6700 रुपये की ग्रेड कहां है? क्या बोल रहे हो, 6700 रुपये की ग्रेड।

डा. बी. डी. कल्ला : हां, दे रहे हैं हम।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षाकर्मी योजना में 6 साल में परमानेंट करने का था...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : हमने पैराटीचर्स की तनखाह 1200 से बढ़ाकर 2000 रुपये की है और पंचायती राज में जितने भी शिक्षक हैं उनको 75 परसेंट शिक्षा विभाग में हर साल लिया जाता है। यह विभाग की पुरानी परम्परा है और उसी के अनुरूप...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छा, आप यह तो बताओ कि कितने मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं? कितने मंत्री भ्रष्ट हैं? कितना पैसा ट्रांसफर में दिया? कितना पैसा पोस्टिंग में दिया? लोकायुक्त में क्या चल रहा है? कितनों पर आरोप है? 17 सी.सी. और 16 सी.सी. वालों को आपने नियुक्ति दी हुई है, फील्ड में लगाये हुए हैं, कितने पैसे ट्रांसफर में लिये गये, कितने पैसे पोस्टिंग में दिये गये, यह भी तो बताओ आप?

डा. बी. डी. कल्ला :...(व्यवधान) उसी के अनुरूप पंचायती राज में राजीव गांधी पैराटीचर्स कार्यरत हैं, उनका हमने 75 परसेंट नियमानुसार संशोधन किया था। हमारी मंशा थी कि हम इनको थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिये स्थापित कर लें और जो बाकी बचे हैं उन पदों को...(व्यवधान) आपको तो व्यवधान करने की आदत है। आपको तो एक्चुअली में रामलीला मैदान

(डा. बी. डी. कल्ला)

में रहना चाहिये, बार-बार आप यहां नौटंकी करते रहते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खतम करो इसको।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए पंचायत के शिक्षकों को हर बार 75 परसेंट रिलैक्स देकर शिक्षा विभाग में लेते थे। उसी के अनुरूप हमने पैराटीचर्स को 75 परसेंट शिक्षा विभाग में लेने की बात कही थी। (व्यवधान) हमारा कोई कसूर नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने उनको चयन प्रक्रिया में क्यों डाला, उनके लिये अलग से प्रावधान करते? कल्लाजी, समझने की चेष्टा कीजिए, आपने उनको चयन प्रक्रिया में क्यों डाला?

डा. बी. डी. कल्ला : पहले मेरा पूरा करने दीजिए आप। पहले प्लीज पूरा करने दीजिए, आप कृपया बीच में मत बोलिए। मैं पूरा कर लूं उसके बाद बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसलिए बुलाया है कि आपने चयन प्रक्रिया में डाला है, अगर आप उनको अलग...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

डा. बी. डी. कल्ला : दो मिनट में पूरा कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय को बताना चाहता हूं कि जब वे शिक्षा मंत्री थे तब कितने पद रिक्त थे? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप उनको छोड़ो।

डा. बी. डी. कल्ला : अभी राजस्थान में 50,000 पद रिक्त नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तुलना क्यों करते हो? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : प्रधानाचार्य के पद पांचवें वेतन पर पूरे कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कुल कितने पद रिक्त हैं, यह बता दीजिए? आपने जो कहा उससे 23000 हैं। आपने सदन में जो बात कही है उसको जोड़ो तो 23,000 पद रिक्त है। क्या बात करते हो आप, 23000 पद रिक्त आपने बताये हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी, मैंने एक सवाल पूछा था...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : मैं स्वीकार करता हूं कि 23000 पद रिक्त हैं लेकिन 50,000 पद रिक्त नहीं हैं। यह बात असत्य कही है। 50,000 पद रिक्त नहीं हैं, यह मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं। (व्यवधान) इन्होंने कहा कि राजस्थान में कोई पद नहीं भरे गए, मैं बताना चाहता हूं कि 10107 पद प्रारम्भिक शिक्षा में भरे गये, 2000 माध्यमिक शिक्षा में भरे

(डा. बी. डी. कल्ला)

गये और संस्कृत शिक्षा में 721 पद भरे गये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : समानीकरण के नाम से राजस्थान में कितने पद खतम किये आपने, यह बताइये?...(व्यवधान) अगर वे पद भरे जाते तो आज 50000 से ज्यादा होते।

श्री हीरासिंह चौहान : कितने पद समाप्त कर दिये राजस्थान में? आपने खिलवाड़ किया है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पद समाप्त कर रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आप लोगों ने खिलवाड़ किया है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अब राजस्थान में पद समाप्त कर रहे हैं।

डा. बी. डी. कल्ला : पैराटीचर्स सबको मिलाकर...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : क्या कर रहे हैं आप?

डा. बी. डी. कल्ला : राजस्थान में जो रेकार्ड कायम किया...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कुछ नहीं किया आपने। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : दस हजार लोगों को भी नौकरी नहीं दी...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सारे पद समाप्त कर दिये।

एक माननीय सदस्य : नाश कर दिया। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : आखिरी कार्यकाल का समय है। (व्यवधान) हमने तो उसको प्रोसीक्यूट करने के लिए कोर्ट में दिया है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : गांव की स्कूलों में पढ़ाने वाले मास्टर नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक, चर्चा समाप्त हुई। विचारार्थ लिये जाने वाला विधेयक, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक (संशोधन) विधेयक, 2003 (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधयेक पर विचार

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक भी प्रश्न नहीं करने दिया। आपने एक भी प्रश्न करने का मौका नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलालजी, श्री शिवनाथ सिंहजी, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री राजेन्द्र राठौड़ (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, महिला का सवाल नहीं है। मेरी पर्ची पर आपने व्यवस्था दी थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज, समाप्त हो गया, बिराजिए। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और आपने एक भी प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज, दूसरा बिजनस चालू हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज ग्यारहवीं विधान सभा का अंतिम सत्र है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 11वीं विधान सभा का अंतिम दिन, इस आसन का आदर करने का और निर्देश पालने का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र राठौड़, प्लीज। (व्यवधान) बोल लिये न आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पक्ष और विपक्ष दोनों का कर्तव्य है और इसी के नाते मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, मुझे एक प्रश्न पूछने दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : केवल आप ही मात्र ऐसी सदस्य हो जो पर्ची पर बोली हो। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो एक प्रश्न तो पूछ लूं? आपने तो मुझे प्रश्न करने का मौका नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या, आप क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछ लेने दीजिए।

एक माननीय सदस्य : एक सवाल पूछना चाह रही हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किस पर?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं सवाल पूछना चाह रही हूं...

श्री उपाध्यक्ष : वह तो समाप्त हो गया। दूसरा काल अपान हो गया, आप कहां से बोलेंगी? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जाने कितनी बार आप खतम करते हैं, कितनी बार चालू करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो विचारार्थ ले लिया गया, अब कहां से पूछोगे? बीच में कहां से पूछोगे? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस मामले में आपने समाप्त कर दिया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। समाप्त हो गया, सारी आप पहले मनवाते। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे प्रश्न पूछने का मौका दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003 विचारार्थ है। शिक्षा की जो दुर्गति हुई इसकी चर्चा भी सदन में हुई और मैं समझता हूं कि पिछले पौने पांच वर्षों में राजस्थान की सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया है, हजारों पद रिक्त हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो हो गया न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विद्यालय और विश्वविद्यालय खोलते आ रहे हैं, कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर विद्यार्थियों को लूटा गया, उसी तरह यह जो गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक लाया गया है इसके पीछे सरकार की मंशा है शिक्षा का व्यवसायीकरण करना।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में गैर शैक्षिक संस्थाओं की संख्या 1233, है, जो पहले से पंजीकृत हैं। इन संस्थाओं को जो सरकारी अनुदान मिल रहा था, यह सरकार उसे लगातार कम करती जा रही है। इन संस्थाओं को 2001-2002 में 139.82 करोड़ का अनुदान मिला, उसे 2002-2003 में कम करके 101 किया और 2003-2004 में लगभग 70 करोड़ रुपये का। एक तरफ अनुदान कम हो रहा है दूसरी तरफ, मंत्रीजी, आप यह विधेयक लेकर आये। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की धारा तीन में आप संशोधन लेकर आये हैं। पूर्व में इन गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1998 में रजिस्ट्रेशन जरूरी था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, खंडवार तो बाद में आगे आएगा, तीनों तो...(व्यवधान) आप आगे बोल लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक साथ ही बोल लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आगे नहीं बोलोगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं बोलूंगा, एक साथ ही बोल लेता हूं

श्री उपाध्यक्ष : तो चलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, इसमें आप संशोधन लेकर आये हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट और राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में जो भी संस्थाएं हैं उनको मान्यता का, जिस तरह से आप अभी कह रहे थे कि आपकी सरकार आने के बाद आपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मेडिकल कालेजों को मान्यता दे दी, तकनीकी कालेज खोल दिये, कभी आपने सोचा कि इसका हश्र क्या हुआ है? उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अकेले जयपुर में पिछले दो वर्षों में 100 महाविद्यालय खुले हैं। मंत्री महोदय, अगर आपको समय हो तो मैं आपको मानसरोवर में जो छोटा मकान है उसमें महाविद्यालय खुला हुआ दिखा दूं, प्रताप नगर में महाविद्यालय खुला हुआ दिखा दूं। कुकरमुत्ते की तरह महाविद्यालय खुल रहे हैं और आप इनको मान्यता देने के लिए रिलैक्सेशन दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं राजस्थान के लोगों के साथ। अब आपने विश्वविद्यालय खोलने की बात कही...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह कुकुरमुत्ता तो असंसदीय है। यह कुकुरमुत्ता तो असंसदीय है, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोल लेने दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : कुकुरमुत्ता जो इन्होंने बोला है वह असंसदीय है।

डा. महेश जोशी : डा. साहब, आप इनको संसदीय भाषा नहीं सिखा सके। आपके इतने निकट के सहयोगी हैं, इतने समय से आपके साथ रह रहे हैं, आप अब तक इनको संसदीय भाषा नहीं सिखा सके। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : राग बाक्स में ला रहे हैं।

डा. महेश जोशी : राग बाक्स में तो खुद आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के साथ आपने जो खिलवाड़ किया है, एक तरफ तो आप इनको मान्यता देने के लिए रिलैक्सेशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ पूर्व में जो इनका अनुदान है उनका अनुदान कम करते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शेखावाटी के अन्दर तो भामाशाहों और दानदाताओं ने विद्यालय और महाविद्यालय के भवन बना दिये। यह सोचकर बना दिए कि सरकार उनको अनुदान देगी। लेकिन जब से आप बिराजे हैं, आपने निरन्तर अनुदान की कटौती करने का काम चालू कर दिया। आप अभी बड़ी जोर-जोर से बोल रहे थे-बीकानेर विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय, एक भी विश्वविद्यालय जिसकी घोषणा आपने की, आज यू.जी.सी. के मापदण्डों के अनुसार एक भी विश्वविद्यालय काम कर रहा है क्या? ये थोथी घोषणाएं हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह का संशोधन लाकर, शिक्षा के निजीकरण के नाम पर शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं करें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज मेडिकल कालेजों में क्या हो रहा है? आप लम्बी–चौड़ी बात करते हो कि हमने 17 मेडिकल कालेजों को अनुमति दे दी, किस तरह की लूट हो रही है? आज मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने उनको रिकोगनाइज नहीं किया है और वे प्रवेश दे रहे हैं 15-15, 20 20 लाख रुपये लेकर। इसी तरह इंजीनियरिंग कालेज में क्या हो रहा है? आपने भट्टा तो बिठा ही दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि आपके नाम के आगे प्रोफेसर लगता है इसलिए आपको विचार करना चाहिए। अभी एक अध्यापक बोल रहा था, एक राजनेता के साथ–साथ प्रतिपक्ष के नेता के मन से एक अध्यापक बोल रहा था इसलिए इनको पीड़ा थी। आप बड़े आक्रोशित होकर कह रहे थे, इन्होंने वह पीड़ा भोगी है। मैं समझता हूं कि आपके अन्दर बैठा हुआ प्रोफेसर...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : संशोधन तो हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस तरह का संशोधन लाकर राजस्थान की शिक्षा का व्यवसायीकरण करके राजस्थान की शिक्षा के साथ अन्याय कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. बी. डी. कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003 के बारे में अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं। राजस्थान में शिक्षा की गति बहुत अच्छी रही है और उसी के कारण जहां महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत जहां 11 प्रतिशत हुआ करता था, वह आज बढ़कर 44 प्रतिशत हो गया है। राजस्थान के पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से भी आगे बढ़ा। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो वह राजस्थान की वर्तमान सरकार को जाता है। कुछ अंशों में, मैं पुरानी सरकार को भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम किया है। हकीकत में एक किलोमीटर की दूरी में एक–एक स्कूल खोलकर 26000 स्कूलों का एक तंत्र फैलाकर राजस्थान की सरकार ने गांव गांव में शिक्षा की व्यवस्था की।

श्री हीरासिंह चौहान : आपको सरकारी विधेयक पर ही बोलना चाहिए। यह क्यों लाये हो, इसका उद्देश्य बताएं न आप तो। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : आप अभी बोल रहे थे कि अध्यापक बोल रहा था। उस अध्यापक, प्रतिपक्ष के नेता को उस समय यह नहीं सूझा कि गांव में स्कूल खोलने के लिये 5 लाख रुपये लिये जाएंगे, सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिये 7 लाख रुपये लिये जाएंगे। क्या यह अध्यापक काम कर रहा था कि गांव में स्कूलों को खोलने के लिये पैसे जमा कराने पड़ते थे? (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : ये बकरियों के बाड़े बनाएंगे क्या आप? शिक्षण संस्थाएं हैं...(व्यवधान) ये बकरियों के बाड़े खोल दिये।

श्री हीरासिंह चौहान : पैसे ले-लेकर लूटो, फीस ले लेकर लूटो, आपको छूट है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कालेज खोले, उनसे पैसा नहीं लिया क्या?

श्री रोहिताश्व : आपने बाड़े खोल दिये।

श्री केसाराम चौधरी : आप गरीबों को क्यों लूट रहे हो? गांव का गरीब विद्यार्थी पैसे नहीं दे सकता। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोग बाहर मेडिकल कालेज में जाते थे, उनको 30-35 लाख रुपये का डोनेशन देना पड़ता था। आज 41 हजार रुपये में इंजीनियरिंग कालेज में एडमिशन हो रहा है। (व्यवधान) 36 इंजीनियरिंग कालेज राजस्थान में प्राइवेट सैक्टर में आये हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सबको बेरोजगार करेंगे आप। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : यहां मात्र 41 हजार रुपये में एडमिशन हो रहा है और वह फीस रसीद लेकर दी जा रही है...(व्यवधान) ये गुमराह कर रहे हैं सदन को।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहस कर रहे हैं जोर-जारे से...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो लाखों-करोड़ों रुपये लेकर बेरोजगार पैदा कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो यह बता दो कि यह संशोधन लेकर क्यों आये हो? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : यह कोई बहस का तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या भाषण दे रहे हैं? आप यह संशोधन लेकर क्यों आये हैं, क्या इसके अन्दर है, वह बताओ न? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : मैं बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का संशोधन क्यों लेकर आये हो, यह बताओ? (व्यवधान) दूसरे पाइंट मत कहो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, मंत्रीजी, बिल पर बोलो न। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का संशोधन विधेयक हम इसलिये लेकर आये हैं कि पहले

(डा. बी. डी. कल्ला)

सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता था, वही केवल संस्था चला सकते थे। अब हमने इसमें यह जोड़ दिया है कि राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 और भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 इनके अन्तर्गत जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं वे भी संस्थाओं को चला सकेंगे। यह एक्ट नहीं आया था उससे पहले भी कुछ ट्रस्ट संस्थाओं को चला रहे थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब क्या चाहते हैं, वह बोलो न? (व्यवधान) अब पास करें इसको, यह बोलो।

डा. बी. डी. कल्ला : 2-3 पोल खोलने दो आपकी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, खतम करने दीजिए।

डा. बी. डी. कल्ला : अब धारा 3(1) के परन्तुक में इन दोनों ट्रस्ट के अन्तर्गत जो संस्थाएं रजिस्टर्ड होंगी उनको भी संस्था चलाने की इजाजत होगी। आपने कम्प्यूटर शिक्षा के बारे में कहा। मैंने एक परिपत्र जारी किया, आप बताएं राजस्थान में कि अमुक स्कूल में कम्प्यूटर काम नहीं कर रहा है, मैं वहां फीस वापस दिला दूंगा। फेक चार्ज लगाना उचित नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो नाम लिखें जरा।

डा. बी. डी. कल्ला : हां, लिख लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजकीय प्राथमिक विद्यालय नामरासर, चूरू। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भामसर, चूरू। (व्यवधान) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तातेड़ा, चूरू। (व्यवधान) किस-किस के नाम लूं? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : हां, मैं इसका पता लगा लूंगा। (व्यवधान) मैं इसका पता लगा लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितने नाम लूं आपको? आपको अन्याय किया है बच्चों के साथ। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बामनवास। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : जहां कम्प्यूटर कार्य नहीं करेगा वहां पर फीस वापस लौटा दी जाएगी। (व्यवधान) कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में विपक्ष जब सत्ता में था इन्होंने गांव के लोगों के साथ भेदभाव किया। (व्यवधान) और पैसे लेकर स्कूलें खोलीं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : गांव में अभी जिन्होंने कम्प्यूटर नहीं देखा, कम्प्यूटर नाम किस चीज का होता है, बच्चे नहीं जानते हैं अभी तक। (व्यवधान) कम्प्यूटर क्या होता है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दगढ़। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : इसलिये जो इन्होंने प्रस्ताव किया है इसको स्वीकार

(डा. बी. डी. कल्ला)

नहीं किया जाए। मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि आपकी तरह पैसे लेकर हमने स्कूल नहीं खोली है, हमने वेलफेयर के लिये एक-एक साल में चार-चार सौ सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं। (व्यवधान) आपने पैसे जमा करवाकर गांव के लोगों के साथ भेदभाव किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003 को जनमत जानने हेतु परिचारित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 व 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री, श्री बुलाकीदास कल्ला प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गैर सरकार शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बोलना चाहते हैं क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड, इनसे केवल एक सवाल। जवाब अगर आपके पास हो तो आप सूचना मंगा लीजिएगा। ये जितनी अनुदानित संस्थाएं हैं इनमें अनुदान जितना इनका बनता है, वह पिछले 4 साल में चुका दिया गया क्या? केवल संस्कृत की जो 51 संस्थाएं हैं उनका पिछले 3 साल का जो अनुदान बनता है उसमें भी 4 करोड़ 10 लाख रुपया आज तक बाकी है, क्या यह सच है? अनुदानित संस्थाओं को अगर आपका समाप्त करने का ही मन हो और निजी शिक्षण संस्थाओं के नाम से जो व्यावसायिक शिक्षण आगे बढ़ रही है, उसको ही पनपाने का आपका दृष्टिकोण हो और 50, 100 100 सालों से जो संस्थाएं सेवा कर रही हों उनको समाप्त करने की आपकी मंशा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हो तो वह भी प्रकट कर दो ताकि कम से कम पता लगे कि क्या कर रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, मंत्री महोदय जो संशोधन लाये हैं, पहले सोसायटीज एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन होता था, उनका होता था। अब इन्होंने ट्रस्ट को भी दे दिया। तो मैं जानना चाहूंगा मंत्रीजी से कि जो नियंत्रण करने के प्रावधान हैं पहले वाले एक्ट में और अब जो आप नया ला रहे हो, दोनों में से कौनसे ज्यादा प्रभावी होंगे? क्योंकि ट्रस्ट जो आज काम कर रहे हैं उनके लिये बड़ी बदनामी है। जगह-जगह से ट्रस्ट की शिकायतें आ रही हैं कि दुकानें खुल गयी हैं रुपये कमाने के लिये। इसलिये पहले वाले प्रोविजन प्रभावी थे उनको बदलकर और यह नया प्रोविजन लेकर ट्रस्टों को आप शिक्षा के क्षेत्र में दुकान खोलने का अधिकार दे रहे हैं, यह उचित नहीं है।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, एक मिनट।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी एडेड स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट एड दे रही है, आज कितने स्कूलों में आडिट करवायी, एक बात? नम्बर दो, जितनी भी संस्थाएं हैं जिनको एड देते हैं, उनके मालिकों को दे देते हैं, अध्यापकों को देते हैं 90 प्रतिशत। कालेज लड़कियों की है उसके अन्दर 90 प्रतिशत एड देते हैं, जबकि 30 प्रतिशत एड देकर वे संस्था चलाते हैं और 60 प्रतिशत मालिक खा जाते हैं। क्यों नहीं इन संस्थाओं को जो पैसा देते हैं उनका खाता खुलवाकर सीधे खाते में जमा करवा दें? सारी की सारी लूट-खसोट मचा रखी है। जितना करोड़ रुपया इन संस्थाओं को देते हैं उनके मालिक पैसा खा जाते हैं। आपने कितनी संस्थाओं के मालिकों की यह आडिट करवायी कि आपने कितना पैसा दिया है, कितना हजम किया है? आपने देखा होगा कि 90 प्रतिशत कालेजों के अन्दर एड देते हैं और उसके बाद में 30 प्रतिशत महिलाओं को पैसा देकर 60 प्रतिशत उनके मालिक खा जाते हैं। आपने कितनी आडिट करवायी आज तक? उनके खाते खुलवाकर बैंक के अन्दर सीधे पेमेंट भेजो आप। आप सारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, छोटी-छोटी स्कूलें हैं, कमरों के अन्दर खोल के बैठा दीं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : संस्थाओं का तो भट्टा बैठा दिया और एक कमरे के अन्दर कबूतर पालने वाले स्कूलों के अन्दर आपने

(श्री श्रवण कुमार)

संस्थाएं बना दीं उनकी। जहां टीनों के अन्दर बकरे नहीं बैठ सकते, भैंस नहीं बैठ सकती है उनके अन्दर बच्चे बैठते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री श्रवण कुमार : यह सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन करके सारी शिक्षा का भट्टा बैठा रहे हो। आज तक किसी भी कालेज के अन्दर 90 प्रतिशत एड दे रहे हो...(व्यवधान) आडिट नहीं करवायी आज तक। संस्थाओं में जो पैसा है, 60 प्रतिशत पैसा मालिक खा जाते हैं, 30 प्रतिशत पैसा उन अध्यापकों को मिलता है। आज तक उनकी किसी की भी आडिट नहीं करवायी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने गैर अनुदानित संस्थाओं के अनुदान के बारे में प्रश्न किया है, यह बिल से सम्बन्धित नहीं है और संस्कृत शिक्षा विभाग, आप स्वयं जानते हैं कि हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कमलाजी देखती हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

डा. बी. डी. कल्ला : हमारा यह गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003 जिसमें संस्थाओं पर अंकुश रखने की बात है, वह ट्रस्ट पर भी लागू होगा और सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत भी लागू होगा। केवल मात्र उन संस्थाओं को अलग से रजिस्टर करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन 1989 के एक्ट में जो उपबन्ध हैं वे सारे के सारे इन ट्रस्टों के ऊपर भी लागू होंगे और किसी भी कर्मचारी का कोई एक्सप्लायटेशन नहीं होने देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा प्रश्न इतना था कि दोनों प्रोविजंस में कौनसे वैटर थे? इतना ही जानना चाहता हूं मैं। (व्यवधान) दोनों में से कौनसे अच्छे थे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया गया।

राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003, माननीय डाक्टर चन्द्रभानजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(डा. चन्द्रभान)

राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री शिवनाथ सिंह।

श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री राजेन्द्र राठौड़। यह तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और कोई बोले या नहीं।

डा. चन्द्रभान : यह नहीं बोलेंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003 को आप सदन के सम्मुख लाये हैं। आपने इसके उद्देश्य और कारणों में तो कहा था कि विश्व स्तरीय पर्यावरण और इंसेंटिव इण्डस्ट्रीज को मिले, इस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं और इसमें जयपुर में सीतापुरा और जोधपुर में बोरोनाड़ा, दो एरिया का स्पेशल इकोनोमिक जोन डवलप करने के लिए आप लेकर आये। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर पिछले जितने बजट आये हैं उसमें कितनी बार इन चीजों की घोषणाएं कीं? आज आप इस एक्ट को लेकर कह रहे हैं कि हम जयपुर में सीतापुरा और जोधपुर में बोरोनाड़ा, इस एरिया को स्पेशल इकोनोमिक जोन के रूप में डवलप करना चाहते हैं, आपने इनका उद्घाटन पहले ही करवा लिया। मतलब आज यह एग्जिटेंस में आएगा, उससे पहले ही थोथी वाहवाही लूटने के लिए अपनी फोटो छपवाकर वहां जाकर आप उद्घाटन कर आये।

डा. चन्द्रभान : अभी बताता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कानून लाने से राजस्थान में जो उद्योगों की स्थिति है और जो दुर्गति आपने बनायी है, वह सुधर जाएगी? केन्द्र सरकार की मंशा तो साफ है कि राजस्थान के अन्दर विश्वस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो, परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो आपके रीको के इलाके हैं, रीको का क्षेत्र जो पहले आपने इण्डस्ट्रियल क्षेत्र घोषित किया है, वह खाली पड़ा है। क्या, मंत्री महोदय, यह सही नहीं है कि पिछले दो साल में राजस्थान के अन्दर जिन औद्योगिक इकाइयों को रीको ने, आर.एफ.सी. ने वित्त पोषित किया, ऐसी एक-दो नहीं 800 नीलाम हुई हैं? आपके यहां पधारने के बाद जो राजस्थान में लघु उद्योग है, उसकी स्थिति भी बताना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, दो लाख चालीस हजार लघु उद्योग हैं और आपके आने के बाद चालीस हजार ने दम तोड़ दिया। अभी मुख्य मंत्रीजी न्यूयार्क गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ पूरा राजस्थान अकाल से जल रहा था, मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में एक शिष्टमण्डल राणा में आयोजित अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन में न्यूयार्क गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 28 लाख 49 हजार रुपया खर्च करके आये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और आपको एक उद्योग का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अन्तरराष्ट्रीय मारवाड़ी सम्मेलन बुलाया, अन्तरराष्ट्रीय मारवाड़ी सम्मेलन में आपने एक करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किये। इसके अन्दर जब, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विधेयक से क्या लेना-देना है इसका?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने उद्योगपतियों को निमंत्रित किया।

डा. किरोड़ी लाल : बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, अच्छा तो बोल रहे हैं लेकिन सम्बन्धित नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : बोले जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन उद्योगपतियों को बुलाया वे इनके मुंह पर मार कर चले गये, एक उद्योग आया नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो बहुत बार कह दिया आपने।

श्री रोहिताश्व : भिवाड़ी और अलवर का तो भट्टा गोल कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। प्रश्न यह है कि (व्यवधान) इसका इससे कोई लेना-देना ही नहीं है। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बोल रहा हूं। सैक्शन कोट कर रहा हूं। मंत्री महोदय, इस विधेयक के सैक्शन-6 में प्राइवेट व्यक्ति को एज ए डवलप अधिकारी दिया उस ईको जोन को डवलप करने के लिए कि वह डवलप भी करे, और सैक्शन-8 में आप उसको अधिकार दे रहे हैं कि वह एस्टेब्लिशमेंट करे, आपरेशन करे और मैनेजमेंट चलाए, उसके पीछे आपकी मंशा क्या है? आप औद्योगिक वातावरण पैदा करना चाहते हैं या उन लोगों को ढूंढ़ना चाहते हैं जिनको आप भूमि देंगे नोटिफाइड एरिया में? भूमि देंगे, वह उसको डवलप करेगा। उसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितने लम्बे समय तक एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर कितना पैसा लेगा, यह कोई पता नहीं है। आपने सैक्शन-9 के अन्दर जिस पावर जनरेशन की बात की, मैं समझता हूं कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ये इस तरह थोथी बातें, आधारहीन बातें हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। आप कानून लाकर अखबार में छपाना चाहते हो कि आप इस तरह का औद्योगिक वातावरण बनाना चाहते हैं, उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह रहता कि (S.E.Z.) एरिया डवलप करने से पहले जो आपके रीको के क्षेत्र जहां पर आपने भूमि को अधिग्रहीत कर लिया, उन क्षेत्रों को विकसित करते तो कुछ समझ में आता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब्जबाग देखने से राजस्थान में औद्योगिक वातावरण नहीं बनेगा। आपको मालूम है कि जब से आप पधारे हो एक मल्टीनेशनल नहीं आयी, एक बड़ा उद्योग नहीं आया। फिक्की और सी.आई.ए. के अन्दर आपको जिस तरह का सुनने का मिलता है, आपने मारवाड़ी सम्मेलन में राहुल बजाज को बुलाया, वह आपको क्या कह कर गया? आपने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बुलाया, क्या कहकर गया?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने उद्योगों का भट्टा बैठा दिया और इस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है। आज औद्योगिक वातावरण इस तरह के विधेयक लाने से नहीं बनेगा। औद्योगिक वातावरण तब बनेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप पैदा करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने के लिए आपको वातावरण बनाना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इकोनोमिक लिबरेलाइजेशन में और डब्ल्यू.टी.ओ. रिजीम आने के बाद में अब कोई डोमेस्टिक या स्टेट, नेशनल या इण्टरनेशनल मार्केट नहीं रहा है, बल्कि दुनिया में एक ग्लोबल मार्केट डवलप हो गया है। ऐसे में हर देश यह प्रयास कर रहा है कि उसका निर्यात बढ़े। भारत सरकार ने 1997 में जो निर्यात की नीति घोषित की उसमें यह नया कंसेप्ट स्पेशल इकोनोमिक जोन का है, उसको स्वीकार करते हुए देशभर में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी है कि देश भर में ऐसे 21 परिक्षेत्र विकसित हो रहे हैं जिनमें से दो राजस्थान के लिए स्वीकृत हुए हैं। हमारी जो राज्य की स्ट्रेंथ है एक्सपोर्ट के पाइंट आफ व्यू से, मैं बता रहा हूं, एक्सपोर्ट के पाइंट आफ व्यू से, वह जैम एण्ड ज्वेलरी है और हैण्डीक्राफ्ट्स है। जैम एण्ड ज्वैलरी को लेकर जयपुर में सीतापुरा में एक क्षेत्र को विकसित करना है और हैण्डीक्राफ्टस को लेकर जोधपुर के बोरोनाड़ा में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(डा. चन्द्रभान)

विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक वातावरण विकास के लिए औद्योगिक सेवाओं में सुधार और विस्तार के लिए एक विशेष सीमांकित क्षेत्र होता है जिसे डीम्ड फोरेन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त होता है। सीमा उत्पाद शुल्क हो, चाहे सेंटर के टैक्सेज हो, स्टेट के टैक्सेज हो, सबसे उसको मुक्त रखा गया है। एक तरह से यह बाधा रहित परिसर है, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि आपने इसका उद्घाटन कर दिया, आपका यह कहना सही नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इसका शिलान्यास हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शिलान्यास कर दिया आपने, वही बात है। शिलान्यास कर दिया न आपने?

डा. चन्द्रभान : आप पहले सुनिये। थोड़ा मुझे बोलने दीजिए न आप।

मैं इसको पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। आप बीच में...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर सुझाव देना चाहता हूं। एक राजस्थान का बड़ा उद्योग है कच्ची दारू का, गांव-गांव में कच्ची दारू बनती है, उस उद्योग को आप और स्थापित कर दीजिए तो आपको बड़ा श्रेय मिलेगा। वैसे भी आपका जो निगम/बोर्ड है, गंगानगर शुगर मिल बोर्ड है, वह घाटे में है। जैसे आप बिजली उत्पादन करके उद्योगपतियों से ले रहे हैं, वैसे ही कच्ची दारू बनाने वाले खसखस की, किशमिश की, बादाम की, काजू की दारू बनाते हैं। उसको आप लेकर थैलियों में पैक करिये और पैक करके सप्लाई करिये। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आपको कच्ची दारू का उद्योग बड़ा भारी लाभ देगा और आपकी आबकारी और राजस्थान को बड़ा वित्त देगा। बड़ा राजस्व देगा, यह मेरा सुझाव है। आप इसको जरा अपनाइये।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पांच मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। आपके माध्यम से सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि जयपुर में जो सीतापुरा में एस.ई.जेड. डवलप कर रहे हैं उसकी मंजूरी करीब तीन महीने पहले हो गयी थी और उसी के साथ में बोरोनाड़ा की भी सैद्धान्तिक मंजूरी हो गयी थी। उसी दिन भारत सरकार ने दो बातें कही थीं कि इसके लिए एक पालिसी आपको बनानी होगी। आर्डिनेंस लेकर आना होगा, एक्ट बनाना होगा। निश्चित रूप से जब आर्डिनेंस आएगा तो वह विधेयक का रूप भी लेगा। राज्य सरकार ने आज से ढाई महीने पहले तीन महीने पहले इसकी एक पालिसी बना दी, उसको घोषित कर दिया। आर्डिनेंस भी आपको पता है उसका जारी हो चुका है। इसी सदन में मैंने ही उसको इस सदन की मेज पर रखा है और आज वह विधेयक का रूप ले रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 28 जुलाई को शिलान्यास हुआ है और अभी अगस्त के अन्त में

(डा. चन्द्रभान)

या सितम्बर में बोरोनाड़ा में भी होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार की योजना है, इसको हर राज्य लागू कर रहा है। इसके लागू होने से निश्चित रूप से हमारा निर्यात बढ़ेगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी राजस्थान का निर्यात बढ़ रहा है। आज 1000 करोड़ रुपये का हमारा जैम-ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है, यह आने वाले पांच साल में बढ़कर 2000 करोड़ तक पहुंचेगा। पांच हजार लोगों को एम्प्लायमेंट इसके द्वारा मिलेगा। हैण्डीक्राफ्ट में भी जो 750 है, वह 1500...(व्यवधान) आप पांच मिनट रुक जाइये। मैं जवाब दे दूंगा, दो मिनट। (व्यवधान) यह क्या तरीका है? ज्ञानदेवजी बोले वह तो समझ में आता है, आप तो बैठे, रोहिताश्वजी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे इस योजना के लिये, डवलपर की जो बात आपने कही है, हमने रीको को इसमें डवलप नियुक्त किया है, लेकिन प्राइवेट सैक्टर भी इसमें आ सकता है, कोई पाबन्दी नहीं है। नियम, कानून, कायदे सबका सरलीकरण है। नोएडा में जो डवलपमेंट कमिश्नर भारत सरकार है, उसकी यहां पर नियुक्ति की गयी है और उन्हें सब अधिकार होंगे। मैंने पहले ही कहा कि यह बाधारहित होगा। भारत सरकार ने इनकम टैक्स और दूसरे जो टैक्सेज हैं, इम्पोर्ट के जो हैं और आपके जो दूसरे शुल्क हैं कस्टम ड्यूटी वगैरह, सबको माफ किया है। राजस्थान सरकार ने सब तरीके के टैक्सेज में छूट दी है। इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी मुक्ति इसमें दस वर्ष के लिये दी है और इसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का दर्जा भी दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एस.ई.जेड. कितना पापुलर है, यह द इकोनोमिक टाइम्स, इस देश का आर्थिक गतिविधियों को सबसे बड़ा समाचार पत्र है, इसके प्रथम पृष्ठ पर आज यह छपा है, मैं पढ़कर सुना देता हूँ–"Jaipur jewel merchants-rush for a make-over, feel the jewellery would give them a better cut."

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अखबार कोट नहीं कर सकते। अखबार कोट नहीं कर सकते। नियमों में प्रावधान है, अखबार कोट नहीं कर सकते।

डा. चन्द्रभान : अब छोड़ो। आप कुछ भी कोट कर सकते हो। उपाध्यक्ष महोदय, केवल इस अखबार में नहीं, पूरे देश भर के समाचार पत्रों में, राजस्थान के समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है और यह वास्तविकता है। इसमें 51 प्लाट्स हमने नियोजित किये 28 जुलाई को और दो दिन पहले इसकी बिक्री होनी थी, 51 के 51 प्लाट्स बिक गये। हमारे जैम्स एण्ड ज्वैलरी से जुड़े लोग कह रहे हैं कि और इसमें प्लाट्स होने चाहिये। सैकण्ड फेज हम शुरू करने जा रहे हैं।

(डा. चन्द्रभान)

ऐसा ही हैण्डीक्राफ्ट में है। इससे निश्चित रूप से राजस्थान का निर्यात बढ़ेगा, औद्योगिक सेवाओं में सुधार होगा। इससे, उपाध्यक्ष महोदय, इसको बिना...(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व :...इण्डस्ट्री एरिया डवलप किया, उनका तो भट्टा गोल कर रहे हो और नई-नई बात कर रहे हो।...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : कोई भट्टा गोल नहीं कर रहे हैं।

श्री रोहिताश्व : आपने कहा कि करोड़ों रुपये का एक्सपोर्ट हुआ, उसमें आपका क्या लेना-देना, एक्सपोर्टर कर रहे हैं? आपने कौनसी सुविधा दे दी, जो करोड़ों रुपये की झूठी वाहवाही लूट ली? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल हांइवे-8 पर शाहजहांपुर-बहरोड-भिवाड़ी के उद्योग क्षेत्र बरबाद हो गये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब दूंगा। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र देश भर में अच्छे औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं। राजस्थान में बिजली की कोई समस्या नहीं है। सड़कों की सुविधा में विस्तार हुआ है। दूसरी कोई समस्या नहीं है। यह जो दोनों क्षेत्र में बता रहे हैं, इनके लिये भूमि रीको ने उपलब्ध करवाई है। साढ़े 21 हजार एकड़ भूमि में सीतापुरा में एक जोन बनेगा और 7 करोड़ 20 लाख रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। भारत सरकार इसमें 2 करोड़ 50 लाख रुपये देगी। बोरोनाड़ा में 181 एकड़ भूमि दी है। 20 करोड़ रुपये हम इसके ऊपर खर्च करने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार क्या कर रही है।

श्री रोहिताश्व : वहां क्या विशेषता है जो आप वहां करने जा रहे हैं? कोई रा-मटीरियल है क्या वहां पर?

डा. चन्द्रभान : हैण्डीक्राफ्ट। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय मंत्रीजी।

श्री रोहिताश्व : हैण्डीक्राफ्टस जोधपुर में...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : ऐसा है, रोहिताश्वजी, आपको जो जानकारी नहीं होती है तो मेहरबानी करके नहीं बोलें। साढ़े 700 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हैण्डीक्राफ्टस आइटम्स का अकेले जोधपुर संभाग से होता है और हैण्डीक्राफ्टस के कारण भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हमको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

श्री रोहिताश्व : हैण्डीक्राफ्ट के जयपुर के आंकड़े दीजिये।

डा. चन्द्रभान : नहीं, जयपुर में जैम्स एण्ड ज्वेलर्स का किया है और जयपुर में...(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : आप आंकड़े दीजिये ना, यहां के भी आंकड़े देने से क्या है? इन्फ्रास्ट्रक्चर यहां क्यों नहीं डवलप किया? जोधपुर में क्यों किया? पूरा राजस्थान कवर होता।

डा. चन्द्रभान : ठीक है, मैं आपकी राय को मानता हूं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : वहां एक क्षेत्र विशेष के लोगों के लिये...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): आपकी अलग से कोई डिबेट तय करवा देते हैं।

श्री रोहिताश्व : खाली मुख्य मंत्रीजी को राजी करने की बात है। टिकट पका रहे हो अपनी। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : दोनों की अलग से कोई डिबेट तय करवा देते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : जोधपुर में अच्छे क्राफ्ट पर्सन, लकड़ी की गढ़ाई वाला जो जोधपुर में काम होता है वह कहीं और नहीं होता शेखावाटी के अलावा। तो वहां पर क्राफ्ट परसन भी जोधपुर में ज्यादा हैं, इसलिए जोधपुर को डवलप किया गया है वहां के टेलेंट को देखते हुए।(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बाड़मेर में भी होता है।

श्री रोहिताश्व : गुढ़ा भांकरवाला एक गांव है उसमें इतनी कारीगरी के काम होते हैं, आप जाकर देखिये तो सही। आपके पास फुर्सत कहां है?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, समाप्त करो न। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : प्रतिपक्ष के एम.एल.एज. के क्षेत्रों को देखने की फुर्सत कहां है कि वहां कितनी...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : जोधपुर में आकर अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं। राजस्थान के सारे उद्योगपतियों ने जोधपुर को हैण्डीक्राफ्ट का मार्केट बनाया है और बाहर से आने वाले जितने भी खरीददार हैं, वे जोधपुर आ रहे हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, देशभर में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के उद्योग और कारोबार को चुना गया है। मैंने पहले ही कहा है कि भारत सरकार की योजनाएं हैं, उसके द्वारा स्वीकृति मिली दोनों को। वूल एण्ड कारपेट के लिये हम बीकानेर में डवलप करेंगे। मैं माननीय रोहिताश्वजी जो बानसूर से आने वाले सदस्य हैं, इनके प्रस्ताव को भी स्वीकार करता हूं, अब हम जो सैकिण्ड फेज डवलप करेंगे जयपुर में, उसमें जैम एण्ड ज्वेलरी के साथ हैण्डीक्राफ्टस को भी जोड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : सैकण्ड फेज तो हम करेंगे, आप नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 17 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 17 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 17 स्वीकार किये गये।

अनुसूची कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

डा. चन्द्रभान प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003 को पारित किया गया।

विधायी कार्य, पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। श्री तकीउद्दीनजी।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग विधेयक, 2003

श्री तकीउद्दीन अहमद (समाज कल्याण राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री तकीउद्दीन अहमद : मैं राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बी. डी. कल्ला।

शासकीय संकल्प

संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा का शुमार

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं :-

"राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्य सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित करते हैं कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। राजस्थान भाषा में विभिन्न जिलों में बोली जाने वाली भाषाएं या बोलियां यथाः बृज भाषा, हाड़ौती, बागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, शेखावाटी आदि शामिल हैं।"

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बागड़ी है क्या इसमें?

डा. बी. डी. कल्ला : है, बागड़ी है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा 6 करोड़ से अधिक लोगों की बोली जाने वाली भाषा है।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प पढ़ो, संकल्प। संकल्प पढ़ो न। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : राठौड़ी, मेरवाड़ी कहीं लिखो, साहब। उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर की भाषा भी लिखो इसमें मेरवाड़ी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया। माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : नहीं, कहां से पारित कर दिया? उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्या पारित कर दिया?

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प पारित कर दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कौनसा पारित कर दिया? यह क्वेश्चन नहीं है...(व्यवधान) नहीं, यह क्या तरीका है? उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है, आपने... (व्यवधान) नहीं, यह सवाल नहीं, सर्वसम्मति से पारित किया।

(18.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, आपका स्टेटमेन्ट।

शासकीय वक्तव्य

बांसवाड़ा जिले में पति-पत्नी की हत्या सम्बन्धी कोतवाली थाना, बांसवाड़ा में दर्ज मुकदमा

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

में पर्ची के माध्यम से बांसवाड़ा जिले में पति-पत्नी की हत्या के सम्बन्ध में मामला उठाया गया था, उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। बताया गया है कि 23 जुलाई, 2003 को कुछ बदमाश लोग आये थे और इनके घर पर गये थे। इनके गम्भीर चोटें लगायीं और जेवरात चोरी करके लेकर चले गये। इसमें उनकी मृत्यु हो गयी। मुलजिमान जाते समय मकान के आगे ऊँटियापाण टापरो की तरफ गोतम पिता कमली व भापोर के श्री दुदा पिता हकरू के घर में भी घुसे जिनके साथ भी मारपीट कर लूटपाट की है।

आदि पर्चा बयान कर मुकदमा संख्या 293/2003 धारा 450, 395, 396, 397 भारतीय दंड संहिता थाना कोतवाली, बांसवाड़ा में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया।

अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है। आज ही मेरी अनुसंधान अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक से चर्चा हुई है, मुझे विश्वास है कि ये जो डाकू आये थे या तो भी बदमाश आये थे, जिन्होंने घटना की है, चोरी की है, हत्या की है, इस मामले का शीघ्र ही पता लगा लिया जाएगा।...(व्यवधान)

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो इस तरह की इस केस में प्रगति चल रही है, अभी नाम उजागर करना अन्वेषण के हित में नहीं होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका जल्दी से जल्दी पता लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सदन का आखिरी सत्र समाप्त होने जा रहा है, आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.01 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

राष्ट्रगान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता,
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय है।

परिशिष्ट -"क"

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-21 की सूची)

Particulars of Private Advocates appointed as Special Public Prosecutors by the State Govt. in the year, 2003

S. No.	Name of Spl. Public prosecutor	Date of appointment	Title of the case	Name of the court	Remuneration	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sh. S. R. Bajwa, Sr. Advocate	15.4.03	FIR case No. 65/03 State Vs.Praveen Togadia	Before any Criminal Courts in Rajasthan	Rs. 75,000/- per hearing to be borne by the Home Deptt.	Sanction for the Payment of Rs. 2,25,000/- has been issued by the Home Deptt. for putting appearance on 16.4.03, before ACJM-1, Ajmer 19.4.03 before D&SJ, Ajmer & 21.4.03 before D&SJ, Ajmer respectively @ Rs.75000 per hearing.
2.	Sh. Surendra Sharma	03.04.03	FIR case No. 276/03 State Vs. Madan Dilawar	Distt.&Session Judge, Bara.	Yet to be decided.	The appointment has been made by the District Magistrate, Bara and the approval of appointment

1	2	3	4	5	6	7
						as well as amount of remu neration is under consider ation with the deptt No. payment has been made till date.
3.	Sh. Amer Singh/ Rajawat	07.08.03	Case No. 256/98 State Vs. Mahesh & Ors	ACJM, Rajgarh Alwar	To be borne by the Income Tax Deptt.	The appointment has been made on the request of the Income tax deptt.
4.	Sh. Pritarm Singh Soni	23.09.03	State Vs. Mahmood khan & Ors.	A.D.J., Fast Track, Ajmer,	Not at the State expenses.	—
5.	Sh. Maniram Sharma	20.02.03	Case No. 75/ 2001 State Vs. Nami Chand	Addl. Distt., & Sessions Judge (Fast) Track,) Jhunjhunu	Not at the State expenses.	—
6.	Sh. Mohd. Iqubal	19.05.03	Case No. 27/ 2002 State Vs. Mohd. Umar and ors.	ADJ Didwana	Not at the State expenses.	—

1	2	3	4	5	6	7
7.	Sh. Rajesh Kumar Saxena	02.05.03	Case No. 51/ 2002 State Vs. Madhu and Vidhya Shanker & ors.	ADJ (Fast) Track) Dungarpur	Not at the State expenses.	—
8.	Sh. S. R. Bajwa, Sr. Advocate	23.05.03	S.B. Crl. Misc. Bail Application No. 1271/03 Acharya Dharmendra Maharaj V/s State of Rajasthan	Hon'ble High Court Jodhpur	Remuneration Rs. 75,000 per hearing+ travel charges & conveyance facilities and also stay in the Circuit House, Jodhpur to be borne by the deptt. of Home	Sh Bajwa has submitted bill amounting to Rs. 1,50,000/ to this deptt. for putting appearance on 27.5.03, 15.7.03, before the Hon'ble High Court @ Rs.75000 per hearing but on payment has yet been made to Sh. Bajwa in respect of this case.

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-24 का विवरण)

परिशिष्ट 'क'

ग्राम पंचायत तेजरासर की गोचर भूमि पर कराये गये वृक्षारोपण के खसरा नम्बर का विवरण,

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1114	0.99
1115	2.62
1116	9.29
798	0.50
799	5.35
योग	18.75

परिशिष्ट 'ख'

ग्राम पंचायत तेजरासर की 18 हैक्टेयर गोचर भूमि पर कराये गये ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण में व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	व्यय की गई राशि का विवरण (रुपये में)
1.	1986-87	20209.25
2.	1987-88	23921.85
3.	1988-89	40137.00
4.	1989-90	11859.25
	योग	96820.35

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी, बीकानेर (राज.)

क्रमां. एफ ( )विकास/मवअ/5455-5454 **दिनांक** 21.8.2003

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्,
बीकानेर।

विषय : तेजरासर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण तेजरासर में अवैध रूप से वृक्षारोपण करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, बीकानेर (उत्तर) ने अपने पत्रांक 367 दिनांक 14.8.2003 से इस कार्यालय को अवगत करवाया है कि वन विभाग द्वारा वर्ष 1986-87 में ग्राम पंचायत तेजरासर की गोचर भूमि पर 18 हेक्टेयर क्षेत्र में डी.डी.पी. (मरु विकास परियोजना) के अन्तर्गत ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया था जिसमें 1100 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कुल 19800 पौधे लगाये गये थे उक्त वृक्षारोपण का संधारण कार्य वन विभाग द्वारा किया गया एवं विकसित क्षेत्र को जिसमें लगभग 80% (प्रतिशत) पौधे जीवित थे, सरपंच ग्राम पंचायत तेजरासर को दिनांक 9.11.2000 को सौप दिया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने अपने उक्त पत्र में बताया है कि ग्राम पंचायत द्वारा 500 हरे वृक्ष तथा 100 सुखे पेड़ कटवा दिये है यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त वृक्षारोपण के अन्तिम विदोहन में राज्य सरकार का 50- प्रतिशत हिस्सा होता है। अतः कृपया सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह०/-
मण्डल वन अधिकारी
बीकानेर

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में मिसिंग लिंक सड़क निर्माण

25. श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कार्य, अधिशासी अभियन्ता, कृषि विपणन बोर्ड, गंगापुर सिटी को दिया गया है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु उक्त अधिकारी को निश्चित समुचित राशि दे दी गई है?

(3) क्या उक्त अधिकारी को उक्त सड़कों पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु करीब चार माह पूर्व आदेश दिये थे? क्या उक्त कार्य औपचारिकताओं के कारण अब तक प्रारम्भ नहीं किये गये हैं?

(4) क्या सरकार औपचारिकताओं में अधिक समय लगने की प्रक्रियाओं को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अब उक्त सड़कों पर सरकार कब तक कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के कार्यों के प्रस्ताव भी करीब साल भर पहले निदेशक, कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को भेजा गया था? यदि हां, तो अब तक कार्य प्रारभ नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण वास्ते राशि का प्रावधान कि जा चुका है। राशि अधिशासी अभियन्ता को दी जा रही है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 24.4.2003 से प्राप्त हुई थी, उसके पश्चात निर्माण कार्यों का सर्वे कर विस्तृत तकमीने बनाने के बाद निविदा की कार्यवाही हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में लगभग 31/2 माह का समय लगता है। अतः पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्य प्रारम्भ करने हेतु आदेश दिये गये हैं।

(कृषि विपणन मंत्री)

(4) जी नहीं। प्रक्रिया में लगने वाला समय उपयुक्त होने से इसकी आवश्यकता नहीं है।

(5) उक्त सड़कों के निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक 11.08.2003 को दिया गया है। संवेदक के साथ सर्वे एवं प्रारम्भिक कार्य शुरू किया जा चुका है।

(6) जी हां। मण्डी द्वारा मरम्मत वास्ते प्रस्ताव निदेशक, कृषि विपणन विभाग को भेजा गया था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा सड़क सुदृढ़ीकरण परियोजना स्वीकृत करने एवं मण्डी यार्ड हेतु अतिरिक्त भूमि अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण वित्तीय अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए कार्य स्वीकृत नहीं हो सका था। इस वित्तीय वर्ष में पुरानी अनाज मण्डी की क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है। अतः उक्त कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

श्री कल्याण महाविद्यालय, सीकर में सुविधाओं का अभाव

26. श्री अमराराम (धोद): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री कल्याण महाविद्यालय, सीकर में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए भौतिक सुविधाएं भवन एवं फर्नीचर की कमी है?

(2) उक्त महाविद्यालय में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है?

(3) उक्त महाविद्यालय के विकास कोष में कितनी राशि उपलब्ध है तथा उक्त राशि को महाविद्यालय में संसाधन खड़े करने में क्या उपयोग किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री कल्याण महाविद्यालय, सीकर में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये सरकार की निम्न कार्य योजना है :–

1. महाविद्यालय के सम्बद्धक विश्वविद्यालय (राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर) से वर्ष 2003 में प्रति छात्र 50/–रुपये की दर से विकास शुल्क प्राप्त होगा उससे फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जावेगी।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दसवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत लगभग 19.00 लाख रुपये जिनमें से प्रथम किस्त के रूप में 3.80 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है,

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

से 4 कक्षा कमरों का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

3. स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय विकास समिति गठित कर आवश्यक संसाधन जुटाकर महाविद्यालय की भौतिक सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

4. चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने आयोजना भिन्न बजट मद में 1.00 लाख रुपये फर्नीचर प्रयोगशाला एवं खेलकूद आदि मदों में आबंटित किया है।

(3) श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय, सीकर में चालू वित्तीय वर्ष में महाविद्यालय के विकास मद में कुल 1,01,834 रुपये उपलब्ध हैं। इस राशि का उपयोग वर्ष पर्यन्त महाविद्यालय के भवनों की आवश्यक मरम्मत, नवीन फर्नीचर क्रय एवं फर्नीचर की मरम्मत आदि में किया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) के राजकीय पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

27. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) में कितने राजकीय पशु चिकित्सालय कहां कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालयों में अपर्याप्त स्टाफ है? यदि हां, तो कहां-कहां कब से कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि उक्त में से अधिकांश पशु चिकित्सालयों में बुनियादी सुविधा यथा भवन, उपचार साजो सामान, औषधियां पर्याप्त नहीं है? यदि हां, तो क्यों और कब तक पर्याप्त व्यवस्था कर दी जायेगी।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) में 6 पशु चिकित्सालय, 2 पशु औषधालय एवं 6 उप केन्द्र कार्यरत है। सूची ''क'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

रिक्त पदों को सूची ''क'' में दर्शाया गया है।

(3) पशु चिकित्सा अधिकारी व पशु धन सहायक के पद भरने की कार्यवाही की जा रही है शेष रिक्त पदों को भरे जाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं।

सूची "क"

विधान सभा क्षेत्र बाली में कार्यरत पशु चिकित्सा इकाइयां एवं उनमें रिक्त पद

क्र. सं.	संस्था का नाम	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सा सहायक	पशुधन सहायक	स्कन्ध सहायक	सइस	जलधारी	गडरिया	सफाई कर्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पशु चिकित्सालय, बाली	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	पशु चिकित्सालय, नाना	रिक्त	—	—	—	—	—	—	—
3.	पशु चिकित्सालय, बेड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	पशु चिकित्सालय, बिजापुर	रिक्त	—	—	—	रिक्त	—	—	—
5.	पशु चिकित्सालय, मुण्डारा	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	पशु चिकित्सालय, लुणावा	रिक्त	—	—	—	रिक्त	—	—	—
7.	पशु औषधालय, सेवाड़ी	—	—	—	—	रिक्त	—	—	—
8.	पशु औषधालय, बिसलपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	उप केन्द्र, भोमाना	—	—	—	रिक्त	—	—	—	—
10.	उप केन्द्र, भाटून्द	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	उपकेन्द्र, भीटवाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	उपकेन्द्र, धणी	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	उपकेन्द्र, लाटाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	उपकेन्द्र, खुडाला	—	—	—	—	—	—	—	—

प्रश्न संख्या-28
(स्थगित)

प्रश्न संख्या-29
(स्थगित)

ग्राम बागोरा (झुंझुनूं) के वन क्षेत्र में अवैध खनन

30. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ज़िला झुंझुनूं की तहसील उदयपुरवाटी के ग्राम बागोरा में किन किन खसरा नम्बरों में खनन कार्य हो रहा है?

(2) क्या उक्त ग्राम में अवैध खनन करने बाबत कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब-कब तथा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में किसी अदालत के आदेश से या अन्य किसी प्रकार से राजस्व विभाग, जंगलात विभाग तथा खनिज विभाग से संयुक्त सर्वे हुआ है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र अरावली क्षेत्र में आता है तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार इस क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं किया जा सकता?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में जंगलात के क्षेत्र में खनन कार्य हो रहा है तथा गोचर भूमि में भी खनन कार्य हो रहा है और खनिज विभाग को इन क्षेत्रों में लीज देने का अधिकार नहीं है?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं की तहसील उदयपुरवाटी के ग्राम बागेरा के खसरा नम्बर 1426/529, 1428/529, 1427/529, 332 तथा 809 में खनन कार्य हो रहा है। जिसमें से खसरा नम्बर 1426/529, 1427/529, 1428/529 श्री हरीश कुमार जोशी के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या-7/83 एवं खसरा नम्बर 332 श्रीमती बबीता सैनी के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा 24/01 तथा खसरा नम्बर 809 श्री चौथमल सैनी के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या-35/02 के क्षेत्र में गिरते है।

(2) जी हां। विभाग को सरपंच ग्राम पंचायत, बगौरा द्वारा दिनांक 15.4.2003 से एक शिकायत प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 28.5.2003 को गांव के मौजीज व्यक्तियों के समक्ष विभाग द्वारा जांच की जाने पर पाया कि उक्त ग्राम में कोई अवैध खनन नहीं हुआ है। खनन कार्य स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में पाया गया है।

(3) जी हां। चूंकि श्री हरीश कुमार जोशी के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा एम.एल. 7/83 वन भूमि, खातेदारी भूमि चारागाह भूमि एवं सिवाय चक्र भूमि में पड़ने से वन भूमि के सम्बन्ध में क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं पट्टाधारी श्री हरीश कुमार जोशी के मध्य खनन कार्य को लेकर हुये सीमा विवाद पर एक बाद

(खनिज मंत्री)

माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख) उदयपुर वाटी में दायर हुआ था। माननीय न्यायालय द्वारा संयुक्त सर्वे हेतु आदेश पारित किये जिस क्रम में दिनांक 1.10.2001 को राजस्व विभाग, वन विभाग तथा खनिज विभाग के साथ संयुक्त सर्वे किया गया। सर्वे रिपोर्ट दिनांक 1.10.2001 की प्रति संलग्न है। खनन क्षेत्र को लेकर इस सीमा विवाद की स्थिति संयुक्त सर्वे दौरान मौके पर स्पष्ट होने के बाद को श्री हरीश कुमार जोशी द्वारा विड्रा कर लिया गया। पुन: दिनांक 11.11.2002 को खान विभाग, वन विभाग तथा पट्टेधारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में संयुक्त सर्वे किया गया। जिसके अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 की पालना में वन भूमि में खनन कार्य होना नहीं पाया गया। तथा पट्टेधारी द्वारा दिनांक 12.12.1996 के उपरान्त खनन कार्य गैर वन भूमि के पिट्स में किया जाना पाया गया। रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(4) यह सही है कि क्षेत्र अरावली क्षेत्र में आता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार 9.12.2002 से 16.12.2002 तक ही अवधि में खनन कार्य बन्द रहा है तत्पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.12.2002 से उन सभी खानों को जो किसी न्यायालय के आदेश के कारण बन्द की को छोड़कर शेष में खनन कार्य पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटा लिया गया इसके क कारण ही खनन गतिविधि की अनुमति दी गई है।

(5) ग्राम बागोरा के जंगलात के क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। तथा गोबर भूमि में खनन कार्य जो हो रहा है वह पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टा एम.एल. 7/83 जो श्री हरीश कुमार जोशी के पक्ष में स्वीकृत है के क्षेत्र में हो रहा है। खनिज विभाग को वन भूमि में लीज देने का अधिकार नहीं है। गोचर भूमि में नया खनन पट्टा आबंटन का अधिकार सक्षम राजस्व अधिकारी के अनापत्ति पर ही खनिज विभाग को है। पूर्व से गोचर भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों में ब्रोकन-अप क्षेत्र में ही खनन कार्य सीमित रखने का अधिकार है। तथा उसके अनुसार ही पट्टा का नवीनीकरण करने का अधिकार खनिज विभाग को है। यहां पर श्री हरीश कुमार जोशी के पक्ष में खनन पट्टा दिनांक 24.4.1984 से 20 वर्ष के लिये प्रभावी है। जिसमें गोचर भूमि भी गिरती है। जिसके ब्रोकन-अप क्षेत्र में ही खनन कार्य सीमित रहा है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम हसनपुर माफी (अलवर) में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रेशर

31. श्री जगमाल सिंह यादव (बानसूर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जैन स्टोन क्रेशर ग्राम हसनपुर माफी, पंचायत समिति तिजारा (अलवर) ग्राम हसनपुर माफी से कितना दूरी पर स्थित है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जैन स्टोन क्रेशर की साथ लगता हुआ ईदगाह एवं मदरसा भी है? क्या बच्चों के मदरसे में एवं ईदगाह में इबादत के समय धूल फैलती है?

(3) क्या उक्त स्टोन क्रेशर की वजह से ग्राम हसनपुर माफी के लोगों का जीवन नारकीय बन गया है?

(4) ग्राम से और हाईवे पर 50 मीटर की दूरी पर इस क्रेशर को लगाने की इजाजत देने में कौन अधिकारी दोषी है? उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार कब तक कार्यवाही करेगी? क्या ग्राम से स्टोन क्रेशर की दूरी की जांच राजस्व अधिकारी से कराई जावेगी?

(5) अब कब तक नियमानुसार इस स्टोन क्रेशर को बन्द करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जैन स्टोन क्रेशर ग्राम हसनपुरमाफी, पंचायत समिति तिज़ारा (अलवर) ग्राम हसनपुरमाफी से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है।

(2) जी नहीं। जैन स्टोन क्रेशर से ईदगाह एवं मदरसा की दूरी लगभग 300 मीटर है तथा बीच में लगभग 80 मीटर ऊंची एक पहाडी है।

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) यह स्टोन क्रेशर अलवर–भिवाडी हाईवे से लगभग 6 किलोमीटर एवं फिरोजपुर-तिजारा सम्पर्क सड़क से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। ग्राम हसनपुरमाफी से स्टोन क्रेशर की दूरी 700 मीटर है। प्रश्न पैदा नहीं होता।

(5) राज्य मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, भिवाड़ी द्वारा दिनांक 18.8.2003 को किए गए निरीक्षण के दौरान यह स्टोन क्रेशर बन्द पाया गया। मण्डल द्वारा इस स्टोन क्रेशर की वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत सम्मति निरस्त कर इसे बन्द करवाने हेतु जिला प्रशासन को दिनांक 22.8.2003 को निर्देश जारी कर दिए गए है।

नगरपालिका सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में धर्मशाला/स्कूल भवन हेतु भूमि का आबंटन

32. **श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी):** क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में धर्मशाला/स्कूल भवन निर्माण हेतु भूखण्ड आबंटन हेतु कोई नीति/नियम निर्धारित किये हुए हैं? उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में नगरपालिका सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर में स्कूल एवं धर्मशालाओं के निर्माण हेतु भूखण्ड आबंटन हेतु किस–किस समाज ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मैढ क्षत्रीय स्र्वणकार समिति सूरतगढ़ को भी रियायती दर पर धर्मशाला/स्कूल भवन निर्माण हेतु भूखण्ड आबंटन के सम्बन्ध में अध्यक्ष मैढ क्षत्रिय स्वर्णकार समिति सूरतगढ़, क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव, गृह एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री व कार्मिक सामान्य प्रशासन मंत्री राजस्थान सरकार ने भी उक्त भूखण्ड आबंटन हेतु अपनी अभिशंसा की है?

(4) उक्त प्रार्थना–पत्र एवं अभिशंसाओं पर क्या कार्यवाही की गई? उक्त प्रकरण क्यों व किस स्तर पर कब से लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त भूखण्ड अब रियायती दर 25 प्रतिशत राशि जमा कर कब तक आबंटित किया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के संगत नियम (नियम 18) की प्रति संलग्न है।

(2) नगर पालिका, सूरतगढ़ में गत दो वर्षों में स्कूल एवं धर्मशालाओं के निर्माण हेतु भूखण्ड आबंटन के लिये मैढ क्षत्रीय स्वर्णकार समिति, सूरतगढ़ संस्था, अरोड़वंश कल्याण समिति सूरतगढ़, अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद शाखा सूरतगढ़ एवं कुण्डिया सारस्वत समाज शाखा सूरतगढ़ द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

(3) जी हां।

(4) प्रकरण में संस्था के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनायें नगरपालिका से चाही जा रही है। जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा आरक्षित दर के 50 प्रतिशत की रियायती दर से आबंटन का निर्णय लिया गया, किन्तु समिति द्वारा 25 प्रतिशत दर से आबंटन की मांग करने पर प्रकरण में नगर पालिका सूरतगढ़ से पूर्ण सूचना प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

राजस्थान नगर पालिका अभिनिष्पादन सन्दर्भ–1974 नियम–18

18. सार्वजनिक और परमार्थिक संस्थाओं को भूमि आबंटन–[**(1) कोई भी भूमि नियम 17 के अधीन आने वाले प्रवर्गों के सिवाय स्वीकृत आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर आबंटित नहीं की जायेगी, परन्तु विद्यालयों और अन्य सार्वजनिक और परमार्थिक संस्थाओं के लिये भूमि स्वीकृत आरक्षित मूल्य के 50 प्रतिशत के संदाय पर या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी भी प्रभार से मुक्त (निःशुल्क) या रियायती दरों पर आबंटित की जा सकेगी।]

(2) यदि बोर्ड से सरकार द्वारा किसी भूमि की अपेक्षा की जाये तो सरकार द्वारा निम्नलिखित मूल्य का संदाय किया जायेगा–

(ए) यदि भूमि बोर्ड द्वारा मुआवजा देकर अर्जित की गई थी तो भूमि की लागत और विकास की लागत तथा बोर्ड के प्रशासनिक और अन्य स्थापना प्रभारों की पूर्ति के लिये 20%।

(बी) नजूल भूमि की दशा में सरकार केवल विकास की लागत और बोर्ड के प्रशासनिक और अन्य स्थापना प्रभारों की पूर्ति के लिये 20% का संदाय करेगी।

(सी) यदि सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि बोर्ड को इसके अन्तरण से पूर्व पहले ही विकसित थी तो कोई विकास प्रभार संदेय नहीं होंगे लेकिन यदि बोर्ड द्वारा कोई अतिरिक्त विकास किया गया हो तो सरकार द्वारा बोर्ड को ऐसा विकास प्रभार और उसके 20% प्रतिशत का संदाय किया जायेगा।

(डी) ऊपर वर्णित सिद्धान्त बोर्ड की स्वामित्व की भूमि पर, यदि वह विश्वविद्यालयों या अन्य वैधिक या अवैधिक निकायों को आबंटित की जावे, के मामले में भी सरकार के आदेशों के अधीन लागू होंगे।

*["परन्तु राज्य सरकार यदि लोकहित में ऐसा करना समीचीन समझें, भूमि का आबंटन निःशुल्क या ऊपर खण्ड (बी) और (सी) में उल्लिखित विकास लागत या प्रशासनिक या अन्य स्थानापनी प्रभारों को प्रभारित किये बिना करने का इस शर्त के अधीन आदेश दे सकती है कि भूमि पूर्व रूप से सरकारी आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए अपेक्षित है।"]

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमां. प.7(क)(34)स्थानि/96/4259 **जयपुर, दिनांक 7.10.1996**

परिपत्र

राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए राजस्थान सरकार सतत् प्रयासशील है। राजस्थान के हर क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के प्रयास के साथ–साथ सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का भी योगदान रहता है। राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 18(2) में राजकीय विभाग को भूमि के वास्तविक मूल्य एवं विकास शुल्क तथा 20 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय सहित राशि वसूल कर भूमि आबंटन का प्रावधान किया हुआ है परन्तु शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से व्यवहारिक रूप में राज्य सरकार राजकीय विद्यालयों के लिए भूमि का आबंटन निःशुल्क कर रही है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों की निःशुल्क भूमि आबंटन का निर्णय सम्बन्धित नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के प्रस्तावों पर लिया जाता है, जिससे काफी विलम्ब होता है।

अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में राजकीय विद्यालयों को भूमि का आबंटन सम्बन्धित नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल स्वयं के स्तर पर शिक्षा विभाग की अनुशंसा प्राप्त होने पर निःशुल्क आबंटन का निर्णय लेगी। अतः राजकीय विद्यालयों को शिक्षा विभाग की अनुशंसा प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यालय निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि का आबंटन किया जावे।

आज्ञा से,

ह०/–
(अजय सिंह)

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-40 की प्रति)

राजस्थान सरकार **परिशिष्ट-"क"**

निदेशालय स्थानीय निकाय राज. जयपुर

क्रमांक : प.1(ग) **दिनांक : 21 दिसम्बर, 2002**

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका, हिण्डौन।

विषय : दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित वेतन श्रृंखला बाबत।

प्रसंग : आपका पत्रांक दिनांक 31.5.2002।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि क्या श्री हरिमोहन गुप्ता को लगातार सेवा के आधार पर नियमित करने बाबत।
नगरपालिका मण्डल हिण्डोन द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया है। यदि किया गया है तो उसकी प्रति भिजवायें।

ह०/-
उप निदेशक

परिशिष्ट-"ख"

कार्यालय नगरपालिका हिण्डौनसिटी, जिला-करौली (राज.)

क्रमांक/संस्था/न.पा.हि./3/22 दिनांक : 3 जनवरी, 2003

श्रीमान उपनिदेशक महोदय,
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग,
राज. जयपुर।

विषय : दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित वेतन श्रृंखला बाबत।

प्रसंग : आपका पत्रांक प.11ग/एसएमई/डीएलबी/8559दिनांक21.12.2002।

महोदय,

उपरोक्त विषय के प्रसंग में निवेदन है कि श्री हरिमोहन गुप्ता को लगातार सेवा के आधार पर नियमित करने हेतु प्रकरण मण्डल में नहीं रखा गया है। पालिका द्वारा उक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को चतुर्थ श्रेणी की नियमित वेतन श्रृंखला दिये जाने के लिए निवेदन किया गया था।

अतः श्रम न्यायालय द्वारा पारित एवार्ड दिनांक 8.5.1997 एवं एच.बी. सिविल रिट नं. 4872/97 नगरपालिका बनाम हरिमोहन एवं सिविल स्पेशल अपील नं. 269/99 न.पा. बनाम हरिमोहन व अन्य में हुए निर्णय की छाया प्रति संलग्न कर निवेदन है कि हरिमोहन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की नियमित वेतन श्रृंखला दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का श्रम करें।

ह०/-
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, हिण्डौन

संलग्न-

1. आवार्ड रिपोर्ट दिनांक 8.5.1997 एक प्रति
2. एस.बी. सिविल रिट नम्बर 4872/97
3. D.B. स्पेशल अपील नम्बर 269/99

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-712 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

माह जून, 1997 में नगद भुगतान पर आबंटित आवासों की जमा राशि का कम्प्यूटर कैश बुक के आधार पर विवरण

क्र. सं.	आबंटी का नाम	आवास संख्या	जमा की दिनांक	राशि जमा	बकाया लीज राशि	लीज पर ब्याज	विशेष विवरण
1.	अर्चना भट्टनागर	83/185	4.6.1997	1,15,510/-	9580/-	5464/-	
2.	खुशी आसवानी	114/81	5.6.97	73,877/-	2880/-	1512/-	
3.	किशन चन्द	114/100	18.6.97	49,041/-	1956/-	1029/-	
4.	अशोक कुमार	114/48	9.6.97	93,414/-	2784/-	1462/-	कब्जा प्राप्त नहीं किया है।
5.	राधा किशन	114/109	17.6.97	47, 901/-	163/-	5/-	
6.	भंवरलाल नायक	31/81	9.6.97	48,200/-	660/-	50/-	
7.	सुनीता पहाडिया	67/168	11.6.97 13.6.97	40,000/- 20,000/-	16541/-	10177/-	

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट-"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-50 का विवरण)

क्र. सं.	नाम नगरपालिका	कच्ची बस्ती का नाम	कब से बसी हुई है	भूमि का क्षेत्रफल
1.	न.पा. फालना	1. भील बस्ती–खुडाला 2. इन्दिरा कालोनी, फालना	15 अगस्त, 1998 से पूर्व	लगभग 8 बीघा भूमि पर
2.	न.पा. बाली	1. राडाबाकी ढाणी 2. ढण्ड की ढाणी	वर्ष 1981 से बसी हुई है।	1.10 हैक्टेयर पर 2. 4.44 हैक्टेयर पर

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या–57 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति, बस्सी एवं चाकसू में कार्यरत पशु चिकित्सालय संस्थाएं एवं उनमें स्वीकृत पदों की सूची

क्र. सं.	पंचायत समिति	पशु चिकित्सा संस्था	स्वीकृत पद							
			वरिष्ठ पशु चिकित्सा	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सा सहायक	पशुधन सहायक	ड्रेसर	सईस	जलधारी	सफाइकर्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बस्सी	पशु चिकित्सालय, बस्सी	1	—	1	—	1	—	1	1
		पशु चिकित्सालय, कानौता	1	—	1	—	—	1	1	1
		पशु चिकित्सालय, तूंगा	—	1	1	—	—	—	1	1
		पशु चिकित्सालय, बासखो	—	1	1	—	—	—	1	1
		पशु चिकित्सालय, देवगांव	—	1	—	1	—	1	1	—
		पशु चिकित्सालय, दूधली	—	—	—	1	—	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		पशु उपकेन्द्र, माधोगढ़	—	—	—	1	—	1	—	—
		पशु उपकेन्द्र, पाटन	—	—	—	1	—	1	—	—
		पशु उपकेन्द्र, सांभरिया	—	—	—	1	—	—	—	—
		पशु उपकेन्द्र, बूड़थल	—	—	—	1	—	1	—	—
		पशु उपकेन्द्र, खिजूरिया	—	—	—	1	—	1	—	—
2.	चाकसू	पशु चिकित्सालय, माधोपुरा	—	1	—	1	—	1	—	—
		पशु औषधालय, कोटखावदा	—	—	1	—	—	1	—	1
		पशु औषधालय, झावदाकलां	—	—	1	—	—	1	—	1